Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्टम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 44वां दिवस [संख्या 14

सोमवार

दिनांक 13 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म०पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री चिरंजीलाल गर्ग।

अजमेर में कन्या महाविद्यालय

360. **श्री चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अजमेर के नागरिकों द्वारा नगर में गर्ल्स कॉलेज (सरकारी) खोलने की मांग बराबर की जाती रही है?

(2) क्या सरकार ने सदैव यहां राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है?

(3) अब तक उक्त कॉलेज नहीं खोलने व इस महत्वपूर्ण मांग को टालने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि कई छोटे-छोटे नगरों में राजकीय गर्ल्स कालेज हैं? क्या अजमेर जैसा विशाल नगर उसके लिए उपयुक्त नहीं है?

(5) क्या अजमेर में रहने वाले अधिकांश मध्यम श्रेणी के लोगों को शिक्षा की उक्त सुविधा प्रदान कर राज्य सरकार राहत नहीं पहुंचाना चाहती?

(6) राज्य सरकार कब तक निश्चित रूप से अजमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री महबूब अली) :

(1) जी हां।

(2) आश्वासन दिये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) वित्तीय कठिनाई।

(4) जी नहीं। राजस्थान में अलवर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, गंगानगर, भरतपुर में राजकीय गर्ल्स कॉलेज हैं। अजमेर में 3 अनुदान प्राप्त गर्ल्स कालेज हैं।

(5) राज्य सरकार इन गर्ल्स कालेजेज को अनुदान देकर अजमेर के नागरिकों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करा रही है।

(श्री महबूब अली)

(6) वित्तीय कठिनाइयों के कारण निश्चित तिथि देना फिलहाल संभव नहीं है।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने अजमेर में जिन तीन गर्ल्स कॉलेजों का उल्लेख किया है उनके नाम बताने का कष्ट करें कि तीन गर्ल्स कॉलेज अजमेर में कौन से हैं ?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, सावित्री गर्ल्स कॉलेज, सोफिया गर्ल्स कॉलेज और आदर्श डिग्री कॉलेज।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि तीन अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं होते हुए भी राजकीय महाविद्यालय खोला जाना क्या अजमेर के लिए उपयुक्त नहीं है ? जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी हालत इतनी बदतर है कि उनको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अतः क्या अजमेर में राजकीय महाविद्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझते ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : आपने सोफिया गर्ल्स कॉलेज का नाम गिनाया तो क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में गरीब लड़कियां पढ़ सकती हैं ? क्या सावित्री गर्ल्स कॉलेज में इतना स्थान है कि वहां पर समस्त लड़कियों को एडमिशन मिल सकता है ? तीसरा मेरा प्रश्न है कि आदर्श डिग्री कॉलेज के अन्दर कौन से सब्जेक्ट्स की व्यवस्था है ? यह बताने का कृपया कष्ट करें।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित प्रश्न है। क्या यह सत्य नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण बहुत सी लड़कियों को बच्चों के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि कितने हजार की जनसंख्या पर गर्ल्स कॉलेज खोलने का प्रावधान है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आप को-एजूकेशन में विश्वास रखते हैं या नहीं ? क्या बॉयज एण्ड गर्ल्स के अलग अलग कॉलेज खोलने में विश्वास रखते हैं ? आपकी नीति क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : नीति का सवाल प्रश्नोत्तर काल में नहीं उठाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर उठाया जा सकता है. I can raise a question of policy.

आप यह बता दीजिए कि आपकी नीति क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : आप भी नीति संबंधी प्रश्न उठाते रहे हैं। यह बात नहीं है कि नीति संबंधी प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, एजूकेशन में बॉयज और गर्ल्स के कॉलेज अलग खोल कर इसमें भेदभाव रख कर स्त्री जाति को कमजोर रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि को-एजूकेशन होनी चाहिए, देश में को-एजूकेशन का विकास होना चाहिए ताकि स्त्री और पुरुष बराबरी के आधार पर चल सकें।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए कोई आधार तय कर रखा है? क्या उस हिसाब से अजमेर उपयुक्त स्थान नहीं है?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आधार का प्रश्न है, यह बिल्कुल सही है कि जो नीति निर्धारित की गई है एजूकेशन के अन्दर और कॉलेजेज खोलने के लिए उसमें जो आधार बॉयज के लिए है वही आधार गर्ल्स कॉलिज के लिए है। जहां तक अजमेर में गर्ल्स कालेज खोलने का प्रश्न है, इस बात के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं कि महिला शिक्षा का वहां कितना प्रतिशत है? अजमेर का प्रतिशत अन्य स्थानों के मुकाबले में अधिक प्रतीत होता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अजमेर में गर्ल्स कॉलेज नहीं खोला जावे। अजमेर में राजकीय गर्ल्स कॉलेज चलाना आवश्यक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं। मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि आर्थिक कठिनाई के कारण अजमेर में राजकीय गर्ल्स कॉलेज नहीं खोला जा रहा है। और किसी प्रकार की बात नहीं है। अजमेर हर प्रकार से उपयुक्त है। वहां गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, इसके अन्दर कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यह है कि आर्थिक कठिनाई है। पहले से गर्ल्स कॉलेज तीन होने से अभी अलग कर दिया गया है। अभी तक जो सात गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं उनके अलावा कोई नय गर्ल्स कॉलिज नहीं खोला गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : भविष्य में कोई राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा राजस्थान में तो क्या अजमेर को प्राथमिकता दी जावेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका ध्यान रखेंगे।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि कॉलेज खोलने का आधार क्या तय कर रखा है? यह आधार बताने का कष्ट करें।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, जब महाविद्यालय खोलने के लिए जनसंख्या का आधार माना गया है तो अजमेर को क्यों उपेक्षित रखा गया है?

मेजर श्री फतहसिंह : जब भी सरकार द्वारा भविष्य में महाविद्यालय खोला जायगा तो अजमेर को क्या प्रायमिकता दी जावेगी?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से खास तौर से कि जब सावित्री गर्ल्स कॉलिज ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं उसको टेक ओवर करते? मेरा ख्याल है कि काफी हद तक प्राब्लम हल हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में गर्ल्स कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में नागरिकों की मांग बहुत पुरानी है और बहुत प्रबल है। साथ ही सावित्री गर्ल्स कॉलेज को टेक ओवर करने की मांग भी कई वर्षों से चल रही है लेकिन मुझे खेद है कि भूतपूर्व सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बात का प्रयास किया था कि इसको टेक ओवर कर लें लेकिन मैनेजमेंट का आपस का झगड़ा होने के कारण और बाद में उनका केस कोर्ट में चल रहा था इसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। उस वक्त टेक ओवर करना चाहते हुए भी नहीं कर सके। अब मैं समझता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप टेक ओवर कर लीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अजमेर में कब तक यह कॉलेज खोल दिया जावेगा, यह बिल्कुल स्पष्ट करें ? वर्षों से वहां पर इसकी मांग चल रही है। इसके खुलने से वहां पर बालिकाओं को पढ़ाने में काफी सहूलियत होगी। आप कॉलेज कब तक खोल देंगे इसकी आज ही घोषणा करें ?

श्रीमती नारंगीदेवी : (किशनगंज) उपाध्यक्ष महोदय, सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में वर्षों से चल रहा है। यह महिलाओं के शिक्षण की बहुत अच्छी संस्था है। It must be mended and amended. शिक्षा को प्रभावी बनाए रखने के लिए इस कॉलेज को बन्द नहीं किया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सदन के नेता महोदय भी मौजूद हैं। संविधान में भी को-एजूकेशन को माना है।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय जहां तक अजमेर में गर्ल्स कॉलेज खोलने का प्रश्न है अभी सरकार कोई गर्ल्स कॉलेज खोलने के लिए भरोसा नहीं दिला सकती। भविष्य में आर्थिक स्थिति के आधार पर विचार किया जाएगा, तब इस पर भी विचार किया जाएगा। इससे पूर्व इस समय निश्चित रूप से आज कोई कमिटमेंट करने या घोषणा करने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है, लेकिन अजमेर के प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री कल्याणसिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आज भले ही हमें आश्वासन नहीं दें परन्तु हमें यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार के जितने भी मंत्री आए उन्होंने स्पष्ट इस बात की घोषणा की थी कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। इस सरकार के मंत्रियों ने भी इस बात की घोषणा की है। परन्तु यह घोषणा ही नहीं रहनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 26 प्रतिशत महिलाओं की शिक्षा हुई है। मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि 1956 में जब अजमेर का मर्जर हुआ तो महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत कितना था ? और अजमेर का मर्जर होने के बाद घटा है या बढ़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 361.

मंत्रियों का दिल्ली में प्रवास

361. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1977-78 में अब तक मंत्रिमण्डल के विभिन्न मंत्री दिल्ली प्रवास पर कितनी कितनी बार किस किस कार्य से गये ? उनके दिल्ली आने जाने एवं वहां ठहरने पर राज्य सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

Page No 5

(5)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(2) क्या प्रशासन में चुस्ती लाने एवं जनता के अभावों का शीघ्रता से निपटारा हो सके इसके लिए मुख्य मंत्री, मंत्रियों के अनावश्यक दौरों पर रोक लगाना उचित नहीं समझते ? यदि हां, तो एक महीने में मंत्री के लिए जयपुर में कितने दिन रहना अनिवार्य है ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, समय मांगा गया है क्योंकि यह काफी विस्तृत प्रश्न है इसलिए इसको स्थगित किया जाए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब तक समय चाहते रहेंगे ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप चाहेंगी तो हाउस एडजोर्न होने के बाद भी आपको उत्तर भेज दिया जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह जवाब नहीं है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मंत्रियों ने टी. ए. डी. ए. उठा लिया है। यह ऑन रिकार्ड है फिर जवाब देने में क्या आपत्ति है ?

श्री **कैलाश मेघवाल** : अतारांकित प्रश्न संख्या 339 में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है उससे भी ज्यादा विस्तृत सूचना इस प्रश्न में चाही गई है इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या इस सत्र में आप उत्तर देंगे ?

(व्यवधान)

प्रश्न को स्थगित किया जाता है । मंत्री महोदय से अपेक्षा है कि वे इसी सत्र में इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मंत्रियों ने टी. ए. डी. ए. उठा लिया है । यह सारा ऑन रिकार्ड है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू) जब आपने अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो इसका जवाब देने में क्या दिक्कत है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री विट्ठल प्रसाद !

(व्यवधान)

यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है इसलिए अब कोई चर्चा नहीं होगी । मंत्री महोदय इसी सत्र में इसका उत्तर देने का कष्ट करें ।

मनोहरथाना कस्बे में दो महिलाओं की हत्या

362. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहरथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगस्त, 77 में मनोहरथाना कस्बे में जिन दो महिलाओं की हत्या की गई थी उसके लिए पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस सर्वथा निष्क्रिय रही और इसी आधार पर गत विधान सभा सत्र के अवसर पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार ने इस हत्या के सुराग के लिए सी. आई. डी. क्राइम से जांच कराने के आदेश दिये हैं ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(3) यदि हां, तो आदेश कब दिये एवं कौन अधिकारी जांच हेतु नियुक्त किया गया एवं उस अधिकारी ने मनोहरथाना पहुंच कर क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) इन हत्याओं के बारे में पुलिस मनोहरथाना पर अभियोग संख्या 114 दिनांक 10-8-77 की धारा 302/460 भा. द. सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर जेर तफतीश है।

(2) जी नहीं। परिवादी की यही प्रार्थना थी व विधान सभा की चर्चा को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने सी. आई. डी. से जांच कराना उचित समझा।

(3) पुलिस महानिरीक्षक के आदेश से 14-9-78 को जांच सी. आई. डी. को सौंपी गई। श्री ब्रजलाल वधावा, निरीक्षक ने अन्वेषण प्रारम्भ किया था। इसी दौरान इस मामले में सूत्र प्राप्त होने से अन्वेषण पुनः स्थानीय पुलिस को सौंपा गया।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जिन दो महिलाओं की हत्या हुई थी उन्होंने बहुत पहले ही एस. डी. ओ. कोर्ट में इस बात की एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें अमुक व्यक्ति से अपनी जान का खतरा है। पुलिस ने आज तक कोई कोशिश नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना पुलिस में दर्ज हुई है 10-8-77 को। जैसा माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं एस. डी. ओ. कोर्ट में इस प्रकार की दरख्वास्त दी गई थी ....

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा फिर पुलिस ने, इस बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की जब कि उन्होंने यह कहा था कि अमुक व्यक्ति से उनकी जान को खतरा है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। सरकार को भी इस सम्बन्ध में चिन्ता है। दरअसल इसको वर्क आउट करने की कोशिश की गई और फाइल इधर उधर चली भी। यह केस सी. आई. डी. को पेश किया गया। कुछ दिन पहले ही मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि इस प्रकार के हीनियस अपराध हैं उनका उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारियों पर डालना चाहिए। इसलिए सी. आई. डी. से फाइल लेकर वापस लोकल पुलिस को दे दी गई। इस सम्बन्ध में डी.आई.जी. का टेलीग्राम आया है :

"I have discussed this case with the S. P. It is likely that the case is being worked out. If considered proper, the case may be investigated by local police.''

इससे आगे के फैक्ट्स देना जनहित में नहीं है। इसमें जांच चल रही है। हो सकता है कि यह जल्दी ही वर्क आउट हो जाए।

श्रीमती नारंगी देवी : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हाल ही में मेरे क्षेत्र में डाकुओं के अत्याचार हुए हैं और महिलाओं की हत्या की गई है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। आप यह प्रश्न लॉ एण्ड ऑर्डर की चर्चा के समय उठा सकती हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत महिलाओं ने एक व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी तो पुलिस ने पूछताछ के लिए

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया ? क्या यह सही है कि उन महिलाओं ने त्रिलोकचन्द के बारे में एस. डी. ओ. को रिपोर्ट दे दी थी, दरख्वास्त दे दी थी और चूंकि त्रिलोकचन्द को एस. पी. झालावाड़ का समर्थन है .....

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या मंत्री तो नहीं हैं ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : .... और पुलिस ने इसी वजह से, एस. पी. के लिहाज से इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं इन हत्याओं से और जो डकैतियां हुई हैं उनसे इस इलाके में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गयी है । लोगों को बड़ी चिन्ता हो गई है । क्या सरकार इस ओर सक्रियता से सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेश कुमार : श्री त्रिलोकचन्दजी मंत्री पद पर हैं वे तो नहीं हैं ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हत्याएं होती हैं वे गंभीर हैं । इससे समाज में भय व्याप्त होता है । इन मामलों में आई. जी. को डाइरेक्ट टच रखना चाहिए । क्या उनके पास इसकी पीरियोडिकल रिपोर्ट आती है ? ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या मंत्री महोदय यह उचित समझेंगे कि ऐसे जो मर्डर होते हैं उनकी पीरियोडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यह विषय लॉ एण्ड ऑर्डर की चर्चा में उठा सकते हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, पांची नाम की एक महिला की हत्या हो गई इसके लिए मैंने कई बार मेमोरेन्डम भी दिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इससे जनता में बड़ा असन्तोष है ....

श्री उपाध्यक्ष : यह सप्लीमेन्ट्री रिलेवेन्ट नहीं है ।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । कब तक इसकी जांच हो जाएगी, कृपया मंत्री महोदय यह बतावें ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है ।

श्री सम्पतराम : मैंने अभी सदन के सामने निवेदन किया था, यह गंभीर मामला है । पुलिस सतर्कता से काम कर रही है । इस वक्त काफी प्रेशर, दवाव है । हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार स्वयं चिन्तित है । जो टेलीग्राम आ[illegible] था वह भी मैंने पढ़ कर सुना दिया । इससे ज्यादा कहना जनहित में नहीं है । जिस उद्देश्य से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है उस पर ज्यादा कहना इस मामले को ठेस पहुचाएगा । इसलिए जनहित में मैं यहीं तक अपना जवाब सीमित रखना चाहता हूं । फिर भी इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी की है ?

श्री सम्पतराम : अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है ।

Page No 8

(8)

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मरने वाले ने एक महीने पहिले रिपोर्ट दे दी थी कि उसे प्रमुख व्यक्ति से जान का खतरा है तो क्या पुलिस ने उस व्यक्ति को बुलाकर जांच की है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : क्या उनकी रिपोर्ट पर किसी की गिरफ्तारी की गई है ? गृह मंत्री चिन्तित है, सारे पुलिस अधिकारी चिन्तित हैं। परन्तु गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ? पूछताछ क्यों नहीं की गई ? यह कौनसा तौर तरीका है ?

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा अर्ज करना यह है कि क्या स्टेप उठाया है ? यह तो बताने की कृपा करें ?

मेजर श्री फतेहसिंह : गृह मंत्री महोदय इस पर चिन्तन करिये, ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

श्री सम्पतराम : कत्ल जैसे संगीन मामले में जब तक निश्चित तौर पर किसी पर दोष साबित न हो जाय तब तक मेरे ख्याल से उसे गिरफ्तार करना उचित नहीं है ? महिलाओं के बारे में कहा गया है कि उन्होंने रिपोर्ट की थी। उसकी डी. एस. पी. ने जांच भी की है। लेकिन निश्चित क्ल्यू नहीं मिले कि कौन इस मर्डर के पीछे है तब तक ......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निश्चित तौर से ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

राज्य सरकार द्वारा एक साल की उपलब्धियों की वर्षगांठ

363. **श्री जयकृष्ण शर्मा** (रामगढ़)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने एक साल की उपलब्धि की कोई वर्षगांठ मनाई थी ? यदि हां, तो उस पर कितना धन कहां कहां पर खर्च हुआ ?

(2) वे कौन सी नई उपलब्धियां हैं ? और क्या क्या उपलब्धियां प्रदर्शनी के द्वारा जनता को दिखलाई गई हैं ?

(3) क्या इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन राज्य सरकार के लिये उचित है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

राज्य मंत्री, जन-सम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। इस अवसर पर समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर 228741.73 रुपये साहित्य प्रकाशन पर 24038-50 रुपये, फोटो सामग्री पर 30182-00 रुपये तथा प्रदर्शनी पर 22564-20 रुपये का व्यय किया गया है।

(2) राज्य में सभी क्षेत्रों में जो विकास कार्य हुए हैं उनका दिग्दर्शन प्रदर्शनी द्वारा कराया गया जिनमें अन्त्योदय योजना, राजस्व अभियान, पंचायतों के 13 वर्ष बाद चुनाव, प्रेस स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा का प्रसार आदि मुख्य हैं।

(श्री महबूब अली)

(3) जी हां। राज्य में हुए विकास कार्यों की जनता को जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से सुगमता व प्रभावशाली ढंग से मिलती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके अलावा सारे मंत्रिमण्डल ने 7 रोज तक दौरा किया कलेक्टर, एस. पी., एस. डी. ओ. सारा अमला साथ में लिये हुए, उन पर जो पैट्रोल वगैरह खर्च हुआ, उसको भी शामिल किया है ?

श्री महबूब अली : नहीं, इसका सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : 2,28,741.73 रुपये आपने अखबारों में विज्ञापन के दिये। दिल्ली और देश के अन्य भागों के किन किन अखबारों में क्या क्या विज्ञापन दिये गये हैं ?

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मैं पूछना चाहूंगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री और संजय गांधी के 5 सूत्री प्रोग्राम की वर्षगांठ मनाने में कितना व्यय हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : न तो संजय गांधी की, न इंदिरा गांधी की वर्षगांठ मनाई गई

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : राजस्थान में कितना व्यय किया गया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके .....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न का उत्तर सरकार की ओर से आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री मूलचन्द डागा : साढ़े तीन साल के लिये ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही नहीं है कि हिन्दुस्तान के अखबार जो इंगलिश में निकलते हैं—टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, आदि को 36-36 हजार, 26 हजार और 21 हजार रुपये विज्ञापन के राज्य के खजाने से दिये गये ? इतने रुपये देकर क्या आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे या जनता का हित करना चाहते थे ? यह उत्तर दीजिये। जिन अखबारों का यहां कोई प्रसार ही नहीं उनको 36-36 हजार रुपये के विज्ञापन क्यों दिये गये ? केवल एक पपंज था कि हमारे नेता महोदयों की अन्तर्राष्ट्रीय और हिन्दुस्तान में प्रसिद्धि हो। यह इसलिये किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दुनिया के अखबारों में भी छपा है जनता राज की उपलब्धियों के बारे में, बिना एक पैसा दिये छपा है। कांग्रेस वालों को शक है कि फोरिन में हमने पैसा बिखेरा है। इस तरह के आरोप जिम्मेदारी के साथ लगावें तो ही बेहतर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उत्तर न दीजिये। प्रश्न पूछिये।

Page No 10

(10)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, ये विज्ञापन तीन लाख से ऊपर के आपने दिये हैं, यह देश और प्रदेश के किस-किस अखबार में दिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अलग प्रश्न है। रकम बताई है। यह प्रश्न में नहीं है कि किस-किस अखबार को कितने-कितने पैसे ...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा भी एक प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि दुनिया में मरे हुओं को कन्धे देते तो हमने देखा है, लेकिन क्या हरिदेव जोशी ने जिन्दे को कन्धा दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने सप्लीमेन्ट्री पूछा है, मैं इसको स्कोप में मानता हूं।

श्री महबूब अली : इसकी एक लम्बी सूची है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सूची को मेज पर रख दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने सबसे ज्यादा किसको और सबसे कम किसको दिये ?

श्री महबूब अली : यदि प्रश्न के साथ ही सूची मांग ली होती तो सूची पहुंच गई होती। मैं निवेदन करता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बता दें।

श्री महबूब अली : (1) दैनिक नव ज्योति अजमेर-10,020/- (2) राजस्थान पत्रिका, जयपुर-945/-, (3) लोक जीवन, भीलवाड़ा-960/-।

(व्यवधान)

श्री जय कृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है. . .

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिलकुल गलत है। माननीय सदस्य, सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : छोटे से छोटे पत्र जो गांवों के हैं उन्हें ज्यादा देना चाहिए था। यह रकम 2 लाख और 90 हजार कैसे हो गई ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो रिटन रिप्लाई मिला है उसमें हिन्दुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस को आपने 36 हजार व 26 हजार रुपया दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि राज्य सरकार विज्ञापन किसी अखबार को उसके वितरण की संख्या के आधार पर देती है या राजनैतिक आधार पर देती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी। मैंने प्रश्न पूछा था आपकी व्यवस्था को मानकर। अभी जन-सम्पर्क मंत्री महोदय जवाब

(श्री रामनारायण चौधरी)

दे रहे थे तो जवाब में जब राजस्थान पत्रिका का नाम आया तो उनका गला रुक गया। इस पत्रिका के बारे में जवाब माननीय मंत्रीजी टाल गये। किस-किस पत्र को कितना-कितना दिया, यह बतायें ? ऐसे काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं परसों आपको उत्तर देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनलालजी, कृपया उत्तर देने दें।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय आत्मा अजमेर को 300, जन नायक, कोटा...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नवज्योति का बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनिये।

श्री महबूब अली : नवज्योति सम्मिलित संस्करण 107, राजस्थान पत्रिका जयपुर 945, लोक जीवन भीलवाड़ा 207, जलते दीप जोधपुर 420, भारतीय आत्मा (सिन्धी) 300, जन नायक कोटा 480, अधिकार कोटा 678, राष्ट्रदूत कोटा 848...

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अंग्रेजी अखबारों का बताइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह 2 लाख 945 रुपया कैसे हो गया ? आपने तो 400, 800 ही बताये हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उसको तो सुनते नहीं और नये नये प्रश्न खड़े करके सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : टाइम्स ऑफ इंडिया, इण्डियन एक्सप्रेस और हिन्दू का बताइये।

श्री रतनलाल वर्मा : वह भी आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मूलचन्दजी डागा ने जो इंगलिश अखबारों के बारे में पूछा है, उनके फिगर्स आपके पास हों तो बता दें।

श्री हनवन्त सिंह (बाली) : रतनलालजी वर्मा के लिए एक्सटेन्शन की घन्टी बज चुकी है।

श्री महबूब अली : इन्डियन एक्सप्रेस 13,992, टाइम्स ऑफ इंडिया 11,040, नवभारत 26,081।

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दू का बताइये, हिन्दुस्तान टाइम्स का बताइये।

श्री महबूब अली : हिन्दुस्तान टाइम्स 19,234, स्टेट्समैन 19,030।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री रामनारायण चौधरी : नेशनल हैराल्ड का बताइये।

मंत्री, संसदीय कार्य : (श्री सूर्यनारायण चौधरी) वह बन्द हो गया है।

Page No 12

(12)

श्री रामनारायण चौधरी : नेशनल हैराल्ड को कितना दिया ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : देने की उसको जरूरत है नहीं। उसका सर्क्युलेशन बन्द है।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री रामनारायण चौधरी : नेशनल हैराल्ड को कितना दिया, यह बताइये।

श्री महबूब अली : इस सूची में उसका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : वह पेपर नहीं था ? उसको देने की जरूरत नहीं थी क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : हिन्दू एक रीजन का प्रतिनिधित्व करता है उसको तो आपने दिया और जिस नेशनल हैराल्ड की फाउन्डेशन लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो कि एक नेशनल परम्परा का पत्र है, उसको आपने नहीं दिया। दक्षिण के हिन्दू पत्र, जो हिन्दुत्व के आधार पर काम्युनल पेपर है, को आपने दिया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सिम्पल सवाल है।

माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इतनी बड़ी रकम के एडवर्टाइजमेंट जो दिये हैं उसमें क्या आपकी अन्त्योदय योजना भी शामिल है ?

श्री भरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता है कि एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन पर इतनी उत्तेजना क्यों फैलाई गई है। माननीय सदस्य, जो विपक्ष में, आज दुर्भाग्य से बैठे हैं, जब सत्तारूढ़ दल में थे तो उनको मालूम है कि हर वक्त समाचार-पत्रों में कितने विज्ञापन वह दिया करते थे। पिछले वर्ष में जिस प्रकार की उपलब्धियां हुई हैं उनका प्रचार इसलिए किया जा रहा है, जैसा कि माननीय माथुर साहब जानते हैं अच्छी तरह से कि राजस्थान के बाहर जो राजस्थान के निवासी रहते हैं उनको जानकारी मिल जाय कि राजस्थान में वह किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वह विज्ञापन दिया है।

माननीय रामनारायणजी उस समय मंत्री थे, उन्होंने भी विज्ञापन दिये हैं। माननीय खेतसिंहजी को विज्ञापन का ज्ञान नहीं है इसलिए कहना नहीं चाहते, लेकिन यह चीज चल रही है। यह प्रश्न किया गया कि किसी अखबार को कितना दे दिया और किसी को नहीं दिया। यह अखबारों के सर्क्युलेशन और अखबार का किन क्षेत्रों में सर्क्युलेशन है, इस आधार पर दिया जाता है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं प्रचार के लिए। विदेशों में राजस्थान की अन्त्योदय योजना का इस प्रकार प्रचार हुआ तो उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। विदेशी अखबारों का इसमें कितना इन्ट्रेस्ट है तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप यह भी पूछ लेते कि पिछली सरकार ने प्रति वर्ष एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च किया ? वह आपकी हिम्मत नहीं है इसलिए यही प्रश्न आप पूछ कर रह गये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि अन्त्योदय योजना को भी उसमें शामिल किया गया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका भी अखबारों में आया है और अन्त्योदय योजना का भी।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण

365. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों अथवा जिलों का सर्वेक्षण कर पिछड़ा घोषित कर अन्य समृद्ध जिलों के समानान्तर लाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): राजस्थान के सूखा सम्भाव्य क्षेत्र में 10 जिले तथा 3 अन्य जिलों की 6 तहसीलें सम्मिलित हैं....

श्री किशनसिंह भाटी :Just a minute, please. मेरा क्वेश्चन स्पसिफिक है कि राजस्थान की इकोनामिक पोजीशन का सर्वे करके जिलों की प्रायोरिटी फिक्स करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप जवाब तो सुनिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : उनका जवाब तो सुनिये फिर बोलिये बीच में।

श्री किशनसिंह भाटी : जवाब दे रहे हैं मिनिस्टर साहब वह डिस्टार्टेड हैं। आपको मालूम नहीं है। You should learn manners. क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिक है। यह हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि राजस्थान का इकोनामिक सर्वे कराकर 26 जिलों को प्रायोरिटी के बेसिस पर डवलपमेंट करेंगे या अदरवाइज, ऐसी कोई स्कीम है या नहीं ? यह मैंने पूछा है। यह सूखा सम्भाव्य के अन्दर चले गये। यह डिस्टार्टेड मैनर में उत्तर दे रहे हैं, इसीलिए यह डिस्टरबेन्स हो रहे हैं। यह उसका उत्तर नहीं है, जो मैंने पूछा है। मेरे पास आपका लिखा हुआ उत्तर है। यह मैंने नहीं पूछा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप पूरा उत्तर तो सुनिये।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई साइड ट्रेक करके न दें। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि राजस्थान के इकोनोमिक बेसिस पर 26 जिलों का सर्वे करके इकोनोमिक डिस्पेरिटी को मिटाने की कोई स्कीम है कि नहीं ? This is the only question. मुझे उत्तर दिया है साइड ट्रेक करके कि इन्डस्ट्री को फैलाने की सम्भावना है। This is the only question. Either you have a scheme, then you can say so; or you don't have a scheme, then you should bluntly say that you have not got a scheme. But kindly don't try to mislead the House.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि सरकार समस्त राजस्थान को पिछड़ा हुआ मानती है। उसके अन्दर जो थोड़े बहुत डवलपमेंट के स्टेप लिये गये हैं उनके मामले में जो टेन्टेटिव उत्तर हो सकता है, वह आपकी सेवा में पेश है।

श्री किशनसिंह भाटी : This is no reply to the question. बिना सर्वे किये ही आपने कैसे बता दिया ? सर्वे की रिपोर्ट है, तो बता दें कि योजना क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विनम्र शब्दों में निवेदन कर दूं . . .

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। "क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों अथवा जिलों का सर्वेक्षण करवा कर पिछड़ा घोषित कर अन्य समृद्ध जिलों के समानान्तर लाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 26 जिलों का केटेगराइजशन किया गया है और कोई स्कीम है, This is the only question जिसको साइड ट्रक किया जा रहा है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हिन्दी में तो बोलें कम से कम।

श्री किशनसिंह भाटी : कोई स्कीम नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सदस्य, हिन्दी में बोलें। इंगलिश में बोल रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस प्रकार का जवाब आ रहा है, इससे तो जवाब नहीं आये वही अच्छा है।

श्री किशनसिंह भाटी : चौमू से आने वाले माननीय विधायक मिनिस्टर साहब की मदद में आये हैं। उनका कहना है कि मैं शुद्ध हिन्दी में बोलूं। मैं हिन्दी में कह देता हूं। विकास के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन को मिटाना होगा हमारे घोषणा-पत्र के अनुरूप। क्या आर्थिक दृष्टि से एक, दो, तीन इस प्रकार से 26 जिलों के लिए कोई स्कीम बनाई है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? इस प्रश्न को नहीं टालें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन प्रश्न इन्वाल्व्ड हैं।

(व्यवधान)

आप बात सुनिये। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए, पेयजल की दृष्टि से पिछड़े हुए, ट्राइबल एरियाज, जो अपने आप में पिछड़े हुए हैं . . .

(व्यवधान)

जहां मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स नहीं हैं। वैसे तो सम्पूर्ण देश में राजस्थान ही पिछड़ा हुआ है, ऐसा मानकर चलते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : इसका मतलब यह है, आप यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान के 26 जिलों में कोई असन्तुलन है ही नहीं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बता देता हूं। कई क्षेत्रों में राजस्थान सरकार डी० पी० ए० पी० का कार्यक्रम चला रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : डी० पी० ए० पी० की स्कीम, उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अन्तर्गत चल रही है। यह हमारी जानकारी में है। इसको पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने तो यह पूछा है कि आर्थिक असमानता, जिले से दूर करने की कोई सेपरेट विकास योजना जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है या नहीं ?

Page No 15

(15)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि आपने कोई स्कीम बनाई है या नहीं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दिया है, इस प्रकार विशेष योजनायें बनाई जाकर क्षेत्रों की असमानता दूर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः पृथक से सर्वेक्षण करा कर क्षेत्रीय जिलों को पिछड़ा घोषित करने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। पूरा उत्तर पढ़ने कहां देते हैं ?

श्री किशनसिंह भाटी : अब उत्तर आया है कि सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, योजना सरकार के पास नहीं है तो क्यों नहीं है ? क्या यह अन्त्योदय योजना बेकार है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदय, इकोनामिक डिस्प्रिटीज नहीं मिटाते हैं तब फिर यह क्यों कहते है कि 30 वर्ष से खेतसिंहजी ने यह किया और माथुर साहब ने यह किया। यह बेकार है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाय या फिर हाफ एन आवर का डिस्कशन रख दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि समस्त राजस्थान पिछड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। मैं माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा, वही बोलेंगे।

श्री मंजूर अली।

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय एक जरूरी कारण से मदाखलत करना चाहूंगा। सवाल नं० 364 बहुत जरूरी और पब्लिक इम्पोर्टेंस का सवाल है। प्रश्नकर्त्ता की गैर मौजूदगी में भी रूल नं० 44 के तहत में इसके जवाब के लिए इनसिस्ट करता हूं। प्रश्न सूची में आने के बाद यह प्रश्न सदन की जायदाद है। इसका जवाब दिलाना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको सवाल नं० 365 पूरा हो जाने के बाद मौका दूंगा। उस समय आप जो कहना चाहें वह कहना।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष, महोदय, उत्तर आना चाहिए।

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय रूल 44 में यह है—

"(3) If, on a question being called, it is not asked for, or the member in whose name it stands is absent, the Speaker may, at the request of any member, direct that answer to it be given."

यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई यह पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ? यह पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की इकोनोमिक कण्डीशन कुछ सैक्टर पर डिपेण्ड नहीं होती है। एक बार भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय ने राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का सर्वे कराया था। उस समय पर कैपिटा इवलपमेण्ट एक्सपेण्डीचर जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा बताया था। इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने से किसी जिले की बैकवर्डनेस का पता नहीं चलता है। जब राजस्थान सरकार ने कुछ जिले इस दृष्टि से बैकवर्ड घोषित किये तो कौन-सा जिला बैकवर्ड घोषित होगा और कौन-सा आगे बढ़ेगा, पर कैपिटा इवलपमेण्ट का आधार क्या होगा, किस क्षेत्र का डवलपमेण्ट होगा, इस सम्बन्ध में भारत सरकार योजना मण्डल से अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सका कि कौन-सा जिला पीछे हो कौन-सा जिला आगे हो। माननीय सदस्य की भावनाओं को मैं समझता हूं।

(व्यवधान)

योजना आयोग ने इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं निकाला है जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हो सके। हम घोषित करें, इसके लिए हमारी व्यवस्था में कठिनाई मालूम हो रही है। किस जिले को किया जाये, पर सड़कें ज्यादा हैं, कहीं पर कच्ची भी नहीं कहीं हैं, कहीं पर स्कूल हैं, कहीं पर नहीं है। आपने भावनायें व्यक्त की है। मैं योजना कमीशन को लिखूंगा। वह मार्गदर्शन करेंगे।

श्री मदनसिंह दाता : इसका मतलब यह है कि जनता पार्टी ने हमें दगा दिया है।

श्री किशनसिंह भाटी : तो इसका मतलब मैं क्या यह लूं कि ठा. भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के आर्थिक पिछड़े जिलों का सर्वे कराकर उन्हें वर्गीकृत करने में टोटली फेल्योर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : It is an admitted fact.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : यह उनकी डिफीकल्टी है। We are prepared to assist him. कब सहयोग लेंगे, इसका उत्तर कृपया दे दें।

मेजर श्री फतहसिंह : यह प्रश्न सभी प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने कहा है कि इसका उत्तर दिलवाया जाये। उत्तर दिलवाने का अधिकार आपको है। इसकी ओर माननीय मंजूर अली ने ध्यान आकर्षित किया था।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेजर साहब से मैं निवेदन करूंगा....

मेजर श्री फतहसिंह : किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण यह प्रश्न रुक गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जब निर्णय करने का समय आ गया है, तो क्या मुख्य मंत्री महोदय इस के बारे में सदन के दोनों पक्षों की एक कमेटी बनाने के लिये तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि आपके सभी सुझावों पर मुख्य मंत्री गौर करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : हाउस का सहयोग लेना चाहिये राजस्थान का इकोनोमिक सर्वे करवाने में। कृपया इसका उत्तर दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनसिंहजी, काफी चर्चा हो गई है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष

(व्यवधान)

मैं समझता हूं काफी चर्चा इस प्रश्न पर हो चुकी है।

अब मैं प्रश्न संख्या 364 के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझते हैं? यदि समझते हैं तो····

श्री एच० एन० शर्मा : मंत्रीजी समझें या न समझें हम समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में प्रावधान है कि मंत्री महोदय यदि समझें कि कोई प्रश्न आवश्यक है, तो उसको लिया जा सकता है।

पहले मैं स्थगित प्रश्नों को ले लेता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा): प्रश्न संख्या 127! उन्होंने अधिकार दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नहीं पहुंचा है।

श्री माणकलाल ठाकोर : आप जांच करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बालकृष्ण थानवी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-11-1978)

फलौदी तहसील में पीने के पानी की **व्यवस्था**

216. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्षाभाव के कारण इस साल जोधपुर जिलान्तर्गत फलौदी तहसील के अधिकांश गांवों के ताल-तलैया सूखे हैं और वहां के ग्रामीण प्यासे मर रहे हैं एवं उन्हें पानी की तलाश में दूरस्थ स्थानों पर जहां कि परम्परागत कुए या नलकूप हैं, जाना पड़ता है, फिर भी उन्हें आसानी से पीने का पानी नसीब नहीं होता ?

(2) अगर यह सही है, तो ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें पीने का पानी तत्काल मुहैय्या कराने के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? पानी से त्रस्त ऐसे सारे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या यह सही है कि निम्न राजकीय नल-कूपों से जुड़े हुए फलोदी तहसील के निम्न गांवों को पिछले कई वर्षों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है या यदा कदा ही मिल पाता है जिसकी वजह से यहां ग्रामीण प्यासे मर रहे हैं:–

(i) नल-कूप योजना सीहड़ा के गांव ढेकरा, देदासरी, दुर्जनी, खेतसूर, धोलिया बेखा आदि।

(ii) नलकूप योजना शैतानसिंह नगर के गांव ननेऊ एवं जाम्भा।

(iii) इसी साल प्रारम्भ हुई नल-कूप योजना बीटड़ी के गांव भोखेरी एवं होपारड़ी।

(iv) इसी साल नलकूप योजना चोतीणा (चाड़ी) से जोड़े गये गांव रोहिणा, बूगडी, आजासर, मानेवड़ा एवं चाम्पासर।

अगर यह सही है, तो उपरोक्त नलकूपों से संबधित उपरोक्त सारे गांवों को पीने का

(श्री बालकृष्ण थानवी)
पानी नियमित रूप से पहुंचाने की राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि एक नलकूप से तीन से अधिक गांवों को पीने का पानी नहीं पहुंच पाता फिर भी एक एक नल-कूप के साथ ऊपर के दस-दस गांवों को जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप नलकूप के मुख्यालय के पास वाले एक-दो गांवों के अलावा अन्य गांवों को पानी नहीं पहुंचता ?

(4) अगर यह सही है, तो क्या राज्य सरकार एक नलकूप से तीन से अधिक गांवों को पानी पहुंचाने की असफल नीति में परिवर्तन करके जिन गांवों में मीठे पानी के परम्परागत कुएं हैं उन्हें मशीनी उपकरणों से गहरा करवा के उन पर पंपिंग सैट लगाते हुए आस-पास के एक दो गांवों को उन्हीं से पाइप लाइन के जरिये जुड़वाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) इस वर्ष वर्षा का अभाव रहने के कारण फलोदी तहसील के ताल-तलैयों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे पेयजल संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(2) जिलाधीश, जोधपुर द्वारा जिन 37 गांवों की सूची भेजकर जहां पेयजल परिवहन हेतु टैंकर्स की व्यवस्था की मांग की गई है जो अकाल सहायता विभाग को भेजी है, वह सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

योजनावार विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) नलकूप योजना, सोहाड़ा के ग्राम बारु में पाइप लाइन जोड़ने का कार्य शेष है। ग्राम घोलिया साद एवं टेकरा के ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन को बार-बार जगह-जगह तोड़ दिये जाने पर आगे के ग्रामों में पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। प्रशासनिक अधिकारियों से मदद प्राप्त कर जल सप्लाई नियमित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ii) क्षेत्रीय योजना शैतानसिंह नगर के ग्राम ननेऊ एवं जाम्भा में नियमित रूप से जल वितरण किया जा रहा है।

(iii) क्षेत्रीय योजना, बीटड़ी, मोखेरी एवं होपारड़ी में जल उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के शेष कार्य पूर्ण होते ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध किया जा सकेगा।

(iv) क्षेत्रीय योजना, नोखड़ा पातावतां के अन्तर्गत ग्राम रोहिणा, अजासर, मानवेड़ा, एवं चाम्पासर ग्रामों में पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्राम बूंगड़ी की पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। योजना आंशिक रूप से साधारण में है। योजना के सभी कार्य पूरे होने पर नियमित रूप से दबाव के साथ इन ग्रामों में जल उपलब्ध हो सकेगा।

(3) एक नलकूप से कितने ग्राम जोड़े जायें, यह नल कूप की क्षमता एवं ग्रामों की आबादी इत्यादि पर निर्भर है।

(4) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं में 3 से अधिक ग्रामों को लेने की नीति असफल रही है, यह सत्य नहीं है। जहां पर परम्परागत कुए में पानी की क्षमता एवं क्वालिटी ठीक होती है, स्वीकृत योजना में कार्य लिये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालकृष्ण थानवी : जो सूची मुझे दी गई है, उसमें गांवों के नाम गलत दिये हुए हैं । ऐसे गांव तो फलौदी तहसील में हैं ही नहीं । दूसरा, यह जो बात कही गई कि चाम्पासर, रोहिणा, मानेवड़ा व अजासर ग्रामों में लगातार पानी दिया जा रहा है, यह कैसे कहा गया है ? यह पूर्णतया असत्य है । लूंगडी में एक दिन के लिये पानी दिया गया। इसी तरह रोहिणा, मानेवड़ा, चाम्पासर और अजासर ग्रामों में जो पानी देने की बात कही गई है, वह भी गलत है । वहां पानी नहीं दिया जा रहा है । इसी प्रकार मोखरी गांव में टैंक बना था और उसमें पानी भी भर दिया गया था, लेकिन पीने के लिये पानी आज तक नहीं छोड़ा है । मैं स्वयं मौके पर गया था । जो कुछ सूचना दी गई हैं, वह गलत है और गांवों की जो सूची दी है वह भी अधूरी है । कारण कि फलौदी तहसील के करीब 102 गांवों में पानी नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत उत्तर सदन में देना सदन का अपमान करना है । जो गलत उत्तर दिया गया है उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये ।

श्री महबूब अली : मुझे जो सूचना दी गई है, उसके आधार पर मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दे दी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य का कहना है कि गांवों के नाम गलत हैं ।

श्री महबूब अली : मेरे पास जो रिकार्ड है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया । यदि कोई नाम गलत हैं, तो उनका सुधार दिया जायेगा । मेरे पास जो सूचना थी वह उपलब्ध कर दी । यदि इसमें कोई गलती है, तो आप मुझसे सम्पर्क कर लें, मैं अधिकारियों द्वारा जांच करवा लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय मंत्रीजी ने यह भी कहा कि तीन से अधिक ग्रामों को एक जलप्रदाय योजना से पानी दिया जा सकता है, जहां पानी की भयंकर कमी है, वहां तीन गांव से ज्यादा गांवों को पानी नहीं दिया जा सकता । और यह कहना कि गांव के लोगों ने पाइप लाइन तोड़ दी, यह भी गलत है । अगर सही होती तो आपने पुलिस में मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य का यह कहना कि तीन गांवों से अधिक किसी नलकूप योजना से पानी नहीं दिया जा सकता, यह सही नहीं है । क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत जांच की जाती है कि कितना पानी मिल सकेगा । इसका ध्यान रखा जाता है । इसका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर इसकी योजना बनाई जाती है । तीन गांवों तक नलकूप योजना को सीमित करने का माननीय सदस्य का सुझाव है तो कहीं पर दो गांव होते हैं, कहीं तीन होते हैं और कहीं दस गांव हो सकते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि पानी की क्षमता कितनी है और उसकी कैपेसिटी, टैक्निकल डाटा आदि इक्ट्ठा करते हैं, उसका फ्लो कितना है, उससे कितना प्रेशर जा सकता है, इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद गांवों की तीन तक की सीमा बतायी है कि तीन गांव रहने चाहिएं । इसके लिए हार्ड

Page No 20

(20)

(श्री महबूब अली)

एंड फास्ट रूल एप्लाई नहीं किए जा सकते हैं ।

बाकी जहां तक गलत सूचना देने का प्रश्न है, अगर मेरे को गलत सूचना दी गई है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा, इसके अन्दर अगर कोई गलत बात पाई गई तो ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री ओमप्रकाश ।

श्री बालकृष्ण यानवी : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नलकूप योजना सीहड़ा के आसपास के गांवों को पानी नहीं मिल रहा है अतः इसकी तत्काल व्यवस्था करवायें ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पानी पहुंच रहा है । दोनों में से कौन सही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-11-78)

राजस्थान रोड़वेज में सुधार

225. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) [श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) की अनुपस्थिति में] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज के कारण जनता सरकार की छवि धूमिल हुई है ? यदि हां, तो इसको सुधारने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज के मुख्य अधिकारी अनुभवहीन होने के कारण रोडवेज दिवाले में जा रही है ? यदि हां, तो अनुभवशील व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती ?

(3) क्या यह सही है कि आपातकाल में सभी रोडवेज कर्मचारी, जो निकाल दिये गये थे, ईमानदार थे और बिना गलती के निकाले गये थे ? यदि हां, तो वर्तमान में चोरियां रोडवेज में क्यों होती हैं ? यदि नहीं, तो बेईमान व्यक्तियों को वापस क्यों लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान रोडवेज से निकाले गये व्यक्तियों में भी पक्षपात हुआ था ? रोडवेज कर्मचारियों को, जिनको वापस लिया गया है, की संख्या कितनी है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिसिंह): (1) जी नहीं । निगम की आर्थिक कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वांछित संख्या में परिचक्र संचालित नहीं किये जा सके किन्तु अब निगम के आगारों को 109 नई बसें विभिन्न मार्गों पर लगाने हेतु उपलब्ध करा दी गई हैं तथा 105 चैसिस पर बॉडी बनाने का कार्य शीघ्र पूरा कराया जा रहा है । ये सारी बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर लगाने के उपरान्त निगम की यातायात सेवाओं में काफी सुधार हो जायेगा।

(2) जी नहीं ।

(श्री हरीसिंह)

(3) आपातकाल में निकाले गये कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अपील / अभ्यावेदन आदि पर विचार करने के उपरान्त तथा इस मामले में यूनियन से हुए समझौते की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के मामलों पर विचार कर पुनः सेवा में लिया गया है।

(4) जी नहीं। निगम सेवा में पुनः लिए गए कर्मचारियों, चालकों के अतिरिक्त, की संख्या 1,130 है। चालकों सम्बन्धी सूचना का संकलन सम्भव नहीं हो सका है।

श्री रघुनन्दन व्यास : रोडवेज में जो चोरियां होती हैं ये क्यों होती हैं? जो व्यक्ति निकाले गए थे उनको वापस ले लिया इसलिए होती हैं या और कोई कारण है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कन्डक्टरों ने आर. एम. जोधपुर को पीट करके घायल कर दिया। उसके बाद डिसिप्लीनरी एक्शन का कोई मापदण्ड होता है?

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता पार्टी की जो छवि बिगड़ रही है, इस में कोई दो राय नहीं है कि इसका सबसे बड़ा कारण रोडवेज है। आपने जब निकाले हुए व्यक्तियों को वापस ले लिया तो ईमानदारी कहां रहने वाली है। आप कहते हैं कि स्टेपनी होती है, स्टेपनी काम नहीं करती है, जगह-जगह रास्ते में गाड़ियां पड़ी रहती हैं। मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि क्या कभी रोडवेज की गाड़ियों में विराज कर पधारेंगे ताकि आपको मालूम हो कि रोडवेज में बैठने वालों को कितनी तकलीफ होती है और कितना कष्ट होता है?

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मंडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एक बस एक ही आदमी के हाथ में रहने से बीच में खड़ी रह जाती है? इसके अलावा वर्कशाप में जो मैकेनिक और इंजीनियर हैं वे एक बस को भी अपने हाथ से नहीं देखते हैं जिसकी वजह से बस बीच में खड़ी हो जाती है? दूसरा, क्या यह सही है कि रोडवेज का कंडक्टर सवारियों को टिकिट नहीं देता, पैसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि जनता पार्टी का राज है, इसमें तो खाने दो। क्या यह भी सही है कि एक रूट पर बस तीन चार दिन चलने के बाद बन्द हो जाती है, आठ दिन चलती है फिर बन्द हो जाती है? ऐसा उदाहरण मैं आपको देता हूं, कोटा से रामगंज मंडी का, कोटा से रावतभाटा का, जयपुर से रामगंज मन्डी वाया कोटा का। इनको तीन-तीन दिन चला कर बन्द कर दिया गया है। क्या यह सही नहीं है? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों की तीव्र भावनाओं को देखते हुए सभी सदस्यों से जानकारी कर लें।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल यादव : रोड़वेज में सुधार के लिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूं, निश्चित बात आप सदन में बतायें कि एक महीने में रोड़वेज की बस में कितनी बार बैठ कर यात्रा करेंगे?

श्री नूरा (मसूदा) : इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय यह बतावें कि यातायात मंत्री की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी बसें चलाने की है या जनता पार्टी की छवि उभारने की है ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही काम करेंगे ।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : रोडवेज की व्यवस्था सुधारने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? राजस्थान रोडवेज निगम कितने घाटे में जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगी देवी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आज बसों के रख-रखाव के लिए क्या व्यवस्था करेंगे ? रास्ते में गाड़ियां पड़ी रहती हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि रोडवेज कॉर्पोरेशन के अन्दर जिन पदों पर आई. ए. एस., आर. ए. एस. अधिकारी लगे हुए है उनको विथ ड्रा करके उनकी जगह ट्रांसपोर्ट के कार्य में दक्ष व्यक्तियों का अलग कैडर बनाया जाएगा ?

श्री सूर्यप्रकाश : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रोडवेज के अन्दर जितने घोटाले हो रहे हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काफी सप्लीमेंट्री हो गए हैं ,अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं । जब राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे में जा रहा है, कितनी ही अनियमिततायें हैं जब से रोडवेज आप अपने हाथ में ली है तो फिर इसका फायदा क्या है ? इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लिया जावे ? रोडवेज को चलाने से फायदा क्या है ?

श्री नूरा : यह जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी का नमूना है । राष्ट्रीय-करण की सरकार की नीति है. . . .

श्री डूंगर राम पंवार : हमारे मुकाबले में जब प्राइवेट बसें अच्छे ढंग से चलती हैं तो मैं कहता हूं कि इसको रखने से फायदा क्या है, छुट्टी क्यों नहीं कर देते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : रोडवेज के अन्दर भ्रष्टाचार की बहुत बातें होती हैं । उनको रोकने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार विधायकों को दिया गया था । अब तक कितने विधायकों ने बसों का निरीक्षण किया, और कितने कन्डक्टर दोषी पाए गए और मंत्री महोदय ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की ? कृपया यह बतावें ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रोडवज के मामले में माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए, रोडवज की सारी व्यवस्था और हालात को देखते हुए मैं एक बात माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी कोशिश की जाएगी,

(श्री हरिसिंह)

कोशिश चालू कर दी गई है। यह बताया जा चुका है कि 102 बसें और बढ़ा दी गई हैं। बाकी बसों की जो कमी है वह कमी भी शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए समय चाहिए। दूसरी आर्थिक समस्या है जिसके कारण से अभी फ्लीट पूरा सक्षम नहीं है। फिर भी माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं और समय-समय पर जो प्राप्त होंगे उनको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : No supplementary. मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन विधायकों ने रोडवेज की चैकिंग की और उनकी कन्डक्टर्स ने पिटायी की, ऐसे कितने मामले आपके विचाराधीन हैं? कितने कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही कर उनको दंडित किया है? कृपया यह मंत्री महोदय बतावें।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। इससे सारा राजस्थान प्रभावित है। इस पर आधे घंटे की चर्चा रखी जाए।

श्री मनोहर सिंह महता : आधे घंटे की चर्चा रखी जाए, यह गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जो भावना है उसको देखते हुए इस पर आधे घंटे की चर्चा होगी।

अब प्रश्न संख्या 364 पर चर्चा करनी है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि व इसका उत्तर दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। एक और प्रश्न संख्या 380 है मंत्रियों की डिजायर के बारे में। कितनी डिजायर मंत्रियों को भेजी गयीं? व किस-किस बारे में थीं? क्यों भेजी गयीं? जिनकी पालना की गई वे किस-किस बारे में थीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय को अनुमति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे खेद है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं आपको कल बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 364।

जयपुर के गोलीकाण्ड के संबंध में बेरी आयोग की सिफारिशें,

364. **सुश्री पुष्पा** (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में बेरी आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने पिछले 14 महीने में कभी विचार किया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वर्तमान मुख्य मंत्री जब विपक्ष में थे तब उन्होंने बेरी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की मांग की थी? अब आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकार को क्या बाधा आ रही है?

(3) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि उन सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जाना राज्य के जनहित में है?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (1) (2) व (3) का सम्यक उत्तर इस प्रकार से है :

मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने, जब कि वे विपक्ष में थे, बेरी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की मांग की थी। सरकार बेरी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति पर विचार कर रही है।

श्री मन्जूर अली : क्या सरकार ने इन 16 महीनों में विचार ही किया, अमल नहीं किया ? क्या केवल विचारों की दुनिया में सैर करने से ही आयोग कायम करने का मकसद पूरा हो जायेगा ?

श्री गुल मोहम्मद : यह विचार कब तक चलता रहेगा ?

श्री हरीश शर्मा : इस कांड के अपराधियों को सरकार द्वारा क्यों बचाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : सरकार सक्षम नहीं है।

श्री मन्जूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो ना के बराबर है।

श्री मदनसिंह दांता : आयोग इसीलिए बठते हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : बेरी आयोग की रिपोर्ट का सरकार ने कब से अध्ययन किया ? अध्ययन करना शुरू किया वह कौनसी तारीख से किया ? यह बताएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : 15 महीने से।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे मुख्य मंत्री जब विरोधी दल के नेता थे उन्होंने बेरी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए धरना दिया था। अब जब वे स्वयं ही मुख्य मंत्री हैं तो क्यों देरी कर रहे हैं इस पर अमल करने में ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न मुख्य मंत्री से करना चाहता हूं आपके माध्यम से ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के इम्पलीमेन्टेशन में सुखाड़ियाजी और जोशीजी से उनकी मित्रता और भाई-चारा कहीं बीच में आ रहा है ? यदि हां, तो यह मित्रता और भाईचारा आप कब तक निभाएंगे ? यह इन्डिविजुअल, पर्सनल और स्पेसिफिक प्रश्न है। कृपया मुख्य मंत्री महोदय इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री माणकलाल ठाकोर : बेरी आयोग की रिपोर्ट की अनुपालना की जाएगी या नहीं ? की जाएगी तो कब तक कर दी जाएगी ? कृपया इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री, जब वे विरोधी दल के नेता थे, ने धरना दिया और 16 महीने के बाद जब वे स्वयं ही मुख्य मंत्री हैं इस

(श्री नवरंगसिंह)
रिपोर्ट को क्रियान्वित करने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मुख्य मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब बेरी आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है तो 16 महीने की क्यों डिले की गई ? भविष्य में कब इसको क्रियान्वित कर दिया जाएगा ? यह स्पष्ट बताने का कष्ट करें। इस गोलीकांड से ही राजस्थान सरकार बनी थी। जनता को आतंकित किया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : भूख हड़ताल करो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सप्लीमेन्ट्री था उसका मुख्य मंत्री महोदय से जवाब दिलाया जाए। माननीय सदस्यों की भावनाओं की उसमें अभिव्यक्ति है ?

मेजर श्री फतहसिंह : किन किन अधिकारियों के विरुद्ध बेरी आयोग ने रिपोर्ट दी थी ? क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार अपने को अक्षम मानती है ?

श्री राधाकृष्णदास गुप्ता : मुख्य मंत्री जवाब दें, आपातकालीन ज्यादतियों के सम्बन्ध में जो कानसिंह आयोग, शाह आयोग ने रिपोर्ट दी है उस पर एक्शन लेने की मुख्य मंत्री में हिम्मत नहीं है तो वह फिर कैसे बेरी आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन ले पायेंगे ?

श्री कांतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत में आज तक करीब 57 आयोग बैठे हैं क्या किसी भी एक आयोग की रिपोर्ट पर आज तक कोई कहीं पर कार्यवाही हुई है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ! श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सत्ता को बन्दूक की नोक पर हथियाने के लिए जयपुर में जो गोलीकाण्ड हुआ उस पर बेरी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें कई लाख रुपये खर्च किये गये हैं उसके बारे में स्पष्ट मत माननीय मुख्य मंत्रीजी विधान सभा में दें ताकि हमको अहसास हो कि आपातकाल में हुए अत्याचारों पर भी आप एक्शन लेंगे ? 14 महीने की अवधि बीत गयी है और गृह मंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि उस पर विचार करेंगे, विचार कर रहे हैं।

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने कितने ही सबूत आये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए आप आधा घंटे की चर्चा का समय दे दें तो बहुत उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्पष्टीकरण दे दें।

(व्यवधान)

कृपया विराजिये।

मुख्य मंत्री (श्री भरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की रिपोर्ट

Page No 26

(26)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
के संबंध में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की चिन्ता व्यक्त की है और जहां तक अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही का प्रश्न उठाया है ......

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्रियों और मुख्य मंत्री के विरुद्ध ।

श्री हरीश शर्मा : अधिकारी नहीं जो शासन में लोग थे उनके खिलाफ ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने सिर्फ अधिकारी बोला । अधिकारी दोषी नहीं थे । दोषी मंत्री थे ।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान का मुख्य मंत्री खड़ा होता है और सत्ता पक्ष वाले व्यवधान डालते हैं, बोलने नहीं देते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन को जानकारी है कि जब 1967 में जयपुर में गोलीकाण्ड हुआ तत्कालीन सरकार ने बेरी आयोग नियुक्त किया । उस बेरी आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया । उस प्रतिवेदन के पश्चात् बेरी आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्या कार्यवाही की जा सकती है इस संबंध में जस्टिस के. के. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, कम्पेन्सेशन के प्रश्न पर और बाकी सुझावों पर अलग-अलग कमेटीज अपाइन्ट की गयी । तीन भूतपूर्व सचिव कमेटी में थे श्री आर. डी. माथुर, श्री जैड एस. झाला और श्री एस. एल. खुराना । उसको विचार करना था कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेना है । जहां तक कम्पेनसेशन का प्रश्न था उस प्रश्न पर सिफारिश करने को उस समय राजस्थान के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के. के. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । उन्होंने जो जो भी इस संबंध में सिफारिशें की थीं उस समय की सरकार ने जहां तक कम्पेन्सेशन या एक्स-ग्रेशिया ग्रान्ट देने का सवाल था उस आधार पर सब को ग्रान्ट दे दी और जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था, उसमें तीन सचिवों ने सिफारिश की उनमें से अधिकांश में एक्शन ले लिया गया है । इस सारे मामले में एक मांग यह थी कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई और फोर्स का यूज किया उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय । यू. पी. की पुलिस थी, इसके लिए सदन में भी मांग की गयी । जिस समय यह मांग हुई उस समय तत्कालीन सरकार ने यू. पी. गवर्नमेन्ट को इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में लैटर लिखा । यू. पी. सरकार ने उस समय मना कर दिया कि हम उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझते । आज भी यह प्रश्न उठाया गया और यह प्रश्न भी सामने आया है कि इसमें तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिए । तो जिस तरह की आपकी भावना है, इस सदन की भावना है उसको ध्यान में रखते हुए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी कमीशन से संबंधित जितने पेपर्स हैं मैं कानसिंहजी के सुपुर्द कर देता हूं । मैं इतना कहना चाहता हूं कि उसके संबंध में जो भी उनके सुझाव होंगे वह मान लिये जायेंगे ।

मैंने इस फाइल को एक बार नहीं कई बार मंगाकर देखा । अब फाइल के सारे कागजात इतने हो गये हैं कि आसानी से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कोई एक या दो आदमी पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि कहीं कम्पेन्सेशन का प्रश्न आ गया, कहीं सिरह ड्योढ़ी पर हुए गोलीकाण्ड का प्रश्न आ गया, कहीं पर एक्शन फोर्स का प्रश्न आ गया। यह सारा कॉम्पलीकेटेड मैटर हो गया है। उस कॉम्पलीकेटेड मैटर को अगर मैं किसी प्रकार से स्टडी करना चाहूं तो समय लगेगा। यह भी ख्याल है मानवीय सदस्यों को इससे सन्तोष नहीं हो इसलिए मैं समझता हूं सदन भी स्वीकार करेगा कि इस संबंध में जितने भी पेपर्स हैं वह मैं कानसिंह जी के पास भेज दूं। जो भी वह सलाह देंगे उसके आधार पर जो भी कार्यवाही होनी चाहिए वह होगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप कानसिंह आयोग को दे दें लेकिन कम से कम समय, अवधि एक साल की मुकर्रर कर दीजिए। वह रिपोर्ट आये और सरकार उस पर अमल करे।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंत में जरूर सारांश दिया होगा। उस सारांश को मद्देनजर रखते हुए, अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : गोली चलाने का आदेश किस ने दिया?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार ने दिया था। ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : मुख्य मंत्री जी ने बात कही ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी बिराज जाइये। कोई लाभ नहीं होगा। प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री रतनलाल वर्मा : बन्दूक की नोक पर राज चलाया गया था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें राजनैतिक पदाधिकारी कोई शामिल नहीं थे। दोषी नहीं पाये गये। तो क्या वह यह बतायेंगे कि बेरी आयोग ने, तीन सचिवों की कमेटी ने कोई मंत्री पर आक्षेप नहीं किया? आप प्रश्न को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पर चर्चा हो गयी।

(व्यवधान)

प्रश्न पर चर्चा समाप्त है। कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

कोई उत्तर नहीं आयेगा। मैंने कह दिया चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या बेरी आयोग ने जो निर्णय दिया है दूसरे आयोग .....

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न पर कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे तो उसको रिकार्ड पर नहीं लिया जायगा। कुछ नहीं लिखा जाय।

× × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न के सम्बन्ध में न तो प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा, न कोई माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे और न मैं इसे रिकार्ड पर लूंगा।

(व्यवधान)

मैंने चर्चा समाप्त कर दी है।

(व्यवधान)

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य बराबर आसन की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया विराज जाइये।

(व्यवधान)

मुझे एक बात बहुत खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि सत्ता पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे इस प्रकार की आशा नहीं है।

कई सदस्य : शेम ! शेम !

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

(व्यवधान)

मुझे सदन से एक निवेदन करना है। मैं यह आशा करूंगा।

(व्यवधान)

कृपया बिराजे और आसन को देखें। कृपया बिराजें आप। कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये खूनी लोग हैं......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप। माननीय उजलाजी, कृपया बिराजें।

श्री मदनसिंह दांता : बोलने हमें देते नहीं और कहते हैं खूनी लोग।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर कोई चर्चा न हो।

प्रतिपक्ष के नेता के संबंध में जो अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की है उसकी जानकारी देना चाहता हूं।

×××उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : आदमियों का खून बहाने वाले....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं का आदर करूंगा, कृपया एक बार बिराज जाइये।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आप हमें संतोष दिलाइये। हमारा अपमान किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजलाजी, माननीय नवरंगजी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है। फिर भी सदन में जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं उन पर व्यवस्था दे दूंगा। लेकिन जब तक मैं अनुमति नहीं दूं, आप आसन को सहयोग दीजिये। आसन आपके सहयोग का आकांक्षी है। आसन को सहयोग नहीं देंगे तो कार्यवाही नहीं चल सकेगी। कार्यवाही के हित में मैं चाहूंगा कि सदन की ओर से मुझे पूरा सहयोग दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आग भड़क उठी है, आग फैल चुकी है।

(व्यवधान)

भावनाएं उठती हैं, दर्द उठता है, आग उठती है उसका कोई क्या करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूंगा इस बारे में, आप कृपया बिराज जाइये।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमारी भावनाओं....

(व्यवधान)

श्री भवानीसिंह डांगा: तुम निकलो यहां से बाहर, राज हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराज जाइये। आपने जो भावनाएं रखी हैं उन पर मैं व्यवस्था दे दूंगा। माननीय नवरंगजी, मैंने निवेदन कर दिया है, बिराज जाइये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं वाक आउट करती हूं।

(बहिर्गमन)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह गोलीकांड और खून का सवाल है। किसी का बाप नहीं रहा किसी का भाई नहीं रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा.....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप हमको गोली चलाने की इजाजत दें तो हम एक एक करके दमन करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जयपुर में गोलीकाण्ड, खून के मसले को लेकर सदस्य वाक आउट कर रहे हैं । यह सदस्यों का अपमान है ।

श्री कौशल किशोर जैन : पांच सदस्य वाक आउट कर गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को निश्चित उत्तर देना चाहिये ।

श्री सूर्य प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सम्बन्ध में अपने विचार रख रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजियें । मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही के जो नियम हैं उनके अनुकूल चलना चाहता हूं उसमें आप मेरा सहयोग करें । माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है उनका मैं आदर करता हूं और उसके अनुसार व्यवस्था कर दूंगा । कृपया बिराजिये तो सही ताकि सदन की कार्यवाही हो सके ।

माननीय भार्गव साहब, आप कृपया एक बार बिराजियेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जयपुर शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं .....

(व्यवधान)

बहिर्गमन करता हूं ।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-10-78)

बंधक श्रमिकों से सम्बन्धित प्रकरण

127. श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बंधक श्रमिकों से जबरन काम लेने वाले भूपतियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कितने प्रकरण राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पुलिस को बंधक श्रमिकों के पक्ष में कोई कार्यवाही न करने के निर्देश दिये हैं ? यदि नहीं, तो निरंतर बढ़ रहे बंधक श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए राज्य का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 13 मुकदमे विचाराधीन हैं ।

(2) जी नहीं । जब कभी भी बन्धुआ मजदूरों के मामले पुलिस में दर्ज कराए जाते हैं पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाहीं की जाती है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील सांचोर का मेलोल बांध

315. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रघुनाथ विश्नोई) करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील का लघु सिंचाई बांध नैनोली पिछले साल अत्यधिक वर्षा के कारण टूट गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की मरम्मत करवा दी गई है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के बीच में, जहां नाला चलता है अभी तक कोई गेट या स्लूस नहीं बनाया गया है एवं पूरा का पूरा नाला बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कब बनाया गया है।

(4) अब उपरोक्त बांध के बीच में स्लूस या गेट कब तक लगा दिया जावेगा, ताकि बांध के पीछे वाले काश्तकारों का नुकसान न हो एवं बेरों का पानी खारा न हो जाय ?

(5) नैनोल बांध से कितने क्षेत्र को फायदा होगा ? क्या यह भी सही है कि नैनोल बांध से टकराकर नाले के पानी का गुजरात में जाने का खतरा है ? अगर हां, तो उक्त खतरे को कैसे टाला जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नैनोल सिंचाई बांध वर्ष 1976 में गांव वालों द्वारा बांध में अधिक पानी आने के भय से बांध में जबरन कटाव दे दिया गया था जिससे बांध क्षतिग्रस्त हुआ।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त बांध की मरम्मत वर्ष 1978 के माह जून में वर्षा आगमन के पहले ही करवा दी गई थी।

(3) जी नहीं। उक्त बांध के पानी को निकालने के लिये स्लूस गेट का निर्माण कराया जा चुका है। पानी की बांध में आवक को देखते हुये ही स्लूस गेट लगाया गया है व नाला पोर्शन बन्द कर दिया गया है।

(4) उपरोक्त बांध में पानी की आवक के अनुसार स्लूस लगवा दिया गया है इस स्लूस से बांध के पानी को बाहर निकालने का प्रबन्ध है। इस कारण बांध के पीछे वाले काश्तकारों को कोई नुकसान होने की सम्भावना नहीं है एवं बेरों के पानी के खारा होने की सम्भावना नहीं है।

(5) नैनोल बांध से 252 एकड़ जमीन में सिंचाई का फायदा होगा एवं बेरों के पानी का जल स्तर भी ऊंचा होगा। जी नहीं बांध बन जाने से नाले का पानी गुजरात में जाने का सम्भावित कोई खतरा नहीं है।

केन्द्रीय सरकार से सिंचाई विभाग को दिया गया सीमेन्ट

3316. **श्री शिवचरण सिंह : (बयाना)** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सिंचाई विभाग को केन्द्रीय सरकार से कितना इम्पोरटेड सीमेन्ट मिला ? इसमें से कितना सीमेन्ट राज्य में पहुंचा व कितना कहां-कहां पड़ा हुआ है ? तथा इसमें से कितना सीमेंट वर्षा के कारण खराब हो चुका है ?

(2) उक्त सीमेंट के खराब होने का कारण व जिम्मेदारी किसकी है तथा अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग को इम्पोर्टेड सीमेन्ट 5,500 टन सीमेन्ट आवंटित हुआ था। इसमें से 4505 टन सीमेन्ट प्राप्त किया गया। उक्त सीमेन्ट निम्न स्थानों पर रखा गया है: ---

क्रम संख्या	स्थान का नाम	मात्रा
(1)	सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट साइट जिला डूंगरपुर	671.50 एम.टी.
(2)	जाखम परियोजना के लिए अनूपपुरा कालोनी, जिला चित्तौड़गढ़	877-30 एम.टी.
(3)	सोम कागदार योजना साइट, जिला उदयपुर	1678-20 एम.टी.
(4)	माही परियोजना बांसवाड़ा	1278-00 एम.टी.
	योग ..	4505-00 एम.टी.

उपरोक्त में से वर्षा के कारण कोई सीमेन्ट खराब नहीं हुआ केवल ट्रान्सपोर्टेशन के कारण 12 बैग खराब हुए।

ट्रान्सपोर्टेशन के कारण खराब हुए बैगों की वसूली ठेकेदारों से की जा रही है। जिसमें 8 बैगों की वसूली हो चुकी है व 4 शेष बैगों की वसूली की कार्यवाही चल रही है।

कामां व डीग तहसीलों में बाढ़ से हुआ नुकसान

317. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष कामां, डीग तहसीलों में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या इन क्षेत्रों में इस वर्ष भी बाढ़ की संभावना है ?

(3) क्या इस वर्ष हरियाणा में पानी रोक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जावेगी ?

उत्तर

(1) गत वर्ष कामां, डीग तहसीलों में बाढ़ से हुए नुकसान का मानचित्र 'क' सदन, के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) इस वर्ष में बाढ़ से हुई क्षति का मानचित्र 'ख' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। इस वर्ष पानी हरियाणा में रोक दिया गया है। इस पानी को रोकने के लिए पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूट्री सालपुर बांध व खलुका रेगुलेटर को ऊंचा उठा दिया गया है इसलिए बाढ़ की स्थिति असाधारण रूप से उत्पन्न नहीं हुई।

(मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

लघु सिंचाई योजना का सर्वे

318. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पूर्वी राजस्थान में प्राकृतिक जल कितने प्रतिशत बांधों के जरिये से इस्तेमाल किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का सर्वे करा रही है ?

Page No 33

(32)

(श्री शिवचरण सिंह)

(3) पूर्वी राजस्थान में जिलेवार सर्वे होने वाले प्रोजेक्ट्स की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि छोटे बांधों हेतु रखी गई है ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग केवल कोटा व झालावाड़ में ही माइनर इरिंगेशन का काम करना चाहता है, अन्य जिलों में नहीं ?

उत्तर

(1) पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियों का पानी वर्तमान में 28.60 प्रतिशत उपयोग हो रहा है।

(2) जी हां।

(3) मुख्य-मुख्य योजनाओं की सूची 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) छठी पंचवर्षीय योजना में छोटे बांधों हेतु 2,500 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। सूची 'क' से स्पष्ट है कि अन्य जिलों में भी माइनर इरिंगेशन का कार्य करवाया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पंचायत समितियों के तालाब

319. श्री हरीशकुमार (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लाडपुरा एवं चेचट पंचायत समितियों के कुल कितने तालाब हैं, तथा कौन कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन तालाबों की एवं इनसे सम्बन्धित छोटी नहरों की स्थिति खराब है ? यदि हां, तो इन्हें ठीक करवाने हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले समस्त तालाबों को सिंचाई विभाग द्वारा अपने अन्तर्गत लेने के लिये विचार किया जा रहा है यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं कब तक ये ले लिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) लाडपुरा एवं चेचट पंचायत समिति में कुल छः तालाब सिंचाई विभाग के हैं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) प्रति वर्ष इन तालाबों व नहरों का रखरखाव आवश्यकतानुसार व बजट के प्रावधान के तहत किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

आहू नदी पर बांध

320. श्री हरीशकुमार (रामगंजमंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आहू नदी पर सलावद खुर्द गांव के पास (रामगंजमंडी तहसील) बान्ध बनाने से सौ एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो यह बान्ध सरकार कब तक तैयार करवाना चाहती है ?

(श्री हरीश कुमार)

(2) क्या हरिगढ़ बान्ध (तागली नदी) से तहसील रामगंजमंडी भूमि को सिंचाई हेतु पानी देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित होगी ?

(3) क्या गान्धीसागर बान्ध से मध्य प्रदेश सरकार बगैर राजस्थान सरकार की राय से मानपुरा तक नहर तैयार करवा रही है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या इस नहर से रामगंजमंडी तहसील की भूमि की भी सिंचाई करवाई जा सकती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सलावद खुर्द गांव के पास आहू नदी पर बांध बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, किन्तु ग्राम कालाभाषण के पास आहू नदी पर ही गागरिन बांध झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है, जिससे लगभग 16,800 एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी।

(2) जी हां। हरिगढ़ बांध से रामगंज-मण्डी तहसील की भूमि को सिंचित करने की योजना है। यह योजना अन्तर्राज्जीय स्तर पर विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है।

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र के बाढ से प्रभावित ग्राम

321. **श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति कुम्हेर एवं सेवर के कितने-कितने ग्राम इस वर्ष की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और आज भी कितनी हेक्टेयर भूमि में बाढ़ का किस स्तर तक पानी भरा हुआ है ? इस बाढ़ के कारण कितनी हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल खरीफ की नष्ट हो गई है ? कितने ग्रामों के लिये बाढ़ के पानी के कारण अब भी आवागमन के मार्ग बन्द हैं ? क्या यह सही है कि गत वर्ष भी इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण इस प्रकार की तबाही नहीं हुई थी ? जब यहां दो वर्षों से किसान की भारी बर्बादी हो रही है और वह तबाह होने से दयनीय आर्थिक स्थिति को पहुंच गया है फिर भी राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए लगान में थाम सरकारी व सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित करने और रबी की फसल के लिये बीज की तकावी देने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है ?

उत्तर

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति सेवर एवं कुम्हेर में वर्ष 1978 की बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 71 एवं 71 हैं, जिनकी सूची संलग्न है। इस वर्ष की बाढ़ से कुल 460 एकड़ (184 हेक्टेयर) भूमि में पानी भरा हुआ है जिसकी सूची संलग्न है। बाढ़ के कारण कितनी भूमि पर खड़ी खरीफ की फसल नष्ट हुई है, इसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह आंकड़े राजस्व विभाग द्वारा संकलित किए जाते हैं। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी भी, अर्थात आवागमन के मार्ग के बन्द होने के बारे में, लगान तथा सरकारी धन के ऋणों की वसूली तथा तकावी आदि देने की व्यवस्था के बारे में इस विभाग को

(सिचाई मंत्री)

कोई जानकारी नहीं है । क्योंकि यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

संस्कृत कॉलेज, जोधपुर के प्राचार्य पद पर नियुक्ति

322 श्री ईश्वरचन्द भटनागर (पिडावा):– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री रामनारायण चतुर्वेदी, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान ने दरबार संस्कृत कॉलेज, जोधपुर में प्राचार्य पद पर अपनी नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार को 5 (पांच) वर्ष महाविद्यालय प्राध्यापक पद का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र किस महाविद्यालय का था एवं उक्त महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था । उस समय किस कक्षा के कितने कितने छात्र किस समय से किस समय तक उस महाविद्यालय में पढ़ते थे और श्री चतुर्वेदी उन्हें किस समय से किस समय तक पढ़ाते थे वे विद्यार्थी किस किस विश्वविद्यालय की किस परीक्षा में बैठे ? अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति तथा उस महाविद्यालय से उन वर्षों में बैठे छात्रों की सूची मय उस समय के स्टाफ के रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या श्री रामनारायण चतुर्वेदी द्वारा किया गया वह 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्र नियमानुसार था ? यदि नहीं, तो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए गए उस प्रमाण-पत्र के लिए श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री रामनारायण चतुर्वेदी ने दिनांक 18-7-1960 से प्राध्यापक के पद के अनुभव का प्रमाण-पत्र दिया था । यह पत्र महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर का था । कोई भी राजकीय संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय से संबंधित नहीं थे । छात्रों का कक्षावार विवरण एवं श्री चतुर्वेदी द्वारा 1960-61 से 1967-68 तक पढ़ाई गई कक्षाओं का विद्यार्थीवार एवं कक्षावार तथा स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जयपुर शहर में गटर लाइन हेतु दिया गया अनुदान

323. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जयपुर शहर में इस वित्तीय वर्ष में किन-किन लोगों को सूखे तहारतों को गटर में परिवर्तित करने के लिये अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कई आवेदकों को अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) जयपुर शहर में किन-किन गलियों और कॉलोनियों में गटर लाइन अब तक नहीं डाली गई है ? और अब कब तक राज्य सरकार गटर लाइन डालने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार जिन लोगों के कोई तहारत नहीं हैं, उन लोगों को भी गटर का तहारत बनाने हेतु अनुदान स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । जिन आवेदकों को अनुदान नहीं दिया गया है, उसकी सूची मय कारण संलग्न है ।

(3) जयपुर शहरपनाह के अन्दर-बाहर जिन-जिन गलियों में गटर लाइन नहीं है उसका विवरण संलग्न है । जिन स्थलों पर गटर लाइन नहीं है, वहां उचित धनराशि की व्यवस्था होने पर गटर लाइन डाली जा सकेगी ।

(4) इस पर विचार किया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर के प्राचार्य

324. **श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री मोतीलाल जोशी, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, मनोहरपुर किस किस शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं ? संस्थाओं व पदों के नाम की सूची सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। क्या राज्य सरकार द्वारा इन्हें उक्त पदों पर कार्य करने की अनुमति दी गई है ? यदि नहीं, तो राजस्थान कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या कथित पदों पर रहते हुए श्री जोशी ने अपने राजकीय पद का कार्य पूर्णरूपेण निर्वहन किया है ? यदि हां, तो वर्तमान में प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, मनोहरपुर के पद पर नियुक्त रहते हुए जयपुर में अधिकांश अवधि में रहकर संस्कृत निदेशालय के महत्वपूर्ण मामलों में टिप्पणियां लिखकर विश्वविद्यालय की बैठकों में भाग लेकर राज. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सचिव पद पर व अन्य कितनी ही संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अपने पद की अन्जाम ड्यूटी किस प्रकार दे रहे हैं यदि अपने पद की अन्जाम ड्यूटी पूर्णरूपेण नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? वह सूची सदन में रखने का कष्ट करें जिसमें यह बताया जावे कि पिछले छः माहों में किस-किस तिथि को मनोहरपुर नियुक्ति स्थान पर ये रहे और शेष किस-किस तिथि को मनोहरपुर से बाहर कहां-कहां पर ड्यूटी अथवा अवकाश पर रहे ?

(3) क्या श्री मोतीलाल जोशी विरुद्ध कभी राजस्थान सी. सी. ए. नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कोई कार्यवाही जांच आदि हुई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

Page No 37

(37)

(श्री ईश्वर चन्द)

(4) कथित श्री जोशी का स्थानान्तरण सीकर से मनोहरपुर आचार्य पद पर कब हुआ और क्या इस स्थानान्तरण के लिये तत्कालीन निदेशक की राजकीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था ? यदि हां, तो क्या राजकीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) श्री जोशी के उक्त स्थानान्तरण के कितने दिन बाद तत्कालीन निदेशक राज्य सेवा से रिटायर हुए ? क्या यह सत्य है कि श्री जोशी का सीकर से मनोहरपुर स्थानान्तरण करने वाले तत्कालीन निदेशक को उनके रिटायरमेन्ट के बाद श्री जोशी ने सचिव होने के नाते बी. एड. कॉलेज शाहपुरा–बाग (जयपुर) में नियुक्ति देकर वफादारी का इनाम दिया ?

(6) श्री जोशी की प्रथम: नियुक्ति तिथि क्या है और प्राचार्य पद पर पदस्थापत के पश्चात् अब तक कितनी अवधि तक वह मनोहरपुर कॉलेज में रहे और कितनी अवधि वह अपने निवास स्थान मनोहरपुर से बाहर रहे ?

(7) क्या यह सही है कि श्री जोशी को उनके अधिकांश सेवाकाल में विशेष रियायत दी जाकर उनके निवास स्थान मनोहरपुर में ही रखा गया है जब कि संस्कृत निदेशक द्वारा निदेशालय के अधीनस्थ अन्य राजकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को एक-एक साल में ही स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो यह सारी रियायत केवल श्री जोशी के साथ ही क्यों की गई है ? पिछले दस वर्षों में जो जो कर्मचारी जितनी जितनी अवधि जिस जिस स्थान पर राजकीय, शास्त्री एवं आचार्य स्तर के कालेजों में प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं, उनकी पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) श्री मोतीलाल जोशी, भूतपूर्व प्राचार्य संस्कृत कालेज, मनोहरपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट के प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय क्षत्र से निर्वाचित सदस्य हैं। विश्वविद्यालय एक्ट विधि द्वारा सम्मत है।

राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन एवं उसके द्वारा संचालित राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ के वे सचिव हैं। सम्मेलन के अवैतनिक सचिव होने के लिए इन्हें राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 4 (डी.) (9) शिक्षा/सेल–2/64, दिनांक 26-9-1964 द्वारा आर. एस. आर. के नियम 43 (ए) के अधीन स्वीकृति दी हुई है। सम्मेलन सचिव होने के नाते वे पदेन विद्यापीठ शासन निकाय के सचिव हैं। यह स्वीकृति वापस ले ली गई है।

(2) जी हां। राजकीय/विश्वविद्यालय/निजी अवकाश/राज पत्रित अवकाश वश जब वह मुख्य स्थान से बाहर रहते हैं अनके अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कॉलेज व्यवस्था की जाती है। गत 6 माह की उपस्थिति व कार्य विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

Page No 38

300

(**शिक्षा मंत्री**)

(4) सीकर से मनोहरपुर का स्थानान्तरण आदेश 15-7-76 को जारी हुआ था। राजस्थान अधीनस्थ संस्कृत सेवा नियमों में उस समय प्राचार्य शास्त्री कालेज का पद था। अतः नियुक्ति अधिकारी होने के नाते निदेशक ही स्थानान्तरण के लिये सक्षम थे।

(5) तत्कालीन निदेशक श्री कल्याण सहाय शर्मा की सेवा निवृत्ति की तारीख 31 जुलाई, 1976 थी। अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ, शाहपुरा के आदेश दिनांक 9-11-76 के द्वारा श्री कल्याण सहाय शर्मा को प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। श्री जोशी इस संस्था के सचिव थे। राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ शाहपुरा एक अराजकीय संस्था है जो राज्य सरकार से अनुदान नहीं लेती है। राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं है कि श्री कल्याण सहाय की नियुक्ति किन कारणों से की गई थी।

(6) श्री जोशी की प्रथम नियुक्ति तिथि 25-7-55 है। इनके सेवाकाल में ठहराव के स्थानों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) जी नहीं। पिछले दस वर्षों में राजकीय कालेजों के प्राचार्य पद पर कार्यरत व्यक्तियों के एक स्थान पर ठहराव का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जोधपुर नगर विकास न्यास द्वारा दिये गये प्लाट्स

325. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह **बताने की** कृपा करेंगे:—

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने दो वर्षों (1976-77 व 1977-78) में कुल कितने कार्मशियल प्लाट्स नीलाम किये हैं तथा कितने आवंटन किये हैं जिसमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने लोगों को दिय हैं? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या घंटाघर ओवरब्रिज स्कीम जैसी बड़ी स्कीम में भी अनुसूचित जाति के लोगों को कार्मशियल प्लाट नहीं दिये जायेंगे? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घंटाघर ओवरब्रिज स्कीम में प्लाट आवंटन करने हेतु नगर सुधार न्यास, जोधपुर को निर्देश देगी? अगर हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने 76-77 में कुल 10 प्लाट कार्मशियल नीलाम द्वारा और 22 प्लाट (कियास्क) आवंटन किये हैं। वर्ष 77-78 में कुल 6 प्लाट नीलाम द्वारा बचे गये। जिनमें अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के कोई सदस्य को भू-खण्ड नहीं मिला।

ओवरब्रिज घंटाघर सड़क योजना में प्लाट नीलाम द्वारा बेचे जाने का निर्णय राज्य सरकार का है। अतः कोई भी प्लाट आवंटन नहीं किया गया है तथा कार्मशियल प्लाट आवंटन कराने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।

(नगर आयोजन मंत्री)

ओवरब्रिज घंटाघर सड़क योजना में समाप्ति में मुआवजा अधिक देना पड़ा है, अतः अधिक एवं आय कम प्राप्त होने के कारण सभी प्लाट नीलाम द्वारा बेचे जाने का निर्णय राज्य सरकार का है। आवंटन की कोई योजना नहीं है।

राज्य में नये स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने की नीति

326. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नई पाठशालाओं को खोलने या क्रमोन्नत करने की सरकारी नीति क्या है?

(2) राज्य के प्रत्येक जिले में इस सत्र में शिक्षण शालाएं नई खोली गईं या क्रमोन्नत की गईं उनकी सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

वर्ष सत्र 1978-79 (30-9-78 तक)	जिले का नाम	प्राथमिक पाठशाला संख्या

प्राथमिक पाठशाला क्रमोन्नत संख्या	उच्च प्रा. शा. क्रमोन्नत संख्या	माध्यमिक पाठशाला क्रमोन्नत करने की सं.

(3) जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में इस समय पाठशालाओं को खोली या क्रमोन्नत की गई की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में शिक्षा नीति के अनुसार पाठशालाएं नहीं खोली गयीं या क्रमोन्नत की गईं? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

1. सामान्यतः नई पाठशालायें खोलने व क्रमोन्नत करने के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है तथा इसके अनुसार जिला योजना समितियों से प्रस्ताव मांगे गये। तद्नुसार निर्णय लिया गया है।

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

4. इसका उत्तर खण्ड-1 में दे दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में खोले गये नये स्कूल

327. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1977-78 एवं सन् 1978-79 में किन किन स्थानों में प्राइमरी, मिडिल एवं सैकेन्डरी स्कूलें खोली गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन 1977-78 एवं सन् 1978-79 में कितने सैकेण्डरी स्कूलों में क्या क्या नये विषय खोले गये? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

Page No 40

(40)

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हायर सैकण्डरी स्कूल, इटावा के अध्यापक के विरुद्ध चल रही जांच

328. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हायर सैकण्डरी स्कूल, इटावा के अध्यापक श्री भवानीसिंह गौड़ के विरुद्ध जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त अध्यापक के विरुद्ध लगाये गए आरोप सही सिद्ध हुए हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जांच में अनावश्यक विलम्ब नहीं करके नियमानुसार अध्यापक को रीइन्सटट करके न्याय करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 7-7-77 से जांच चल रही है।

(2) जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई थी लेकिन उसमें कुछ कमियां पाई जाने के कारण मामला पुनः जांच अधिकारी को दिनांक 7-7-78 को भेजा गया। आरोप सिद्ध होने व न होने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अध्यापक को दिनांक 6-10-78 (पैण्डिग डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी) बहाल (रीइन्स्टेट) करने के आदेश दे दिये गये हैं।

उदयपुर विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियां

329. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में एक्ट एवं स्टेच्यूट के विरुद्ध इस समय कितनी नियुक्तियां की हुई हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन नियुक्तियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित "सिंह आयोग" का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) आयोग का प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य की चुंगी की दरों में विषमता

330. **श्री ईश्वरचन्द** (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चुंगी की दरों में भारी वैषम्य है ?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि कपड़ा उद्योग व मिलों के माल पर राजस्थान के विभिन्न नगरों में चुंगी की दरों में भारी असमानता है और कहीं कहीं 50 गुना अधिक चुंगी की वसूली की जा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार चुंगी समाप्त करने या विकल्प में चुंगी दरों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होगा ?

उत्तर

1. चुंगी की दरों में असमानता है।

2. चुंगी की दरों में असमानता है।

3. जी हां। इस बारे में विचार किया जा रहा है। तत्पश्चात ही अन्तिम निर्णय होगा।

बेरी आयोग के समक्ष रखे गये गलत ढंग से भूमि हथियाने के मामले

331. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बेरी आयोग के समक्ष गलत ढंग से भूमि हथियाने के मामले किन किन के खिलाफ आज तक पेश हुए हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन किन मामलों पर बेरी आयोग ने अपना निर्णय लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी है ? राज्य सरकार ने आज तक उन पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) बेरी आयोग पर कुल कितना प्रशासनिक खर्चा किन किन मदों पर आज तक हो चुका है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उपर्युक्त में से अभी तक कोई मामला अंतिम रूप से निर्णीत नहीं हुआ है। अतः आयोग द्वारा रिपोर्ट देने एवं राज्य सरकार द्वारा उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बेरी आयोग पर आज तक रु० 1,82,569.47 का व्यय हो चुका है। व्यय की मदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. वेतन 84,710.33

2. कार्यालय व्यय 93,027.53

3. यात्रा व्यय 2,911.28

4. चिकित्सा व्यय 1,920.33

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पयजल के लिये स्वीकृत राशि

332. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पेयजल हेतु वर्ष 1977-78 व 78-79 में कितनी धनराशि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तथा डी. पी. ए. पी. द्वारा स्वीकृत की गई है और पिछले वर्ष से स्वीकृत राशि में से कितनी राशि खर्च हो चुकी है और कितनी राशि शेष है जो खर्च नहीं की जा सकी ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष पेयजल हेतु जो धनराशि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है और गत वर्ष की शेष बची राशि में से पचास प्रतिशत भी खर्च होने की सम्भावना नहीं है ? अगर हां, तो किन कारणों से खर्च नहीं की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के ग्रामों में पेयजल की विकट समस्या है और मुख्य मंत्रीजी ने कई बार पूरे राज्य में पेयजल की व्यवस्था हेतु घोषणा की थी लेकिन घोषणा करने के बावजूद भी काम करने की गति इतनी धीमी है कि अगले बीस वर्षों में भी इस गति से पूरे राज्य के गांवों में पेयजल की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है ? अगर हां, तो राज्य सरकार पेयजल की शीघ्र व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य पेयजल हेतु वर्ष 77-78 व 78-79 में विभिन्न मद में आवंटित की गई है तथा वर्ष 77-78 में खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	मद जिसमें राशि दी गई है	वर्ष 77-78	78-79		राशि जो 77-78 में खर्च की जा चुकी है
1.	नगरीय	229.00	242.00		233.33
	ज० प्र० यो०	180.00	103.00	(जी० बीमा निगम)	125.13
2.	न्यूनतम ग्रा०का०क्र०	691.00	654.00		691.14
3.	त्वरित का० क्र०	250.00	250.00		248.93
4.	सूखा संभा० का० क्र०	110.00	161.00		60.51

अतः सिर्फ सूखा संभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत ही 49.49 लाख रु० खर्च नहीं किया जा सका जो कि इस वर्ष आवंटित कर दिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । राजस्थान के अधिकांश ग्रामों में पेयजल की समस्या है । राज्य सरकार समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये प्रयत्नशील है । इस कार्य को पूरा करने के लिये विश्व बैंक, अन्य वित्तीय संस्थायें, केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त राज्य की योजना मद में भी अधिक से अधिक प्रावधान लेने के प्रयत्न किये गये हैं ।

ग्रामीण जलप्रदाय योजना, दांता

333. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना, दांता को रेगुलर किया जा रहा है ? अगर हां, तो कब तक रेगुलर की जावेगी ?

(श्री मदनसिंह दांता)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जल योजना मठा सूरेरा अलादी-पलसाना मारीजा आदि योजना स्वीकृत हो चुकी है अगर हां, तो ये कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ? कितना कार्य हो चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजना ढूंढवा; पं० स० दांता रामगढ़ को राज्य सरकार हाथ में ले रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि दांता रामगढ़ तहसील के 17 ग्रामों में जल योजना चालू बताई गई है ? अगर हां, तो उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह भी सही है कि दांता रामगढ़ तहसील में जिला आयोजना समिति ने कुछ ग्रामों की योजना को स्वीकृत किया है ? उनकी सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है । ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है और योजना के संधारण में आने के पश्चात उसको नियमित रूप से चलाया जाता है ।

(2) ग्राम मारोजा की जलप्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की गई है। जलप्रदाय योजना, मण्डा सुरेरा:- यह योजना वर्ष 77-78 में स्वीकृत की जा चुकी है । इस योजना के दोनों ग्रामों को वर्ष 77-78 में जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कुए से ग्राम तक पाइप लाइन भी डाली जा चुकी है । विद्युत सम्बन्ध हेतु विद्युत विभाग में राशि जमा करादी है । कुए में प्लेटफार्म का कार्य हो चुका है । कुआ चालू करने हेतु आवश्यक सामान प्राप्त कर लिया गया है । ग्राम मण्डा में पाइप लाइन के आदेश दिये जा चुके हैं । क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, पलसाना मंदनों:- यह योजना वर्ष 77-78 में स्वीकृत की जा चुकी है । ग्राम पलसाना में वितरण लाइनें डाल दी गई हैं । फिलहाल सार्वजनिक नलों द्वारा ग्राम में जल वितरण किया जा रहा है । ग्राम के दोनों कुओं पर स्वीचरम पूर्ण हो गये हैं जनता टाइप क्वार्टर का कार्य प्रगति पर है । ग्राम पलसाना से गोरधनपुरा को लाइन डालने, टंकी के कार्य हेतु एवं पम्पों के क्रय हेतु आदेश दे दिये गय हैं । ग्राम गोरधनपुरा में छोटी टंकी बनाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गई है । जलप्रदाय योजना, अलादा खाटू :— यह योजना वर्ष 77-78 में स्वीकृत की जा चुकी है । ग्राम आलूदा में नल कूप का कार्य चालू करवा दिया है, पाइप लाइन एवं अन्य सामान के क्रय का निर्णय भी लिया जा चुका है । खाटू में टंकी के बनाने के आदेश दे दिये गये हैं एवं क्वार्टर बनाने का कार्य प्रगति पर है । शेष कार्यों को प्रारम्भ करवाने की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

(3) इस ग्राम की जल योजना को राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव की तकनीकी जांच की जा रही है ।

(4) दांता रामगढ़ तहसील के 16 ग्रामों में शुद्ध पयजल उपलब्ध करवाया

Page No 44

(४४)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

जा रहा है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जिला आयोजना समिति वर्ष 78-79 द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)।

बाड़मेर जिले की ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें

334. **श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के बाड़मेर जिले की नोंवला-जायडू, ऊंड-पनाउड़ा एव भाडरवा देरासर ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का कार्य कब शुरू किया गया और उन योजनाओं पर कितनी राशि विभिन्न वर्षों में अब तक व्यय की गई ?

(2) उक्त ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं की अब तक की प्रगति के बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन करने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उनके निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त योजनाओं के लिये सन् 78-79 में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(5) उक्त योजनाएं कब तक कम्प्लीट कर दी जायेंगी ? योजनावार जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष जिसमें योजना का कार्य चालू किया गया था	विभिन्न वर्षों में खर्च की गई राशि 71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78
1.	नोमलासुरा-जायडू	75-76	..	..	..	..	2 60	2.99	4.75
2.	उण्डू पनावडा	71-72	2.00	1.99	10.75	0.75	2.20	..	..
3.	भाडका देरासर	72-73	..	3.49	6.01	5.46	4.05	1.52	0.37

(2) विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)।

Page No 45

(45)

लाडपुरा पंचायत समिति के ग्रामों की पीने के पानी की समस्या

335. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज-मण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडपुरा पंचायत समिति की काल्याखेड़ी, रानपुर, डोल्या, भंवरिया, कसार, मांदल्या, बोरा-वास पंचायतों में पीने के पानी का भारी अभाव है ? यदि हां, तो क्या लोगों को कीड़े-मकोड़े एवं काई का पानी पीना पड़ता है ?

(2) राज्य सरकार उक्त पंचायतों के समस्त गांवों का, पीने के पानी का संकट दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम भंवरिया, मांडल्या एवं बोरावाटल में हैण्ड पंप द्वारा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम डोल्या की हैण्ड पंप योजना वर्ष 1976-77 में स्वीकृत की जा चुकी है । ग्राम राजपुरा एवं कसाट में विभाग के मास्टर प्लान के अनुसार पीने के पानी की समस्या नहीं है। ग्राम कोल्या खेड़ी में जल बीमारी ग्रस्त है।

(2) उक्त पंचायतों के अधिकतर ग्रामों में विभाग के मास्टर प्लान के अनुसार पीने के पानी की समस्या नहीं है। राज्य सरकार समस्या ग्रस्त ग्रामों में शीघ्र से शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के लिय प्रयत्नशील है।

राज्य सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु

336. **श्री शंकर लाल** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु अधिकतम सीमा 28 वर्ष की निर्धारित है, जिसको पार करने के पश्चात् अभ्यर्थी राज्य सेवा में प्रवेश पाने के अयोग्य हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि यह शर्त उन अभ्यर्थियों के लिये भी लागू है जो 28 वर्ष के पूर्व अपना नाम तो नियोजन कार्यालय में दर्ज करा देते हैं परन्तु किसी जगह नियुक्ति न मिलते मिलते इस आयु सीमा को पार करने पर अयोग्य ठहरा दिये जाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार यह निर्णय लेने का विचार रखती है कि जो अभ्यर्थी इस आयु सीमा को पार करने के पूर्व अपना नाम नियोजन कार्यालय में दर्ज करवा लेते हैं उन पर यह अयोग्यता लागू नहीं होगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सामान्य रूप से आयु सीमा वर्ष 28 है परन्तु कुछ सेवाओं में यह सीमा 28 वर्ष से अधिक है। इसके अतिरिक्त अधिकतम सीमाओं में निम्न छूट भी है :—

(1) अ० जाति, अ० जन-जाति 5 वर्ष की।

Page No 46

(46)

(मुख्य मन्त्री)

(2) स्त्रियों के लिए। 5 वर्ष की।

(3) सजा याफता व्यक्तियों के लिए। जितनी सजा भुगती गई है उतने समय की।

(4) सजा याफता स्थाई कर्मचारियों के लिए। इनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

(5) एन० सी० सी० केडेट्स के लिए। 3 साल की।

(6) भूतपूर्व सैनिकों के लिए। 50 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह मामला नियोजन विभाग के विचाराधीन है।

राज्य के बाहर रेस्ट तथा गेस्ट हाउसेज में ईयर मार्क्ड कमरे

338. श्री बहादुरसिंह (नोहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के बाहर के रेस्ट तथा गेस्ट हाउसेज में जो कमरे ईयर मार्क्ड हैं, क्या उन व्यक्तियों के अलावा भी उन कमरों में कोई व्यक्ति ठहर सकता है? अगर हां, तो उनसे क्या क्या चार्ज किया जाता है?

(2) राजस्थान हाउस, दिल्ली के कमरा नं. 4 को किस के लिए रिजर्व कर रखा है तथा इसमें पिछले 8 माह से स्थायी तौर पर कौन व्यक्ति ठहरा है तथा उनसे क्या चार्ज किया गया है?

उत्तर

(1) रेस्ट तथा गेस्ट हाउसेज से क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है।

जहां तक जोधपुर एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली का संबंध है आरक्षण इस प्रकार है:-

जोधपुर हाउस

(1) राज्यपाल एवं उनके परिवार के स्दस्यों के लिए कमरा नं. 3।

(2) मुख्य मंत्री के लिए कमरा नं. 1।

राजस्थान हाउस

(1) मंत्रियों के लिए कमरा नं. 2, 14।

(2) विशेष परिस्थितियों में अन्य विशिष्ट व्यक्ति को भी दिये जाते हैं।

उपरोक्त किराया नियमानुसार लिया जाता है।

(2) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली के कमरा नं. 4 किसी के लिए आरक्षित नहीं है। आठ माह से कोई भी स्थाई रूप से ठहरा नहीं है; अतः ऐसे व्यक्ति से चार्जेज का प्रश्न नहीं है।

राज्य के मन्त्रियों के दौरों पर खर्च की गई राशि

339. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने

(श्री मूलचन्द डागा)
की कृपा करेंगे :–

(1) जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से राज्य के किस किस मंत्री व मुख्य मंत्री के कितने कितने दौरे राज्य में और उसके बाहर हुये हैं और उस पर कितना कितना टी० ए०, डी० ए० खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) मुख्य मंत्री और श्री त्रिलोक चंद जैन, स्वास्थ्य मंत्री जो एक साल की उपलब्धियां बतलाने के लिये पटना गये और आये, उस पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई और कुल कितना टी० ए०, डी० ए० उठाया गया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उक्त यात्रा के सन्दर्भ में कुल यात्रा भत्ता के रूप में निम्नांकित राशि उठाई गई:–

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत, मु० मंत्री–अभी यात्रा भता बिल नहीं उठाया है।

(2) श्री त्रिलोक चन्द जैन, स्वास्थ्य मंत्री–रु० 752 ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर शहर में एवं ग्रामों में टेलिवीजन का कार्यक्रम

340. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर शहर व आसपास के गांवों में टेलिवीजन कार्यक्रम देने हेतु राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना है ?

(2) यदि हां, तो टेलिवीजन टावर कहां पर बनाया जा रहा है व यह टावर कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम बासनी, जिला नागौर में हुई हिंसात्मक घटना

341. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बासनी, जिला नागौर में जुलाई में एक हिंसात्मक घटना घटी जिसमें चार व्यक्ति घायल हुए तथा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ?

(2) इस हिंसक घटना के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से असामाजिक तत्वों ने ईद के अवसर पर फिर हिंसक वारदातें कीं और उसमें कई लोग घायल हुए ?

उत्तर

(1) ग्राम बासनी में जुलाई में कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No 48

(48)

बीकानेर शहर में बच्चों के अपहरण की घटना

342 **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जून के महीने में बीकानेर शहर में बच्चों के अपहरण की नई घटनायें घटीं तथा स्थानीय पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में एक शिष्टमंडल जिला अधीक्षक, पुलिस से मिला ? यदि हां, तो पुलिस ने उस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) माह जून में बीकानेर शहर में बच्चों के अपहरण की दो घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। दोनों ही मामलों में अभियोग पंजीबद्ध किए जाकर कार्यवाही की गई व दोनों में चालान अदालत में प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जो विचाराधीन हैं।

(2) जी हां। एक शिष्ट मण्डल अपर अधीक्षक, पुलिस, बीकानेर से राजेश बालक के अपहरण के संबंध में उक्त बालक के बरामद होने के बाद मिला था। इस अभियोग में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, जो विचाराधीन है।

जन जागरण पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत योजना

343. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की जन जागरण पार्टी के अध्यक्ष द्वारा सुरक्षा सेवा पुलिस नियमों को बताते हुए भारत के प्रधान मंत्री, राजस्थान के राज्यपाल महोदय व गृह मंत्री, राजस्थान को एक योजना भेजी थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या विचार किया गया तथा उसे कब कार्य के रूप में ली जावगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सुझावों का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(2) सुझावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

बाड़मेर में दी जा रही वृद्धा अवस्था तथा अपाहिज पेंशन

344. **श्री वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने लोगों को इस समय वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेंशन मिल रही है ? सूची मय नाम एवं पतों के तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन किन की दरख्वास्तें पेन्डिग हैं ? उनकी तहसीलवार सूची मय नाम एवं पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में इस समय कुल 823 व्यक्तियों को वृद्धावस्था अथवा अपाहिज पेन्शन मिल रही है। तहसीलवार सूची मय नाम एवं पतों के सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इस समय वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन स्वीकृति के 21 मामले जिलाधीश कार्यालय, बाड़मेर में विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

(3) जिनके मामले विचाराधीन हैं उनमें आवेदन-पत्रों के साथ प्रार्थीगणों को फोटुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। ज्योंही प्राप्त हो जायेंगी निर्णय कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अध्यक्षीय घोषणा

कांग्रेस (आई) विधायक दल के नेता

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित किया गया है कि राजस्थान कांग्रेस (आई) विधायक दल को विधान सभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि विधान सभा कांग्रेस (आई) विधायक दल के नेता होने के नाते श्री रामनारायण चौधरी को विरोधी दल का नेता घोषित किया जाता है।

श्री कौशल किशोर जैन : यह विरोधी दल का दुर्भाग्य है कि रामनारायणजी चौधरी को नेता मुकर्रर किया गया है।

श्री मदनसिंह दाता : यह सौभाग्य है कि आप भैरोंसिहजी से इस तरह से लड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में कार्यवाही संचालित करने में जो अभी एक प्रकार का वातावरण बना, मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्रकार का वातावरण और गम्भीर बन जाय। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो प्रश्न है मैंने इस प्रश्न को नियम 4 में लिया। मैंने माननीय गृह मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने नियमों के अनुसार अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दी। माननीय मंत्री महोदय ने पर्याप्त उत्तर दे दिया। उसके बाद भी बहुत से माननीय सदस्य इस पर कहना चाहते थे। मैं नहीं चाहता कि इस पर चर्चा आगे चलाई जाय। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा.....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सदन को.....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दाता : हमें भी बोलने की इजाजत दें।

स्पष्टीकरण

जयपुर के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में बेरी आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की हैं उससे मेरा कहीं भी विरोध नहीं है। इस पक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने सन् 1967 में जो गोलीकाण्ड की दुखद घटना हुई उस गोलीकाण्ड की जांच की मांग इस विधान सभा में की थी। जांच के परिणाम पर जो कार्यवाही अपेक्षित थी उसकी भी उस समय में समय समय पर मांग की गई, धरने दिये गये, यह सब कुछ कार्यवाही की। आज आप इस बात की मांग कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व जिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस कमीशन के रिपोर्ट देने के पश्चात् दो कमेटियां नियुक्त की गई—एक तो श्री के० के० शर्मा की अध्यक्षता में और दूसरी दो भूतपूर्व सचिव और एक तत्कालीन मुख्य सचिव, इन तीनों की समिति नियुक्त की गई। उसमें उन्होंने कई आफिसरों को एक्जोनरेट किया, और कई आफिसरों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई। इस प्रश्न के आने के बाद मैंने उन सारी पत्रावलियों को देखना चाहा। सदन से मैंने यह अपेक्षा की कि पूरे पेपर्स को मैं देखूं, यह उचित नहीं है। एक आदमी उसको 15 दिन तक नहीं देख सकता है। इसलिए मैंने यह उचित समझा है कि इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर जो फालो अप एक्शन हुआ है वह एक्शन पर्याप्त है या अपर्याप्त है, और यदि अपर्याप्त है तो किन किन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करनी है....

श्री बजरंग लाल शर्मा : मंत्रियों का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये आप।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उसमें मंत्री शामिल नहीं हैं। इन तीनों सचिवों की रिपोर्ट में मंत्री लोगों को शामिल नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जोर से बोलकर मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

बेरी कमीशन की कार्यवाही हो रही थी उस समय आपका जोर कहां चला गया था, यह मुझे मालूम है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस तरह से कह कर आप उन लोगों को नहीं बचा सकते हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों जोर दिखा रही हैं मुझे मालूम है।

बेरी कमीशन में यदि कोई भूतपूर्व मंत्री दोषी हैं या मुख्य मंत्री दोषी हैं या आई० जी० पी० दोषी हैं उन सबके खिलाफ केसेज चलाये जायं। 10 वर्ष तक कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही में क्या कमियां रही हैं उस संबंध में मैंने श्री कानसिंहजी की राय लेना उपयुक्त समझा है। वह इसलिए उपयुक्त समझता हूं कि वह 10 वर्ष पहले के मामले हैं। 50-60 मामले हैं उनकी फाइलें क्लोज कर दी गई हैं। उन फाइलों को फिर से खोलेंगे तो उन लोगों को विश्वास होना चाहिए जिनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि हाई कोर्ट का जज जांच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर रहा है। उन सारी पत्रावली को उनके सामने रख कर इस बात की राय ले लूंगा कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही हुई उसमें कोई कमी तो नहीं रही है। मंत्रियों के खिलाफ यदि कार्यवाही होनी चाहिए थी उसमें क्या कमी रही, यह बतायंगे। हम चाहते हैं और मैं कोशिश यह करूंगा कि कानसिंहजी 15 दिन में रिपोर्ट दे दें। लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि बड़े बल्की पेपर्स हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और सदन में यह कहूंगा कि दो महीनों में कानसिंहजी सारी पत्रावली को देखते हुए इस सरकार को सुझाव दे दें कि अमुक अधिकारी या अमुक मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए वह भूतपूर्व सरकार ने नहीं की उसके बारे में कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है और मुझे बहुत दुःख है कि इस प्रश्न पर इतनी उत्तेजना पैदा हुई। यह बात तो सही है कि यह प्रश्न सामने आया है। यह प्रश्न सामने आने के बाद मैंने इस बात की कोशिश की थी कि सारी कार्यवाही की पत्रावलियां हैं 10-5 उन पर एक नजर मैं डालूं। पर नजर डालूं कैसे, वह तो 100-100 पेज की एक एक फाइल है जिसमें किसी को एक्जोनरेट कर दिया और किसी को किसी में दण्ड दे दिया। आखिर सरकार किसी पर आरोपण करेगी तो वह नियमों के अनुसार ही होगा। नियमों को आप बदल सकते हैं, लेकिन जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिए। दो महीने में कानसिंहजी की रिपोर्ट आने के बाद जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी वह कार्यवाही निश्चित रूप से यह सरकार करेगी।

श्री मदनसिंह दंता : यही पहले कहा था। दुबारा और कहा तो अब हमारा विश्वास नहीं है। पहले आपका नहीं था। यह कोई दो महीने में नहीं करेंगे। माफ करें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह दो महीने में नहीं करेंगे तो फिर दो महीने बाद बोलेंगे।

श्री नूरी : हम खुद कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच कराके इस सदन में लायें।

(व्यवधान)

आज आपस में ही लड़कर उसको खतम करना चाहते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर में सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मंडल को भंग करके उनके स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति के विषय में।

(2) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील दौसा के गांव बड़ा के करीब 50 हरिजनों को

(श्री उपाध्यक्ष)

आवंटित रिहायशी प्लाटों से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, इस विषय में।

(3) श्री रामनारायण चौधरी व श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला टोंक के गांव नीमेड़ा के बैरवा जाति के 18 हरिजन परिवारों को आवंटित कृषि भूमि से उन्हें बेदखल करने के विषय में।

(4) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाविद्यालय, शिक्षा विभाग द्वारा कई वर्षों से कार्यरत लगभग 150 अस्थाई प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के विषय में।

(5) श्री मलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में 3 दिन के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिविर लगाने की अनुमति के विषय में।

(6) श्री मथुरादास माथुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में गत 10 नवम्बर से विद्यार्थियों की मांगें न मानने पर जोधपुर शहर की सिटी बस सर्विस की बसों का अपहरण तथा बस सर्विस बन्द हो जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान जालोर जिले की सहकारी समितियों की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई सहकारी समितियां वहां ए० आर० ने ऐसे वक्त अचानक भंग कर दी हैं जिस वक्त कि काश्तकारों को पम्पिंग सैट और दूसरे सामान खरीदने के लिये रुपयों की आवश्यकता थी। उदाहरण के तौर पर रानीवाड़ा में कई सेवा सहकारी समितियां हैं, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं उनको भंग कर दिया गया है। मैं सरकार को आगाह करूंगा कि यह सहकारी समितियां लोगों के हित में काम करती हैं फिर राज्य कर्मचारियों को क्या तकलीफ हो रही थी? सहकारी समितियां क्यों भंग कीं और सारी व्यवस्था ठप्प कर दी? इस वक्त में सहकारी समितियां लोगों को ऋण वितरण का काम करती हैं। वहां अकाल की स्थिति है तो केन्द्रीय सहकारी एवं भूमि विकास बैंक के ऋण के बारे में क्या व्यवस्था है? आपने अपेक्स बैंक के संचालक मंडल को भंग किया है। इसकी उपयोगिता को तो राज्य कर्मचारी समझते नहीं हैं। कोई जरा सा कुछ करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दें और असिस्टैंण्ट रजिस्ट्रार को प्रशासक मुकर्रर कर दें। यह कैसे चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक रूप से जिलाधीश इसको देखते हैं उनसे पूछें। यह राज्य सरकार की मंशा नहीं होनी चाहिये कि हर समिति को भंग करे। एक अधिसूचना जारी करके वह भंग कर दी गई है। किसी एक सदस्य की गलती के कारण संचालक मंडल भंग किया गया है। लोग मारे मारे फिरते हैं। एक तरफ आप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अभियान चलाते हैं दूसरी तरफ इलेक्टेड लोगों के साथ में आप ऐसा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा सहकारी मंत्री महोदय से, इन्सपेक्टर या ए० आर० लेविल के लोग जनता का भला नहीं करेंगे। उनकी इस प्रकार की मनोवृत्ति बन गई है। उनकी रिपोर्ट पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। आपने इन बैंकों को भंग कर दिया है किन्तु इनका इलेक्शन कराने की घोषणा ही नहीं हुई है। आपने कहा कि एक-तिहाई सहकारी समितियों की अनुसूचित जाति और अनसूचित जन-जाति की मेम्बरशिप होनी चाहिए वह नहीं है। मेम्बरशिप नहीं बढ़ती है इस बारे में सरकार चुप हो रही है। आप आंकड़े मंगा कर देख लें। अब तो पोर्टफोलियो भी आपके कम हो गये हैं। जनता से संबंधित एक ही पोर्टफोलियो आपके पास रह गया है। आप लोगों को कांफिडेंस में लें। सरकार ने नियंत्रित वस्तुओं की वितरण नीति की घोषणा की थी उसमें वह फेल हुई है? सीमेंटर के मामले में हाई कोर्ट से स्टे आर्डर हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस प्रकार से चार लाइन का आर्डर निकाल कर सहकारी समितियों को भंग कर दें, यह उचित नहीं है। आप सहकारी समितियों को मजबूत बनायें। उनको सब्सीडी दें। आपकी सरकार जो नारे लगाती है, सहकारिता के जो नारे लगाती है उनसे जनता यह समझती थी कि यह हमारी सरकार है। वह भावनायें ठण्डी हो गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अच्छी तरह से काम करें। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो समितियां भंग की हैं, उनको जल्दी से जल्दी शुरू करवायें। नहीं तो ये सरकारी कर्मचारी आपका सारा मामला ठप्प करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जालौर जिले की सहकारी समितियों के बारे में अपनी डिफीकल्टी कही है। वैसे मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जो उपलब्ध जानकारी है, उसके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इन सहकारी समितियों में 25-30 हजार का गबन सामने आया है। कुछ समितियों में यह गबन उसके पदाधिकारियों द्वारा किये जाने की बात सामने आई है। यह जानकारी मिली कि इनमें अनियमित कार्यवाही चल रही थी। नियमों के अन्तर्गत बार बार निर्देश देने के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। दूसरी बात, जो प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं, उनमें एक समिति का सदस्य दूसरी समिति में नहीं जा सकता है लेकिन वर्षों से एक समिति के सदस्य दूसरी में चले आ रहे थे। इस प्रकार से खेती के पर्पज और गरीबों के साथ में धोखा हो रहा था। गरीबों के नाम से लोन लेकर अपने काम में ला रहे थे। सम्पन्न किसान गरीबों को दबाते जा रहे थे। इसको रोकने के लिए जनता सरकार ने अभियान किया है। उनकी अनियमितताओं को देखते हुए वहां पर प्रशासक नियुक्त किया है। यह मैंने

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्राथमिक जानकारी दी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के बारे में उन्होंने जो प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही ज्यादतियों के बारे में कहा है इसके संबंध में वह जिस समय भी चाहें मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। नियमानुसार जो राहत दी जा सकती है, वह दी जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि वह मेरे चेम्बर में पधारें, ऐसी सहकारी समितियों के बारे में मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको गलत सूचना दी गई है। आप जालौर जिले में पधारें। आप मौके पर देखें कि सारा काम कैसे चल रहा है। आप जो कह रहे हैं; यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा तहसील के बड़ा गांव के करीब 50 हरिजनों, जो वहां बसे हुए थे, को डरा धमका कर, उनके घरों पर ट्रैक्टर चलाकर भगा दिया गया है। मेरा एक ही निवेदन है कि पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार से मांग की कि 32 पट्टे खसरा नं० 102 जमीन को आबादी में परिवर्तन करके दिये जायें, दूसरे 30 पट्टे खसरा नं० 760 को आबादी में परिवर्तित करके दिये जायं और बाकी कुछ पट्टे खसरा नं० 160 में दिए जायं। ये प्रस्ताव पंचायत समिति ने भेजे। पंचायत समिति ने एस०डी०ओ०, दौसा के पास प्रस्ताव भेज दिए। उसने खसरा नं० 102, 731 व 760 को आबादी में परिवर्तित करते हुए आदेश संख्या 4665, दिनांक 26-12-75 दिया और पंचायत समिति को भेज दिया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने आदेश पंचायत को दिया, क्रमांक 5329, दिनांक 23-2-76, जिसमें कहा गया कि ये पट्टे दे दिए जायं। हरिजनों को ये 32 पट्टे दे दिए गए। असली पट्टे मेरे पास इस समय मौजूद हैं। पट्टे मिलने के बाद उन लोगों ने उस भूमि पर अपने मकान और झोंपड़ियां बना लीं। उसके बाद पंचायत चुनाव के बाद में जो सरपंच आया उसने इस सरकार के एस० डी०ओ० व विकास अधिकारी से मिलकर आदेशों के होते हुए भी उन हरिजनों को बेदखल कर दिया। ये जमीनें जो पहले चरागाह की थीं, आबादी में परिवर्तित की गई। पंचायत समिति के विकास अधिकारी के आदेशों से लोगों को पट्टे दे दिए गये। उन सब चीजों के होते हुए भी उनको बेदखल करके, एक आदमी के नाम खातेदारी कर दी गई। इसमें बहुत बड़ा फ्राड है। इसमें मौजूदा सरपंच ने राजीनामा किया है। यह राजीनामा किस तरह से सरपंच ने अदालत में पेश किया कि यह जमीन फलां आदमी की काश्त की है, इसको काश्त में बदल दिया जाए। इस तरह का सबूत आपके सामने है। राज्य सरकार इसमें कार्यवाही के आदेश जारी करे। इस तरह आदेशों को बदला जाए और पंचायत दो तीन साल तक मुकदमा लड़े, उसके बाद नया सरपंच आकर निर्णय ले और जो भूमि गोचर से आबादी में परिवर्तित हुई उसको एकदम काश्त में करके राजीनामा पेश कर दे, यह फ्राड है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार मौन है तो मान लिया

(श्री रामकरण सिंह)

जाए कि यह सही है। इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। चारों तरफ हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है, यह उसका प्रमाण है। बसे हुए लोगों को बेघर किया जाए, हटा दिया जाए, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाए और आबादी भूमि को काश्त में बदला जाए, यह सरासर अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून के जानकार हैं इसलिए आप जान सकते हैं कि कैसे मौजूदा सरकार, अधिकारियों, सरपंचों व एस० डी०ओ० ने मिल कर इस तरह की कार्यवाही की है। भूमि आबादी में बदलने के बाद अलाटमेंट किया गया, उसके पट्टे मौजूद हैं फिर भी बसे हुए लोगों को उठाकर एक को खातेदारी दे दी गई, इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में ठोस कदम उठायें। पहले वाले पंचायत मंत्री, श्री मेघवाल जरूर सशक्त होंगे लेकिन हरिजन जाति के होने के नाते संकोच करते थे कि मुझे कहेंगे कि हरिजनों का पक्ष ले रहे हैं लेकिन वर्तमान पंचायत मंत्री, जो इस समय सदन में मौजूद हैं, इस बारे में विशेष रुचि लेकर जरूर कदम उठायेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पंचायत मंत्री कुछ उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। यह मसला हरिजनों का है, अल्पसंख्यकों का है जिन लोगों को बसाने के बारे में यदि हम किसी प्रकार से.....

(1.16 म० पू०)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पीठासीन)

तजवीज कर रहे हैं, उनको वापस बेघर करें तो शर्मनाक चीज है। आपको वही दिन देखना पड़ेगा जो पहले वाली सरकार ने देखा। इसलिए हम इन हरिजनों के प्रति प्यार व सहानुभूति दिखायें, पहली सरकार ने जिन्हें आबाद कर रखा है, उनको तो कम से कम बेदखल न किया जाए। अगर पंचायत मंत्री के ध्यान में न हो तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह एक समस्या है। जिस गोचर भूमि को आबादी में बदला गया, जो अलाट की गई और एस०डी०ओ०, विकास अधिकारी, पंचायत समिति के आदेश हो चुके, पंचायत के हो चुके उसके बाद पंचायत ने तीन साल मुकदमे लड़े लेकिन मौजूदा सरपंच ने उस व्यक्ति से मिलकर उसको खातेदारी हक दिए, पहले वाले लोगों को भगा दिया और काश्त करा दी। इसलिए, आप अवश्य ध्यान दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): मैं परसों इस बारे में वक्तव्य दूंगा।

श्री रामकरण सिंह : धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री खेतसिंह जी ने एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। वह जिला टोंक, तहसील टोडारायसिंह के गांव नीमेड़ा के बैरवा जाति के 17 हरिजन परिवारों को आवंटित कृषि भूमि से उन्हें बेदखल करने के बारे में है। 19-11-75 को राज्य सरकार की तरफ से किसी को 5 बीघा, किसी को कुछ बीघा जमीन आवंटित की गई। 19 लोगों में से 17 हरिजन हैं और दो गैर हरिजन हैं। आवंटन के बाद उनको पट्टे दे दिए गए। मेरे पास पट्टों की नकलें हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनकी

(श्री रामनारायण चौधरी)

6 सितम्बर को नोटिस दिया है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत और उनको बदखल किया है। मेरी समझ में नहीं आता, जब सरकार ने उनको जमीन नियमानुसार आवंटित कर दी और वे लोग बराबर काश्त करते आ रहे हैं, उनकी खतौनियां हुई हैं, उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, सरकार की तरफ से उनको पास बुक्स दी हुई हैं, पट्टे उनके पास हैं तो फिर किस तरह से तहसीलदार ने 17 हरिजन परिवारों को नोटिस देकर बेदखल कर दिया।

आश्चर्य की बात है कि 17 हरिजनों को बेदखल कर दिया गया और जो दो गैर हरिजन थे, उनको नहीं किया। यह कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, खुला पक्षपात सरकार का है कि 17 हरिजनों को बेदखल कर दिया और दो गैर हरिजनों को नहीं किया गया।

यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिए सदन के सामने रखा है। इस प्रकार के हजारों केसेज जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। पिछली बार मैंने टूटू का प्रश्न उठाया था, मंत्री महोदय ने उसका अच्छा जवाब दिया था लेकिन आज तक हरिजनों को जमीन पर रीइन्सटेट नहीं किया गया है। सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर के केसेज मैंने यहां रखे लेकिन मंत्री महोदय उत्तर तो अच्छे देते हैं, उसके बाद या तो आप दिलचस्पी नहीं लेते हैं या आपके अधिकारी आपका कहना नहीं मानते हैं। जिन अधिकारियों ने इन हरिजनों को बेदखल किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जिस तहसीलदार ने इनको बेदखल किया है उसको सस्पेंड किया जाय और हरिजनों को तुरन्त 24 घंटे के अन्दर वापस जमीन पर रीइन्सटेट किया जाए ताकि सब हरिजनों में विश्वास पैदा हो। 1975 के अन्दर बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो प्रोग्राम दिया था वीकर सैक्शन के लिए उस प्रोग्राम के तहत जिन गरीबों को जो फायदा मिलने वाला था उससे उनको वंचित किया जा रहा है। मेरे से पहले माननीय सदस्य, श्री रामकरणसिंह जी ने भी जिक्र किया कि किस प्रकार से 1975 के अन्दर श्रीमती इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 50 हरिजन परिवारों को भूमि मिली थी, नियमानुसार मिली थी और उनको पट्टे दिये गए थे, लेकिन आज किस प्रकार से उनको बेदखल कर दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे समय दिया। मैं चाहता हूं कि आज आपके पास यदि जानकारी नहीं है तो आप कृपा करके सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले इस का स्पष्टीकरण दे दें, जिन अधिकारियों ने कानून के खिलाफ कार्यवाही की है उनको दण्डित किया जाये और उन हरिजनों को वापस जमीन पर रीइन्सटेट किया जाये।

श्री नारायण सिंह : सभापति महोदय, क्योंकि मैं उस सब-डिविजन का रहने वाला हूं, अगर आज्ञा हो, तो इस पर दो शब्द मैं भी कह दूं।

श्री सभापति : फिलहाल आप तशरीफ रखें। पहले खेतसिंह जी कह दें।

श्री नारायण सिंह : श्री राम नारायण जी ने जो कहा है......

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, उसी विषय में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। हम दोनों एक ही विषय पर बोल रहे हैं।

श्री नारायण सिंह : टोडा रायसिंह के बारे में बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां। मैं एडीशनल फैक्ट्स देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता ने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनको पट्टे मिल गए थे 1975 के अन्दर। लगातार आज तक वह उस भूमि पर काश्त करते आये हैं और इस वर्ष भी उनकी काश्त है। अभी भी खरीफ की फसल खड़ी थी। लेकिन वहां के अधिकारियों ने गरीबों को वह काश्त नहीं काटने दी, वह यों ही नष्ट हो गयीं और उनके पास फसल नहीं जा सकी। वह लोग वहां से परेशान होने के बाद, यहां पर आपकी जनता पार्टी के महा मंत्री, श्री फूलचन्द जी जैन और श्री मोहन छंगाणी से मिले थे। इन लोगों ने उनको पत्र दिया। इसके बाद वह लोग यहां से जाकर केन्द्र के रक्षा मंत्री, बाबू जगजीवन राम जी से मिले। उन्होंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा। मुख्य मंत्री जी ने भी उस पत्र का जवाब बाबू जगजीवन राम जी को दिया है। वह दोनों पत्र मेरे पास में हैं। मैं वह टेबल पर रखना चाहूंगा। बाबू जगजीवन राम जी का जो पत्र वापस यहां आया है उसमें लिखा है :

"I have taken up the matter wit the Chief Minister, Rajasthan. A copy of the reply received from the Chief Minister of Rajasthan is enclosed herewith for your information."

यह लैटर उनकी तरफ से आया। उसके साथ ही कापी आई है जिसके अन्दर मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सद्भावना बताई है। उन्होंने कहा है:

प्रिय बाबू जी,

कृपया आप पत्र संख्या 1502/78, दिनांक 6 अक्टूबर, 1978 का अवलोकन करें। इसके द्वारा आपने ग्राम नीमेड़ा, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टौंक के अनुसूचित जाति के लोगों की बेदखली के संबंध में श्री मोहन छंगाणी का प्रार्थना-पत्र मुझे भिजवाया था। इस संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त की; जिसके अनुसार तथ्य निम्न प्रकार हैं:–

ग्राम नीमेड़ा के चरागाह की 82 बीघा भूमि तहसीलदार, टोडा रायसिंह ने राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध चरागाह से निकाल कर 18 व्यक्तियों को 1975 में आवंटित की थी।

इसमें मुझे यह कहना है कि उस समय अभियान चालू था, जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता ने कहा था, 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत इसकी ताईद गृह मंत्रीजी भी करेंगे कि उस समय इन जिलों के लोगों की आवाज थी कि हमारे यहां पर सिवाय चक की जमीन नहीं है। इसलिए सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर और टौंक में जो जमीन चरागाह की थी उसी को कन्वर्ट करके हरिजन परिवारों को दी गयी थी। उसी अभियान के तहत इन हरिजन परिवारों को यह जमीन दी गयी थी। अब इसके बाद मुख्य मंत्री जी ने यह लिखा है, "इन 18 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति अनुसूचित जन-जाति के अलग से थे। चरागाह की भूमि को कृषि में उपयोग में लाने हेतु किस्म परिवर्तन करने के लिये

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है" । वह तो हर एक केस में होता है इसके लिए कोई नयी बात नहीं हो रही है। इस प्रकार की प्रक्रिया पूरे अलवर जिले में अपनाई गयी थी ।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह प्रक्रिया आपकेस वाई माधोपुर में कई केसेज में अपनाई गई थी। जहां सिवाय चक जमीन अवेलेबल नहीं है वहां पर दूसरी जमीन नहीं होने के कारण चरागाह की जमीन को कन्वर्ट करके जो भूमिहीन थे, अनुसूचित जाति के लोग थे उनको उस अभियान के तहत यह आवंटित की गयी थी । लिहाजा मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि यह कन्वर्शन ठीक नहीं हुआ था और इन बेचारों को भूमि से बेदखल करना घोर अन्याय है। इस संबंध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1975 से उनका कब्जा है, उनको पट्टे मिले हुए हैं और जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी आपके पास भी कई लोग आये थे। आप ने सहानुभूति भी प्रकट की लेकिन सहानुभूति से काम नहीं चलता। मेहरबानी करके आप आदेश दीजिए कि उनको बेदखल नहीं किया जाये और उनको वहां पर काबिज रखा जाये । इसके लिए उनका हक है। वह लगातार काश्त करते आ रहे हैं । आप यह कह रहे हैं कि चरागाह की जमीन को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हजारों नहीं पचास हजार ऐसे केसेज निकल जायेंगे जहां कन्वर्शन हुए थे और आवंटित की गयी थीं। लिहाजा इस केस को भी उन केसेज के साथ जोड़कर न्याय करके उनको यह जमीन आवंटित कीजिए ।

श्री सभापति : अब, नारायण सिंह जी, यदि आप कोई नयी बात कहना चाहें तो कहें ।

श्री नारायण सिंह : पत्र आ गया मुख्य मंत्री जी का । वह मेरी जानकारी में था, यह उन्होंने कह दिया ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ?

मैं जरा थोड़ासा कह दूं । यह बात अपनी जगह हकीकत है कि उन दिनों में बहुत सी जमीन ऐसी होगी जो कि सिवाय चक नहीं थी और चरागाह थी या गैरमुमकिन तालाबी थी । तो इस विषय में भी रोशनी डालें कि बेदखल करने का एक्शन लेते हैं तो जिन्होंने कोई इम्प्रूवमेन्ट किया है और लीगल राइट्स जिनके पास हैं क्या गवर्नमेन्ट उनका रुपया री-इम्बर्स करने का इरादा रखती है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है मैं पूरी जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब दे देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : परसों दे दूंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय; यह स्वतः जानकारी है ।

श्री सभापति : जो लैटर अभी पढ़ा गया, मुख्य मंत्री जी की ओर से पेश किया है वह आपके नोटिस में है तो कह दें ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरी जानकारी में नहीं है। सभापति महोदय, मैं मालूम कर-लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : एक सवाल है..

श्री सभापति : इन दोनों लैटर्स को सदन की मेज पर रख दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन की मेज पर रखने के बाद सदन की प्रापर्टी हो जायेगी और हमें वापस नहीं मिलेंगे।

श्री सभापति : इसकी कापी रख दें। ओरीजिनल आप वापस ले लें। रिकार्ड में हवाला रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो उसकी खतौनी है।

श्री मदनसिंह दांता : किस चीज की इन्क्वायरी करेंगे ? खतौनी यहां मौजूद है। इससे ज्यादा इन्क्वायरी क्या करेंगे ? There is nothing to enquire.

श्री सभापति : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति जी, मैं आपके जरिये से राज्य सरकार का ध्यान एक गम्भीर अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, कालेज एजूकेशन के अन्दर 2700 लैक्चरार्स के पद हैं इनमें से 500 पदों पर अस्थाई लैक्चरार्स कार्यरत हैं और 200 के करीब पद रिक्त पड़े हैं। एक-चौथाई संख्या टेम्प्रेरी लैक्चरार्स की है। श्रीमन्, इतनी बड़ी संख्या में जो लैक्चरार्स हैं इनकी मिजरीज-सफरिंग्स की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इंजीनियर्स हों, डाक्टर्स हों या अन्य सेवाओं के कर्मचारी हों उनको अस्थायी रूप में उस समय तक सर्विस में कन्टीन्यू रखा जाता है जब तक कि पी. एस. सी. से चयनित उम्मीदवार प्राप्त नहीं हो जाता है। परन्तु कालेज एजूकेशन में ऐसा केडर है लैक्चरार्स का जिसके लिये यह प्रथा न अपना कर, पी. एस. सी. से चयनित उम्मीदवारों की प्राप्ति तक उन लैक्चरार्स को सेवा में कार्यरत नहीं रख कर, प्रति वर्ष अस्थायी लैक्चरार्स की सेवाओं को समाप्त करके पुनः एप्लीकेशन इनवाइट करके पुनः अपाइन्ट किया जाता है। श्रीमन्, इस प्रक्रिया से राजस्थान सरकार की सेवा में सेवारत 150 लैक्चरार्स पिछले पांच साल, सात साल, आठ साल से लगातार कार्यरत हैं। वह अब ओवर ऐज हो चुके हैं किन्तु पी. एस. सी. ने न इन पदों की पूर्ति के लिये कोई इन्टरव्यू काल किया और न पी. एस. सी. से राज्य सरकार ने कार्यवाही की मांग की। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की पे स्केल लागू होने और यू. जी. सी. से विशेष पर्मिशन की जरूरत पड़ने के कारण पी. एस. सी. से कभी भी इन उम्मीदवारों का चयन नहीं कराया गया। जो बेचारे पांच साल, सात साल से टेम्प्रेरी लैक्चरार्स के रूप में सेवा, कार्यरत हैं उनको एक, दो, तीन दिन के अन्दर शिक्षा विभाग का कालेज एजूकेशन सेवा मुक्त कर रहा है। श्रीमन्, उनके सामने मौत और जिन्दगी का प्रश्न बन गया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे लेक्चरार्स, जिन्होंने जिन्दगी का अच्छा समय राज्य सरकार की सेवा में पांच साल दिया, सात साल दिया और जो अब ओवर ऐज हो चुके हैं, की नये रिक्रूटमेन्ट में आने की सम्भावना कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

यूनिवर्सिटी के लैक्चरार्स पर यू. जी. सी. के स्केल लागू किये गये उस समय जो काबिल लैक्चरार थे उससे नई क्वालिफिकेशन क्रियेट की गई। अन्य विश्वविद्यालयों में यू. जी. सी. के स्केल लागू होने से पूर्व जो अस्थायी लैक्चरार काम रहे हैं उनको उन्हीं सेवाओं में स्थायी कर दिया गया है। यू. जी. सी. स्केल जिस दिन लागू की गई उसी दिन लैक्चरार होने के लिये पीएच.डी. या एम. डी. की आवश्यकता पड़ गई। परन्तु जो लैक्चरार्स पिछले 5–7 साल से राजस्थान कालेज शिक्षा में कार्यरत हैं, उनके पास उसका अभाव है। 1978 के अन्दर जो स्टूडेन्ट्स पास हुए उनके सैशनल मार्क्स भी इन्क्लूड हुए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सैशनल मार्क्स की स्कीम को गलत माना है। इससे अव्यवस्था फैली है इस कारण उस स्कीम को छोड़ दिया गया है। इन दो सालों में पास स्टुडेन्ट्स सैशनल मार्क्स के कारण हाई पर्सेन्टेज में है। सैशनल मार्क्स 30 में से होते थे, उसमें से स्टूडेन्ट्स 28 और 29 नम्बर तक ले आते थे। इससे उनका टोटल पर्सेन्टेज 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत आ जाता था। परन्तु जिन को आखिरी साल में सैशनल मार्क्स नहीं दिये, उनका पर्सेन्टेज 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत आया है। अब यदि उन लैक्चरार्स को नयों से कम्पीट कराया गया तो वे मेरिट लिस्ट में नहीं आयेंगे और मेरिट लिस्ट में नहीं आने के कारण जो पिछले पांच साल, सात साल, आठ साल से कार्यरत हैं और जो ओवर ऐज हो गये हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और वे बेकार हो जायेंगे।

श्रीमन्, डाक्टर के लिये, इंजीनियर के लिये और अन्य दूसरी सेवाओं के लिये आपके नियम नहीं हैं कि हर साल नया रिक्रूटमेन्ट किया जाय, यह सिर्फ कालेज शिक्षा में ही है कि लैक्चरार जब तक पी. एस. सी. से चयनित नहीं होगा तब तक हर साल उसको कम्पीट करना होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले पांच, सात सालों से पी. एस. सी. से इन पदों को नहीं भरवाया है। पी. एस. सी. ने चयन नहीं किये तो जो आपके कार्यरत लैक्चरार हैं जिनका पांच, सात साल का अनुभव हो चुका है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी रोशनी पड़ गई है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : श्रीमन्, मैं यह कहूंगा अगर हमारी सरकार ने एक दो दिन में ही निर्णय नहीं लिया और जो कार्यरत लैक्चरार है उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की गई तो उनके साथ अन्याय होगा। 150 की संख्या में जो लैक्चरार्स हैं वे बेरोजगार हो जायेंगे और आन्दोलन करने के लिये बाध्य हो जायेंगे और पालिटिकल पार्टियां भी उनका साथ देंगी। श्रीमन्, एक महीने से वे लोग मंत्री महोदय से लेकर मुख्य मंत्री महोदय तक मिले हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि पूरा मंत्रिमण्डल निर्णय लेगा और दूसरी तरफ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय से अपन चाहेंगे तब बात कर लेंगे।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : दूसरी तरफ कालेज शिक्षा विभाग के जो डाइरेक्टर हैं वे इस बात पर तुले हुए हैं कि उनको नौकरी में नहीं रखा जाय। श्रीमन्, अगर सरकार

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)
ध्यान नहीं देगी तो आन्दोलन होगा । मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और आश्वासन दें कि उन 150 लैक्चरार्स को सेवा से मुक्त नहीं किया जायेगा ।

श्री कौशल किशोर जैन : सभापति महोदय, इसी बारे में मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है । इसलिये मुझे दो मिनट का समय दे दिया जाय ।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिये आपको बोलने की इजाजत देना जरूरी तो नहीं है ।

श्री कौशल किशोर जैन : दो मिनट में निवेदन कर दूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, 16 नवम्बर को राजस्थान के 150 अस्थायी प्राध्यापकों को सरकारी नौकरी से निकाला जायगा । ये 150 लोग वे हैं जो पांच साल, सात साल, आठ साल से राज्य सरकार की सेवा अस्थायी तौर पर करते रहे हैं । 23 मार्च, 1978 को कालेज एजूकेशन के डाइरेक्टर ने एक आर्डर निकाल कर यह प्ली ली कि यू. जी. सी. वेतनमान लागू होने के कारण जो निर्धारित योग्यताएं हैं, वे बदल गई हैं । द्वितीय श्रेणी के स्थान पर मास्टर डिग्री के लिये 55 प्रतिशत मार्क्स की योग्यता कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक 50 प्रतिशत की कर दी और औसतन ये मार्क्स सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, बी. ए. आदि में आने चाहियें । समापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर ये 150 लोग इस प्रकार के हैं जिनकी प्रतिवर्ष सूची बनती है । अब तक वे इसलिये रहे हैं कि जब सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई और 30 नम्बर सैशनल के रखे गये, उस 30 नम्बर में से 28 नम्बर या 25 नम्बर प्राप्त करके अपना पर्सेन्टेज इन्होंने किसी प्रकार ऊंचा कर लिया । आज इस सेमेस्टर प्रणाली के कारण भारत के अन्दर अन्य विश्वविद्यालयों ने यह कर दिया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अप्लाई नहीं करे । यह उनको एक तरह से दण्ड दिया जा रहा है . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट ।

शिक्षा मंत्री जी आज सदन में नहीं हैं, मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं मैं राज्य शिक्षा मंत्री, जो यहां बिराजे हुए हैं, से ही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि नई निर्धारित योग्यता लागू करनी है तो जो आज तक सर्विसेज में हैं, उनको स्थायी करके आगे के लिये यह योग्यता लागू करें । 25 जून, 1975 को जितने भी प्राख्याता थे उन व्यक्तियों में से अधिकांश को उनकी योग्यता के आधार पर राज्य सरकार ने स्थायी कर दिया है । 75 से लेकर 78 तक, इन चार वर्षों में आर. पी. एस. सी. ने इंटरव्यू नहीं लिया सलेक्शन के लिए तो इसमें इन लोगों का क्या दोष है । इसमें इन लोगों का दोष नहीं है बल्कि राज्य सरकार का दोष है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर मसला है, डेढ़ सौ प्राध्यापकों के रोजगार का प्रश्न है, यह राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कौशलकिशोर जैन)

मैं आपको कहता हूं कि समय रहते अगर इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया गया तो राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ सकता है। राजस्थान में इस समय जो शांति है, उसको भंग कर 'आ बैल मुझे मार' वाली कहावत हो जाएगी। शांति जो राजस्थान में बनी हुई है उसको कायम रहने दें। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। आज तक जो अस्थायी प्राख्याता काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी स्थायी कर दिया जावे और नए आने वालों के लिए यह नियम लागू कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य, इस स्थगन प्रस्ताव पर। फिर भी आप दो मिनट कह दीजिए।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत का पिछला इतिहास रहा है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई नई ग्रेड लागू की गई हो, तो जो पहले से व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिनकी योग्यता किसी प्रकार कम हो उनको निकाल दिया गया हो। यदि आप यू०जी०सी० स्केल लागू करना चाहते हैं तो यू०जी०सी० स्केल लागू होने से पहले जो प्राध्यापक, लैक्चरार काम करते थे, जो उनके लिए योग्यता निर्धारित कर रखी थी उस योग्यता के तहत वे हैं। अगर नहीं हैं तो उनके लिए राज्य सरकार विशेष छूट देकर उनकी सेवायें जारी रख सकती है। यद्यपि पहले सैकिण्ड डिवीजन, यानी द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएट लैक्चरार होते थे उसकी जगह अब 55 पर्सेन्ट कर दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सैकिंड डिवीजन और 55 पर्सेन्ट करने से क्या मतलब है? 55 पर्सेन्ट रखने के मायने क्या हैं? अगर फर्स्ट डिवीजन रखते हैं तो और बात है लेकिन सैकिंड डिवीजन रखने के बाद 55 पर्सेन्ट रखने से फर्क नहीं पड़ता है। ये जो डेढ़ सौ लेक्चरार हैं, जो लम्बे अर्से से सर्विस में लगे हुए हैं, जो ओवर ऐज होने वाले हैं उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट करने के लिए यह 55 पर्सेन्ट का नियम लाया गया है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर पुनर्विचार करें और...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो पुराने प्राध्यापक, लैक्चरार हैं उनकी सर्विसेज को जारी रखें। इसके अन्दर कोई आपको दिक्कत हो तो विशेष आदेश जारी करके इसके सम्बन्ध में जो भी कानूनी दिक्कत हो उसको दूर करें। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले जी भी कानून बनाए गए उनके अन्दर पहले से जो भी काम करते थे उनकी योग्यता में उस योग्यता जो योग्यता नये ग्रेड में लागू की जाती थी, से कमी रहती थी तो उनको किसी प्रकार की छूट दी जाती रही थी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, अगर आप उचित समझें तो उत्तर दे दें।

श्री महबूबअली (राज्य मंत्री, शिक्षा) : अभी कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : शिक्षा मंत्री जी आ जायें तब जवाब दिलाया जावे।

Page No 63

(63)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

श्री सभापति : आसन की तरफ से सरकार को उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर वे उचित समझते हों तो जवाब दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको जवाब देना चाहिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता: हम आपको यह नहीं कहते कि आप अभी कोई आश्वासन दें लेकिन 15 तारीख को राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है। यह इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए, सदन की गरिमा के लिए बहुत जरूरी है कि जो मुद्दे उठाये जावें उनका उत्तर मंत्री महोदय की ओर से आये।

श्री कौशल किशोर जैन : अगर 15 तारीख को नहीं दे सकते तो 16 तारीख को दे दें। लेकिन 16 तारीख को तो उनकी सेवायें समाप्त हो जावेंगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनको कुछ कहने का मौका तो दीजिए।

श्री महबूब अली : मैं इस सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी करके ही कुछ कह सकता हूं। जहां तक 15 तारीख को स्टेटमेंट देने का सवाल है, जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इसके बारे में भी उस समय तक कुछ नहीं कह सकता जब तक विभागीय अधिकारियों से बात नहीं कर लूं कि उनकी क्या समस्या है? अगर मैं यहां पर कमिटमेंट कर दूं और 15 तारीख को जवाब नहीं दे सकूं तो यह सदन का अपमान होगा।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, 15 को निर्णय नहीं लिया गया तो 15 को उनको नौकरी से निकाल दिया जावेगा। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अहम् मसला है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। मैंने अभी अर्ज किया कि स्थगन प्रस्ताव के मामलात में बेशक मंत्री महोदय अगर उनके पास मैटर है और उचित समझें तो जवाब दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। जवाब क्योंकि आया नहीं है और वजह बताई है आपने कि मैं इस वजह से कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं ऐसी सूरत में अब वजीद चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 15 तारीख को हाउस एडजोर्न हो रहा है, इसलिए हमारी बात को मानें या नहीं मानें यह सरकार पर है लेकिन राज्य सरकार की इसमें क्या नीति है यह तो बता दें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, एक सैकिंड।

यह कहा गया है शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा कि केबिनेट निर्णय लेगी। केबिनेट की मीटिंग 16 तारीख तक नहीं हुई तो डेट निकल जाएगी और लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी हालत में या तो सरकार यह आश्वासन दे कि जब

(श्री कौशल किशोर जैन)
तक केबिनेट की मीटिंग में निर्णय नहीं होता है तब तक इन लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा.....

श्री महबूबअली : सभापति महोदय, मेरी मजबूरी आपके सामने है। इस सम्बन्ध में कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं की है मैंने। जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेता तब तक इसके बारे में हाउस में आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपसे आश्वासन नहीं चाहते हैं लेकिन ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : घंटे भर बाद में जवाब दे सकते हैं।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इतना ही चाहते हैं कि क्या आप इस सैशन के एडजोर्न होने के पहले कोशिश करके, मालूमात करके कोई जवाब दे सकते हैं ?

श्री महबूबअली : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले अपने अधिकारियों से बात करूंगा, आज ही बात करूंगा। इसके अन्दर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें प्रशासन की भी क्या दिक्कत है यह भी मुझे देखना होगा इसलिए अभी यकीनन आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द जी डागा।

श्री कौशल किशोर जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री मथुरादास माथुर : शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं। इसमें इंटरवीन नहीं करके शिक्षा मंत्रीजी चले जा रहे हैं। यह क्या पार्टी का डिसिप्लीन है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे तो सिंचाई मंत्री हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कौशल किशोर जी का पाइन्ट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता

श्री कौशल किशोर जैन : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अभी मूलचन्दजी डागा ने स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 50 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव देने के लिए अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है। ऐसे प्रश्न पर सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक क्रीडांगन दिया गया। यह स्थगन प्रस्ताव के लिए विषय बनता है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक निवेदन है कि मेरा भी एडजोर्नमेन्ट मोशन है वह ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां हैं नहीं। ट्रेजरी बैंचेज को कहिये कि उनको बुला ले। जवाब नहीं दें लेकिन हमारी बात तो सुन लें।

Page No 65

(65)

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : हम सुन रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आएं और हमारी बात सुनें। I want that the Minister should remain present in the House. Kindly instruct him.

श्री सभापति : माननीय सदस्य कौशलकिशोर जैन के पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर मेरा निवेदन यह है कि कन्वेंशन के मुताविक जितने स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन पर स्पीकर महोदय विचार करते हैं। जो स्थगन प्रस्ताव के लायक नहीं होते हैं उनको रेफर नहीं किया जाता। जिनको स्पीकर महोदय इस लायक समझते हैं उनको रेफर किया जाता है। कन्वेंशन के मुताविक उन पर शोर्ट चर्चा के लिए अनुमति दी जाती है। जो लिस्ट मेरे सामने है इससे जाहिर होता है कि स्पीकर महोदय ने इसको स्थगन प्रस्ताव की तारीफ में समझा है, गवर्नमेंट से जवाव मांगा है और इसीलिये इसको शोर्ट चर्चा पर रखा है। आपकी आपत्ति रिजेक्ट की जाती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपना शिविर सवाई मानसिंह स्टेडियम में तीन दिन से लगा रहा है। हर संस्था को अधिकार है, हर संस्था को अपना काम करने का अधिकार है, इस सम्बन्ध मे मेरी आपत्ति नहीं है और न किसी राजनीतिज्ञ को आपत्ति हो सकती है। सवाल एक है। भ्रष्टाचार देश के लिए अभिशाप है। 24 जून, 1977 को हमारे मुख्य मंत्री ने माणक चौक चौपड़ पर कहा था कि राजस्थान से भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दिया गया है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो गया है, ऐसा मैं समझता हूं।

सभापति महोदय, सवाई मानसिंह स्टेडियम मेरे मकान से 200 गज की दूरी पर है। मैं सुबह शाम वहां पर घूमने जाता हूं। मेरा सौभाग्य है कि अच्छे गीत, राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गीत वहां मुझे सुनने को मिलते हैं लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं वहां पर नगर सुधार न्यास की बसेज हैं, पानी की टंकियां हैं, नगर परिषद में काम करने वाले सज्जन हैं। यही नहीं हमारे पी० डब्ल्यू० डी० और सिचाई विभाग ने भी अपनी सेवाएं अर्पित कर दी हैं। ये सारी सेवाएं हैं और यह सारी सरकारी मशीनरी वहां पर लगी हुई है तो क्या वहां सब सरकारी काम हो रहा है? वहां पर बुलडोजर चलने चाहिएं, टैंकर चलने चाहिएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या कानून में, या नियमों में यह प्रावधान है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि खेल का मैदान है, किराये पर लिया गया हो, तो वहां पर शिविर लगाने में हमें कोई एतराज नहीं है। स्टेडियम को किराये पर लिया गया हो परन्तु सवाल यह है कि वहां पर नगर सुधार न्यास की गाड़ी दोड़े, काम हो, नगर सुधार न्यास के हमारे अध्यक्ष बड़े कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति हैं ...

श्री कौशलकिशोर जैन : स्टेडियम के अन्दर का हिस्सा लिया है ...

श्री सभापति : कृपया, वोलने दें। व्यवधान न डालें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष

(श्री मूलचन्द डागा) बड़े निष्ठावान हैं, उनके प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है। हमारे काफी मंत्री लोग भी वहां पर जाते हैं, उनको जाना भी चाहिए, उनको अधिकार है। सवाल एक पैदा होता है वहां पर घूमने कई लोग सुबह शाम जाते हैं। ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं, गवर्नमेन्ट की सेवाएं अर्पित की जा रही हैं, क्या यह ठीक है? नियमों के अन्तर्गत है? क्या हमारी सरकार ने ऐसा नियम बना लिया है? क्या यह उसकी आचरण संहिता में है कि कोई पार्टी यहां पर अपना आयोजन करेगी तो उसको ये सेवाएं अर्पित की जाएंगी? मुझे बड़ी खुशी होगी यदि सरकार की ओर से यह उत्तर आए। भविष्य के लिए एक अच्छा नियम आप बना रहे हैं। एक स्वस्थ परम्परा आपने डाल दी है उसका स्वागत करना चाहिए। परन्तु साथ ही सदन को यह मालूम हो जाना चाहिए। मुझे इसमें सख्त एतराज है क्योंकि खुल्लम खुल्ला प्रशासन का, सत्ता का दुरुपयोग है। यह मेरा लांछन है। नगर न्यास और नगर परिषद द्वारा वहां पर जो काम हो रहा है क्या उनकी सर्विसेज का पेमेन्ट किया जाएगा? अगर इनका चुकारा नहीं होता है तो आप इस प्रकार की घोषणा कर दें। आज आम जनता में यह बात है....

(व्यवधान)

पांच, छः हजार स्वयंसेवक वहां पर आए हुए हैं। श्रीमान, प्रश्न यह है कि यह जो सर्विसेज रेन्डर हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय का स्टेटमेंट होना चाहिए। यह सर्विस रेन्डर करने का इनको क्या अधिकार है? यह मेरा खुला आरोप है, मजबूती के साथ आरोप है। इस प्रकार खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। आपका यह स्थगन प्रस्ताव अनुमति के सम्बन्ध में था.....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रस्ताव साफ था।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव था सवाई मानसिंह स्टेडियम में तीन दिन से चल रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिविर लगाने की अनुमति के विषय में। आपने केवल अनुमति के बारे में जानकारी चाही है।

श्री कौशलकिशोर जैन : इनको अनुमति पर ही बोलना चाहिए।

श्री नूरा : डागाजी को बोलने का अधिकार है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा स्थगन प्रस्ताव साफ है।

श्री सभापति : मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया है कि सरकारी मशीनरी का वहां पर दुरुपयोग हो रहा है?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। आपकी बड़ी कृपा है कि आप हर बात की इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : इनको बाहर निकाल दिया जाए?

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर गृह मंत्री बैठे हुए हैं। क्या वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है जो वहां पर पुलिस लगा रखी है? पुलिस की मेहरबानी है। मुख्य मंत्रीजी से पूछ लीजिए कि क्या सरकारी मशीनरी का उपयोग वहां पर हो रहा है? सरकारी

(श्री मूलचन्द डागा)

मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, यह मेरा एतराज है। इसके कारण मैं जानना चाहता हूं। जनता पार्टी सरकार ने अपनी आचरण संहिता में क्या यह निर्णय ले लिया है कि कोई पार्टी अपना आयोजन करेगी तो उसमें सरकार ये सुविधाएं देगी ?

श्री कौशलकिशोर जैन : वहां पर एक भी सिपाही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने वहां पर 40 सिपाही देखे हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपकी आंखें कमजोर हैं। एक भी सिपाही नहीं है मैं स्वयं शिविर में जा रहा हूं। लॉ एण्ड आडर के लिए वहां पर एक भी सिपाही नहीं रखा गया है

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, डागाजी ने जो कुछ कहा है उससे मुझे सख्त एतराज है। क्या डागाजी यह चाहते हैं कि जहां पर 6 हजार व्यक्ति आ रहे हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की जाए, मल-मूत्र उठाने की व्यवस्था नहीं की जाए ? यह जो आर० एस० एस० का कैम्प लग रहा है, इसमें उनका पैसा लग रहा है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिए। क्या मंत्री महोदय जवाब देना चाहेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : आर०एस०एस० तो मिलिट्री है। वहां पर पुलिस की व्यवस्था की क्या जरूरत है ?

श्री मदनसिंह दांता : आर०एस०एस० कोई मिलिट्री नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट। मैं भी विधान सभा का सदस्य हूं और आजकल....

(व्यवधान)

मेरा नाम डागा जी ने खींचा है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। यू०आई०टी० का अध्यक्ष होने के नाते, अगर किसी शिविर के लिये भूमि समतल करने, पीने के पानी की व्यवस्था कराई तो मैं समझता हूं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कांग्रेस के कार्यक्रम भी हों तो क्या यह कहा जायेगा विरोधी दल का सदस्य होने के नाते ? मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी जयपुर में जिस किसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे जिस प्रकार का मैंने सहयोग दिया है शिविर हेतु उसी तरह की व्यवस्था कर दूंगा।

श्री सभापति : आपके जज्बात काबिले तारीफ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं सारे विधान सभा के सदस्यों को आज सायंकाल स्टेडियम मैदान में आमंत्रित करता हूं। वहां पर वे कार्यक्रम सुनें। विशेष कर कांग्रेस के लोग वहां पधारें, भोजन करें और...

श्री सभापति : माननीय मथुरादास-जी माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : सभापतिजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट के बारे में है। मैं देखता हूं कि रिक्वेस्ट करने पर भी नये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शिष्टाचार के नाते, कर्टसी के नाते, जिस मिनिस्टर से सम्बन्धित एडजोर्नमेन्ट मोशन हो वे सदन में मौजूद रहें तो

(श्री मथुरादास माथुर)

हमारे कहने और उनके सुनने में आनन्द होगा। वे नहीं हैं तो मैं भूतपूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे मेरी बात उन तक पहुंचायें ताकि वे इस समस्या का हल करने का प्रयत्न करें। समस्या यह है कि 10 तारीख से जोधपुर शहर में सिटी बस सर्विसेज बन्द होने की वजह से यातायात कतई रुक गया है। जोधपुर शहर का जैसा भूगोल है मण्डोर से लगा कर उसमें 10 तारीख से बस सर्विस कतई बन्द होने का कारण यह है कि विद्यार्थियों ने मांग की थी जिस तरह से जयपुर में विद्यार्थियों को किराये में 10 पैसे का कंसेशन दिया जाता है उसी तरह से ...

एक माननीय सदस्य : ये नये मिनिस्टर महोदय पधार गये हैं।

श्रीमथुरादास माथुर : I am grateful.

हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को मैं सूचना देता हूं कि 10 तारीख से जोधपुर में यातायात ठप्प है। सर्विसेज कतई बन्द हो गई हैं। लड़कों ने बसों को तोड़फोड़ कर दी और गेराज में जो बसें पड़ी थीं उनको भी चकनाचूर कर दिया है। विद्यार्थियों की मांग यह है कि जयपुर के विद्यार्थियों की तरह जोधपुर के विद्यार्थियों को भी किराये में 50 प्रतिशत कंसेशन दिया जाय। बस मालिकों ने इस मांग को मंजूर नहीं किया। इसी कारण विद्यार्थियों में रोष हुआ और सड़क पर चलती बसों को रोक कर तोड़-फोड़ कर डाली। प्रश्न यह पैदा होता है कि जो बसों के मालिक हैं, मंत्री महोदय, आप गौर से सुनें, जयपुर में बसों का किराया और जो सरकारी टैक्स है वह 10 पैसे है और जोधपुर में इस वक्त 30 पैसे प्रति व्यक्ति है। जयपुर में आपने सरकारी आज्ञा साया की थी 1-10-76 को। सरकारी आज्ञा के हिसाब से, जयपुर में रोड ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं उसमें आप पैसेन्जर टैक्स प्रति आदमी 10 पैसे लेते हैं। यह नोटिफिकेशन आपने साया किया है। आपने कहा था कि राजस्थान में 5 लाख की आबादी या उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 10 पैसे लिये जाएंगे। जोधपुर, उदयपुर अजमेर, कोटा में सिटी बस सर्विसेज चलती हैं। 3-4 जगह और भी चलती हैं। राजस्थान में 5 लाख की आबादी का शहर एक जयपुर भी है। जयपुर में पैसेन्जर टैक्स 10 पैसे है और बाकी सब जगह 30 पैसे है। जोधपुर के बस मालिकों ने कहा कि अगर जोधपुर में 10 पैसे हो जाय तो हम कन्सेशन दे सकते हैं जिस तरह जयपुर में किया गया है। इस प्रश्न को लेकर 2-3 मुद्दे सामने आये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जयपुर शहर में जो बस सर्विस रोडवेज कॉरपोरेशन चलाता है उसकी मांग पर आपने पैसेन्जर टैक्स 10 पैसे कर दिया और दूसरे शहरों में जिनमें 5 लाख की आबादी से कम है, में जो सिटी बस सर्विस चलती है, रोडवेज की नहीं प्राइवेट चलती है उनको 30 पैसे देने पड़ते हैं। यह जो डिफरेंस है राजस्थान में दूसरे शहरों में 30 पैसे और जयपुर में 10 पैसे क्या आप इसको वापस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे? लन्दन वगैरह में जहां पैसे ज्यादा लिये जाते हैं वहां सर्विस भी ज्यादा है। जोधपुर में बस सर्विस प्राइवेट चलाई जाती है। 1978 का माडल चलाते हैं और रोडवेज कारपोरेशन चलाता है वह 1978 का माडल मांगता है। इसके बावजूद यहां पर 10 पैसे और जोधपुर, अजमेर या दूसरे शहरों में 30 पैसे पैसेन्जर टैक्स लेते हैं। क्या इसको कम करके 10 पैसे करने की कृपा करेंगे? अगर यह कर दें आप तो विद्यार्थियों को

Page No 69

(69)

(श्री मथुरादास माथुर)

कन्सेशन देने को बस मालिक तैयार हैं। यह जल्दी से जल्दी कम होने पर बस मालिक कन्सेशन देने को तैयार हैं। जोधपुर में यातायात ठप्प नहीं हो इसके लिये मैं उम्मीद करता हूं हमारे नये उद्योग मंत्री इस पर चिन्तन करेंगे। और यह जो वाजिब मांगें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): किनकी मांग वाजिब है?

श्री मथुरादास माथुर : आपने सुना ही नहीं। मुख्य आधारों पर मैंने मांग रखी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर चिन्तन करेंगे तो हमारे नये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को कह देंगे कि मांग वाजिब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस आपरेटर्स की मांगें वाजिब हैं या स्टूडेन्ट्स की ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों की। स्टूडेन्ट्स की भी मांग वाजिब है। बस आपरेटर्स का कहना है कि पैसेन्जर टैक्स जयपुर में 10 पैसा है और जोधपुर में 30 पैसा है, अजमेर में 30 पैसा है। उसको यदि 10 पैसा कर दें तो 50 पर्सेन्ट का जो स्टूडेन्ट्स को कन्सेशन मिलता है वह दे देंगे, झगड़ा खतम होगा। बस आपरेट नहीं करने से यातायात में खामी आ रही है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आर्डर कब का है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह 1976 का है लेकिन यह डिस्पेरिटी है। आप बताइये आप इसको दूर करेंगे क्या ?

ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से उम्मीद नहीं है यह खुद मिलकर चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप इसको कम कर दें। जोधपुर के और माननीय सदस्य बैठे हैं, अजमेर के बैठे हुए हैं, उदयपुर और कोटा के बैठे हुए हैं वहां पर 30 पैसे चार्ज किया जाय और जयपुर में 10 पैसे लिये जायं तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? झगड़ा इसी बात का है। वे स्टूडेन्ट्स को कन्सेशन देने को तैयार हैं लेकिन उनका टैक्स बराबर कर दो। आप जयपुर में भी 30 पैसे कर दो तो हमें आपत्ति नहीं है। वहां पर 10 पैसे कर दो तो हमें आपत्ति नहीं है गाड़ियां तो चल जायेंगी। इस वक्त आप अगर उत्तर देने की पोजिशन में हो तो दो मिनट में दे दें और आगे देना पसन्द करें तो आगे दे दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो आपका यातायात......

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा): मैंने भी यह प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भी इस बारे में काल अटेन्शन मोशन दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं माधोसिंहजी से निवेदन करूंगा कि वह बाद में बोल लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई नई बात बोलना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति जी, यह लोगों की सुविधा का सवाल है। माननीय सदस्य जो खड़े हुए हैं वह भी जानते हैं कि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्राइवेट बसों पर 20 पैसे बढ़ाने से लोगों को परेशानी है। बसें नहीं चल रही हैं और टैम्पो या स्कूटर वाले काफी पैसा चार्ज कर रहे हैं। यह टैक्स को कम करने का मुद्दा है। ट्रान्सपोर्ट का पोर्टफोलियो चला गया नये मंत्री के पास। यह समस्या का समाधान नहीं है। जिस किसी के भी हाथ में हो उसको काम करना चाहिए। जोधपुर शहर के अन्दर टैक्सी वाले और स्कूटर वाले धूम मचा रहे हैं, लोगों से मनमाना पैसा ले रहे हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां पर समस्या यातायात की लोगो के सामने है। टैक्सेशन वाले मामले को लेकर आपरेटर्स ने बसें बन्द कर रखी है तो स्कूटर वाले काफी पैसा लोगों से चार्ज कर रहे हैं। इसका समाधान करियेगा पहले तो।

श्री सभापति : दो मिनट में आप बोल लें।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, जोधपुर शहर मे चार रोज से बसें बन्द हैं। बसें बन्द होने का कारण जैसा कि माननीय मथुरादासजी ने बताया कि टैक्स का बढ़ना है, वह सही है। जयपुर में अगर 10 पैसा है तो जोधपुर में 30 पैसा क्यों? अजमेर में 30 पैसा क्यों? छोटी-सी और सीधी-सी बात है। कालेज के छात्रों को जब यह मालूम पड़ा कि जयपुर में जो छात्र बस में जाते हैं उनको कन्सेशन मिलता है और जोधपुर में कन्सेशन नहीं मिलता है तो उनके दिलों में जोश आया। वे कन्सेशन मांगते हैं तो बस वाले कहते हैं कि हमारे पर टैक्स ज्यादा है। बस वाले कन्सेशन देते हैं तो उनको नुकसान होता है। इस पर उनमें आपस में कशमकश चली। इसमें बस मालिकों का करीब 2-3 लाख का नुकसान हो गया। इसका माननीय गृह मंत्रीजी को पता है या नहीं। पुलिस ने इस बारे में माकूल इन्तजाम नहीं किया। उनको इस बात का मालूम होते हुए भी समय पर कदम उठाया होता तो यह यह घटना नहीं होती।

टैक्स का मामला है वह उसकी जड़ है टैक्स में विभिन्नता। उसको ठीक कर दिया जाय। यह हम जानते हैं कि यातायात मंत्री ने अभी पोर्टफोलियो सम्हाला है। यह समस्या उनके सामने आई है। यह देखना है कि इसको किस तरह से वह हल करते हैं? बाकी का तो वे पूरी तरह से इस विभाग को सम्हालेंगे तब पता चलेगा। इस छोटी-सी समस्या को वे हल करें। आज वह इस सदन में आश्वासन दें कि किस तरह से वे इसको हल करेंगे।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी, अगर उत्तर देना चाहे तो दे दें।

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय माथुर साहब ने जो सवाल उठाया है उसमें जहां तक सवाल 10 पैसे और 30 पैसे का है तो जयपुर शहर ही एक ऐसा शहर है जहां की पापुलेशन 5 लाख से ज्यादा है। जयपुर शहर में रोडवेज कोर्पोरेशन अपनी बसें प्लाई करता है उस पर ही यह रेट लागू होती है। बाकी जगहों पर प्राइवेट गाड़ियां हैं तो उनसे उस हिसाब से टैक्स लिया जाता है। जहां तक सवाल 10 पैसे और 30 पैसे की

Page No 71

(71)

(श्री हरिसिंह)

विभिन्नता को मिटाने का है उसके बारे में हमने मूव कर दिया है। सुबह ही जोधपुर के बस आपरेटर मेरे पास आये थे। सही ढंग से पेरिटी लाने के लिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान में डिस्पेरिटी है उसको एग्जामिन कर लिया जाय। उसके बाद में जो पोजीशन सामने होगी, उससे माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

दूसरा, जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों को कन्सेशन देने में डिस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए। इस पहलू को भी डिटेल से एक्जामिन करके माननीय सदस्यों को सन्तोषप्रद जवाब दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर ऑपरेशन कर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके जरिये, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मूव कर दिया। मूव करने के बाद केस जायगा फाइनेन्स डिपार्टमेंट में। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में महीना भी लग सकता है। वहां पर सारा यातायात ठप्प है, कोई मीन्स ऑफ काम्युनिकेशन नहीं है। प्राइवेट टैक्सियों ने भी रेट बढ़ा दी है। मन्डोर और चौपासनी से हजारों मजदूर जोधपुर शहर में काम करने आते हैं। उन गरीबों की हालत खराब है। वह 8-10 मील चल कर आते हैं। आप जल्दी से फैसला करके इस हौउस में अनाउस कर दें ताकि यातायात, जो आज ठप्प है, चालू हो।

श्री माधोसिंह कछवाहा : अगर उसमें देरी हो तो जब तक 10 पैसे के बारे में निर्णय हो तब तक फिलहाल रोडवेज की बसें ही वहां पर लगा दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने मूव तो कर दिया लेकिन बसें बन्द कर रखी हैं उनको तो छुड़वावें।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, हम इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बसें चालू करने का सवाल है तो जो बसें स्टूडेन्ट्स ले गये उनको वापस बस आपरेटर्स को दिलवायेंगे। बस आपरेटरों की सुरक्षा का भी समुचित प्रवन्ध करेंगे।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापतिजी, सवाल यह है कि अगर आप रोडवेज की बसें लगायेंगे तो वहां लोगों को तुरन्त राहत मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब दे दिया।

श्री मथुरादास माथुर : रोडवेज की बसें आप चलवाये। प्राइवेट बसें उनको वापस दिलवा भी देंगे तो वह तो टूटी हुई हैं। आगे वह नहीं चलायेंगे जब तक कि यह डिस्पेरिटी बन्द नहीं होगी। वह नहीं चलाते हैं तो ऐसा इन्तजाम कीजिये कि रोडवेज की बसें वहां पर चलें। रोडवेज ने नोटिस दे दिया है जयपुर वालों को भी कि अगर 30 पैसे रखेंगे तो रोडवेज बसें प्लाई नहीं करेगी। जब यह नोटिस निकला तो 10 पैसे किये।

श्री माधोसिंह कछवाहा : आप डॉक्टर हैं, माननीय मंत्रीजी, आप इसका जल्दी ही इलाज करेंगे।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : यह कब तक करेंगे?

श्री नवरंग सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आप इसमें असमानता मानते हैं तो क्यों नहीं जोधपुर शहर में रोडवेज की बसें लगाई जायें। क्या ऐसा करने की स्थिति में आज सरकार है?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि जब तक फाइनेन्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल न हो जाय तब तक क्या रोडवेज या दूसरा प्रबन्ध कर देंगे?

श्री हरिसिंह : मैं यह बता चुका हूं कि जल्दी से जल्दी करूंगा।

बस आपरेटर से आज सुबह ही मेरी बात हुई थी वह बता रहा थे कि कल तक बसें चल जायेंगी। यह मामला प्राइवेट आपरेटरों का है। अगर बसें सरकारी होतीं तो मैं आश्वासन दे देता प्राइवेट आपरेटर्स को बसें दिलवा देंगे और बस आपरेटर्स की सुरक्षा का भी प्रबन्ध कर देंगे। अगर बस आपरेटर फिर भी किसी कारण को लेकर बसें नहीं चलाते हैं तो उसका भी समुचित प्रबन्ध करेंगे।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मैंने दो दिन पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय मंत्री जी, यह रेट्स तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट में एग्जामिन होगी लेकिन गरीब जनता, जो कि इस बारे में तंग हो रही है का कोई इलाज नहीं है। उसके बारे में तत्काल ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा और भी नई बसें उनके पजेशन में है।

श्री मदनसिंह दांता : For our information, Sir. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गाड़ियां टूट चुकी हैं उनके अलावा भी उनके पास और गाड़ियां हैं और कम से कम गाड़ियों की यहां के अन्दर सहूलियत दे दें।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मैंने 9 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस मामले में दिया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लेबोरेटरी के टेक्निशियन्स हैं वह आज 6 तारीख से भूख हड़ताल पर विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं और हास्पिटल के अन्दर हड़ताल है। यह एक ऐसी समस्या है, किसी प्रकार की जांच खून, टट्टी वगैरह की होती है वह यही लोग करते हैं। इस तरह से रोगियों को हानि हो रही है।

श्री सभापति : आप क्या कॉल अटेंशन मोशन की सूचना दे रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : मैंने काल अटेन्शन मोशन दिया था।

श्री सभापति : आप चेम्बर में अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री गुल मोहम्मद : मैं मिला था। उन्होंने कहा था, दो मिनट बोल लें।

श्री सभापति : अच्छा बोल लें।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, पहले उनको बुलाकर निदेशक ने बात की। फिर जो सिफारिश की गई थी उनकी मांगों के बारे में राज्य सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिये उनको हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। माननीय सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर में जो लेब्रोरेटरी टेक्निशियन्स की हड़ताल है यदि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया

(श्री गुल मोहम्मद)
गया तो 16 तारीख से यह लोग सम्पूर्ण राजस्थान में हड़ताल पर चले जायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, यह असेम्बली है बोर्ड नहीं है।

श्री सभापति : Order please.

श्री मदनसिंह दांता : यह राजस्थान की असेम्बली है। बोर्ड नहीं है....

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 16 तारीख से सम्पूर्ण राजस्थान में हड़ताल हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा कन्सर्निग मिनिस्टर महोदय.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस बारे में ध्यान देंगे तो समस्या हल हो सकती है। एनसाइफिलेटिस की बीमारी जापान से चल कर आ रही है। बंगाल, बिहार से होकर राजस्थान में आ रही है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत से बच्चों और मिनिस्टरों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उनको बुला कर उनकी मांगों को माना जाय।

श्री सभापति : क्या माननीय मन्त्री महोदय कोई उत्तर देंगे।

आधा घन्टे की चर्चा

ग्राम मानसर कलां के तालाव में व्यक्ति की पड़ी रही लाश

(तारांकित प्रश्न 239)

माननीय सुरेशकुमार, सदस्य, विधान सभा, ग्राम मानसर कलां के तालाब में पड़ी रही व्यक्ति की लाश विषयक प्रश्न संख्या 239 (44/गृ. मं.) के उत्तर, जो दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : जनाबे मोहतरम, मैं ग्राम मानसर कलां के तालाब में पड़ी रही व्यक्ति की लाश विषयक प्रश्न संख्या 239 (44/गृ. मं.) के उत्तर, जो दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर

(श्री ओंकार लाल चौहान, सभापति, पदासीन)

आधा घण्टे की चर्चा आपकी आज्ञा से उठाऊंगा। यह प्रश्न एक गम्भीर मुद्दे से सम्बन्धित है। माननीय मन्त्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है, उसके प्राथमिक भाग में जो उत्तर दिया है वह बहुत ही टरकाऊ है। वह टरकाऊ उत्तर दिया है। इससे जनता की भावनाओं को आघात पहुंचा है। दूसरा मुद्दा यह उठता है कि आज की जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, वह बड़ी निकम्मी है। वह कानून में अ-व्यवस्था फैलाती है। इसमें कई ऐसे तथ्य छुपाये गये हैं, जिनका गृह मन्त्री जी उत्तर देना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह उठती है कि जनता पार्टी का राज है, शासनतन्त्र है, इसका जो रवैया है वह गरीब और अमीर के बीच में भेद करने का है। यह खेदजनक है। मैं समझता हूं कि चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, दोनों की लाश में कोई भेद नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से ये तीन मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आते

(श्री सुरेश कुमार)

हैं। मन्त्रीगण ऐसे टरकाऊ उत्तर देते हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है और आम जनता में विभिन्न शंकाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे सरकारी कर्मचारियों की जो कार्य प्रणाली है, वह बड़ी निकम्मी है। कानून एवं व्यवस्था में पुलिस अव्यवस्था फैलाती है। जो उत्तर दिया गया है उससे लगता है कि तथ्य छुपाये गये हैं। तीसरे, शासन तन्त्र का रुख ऐसा है जिससे यह स्पष्ट है कि गरीब और अमीर के साथ प्रशासन तन्त्र का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, इसीलिए यह आधे घण्टे की चर्चा उठाने की आवश्यकता पड़ गई। श्रीमन्, देश के एक विख्यात हिन्दी साप्ताहिक के 23 जुलाई, 78 के अंक में यह खबर आया हुई। 13 जुलाई को उनके पास एक टेलीग्राम आया जिससे मालूम पड़ा कि ग्राम मानसर के पास एक तालाब में एक लाश 11 दिन से पड़ी हुई है। 13 जुलाई को समाचार पहुंचा और 23 जुलाई को प्रकाशित हुआ। आज तक पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया है कि यह समाचार गलत है। मैंने यह प्रश्न पूछा था, "क्या यह सही है कि राज्य के ग्राम मानसर कलां के तालाब में कुछ माह पहले एक व्यक्ति की लाश 10 दिन तक तैरती रही और किसी भी सरकारी अधिकारी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि हां, तो उस लाश को निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी?" इसका उत्तर दिया गया —"जी नहीं।" श्रीमन्, इससे यह शंका प्रकट होती है कि लाश कभी तैरी ही नहीं है। गृह मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा जाहिर होता है कि तैरी भी है तो किसी अधिकारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह लाश निकाले। यह गृह मन्त्री जी के उत्तर से प्रकट होता है।

प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा गया था— "क्या किसी ने उस लाश को तालाब में पड़े होने की रपट पुलिस में दी थी? यदि हां, तो रपट किस तारीख को की गई और पुलिस ने किस तारीख को लाश को बाहर निकाला?" इसका उत्तर मिला—"जी हां, दिनांक 8-7-78 को दिन में 12-15 पर रिपोर्ट दी गई थी। लाश अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर की जांच के अनुसार तारीख 11-7-78 को निकाली गई।" फिर कैसे कहते हैं कि लाश तैरी नहीं? लाश 11-7-78 को निकाली गई। तारीख 8-7-78 को रिपोर्ट हुई। गृह मन्त्री जी कहते हैं, लाश तैरी नहीं। श्रीमन्, इससे शंका पैदा होती है। क्या इस मुद्दे पर जांच की जरूरत नहीं है? सीधी सी बात है। पुलिस में रिपोर्ट होती है। थाने में से सिपाही जाकर पंचायत नामा भर जाता है। धारा 174 में पंचायत नामा हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? पहले तो यह जीप मंगाते हैं फिर कहते हैं 11 दिन तक लाश नहीं तैरी। लेकिन अखबार के अनुसार 11 दिन तक लाश तैरी। वहां के जो डाक्टर हैं, वह गृह मन्त्री जी के मित्र हैं, इसलिए डाक्टर की कारगुजारियों को छुपाया गया है। यह मेरी शंका है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री): न मैं उस व्यक्ति को शक्ल से जानता हूं, न वह मेरा मिलने वाला है।

श्री सुरेश कुमार: इसलिए मैंने कहा कि आपके उत्तर से मुझे शंका हो रही है। उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि पोस्ट-

(श्री सुरेश कुमार)
मार्टम की रिपोर्ट क्या है ? मुझे शक है कि यह गरीब व्यक्ति की लाश थी जो वहां प्रभावशाली लोगों के अन्याय का विरोध करता था। प्रभावशाली लोगों के कारण उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई। उनका इतना प्रभाव है कि न उनके खिलाफ पुलिस कुछ कर सकती है और न गांव के लोग। वे आतंकित हैं.....

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि वह तथ्य मेरे सामने लाएं चाहे वह कितना ही बलशाली व्यक्ति हो, मैं आपको स्वयं को विश्वास में लेकर जांच करा सकता हूं। दोषी व्यक्ति बताया जाए तो 24 घण्टे के अंदर उसको गिरफ्तार करके उसका चालान किया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार : जिस तरह से अब तक जांच होती रही उससे मुझे विश्वास नहीं जमता।

श्री मदनसिंह दांता : इस समय गृह मंत्री ऐलान कर रहे हैं, तो अपना फर्ज है कि नाम बता दें।

श्री सुरेश कुमार : मैंने पहले ही कहा है कि गृह मंत्री का उत्तर देने का तरीका ऐसा टरकाऊ है.......

श्री सम्पतराम : अगर यह कत्ल का बड़ा संगीन जुर्म है तो मैं सदन को और माननीय सदस्य को खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो भी जानकारी उनके पास है, मुझे दें।

श्री सुरेश कुमार : यह गृह विभाग का काम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरे क्षेत्र का सवाल है, मैं बोलना चाहती हूं।

श्री सभापति : पहले माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार : यह सारा घपला इसलिए हुआ है कि मंत्री महोदय प्रश्नों के उत्तर न घर से पढ़ कर आते हैं, न ये समझते हैं। जो इनके अधिकारियों ने इनके सामने उत्तर रखा, इन्होंने उसको स्वीकृति दे दी और जोर से सदन में बोल दिया।

श्री सभापति : संक्षेप में बताइए।

श्री सुरेश कुमार : जो खास मुद्दे हैं उनकी ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने पूछा था कि क्या इस बात की जांच की गई थी कि लाश किसकी थी और मौत का क्या कारण था ? उत्तर मिला---"जी हां, लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। मौत का कारण डूब कर मर जाना डाक्टर ने प्रमाणित किया है।" श्रीमन्, कितना दुर्भाग्य है कि देश में एक गरीब की लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। असली मुद्दा यह है, मैं दिखाना चाहता हूं कि आज जनता पार्टी के राज में शासन तंत्र का क्या रवैया है। दिल्ली में एक नौ सैनिक अधिकारी के दो बच्चे मारे गए तो पहले प्रेस ने शोर मचाया, हजारों के इनाम घोषित हुए और अपराधियों की पहले ही फोटो अखबारों में छपवाई गई कि यदि कोई इनको पकड़ेगा तो उसको इनाम मिलेगा। एक गरीब की लाश की फोटो खिंचवाकर अखबारों में क्यों नहीं छपवाई गई ? इसमें कोताही

Page No 76

(४४)

(श्री सुरेश कुमार)
क्यों की ? अगर किसी बड़े आदमी की लाश होती......

श्री सम्पतराम : वह गरीब था या अमीर था ?

श्री सुरेश कुमार : गरीब था।

श्री सम्पतराम : तो आपका कर्तव्य है कि सदन को बतायें कि कौन दोषी व्यक्ति हैं। उसको नहीं छिपाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार : यह आपकी जांच का विषय है, मेरा नहीं......

(व्यवधान)

श्री नूरा : एडवर्टाइज कराते कि यह लाश किसकी है।

श्री मदनसिंह दांता : हर नागरिक का और सदन के सदस्य का तथ्य बताने का फर्ज है। अगर उनको दोषी व्यक्ति का नाम मालूम है और वह छिपाते हैं, तो वह अन्याय करते हैं।

श्री सुरेश कुमार : मैंने पहले ही कहा कि मंत्री के उत्तर से मुझे शंका उत्पन्न होती है, इसलिए मंत्रियों को आगाह करता हूं कि उत्तर देने से पहले सोचें और सोच-समझ कर उत्तर दें....

श्री सम्पतराम : मेरा उत्तर शत-प्रतिशत सही है। मैं सदन के सामने खड़ा हूं सदन चाहे तो मेरे खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ये कहते हैं कि 10 दिन से लाश तैर रही थी। हमारी जानकारी है कि 8 तारीख को मिली है, उसके आधार पर मैंने जवाब दिया है। मैं कैसे मान लेता कि लाश 20 दिन की थी ? हो सकता है कि उससे भी ज्यादा दिनों की हो।

श्री सुरेश कुमार : रिपोर्ट में बताया कि डूबने से कितना समय पहले मृत्यु हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उत्तेजित न हों।

श्री सम्पतराम : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के रिफ्लेक्शन्स करने का क्या मतलब है ?

श्री सुरेश कुमार : 23 तारीख को यह खबर आई तो गृह मंत्री ने क्या कार्यवाही की ? इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार यह 11 तारीख को निकाली गई। मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाए और हमें बताया जाए कि अतिरिक्त जिलाधीश ने कहां बैठ कर इसकी जांच की ? क्या उन्होंने उस क्षेत्र में जाकर उस गांव के लोगों से पूछा ? क्या वहां के विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र में लाश कितने दिन तक तैरी ? मैं कहना चाहता हूं कि जीते जीते एक गरीब आदमी की उपेक्षा होती तो समझ में आता लेकिन मरने के बाद उसकी उपेक्षा होती है इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बात का प्रबंध करें कि आगे से किसी गरीब की लाश को बिना शिनाख्त के नहीं पटका जाना चाहिए इसके हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए, जांच करनी चाहिए कि वह कौन व्यक्ति था। आखिर वह लाश आसमान से तो नहीं आई......

(व्यवधान)

गृह मंत्री विश्वास दिलायें कि आगे अगर

(श्री सुरेशकुमार)
किसी गरीब की लाश मिलेगी तो उसकी तफतीश.....

श्री मदनसिंह दांता : इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री सुरेश कुमार : मुझे गरीबों से लगाव है इसलिए मैंने तीन मुद्दे उठाए हैं। एक तो प्रश्नों के उत्तर वाला, इस पर सभी मंत्री ध्यान दें। दूसरा कार्य प्रणाली के बारे में, सुस्ती के बारे में है। तीसरा गरीब व अमीर के बीच शासन तंत्र के पक्षपात का तीनों बातों के लिए है। गृह मंत्री आगे से ध्यान रखें और अपने मंत्रालय को हिदायत करें कि किसी गरीब की लाश जब कभी भी उसको मिले तो शिनाख्त का पूरा प्रयास किया जाए, लावारिस करके न दफनायी जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लाश 11 दिन तक पड़ी रही। मैंने तथा वहां के सरपंचों, जिनमें वासना पंचायत समिति का सरपंच है, ने अधिकारियों से सम्पर्क किया ? जो बंधा है उसमें लाश पड़ी रही। नागर तुलसीदास का बंधा है वह रामगढ़ पंचायत समिति के अन्दर में आता है और थाना जमवा रामगढ़ है। वहां के पंच और सरपंच तीन दिन तक चक्कर काटते रहे किन्तु थानेदार नहीं मिला। थानेदार के नहीं मिलने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वहां के कार्यकर्ताओं ने बड़ा संघर्ष किया। मैंने जिलाधीश महोदय को निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से वह लाश 11 दिन बाद निकाली गयी। मैं कहना चाहती हूं कि मैंने समस्त. अधिकारियों से 11 दिन में इतनी बार सम्पर्क किया जिसकी कोई गिनती नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर उसका फोटो प्रकाशित किया जाता तो मालूम पड़ जाता कि लाश किसकी है ? लाश निकालने के बाद भी थोड़े दिन बाहर पड़ी रही। उसको पोस्ट-मार्टम के लिए नहीं लाया गया और बहुत मुश्किल से मैडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा गया। उसके बाद में लाश दफनाई गयी। ऐसे मामलों में जो देरी की जाती है वह, सभापति महोदय, निन्दनीय है। लोग खाना नहीं खा सकते। हमारे घर में मुर्दा पड़ा हो तो पानी नहीं पीते। मैं इसके लिए अधिकारियों को सख्ती से कहती रही। मुझ इस बात का सख्त खेद है कि आज तक मालूम नहीं पड़ा कि किस की लाश थी। आसपास के गांव के किसी व्यक्ति की लाश नहीं थी। अगर आसपास के गांव के किसी व्यक्ति की लाश होती तो मालूम पड़ जाता और शिनाख्तगी की जरूरत नहीं होती। वह किसी और जगह के व्यक्ति की लाश थी। वह गरीब आदमी तो निश्चित था क्योंकि अखबारों में उसकी फोटो को प्रकाशित नहीं कराया गया। मैंने कई बार कहा। यह बड़े खेद का विषय है, माननीय मंत्री जी इस में बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि मुख्य मुद्दा जो भी सामने आये अगर उस पर तुरन्त ही जानकारी कर ली जाये तो लोगों में दुर्भावना पैदा नहीं हो। अगर आप पर कोई आक्षेप करता है, हम पर आक्षेप करता है तो निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार में जो भी लोग शामिल हैं सब पर आक्षेप आता है। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से फोटो का प्रकाशन करायें। अब भी कोई बात नहीं है ,फोटो प्रकाशित की जा सकती

(7cD)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट दिखाई जा सकती है। क्या इसके लिए आप कोई निर्णय लेने के लिए तैयार हैं?

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति महोदय, ग्राम मानपुर कलां के तालाब में एक व्यक्ति की लाश तैर रही थी इसकी सूचना दिनांक 8-7-78 को ग्रामवासियों द्वारा श्री बिरदा पुत्र श्योजी बलाई के जरिये थाना जमवा रामगढ़ में प्राप्त हुई। थाना में यह रिपोर्ट 12-15 पी. एम. (दोपहर) प्राप्त हुई। थानेदार श्री रिछपाल सिंह इसके पश्चात् हैड कान्सटेबल मोहनसिंह व कान्सटेबल हाकिम अली के साथ घटना स्थल पर पहुंचने के लिए जीप की व्यवस्था हेतु जयपुर आये। जीप उपलब्ध न हो सकी। अतः वे वापिस लौटे व रात्रि विश्राम समीपवर्ती ग्राम बासनी में किया। दिनांक 9-7-78 को प्रातः मौके पर जाकर थानेदार ने पंचायत नामा व मौका नक्शा बनवाया। जयपुर से फोटोग्राफर बुलवाया गया था उसके द्वारा लाश की फोटो भी 12 बजे के बाद करवायी। पोस्ट-मार्टम के लिए उन्होंने सूचना भानपुर प्राइमरी हैल्थ सैंटर के चिकित्सा अधिकारी, श्री सी. एम. गोयल के पास दिनांक 9-7-78 को 3.45 पर पहुंचाई परन्तु डाक्टर घटना स्थल पर नहीं गये। उनके पास मेहतर भी नहीं था व वर्षा भी हो रही थी। वह स्थान दूर था। उन्होंने दूसरे दिन आकस्मिक अवकाश पर ना बताते हुए अगले दिन स्वयं को पोस्ट-मार्टम के लिए आना सम्भव नहीं बताया। इस पर थानेदार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जयपुर से सम्पर्क कर अन्य डाक्टर आनन्द बिहारी के नाम आदेश कराये जो कि राजकीय चिकित्सालय, अचरोल के डाक्टर थे। उनके पास पोस्ट-मार्टम की तहरीर लेकर थाना इन्चार्ज, जमवा रामगढ़ 10-7-78 को सायं 4-5 बजे पहुंचे, परन्तु वे भी उस आधार पर पोस्ट-मार्टम के लिए नहीं गये कि पोस्ट-मार्टम की जगह ग्राम घाटा जलधारी से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता था। पहुंचने पर रात्रि हो जाने से पोस्ट-मार्टम सम्भव नहीं हो सकता था। दूसरे दिन प्रातः घाटा जलधारी पहुंचकर उनके अनुसार लाश पानी में पड़ी हुई थी। अतः उन्होंने मोहनसिंह, हैड कान्सटेबल से सहयोग लेकर व गांव वालों से निकलवाई एवं पोस्ट-मार्टम किया एवं पोस्ट-मार्टम के पश्चात् लाश को 3 बजे हैड कान्सटेबल के सुपुर्द कर दिया।

उपरोक्त विवरण से यह जाहिर होगा कि थाना जमवा रामगढ़ में लाश की सूचना दिनांक 8-7-78 को पहुंची थी एवं इसका 11-7-78 को पोस्ट-मार्टम हुआ। यह तथ्य लिखित जिलाधीश, जयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है जिन्होंने जांच कर उक्त प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अतः चाहे लाश सूचना के कुछ दिन पूर्व ही तालाब में पाई गई हो उसके संबंध में तभी कार्यवाही सम्भव हो सकती थी जब कि उसकी सूचना पुलिस विभाग को मिलती। यह सही है कि सूचना थाना जमवा रामगढ़ को दिनांक 8-7-78 को दोपहर पहुंची एवं लाश का पोस्ट-मार्टम दिनांक 11-7-78 को सम्भव हो सका। चूंकि लाश का कुछ भाग जानवर खा चुके थे और पहचानने योग्य नहीं थी अतः इसको अखबार में छपवाना निरर्थक था व इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।

(श्री सम्पतराम)

दिनांक 8-7-78 को लाश की सूचना मिलने पर पोस्ट-मार्टम दिनांक 11-7-78 को हुआ। इस विलम्ब के संबंध में अतिरिक्त जिलाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लाश दिनांक 8-7-78 से 11-7-78 तक पानी में ही पड़ी रही है इसकी जिम्मेदारी श्री रिछपालसिंह, भार साधक पदाधिकारी, जमवा रामगढ़ की है। इस मामले में भार साधक पदाधिकारी ने तत्परता से एवं उत्तरदायित्व से अपना कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जिसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार : माननीय सभापति जी, व्यर्थ में दोष उस प्रभारी थानेदार पर थोपा जा रहा है जब कि उसने समय पर अपना कर्त्तव्य समझकर रिपोर्ट दी। डाक्टर नहीं मिला तो दोष किसका है ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय का उत्तर आ गया है। काफी बहस हो चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो सूचना दी गयी है, वह भी गलत है। भानपुर तक सी. टी. एस. जाती है। वह स्थान करीब 4 किलोमीटर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां जाया नहीं जा सके। साइकिल उठाकर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं।

श्री सभापति : अगर कोई एडीशनल इन्फार्मेशन है तो मंत्री महोदय दे दें।

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही सदन के सामने निवेदन किया है कि इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ लोग रिपोर्ट करने गये थे। यह तो, सभापति महोदय, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि आज के दिन किसी को बिना जांच के दण्डित नहीं किया जा सकता। हमने इन्क्वायरी खोल दी है उसमें साबित होगा तो सरपंच वगैरह के बारे में भी तथ्यों की जानकारी हो जायगी। मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। वहां रिपोर्ट करने के लिए कोई बलाई गया। कोई सरपंच नहीं गया, जैसी कि मुझे इनफार्मेशन मिली है। इसके अलावा आपके पास सूचना हो तो मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा। या फिर जांच अधिकारी को दे दीजिए। सरपंच हैं तो उनको बुला लूंगा या वह मुझसे मिल लें। इसके साथ ही साथ आपने डाक्टर के बारे में कहा है। मैं इसके लिए चिकित्सा विभाग को भेज देता हूं। वह जांच करायेगा कि क्या डाक्टर की कोई कोताही रही है। अगर रही है, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी। न मेरा डाक्टर से कोई संबंध है और न रहेगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सभापति महोदय, मैं यह मंत्री जी से.....

श्री सभापति : अधिक वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आ गया है। Matter is disposed of

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि थानेदार जयपुर में जीप के प्रबंध के लिए आये। जब थानेदार को जीप नहीं मिली तो क्यों नहीं एडीशनल एस. पी. या एस. पी. ने जीप दी जब कि उनके पास गाड़ियां थीं ? मामले की सीरियसनैस को देखते हुए गाड़ी क्यों नहीं प्रोवाइड की ?

श्री एच. एन. शर्मा थानेदार के खिलाफ नहीं बल्कि उन अधिकारियों के

(श्री एच. एम. शर्मा)

खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जिनके पास गाड़ी थी और गाड़ी थानेदार को उपलब्ध नहीं कराई। थानेदार ने तो अपने कर्त्तव्य की पालना की है लेकिन उन अधिकारियों ने नहीं की जिन्होंने जीप प्रोवाइड नहीं की। इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री मदनसिंह दांता : वह मोटर के लिए यहां क्यों आया ? हर बात के लिए मोटर मांगेंगे। उस थानेदार को सजा मिलती है तो भी पसन्द नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राज/उप/78, दिनांक 19 अक्टूबर, 1978 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

समाज कल्याण निदेशक के कार्यालय का केसरगढ़ से अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री मन्जूर अली : सभापति महोदय, मैं आपके जरिये से समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान समाज कल्याण निदेशक के कार्यालय, जो कि इस समय केसरगढ़ केसल में है, को वहां से हटाकर किसी दूसरी बिल्डिंग में ट्रान्सफर करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय में दो सवाल अलग अलग इस सदन में पेश हुए हैं। एक सवाल 133 नम्बर का था और दूसरा 212 नम्बर का था। सवाल नम्बर 133 के भाग (1) में यह पूछा गया था---"क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक का कार्यालय केसरगढ़ केसल से हटाकर अन्यत्र ले जाया जा रहा है ? इसका जवाब है--"जी हां।" इस जवाब से यह बात सामने आती है कि जिस बिल्डिंग में यह आफिस चल रहा है, उसको खाली करके दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने का इरादा है। मैं निहायत अदब के साथ और निहायत अफसोस के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल नं. 212 के भाग (2) की तरफ आप तवज्जह फर्मायें जिसका आखिरी पार्ट है "और क्या अब राज्य सरकार इस भवन को खाली कराना चाहती है" इसका जवाब आया है--"जी नहीं" इसके बाद सवाल नं. 212 का भाग (4) तीन हिस्सों में था। एक हिस्सा यह था कि "क्या यह दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है," दूसरा हिस्सा यह था, "क्या इसको शिफ्ट करने से किसी इन्डिविजुअल को फायदा होगा? "और तीसरा यह था--"क्या इससे सरकार को नुकसान होगा ?" इसके जवाब में भी सरकार का उत्तर आया है---"जी अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है।"

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस आफिस को केसल से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जा रही है ? इन दोनों के जवाबात अलग अलग हैं। अब इनमें से एक जवाब अवश्य गलत है तो जिस किसी आफिसर ने यह सूचना माननीय मंत्री महोदय को दी है, उसने गलत सूचना देकर इस सदन का अपमान किया है इस-

(श्री मन्ज़ूर अली)
लिये उसके प्रति मुनासिब कार्यवाही की जाय।

अब फैक्टस क्या हैं, उस तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केसरगढ़ में इस डाइरेक्टोरेट के डाइरेक्टर के कार्यालय के अलावा 3-4 ऑफिसेज एक अर्से से चल रहे हैं। इसका माहवारी किराया 1094/- रु. है। 1094/- रु. सरकार ने मासिक किराया देना जाहिर किया है। जब यह बात सामने आई कि इस ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो यह सवाल भी पैदा हुआ कि वह किस किराये पर होगा। इसका जवाब यह आया कि अभी इसका निर्णय नहीं लिया है। मेरी सूचना के मुताबिक इस 1094/–रु. की बिल्डिंग को खाली करके जो दूसरा मकान लिया जा रहा है वह साढ़े तीन, चार हजार रुपये माहवार पर लिया जा रहा है जिससे बेशक सरकार को तीन हजार रुपये माहवार का नुकसान होगा और 36 हजार. रुपये का सालाना पब्लिक एक्सचैकर पर भार पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि यह किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये दिया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी के उस स्टेटमेंट को भी रेफर करता हूं जो उस सवाल के जवाब में था। उन्होंने फरमाया है कि गवर्नमेन्ट की ऐसी पालिसी है कि अखबारात को एन्करेज किया जाय, उनकी इमदाद की जाय। अब मैं निहायत अदब से य निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह दरियादिली फराखदिली, उदारता और यह नर्म गोशा किसी एक अखबार के लिये क्यों है—यह दरियादिली तो सारे ही अखबारों के लिये होनी चाहिये। अगर सरकार की नीति है कि अखबारों को प्रोत्साहन दिया जाय तो फिर तमाम अखबारों को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये सिर्फ अकेले राजस्थान पत्रिका को ही फायदा पहुंचाने के लिये पब्लिक के पैसे का 36 हजार रुपया साल का नुकसान पहुंचाने का इरादा सरकार का क्यों है? इसका गलत असर पब्लिक पर पड़ेगा और मैं समझता हूं पब्लिक के खजाने का जो दुरुपयोग होने जा रहा है–राज्य सरकार उसको रोके, आप राज्य सरकार को कहें कि पब्लिक एक्सचैकर का लॉस किसी इन्डीविजुअल के लिये ना करें।

यह जो कुछ हो रहा है कि एक तरफ तो सरकार को 36 हजार साल का नुकसान होगा और दूसरी तरफ जो मकान की कीमत बनती है वह 15-16 लाख के आस पास है और केवल राजस्थान पत्रिका को 6-7 लाख में ही बेचा जा रहा है। जिस किसी शख्स को जो उसका मालिक है, भी लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को फायदा देने के लिये राज्य सरकार ऐसा कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने सवाल नम्बर 133 और 212 के कान्ट्रेडिक्ट्री जवाब दिये हैं। एक में यह कहा है कि खाली करने का इरादा है और दूसरे जवाब में कहा है नहीं है। मेरा निवेदन है कि 36 हजार के नुकसान से राज्य सरकार को बचाया जाय। साथ ही मालिक को भी जो लाखों का नुकसान हो रहा है, उससे भी उसको बचाया जाय। यदि वह मालिक मकान को बेचना ही

(श्री मन्जूर अली)

चाहता है तो 15-16 लाख की बिल्डिंग, जो 6-7 लाख में बिक रही है, को राज्य सरकार ही क्यों नहीं खरीद ले। जब दूसरी बिल्डिंग तीन-चार हजार रुपये माहवार किराये पर लेने जा रही है और वह भी इतनी काफी नहीं है कि उस बिल्डिंग में ये ऑफिसेज चल सकें, जिस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है उसके अलावा एक बिल्डिंग और लेनी पड़ेगी तब जाकर इन ऑफिसेज का कार्य चल पायेगा। इसका मतलब यह है कि नुकसान 36 हजार से बढ़कर 50-60 हजार का हो जायेगा। मेरा निवेदन है पब्लिक फण्ड को सेफ करने के लिये कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने से, सभापति महोदय, उन्हें रोकने के लिये कहें ताकि इस नुकसान से बचा जाय और पब्लिक एक्सचेकर पर अधिक भार न पड़े।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा अहम मसला है। एक मिनट के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है। अब विशेष कहने की आवश्यकता नहीं रही है।

श्री बहादुर सिंह : पब्लिक फण्ड का दुरुपयोग हो रहा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री बहादुर सिंह : हस्ताक्षर तो नहीं हैं लेकिन इम्पार्टेंट मसला है।

श्रीमति विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति महोदय, सन् 1967 से समाज कल्याण विभाग केसरगढ़ के मालिक को 1094/- रु. माहवार बराबर देता रहा है। इसका भवन 16 हजार 564 स्क्वायर यार्ड में है और खाली जमीन विभाग के पास 18 हजार 420 स्क्वायर यार्ड है जिसमें साइड के कुछ कमरे भी हैं। समाज कल्याण विभाग के पास यह भवन काफी अर्से से चल रहा है। इसका किराया बाद में निर्धारण नहीं होने की वजह से 100/- रु. और दिया जा रहा है। इस तरह करीब 1194 /-रु. विभाग को देना लाजमी है। पत्रिका ने 5 जुलाई, 1978 को समाज कल्याण विभाग को सूचित किया कि यह मकान ले लिया गया है और प्रेस के लिये आवश्यक है इसलिये यह मकान सरकार को खाली करना होगा। 18-7-78 को विभाग ने जन सम्पर्क विभाग के मार्फत विज्ञापन दिया कि दूसरा मकान किराये पर चाहिये। इसके लिये सीकर हाउस का मकान भी देखा गया जो कि 3917 /– रु. मासिक किराये पर निर्धारित हुआ, यद्यपि यह अभी पूरी तौर से सैटल नहीं है और पी. डब्ल्यू. डी. से भी सूचना मांगी जा रही है। सभापति महोदय, मकान मालिक और खरीददार के बीच का मामला है—प्रेस स्थापित करने के लिये उनकी प्रेसिंग सरकमस्टान्सेज हैं। इसमें सरकार की किसी भी हालत में किसी भी पक्ष को फायदा या नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं है, न ही इस नीयत से दूसरा मकान लिया जा रहा है और न ही किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा है। भवन किराये का है, अतः इसमें हमें कोई एतराज भी नहीं है कि खाली नहीं किया जाय। यदि प्रेस को आवश्यक है तो इसमें कोई रीजन समझ में नहीं आता है कि उस मकान को खाली

श्रीमती विद्या पाठक)

क्यों नहीं किया जा सकता है ? पहले भी, पिछली सरकार भी पत्रकारिता को, पत्रकारों को इन्सेंटिव देती रही है। पत्रकारों के लिए कॉलोनी जयपुर में बसी है, पत्रकारों को मकान अलॉट हुए हैं। इस प्रकार सुविधा देती रही है एक हजार यार्ड तक के प्लॉट की। उसके बाद में तीन सौ गज का प्लॉट दो पर्सेंट रिजर्वेशन के आधार पर आवासन मण्डल अलॉट करता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। इसमें किसी को हानि लाभ पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता है। अगर किसी का प्राइवेट मकान है तो सरकार अपने बेनिफिट के लिए दूसरों की और पब्लिक यूटिलिटी की कोई चीज होती है तो क्या उसको नजर अन्दाज कर दे। मैं सोचती हूं कि यह सरकार टोटल्लीटेरियन सरकार नहीं है। इसलिए उचित माध्यम से उचित संस्थाओं को इसमें प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि प्रश्नों के उत्तर में गड़बड़ है तो, माननीय सभापति महोदय, मैंने इसको फिर गौर से देखा है, इस विषय में कहीं कोई कांट्रेडिक्शन नजर नहीं आता। जब यह कहा गया कि मकान खाली कर रहे हैं, निश्चित पर्पज के लिए खाली करना चाहते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि अभी कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी टर्म सैटल नहीं हुए हैं। जब तक टर्म सैटल नहीं हो जावें नया मकान लेने की बात नजर नहीं आती·····

श्री मंजूर अली : उत्तर का आपको हवाला देता हूं·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदया को अपना उत्तर तो देने दीजिए। आपको शंका है तो बाद में क्लियर करा लीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : जब प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए·····

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : जब यह कहा गया कि प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देना चाहती हैं·····

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको देना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह यों क्यों कह रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय को देना चाहिए, आपको देना चाहिए। The word used by Shri Ram Singh Vishnoi is not proper. Kindly ask him to use proper word.

श्री सभापति : Please use proper words.

माननीय मंत्री महोदया को वक्तव्य देने दें।

(विराम)

Please resume your seat.

श्रीमती विद्या पाठक : जी हां।

श्री मंजूर अली : मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं बहस नहीं करूंगा...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : सबसे पहले प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार इस भवन को खाली करना चाहती है। सवाल यह था कि राज्य सरकार क्या इस भवन को खाली करना चाहती है। इसका जवाब है, जी नहीं।

(व्यवधान)

दूसरा सवाल यह था कि क्या राज्य सरकार भवन खाली करना चाहती है और आपका जवाब था कि जी हां। Is it not a contradictory answer ?

श्री सभापति : सवाल यही था कि अभी विचार नहीं है। It is not the contradictory answer. That was under consideration.

श्री मंजूर अली : साथ में दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है तसल्लीपूर्ण, आप मुझे तसल्ली करा दें। अगर किसी भी पब्लिक के आदमी ने या राजस्थान पत्रिका ने भवन ले लिया है तो लीगली क्या हमारे लिए लाजमी है कि हम उसको खाली कर दें। जब कि लॉ यह कहता है ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : फर्माइये।

श्री मंजूर अली : माननीय सभापति महोदय, कानून यह है कि किसी किरायेदार को उस वक्त तक उसके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह किराये की रकम टाईम पर अदा कर रहा है। कानून तो यह भी है कि अगर किरायेदार पर किराया चढ़ जाता है और दावा हो जाने पर भी वह कोर्ट में जमा करा दे तो भी किरायेदार के खिलाफ केवल किराये की अदायगी में डिफाल्ट पर दावा नहीं चल सकता। राज्य सरकार को न्यायालय का कोई नोटिस नहीं, कोई दावा नहीं, कोई डिग्री नहीं, राज्य सरकार मुतवातिर किराया अदा कर रही है, फिर किस तरह की मजबूरी है, किसको पनाह देने के लिए यह किया जा रहा है? मैंने तो यह भी सुना है कि मालिक मकान खाली कराने का दावा हार चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किरायेदार पर मेहरबानी कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था ......

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर दिया है, It is under consideration.

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि सरकार के पास किसी का मकान है, उसको खाली करने का दावा खारिज हो जावे और उसको वह किसी पत्रकार को दे दे तो राज्य सरकार की क्या

Page No 85

(85)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

यह नीति है कि सरकार उस मकान को खाली कर दे ? आपने इस तरह से एक तरीका बता दिया। जिसका दावा खारिज हो जाय उसके लिए एक रास्ता खोल दिया।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, यह है कि राज्य सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले कि वह किस दिशा में चल रही है और उसका विवेक किस तरह से काम कर रहा है। राजस्थान पत्रिका के खिलाफ कम से कम छः ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन इस हाउस में आए हैं। इस पत्रिका ने हमारे अध्यक्ष महोदय के खिलाफ लिखा है। इस पत्रिका ने यहां के सदस्यों के खिलाफ लिखा है। प्रिविलेज मोशन एडमिट हो चुके हैं और सदन की समिति के पास में हैं और दूसरी तरफ सरकार की दिशा यह है कि उस पत्रिका को एक्सक्लूजिवली लाभ पहुंचाया जाय। मंत्री महोदया ने जैसा बताया कि राजस्थान पत्रिका ने सरकार को नोटिस दिया है कि चूंकि हमने यह मकान ले लिया है इसलिए सरकार को खाली करना होगा। क्या राजस्थान पत्रिका को विश्वास नहीं था कि उसने मकान ले लिया है तो सरकार को खाली करना पड़ेगा ? इसी अविश्वास के आधार पर बिना किसी पूर्व नीति निर्धारण के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर इसकी घोषणा कर दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का नीति सम्बन्धी निर्णय क्या पूर्व में ले लिया गया था कि कोई भी पत्र पत्रिका मकान खरीदे और वह मकान सरकार के पास हो तो सरकार को चाहे कितना ही नुकसान हो, पब्लिक एक्सचेंकर को चाहे कितना ही नुकसान हो, मकान खाली कर दिया जाय ? अगर ऐसा नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया गया तो यह एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करना है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इसके बारे में प्रधान मंत्री को शिकायत पहुंची है ......

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कि यह बेनामी ट्रांजेक्शन है। सभापति महोदय, यह आवश्यक प्रश्न है, अगर मैं इरलेवेंट बोल रहा होऊं तो आप मना कर दीजिए।

श्री सभापति : आप रेलेवेट बात कह कर कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सवाल का सीधे तौर पर जवाब आना चाहिए।

श्री सभापति : जवाब आ चुका है

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय प्रधान मंत्री को शिकायत पहुंची है कि इस पत्र को राजस्थान की जनता सरकार महज इसलिये नाजायज लाभ देना चाहती है कि केन्द्र के एक राज्य मंत्री इसमें इंट्रेस्टेड हैं। यह बिल्कुल बेनामी ट्रांजेक्शन है। मैं कहना चाहता हूं सदन की यह भावना है और इन्कम टैक्स के भी प्रोवीजन हैं, अगर कोई कम कीमत में प्रोपर्टी खरीदे तो सरकार इंटरवीन कर सकती है। यह इतना बड़ा कानून का वायलेशन हो रहा है, 18 लाख के उस मकान को सरकार खाली कर रही है, और पब्लिक एक्सचेंकर को नुकसान पहुंचा रही है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
जो सरकारी विभाग वहां पर जमा हुआ है उसको वहां से महरूम किया जा रहा है, यह सब साधारण परिस्थितियों में किया जा रहा है। इसलिये मंजूर अलीजी का जो प्रश्न है वह बहुत अहम प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह कन्फयूज करने वाला है, गुमराह करने वाला है। इसलिए इस सारे मामले में सरकार एक उचित रवैया अख्तियार करे और पब्लिक एक्सचेकर को बचाये। जनता सरकार पर बहुत बड़ा आक्षेप लगाया गया है उस आक्षेप से सरकार बचे और निश्चित राह पर सरकार चले इसके लिए आप आसन से व्यवस्था दें यही मेरा निवेदन है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में प्रश्न मैंने दिया था लेकिन समय की कमी के कारण सदन में नहीं आ सका था। उसका उत्तर बाद में मेरे पास आया है, इसलिए मेरे कहने का अधिकार बनता है। मैं निवेदन करता हूं कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर में कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न माननीय हरी सिंहजी ने पूछा था....

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसलिए उनको मंत्री बना दिया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उसका जवाब यह दिया गया था कि इसको खाली किया जा रहा है। उसके बाद छः तारीख को, बहुत ही बाद में जब मेरा प्रश्न आया तो उत्तर में यह कहा गया कि जी नहीं। पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार का खाली करने का इरादा है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जी नहीं। तो मुझे यह बतायें यह कान्ट्रेडिक्शन नहीं तो क्या है? पहले तो कहा कि हमारा इरादा खाली करने का है और फिर कहा कि जी नहीं। क्या यह कान्ट्रेडिक्शन नहीं है? पहले 'जी हां' कहा और बाद में प्रश्न के उत्तर में 'जी नहीं' कहा, यह स्पष्टः कान्ट्रेडिक्ट्री है। माननीय सदस्य बजरंगलालजी ने जैसा कहा, यह स्पष्ट बात है कि मामला न्यायालय में खाली करवाने का चल रहा था उसका उसके खिलाफ फ़ैसला हो गया था। उसके बाद कोई पार्टी मकान खरीदती है तो मकान सरकार से खाली नहीं करवाया जा सकता है। यह साफ है कि यह मिलीभगत से किया गया है। सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने अभी बताया कि सीकर हाउस इस विभाग के लिए लिया जा रहा है उसका 3900/- रुपया किराया दिया जाएगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदया और मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा था कि अभी तक कोई भवन किराये पर लिये जाने की बात नहीं है। परन्तु उसी दिन सीकर हाउस किराये पर लिया गया है। एक तरफ सरकार को नुकसान हो रहा है दूसरी तरफ एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मान्यवर, जो अखबार निरन्तर प्रतिदिन इस हाउस की आलोचना करता है, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ लिखता है, सदस्यों के खिलाफ लिखता है, उसको इस प्रकार लाभ पहुंचाया जा रहा है।

श्री सभापति : इस प्रश्न पर अब ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय उत्तर दें उसके पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भाषण देने

(श्री मथुरादास माथुर)
की मेरी इच्छा नहीं है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित कर ली है? जितने भी हमारे प्रेस वाले है, एक तो स्टाफ कोरेस्पोन्डेन्ट हैं दिल्ली के अखबारों के, दूसरे हमारे यहां पर जो डेली अखबार हैं उनके एडीटर हैं, उनके कोरेस्पोन्डेन्ट्स हैं, इस तरह से कई साप्ताहिक, पाक्षिक अखवार वाले हैं, कई तरह के अखबार वाले है, असेम्बली से एक्रीडेटेड हों, वे ही नहीं अखवार हैं, राजस्थान से करीव 200-150 अखवार निकलते हैं तो ये जितने भी अखबार वाले हैं उन सबको इसी तरह से सहूलियत देने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? कोई मकान, जो राज्य सरकार के कब्जे में है, को कोई अखबार वाला खरीद ले तो क्या राज्य सरकार उसको खाली कर देगी? राज्य सरकार अखबार वालों को जो सुविधा देती है वह यह है कि कोई गवर्नमेन्ट बिल्डिंग है वह उसको एलाट कर दे, रेन्ट पर दे दे। यह बात तो समझ में आती है। राज्य सरकार एडवर्टाइजमेन्ट देती है, यह भी समझ में आता है। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर राज्य सरकार एक व्हाइट पेपर इश्यू करे कि इन अखवारों को क्या क्या सहूलियतें होंगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस मकान का यह झगड़ा है, जिस मकान को खाली नहीं करने के लिये राज्य सरकार कोर्ट में गयी, वहां पर उसके हक में फैसला हो गया, मकान मालिक ने कोर्टबाजी की, आपने खाली नहीं किया, अब उसी मकान को एक पेपर वाले ने खरीद लिया इसलिए आप खाली कर रहे हैं। यह अखवार को जो सहूलियत आप दे रहे है उसका व्हाइट पेपर आपको इश्यू करना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि अखबारों को सहूलियत देने के बारे में राज्य सरकार की यह नीति है। . . .

श्री सभापति : राज्य सरकार की मंशा पर सदन को क्यों आपत्ति होनी चाहिए?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार के पास जो पैसा है वह एक्सचैकर का है। राज्य सरकार पूरे सदन की है . . .

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : सभापति महोदय आपके आब्जरवेशन से हमें ठेस पहुंची है।

श्री मथुरादास माथुर : यह राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर या उसकी केबिनेट के घर का पैसा नहीं है। यह सब एक्सचैकर का पैसा है। यह राज्य सरकार एक कॉर्पोरेट बोडी है। संविधान के अन्तर्गत चुनी हुई है। इस सदन में इधर-उधर बैठने वाले सदस्य उस पर कन्ट्रोल करते हैं। इसलिए हमको बताया जाए।

श्री मदन सिंह : हमारे तो मकान खाली करवाए जा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : किराया बढ़ा रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मेरा भी सवाल है।

श्री नवरंग सिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, जिस राजस्थान पत्रिका ने इस सदन का अपमान किया है . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

(18)

श्री **मदनसिंह दांता** : He has already expressed his views.

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : आप खुद पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर हो ।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है क्या ?

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : आप खुद अव्यवस्था क्रिएट करना चाहते हो...

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : You can say on a point of interruption, not a point of order.

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : समापति महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि ध्यान आर्कषण प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है । वह पूरी तरह अपनायी जानी चाहिये । It is not a full fledged debate. Nor it is question hour. आपने ध्यान आर्कषित कर दिया..

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : कृपया बैठिए ।

श्री **मन्जूर अली** : एक बात का और क्लेरीफिकेशन हो जाना चाहिए । यह बात, श्रीमान, क्या सही नहीं है कि सीकर हाउस को भी नाजायज फायदा पहुंचाया जा रहा है ? एक व्यक्ति विशेष, राजस्थान पत्रिका को नाजायज फायदा पहुंचाया जा रहा है यह सारा प्री प्लान था वरना वह आदमी यह मकान नहीं खरीद सकता था । राजस्थान पत्रिका के मालिक को पहले यकीन हो गया कि सरकार इसे खाली कर देगी तब ही उसने यह सौदा किया है ।

श्री **सभापति** : Please resume your seat.

जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उस सम्बन्ध में मेरी यह व्यवस्था है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो यहां पर उठाया गया उस पर मंत्री महोदय ने अपना व्यक्तव्य दे दिया । परन्तु कभी-कभी ऐसे मसले, जो पब्लिक इम्पोर्टेन्स के होते हैं, में सदन का समय लगता है । मंत्री महोदय इसलिए इसको इजीली डिसपोज ऑफ नहीं करें ।

काफी इस मसले पर रोशनी डाली जा चुकी है । कृपया अब चर्चा न करें ।

(व्यवधान)

No. It will be repetition.

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मुझे एक मिनिट दिया जाए ।

श्री **सभापति** : No. Please resume your seat.

श्री **नवरंग सिंह** : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि जिस राजस्थान पत्रिका ने इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाकर इसका अपमान किया...

श्री **सभापति** : यह मैटर आ चुका है ।

श्री **नवरंग सिंह** : जिस राजस्थान पत्रिका ने इस सदन के सदस्यों का अपमान किया, उसी राजस्थान पत्रिका को इसी तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है । चूंकि मुख्य मंत्री सीकर जिले के हैं, वहां के रहने वाले हैं इसलिए सीकर हाउस लेकर उनको फायदा दिया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय

(श्री नवरंगसिंह)
से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका को जो सहूलियत दी जा रही है क्या वही सहूलियत सभी को देने की नीति निर्धारित की गयी है? जो पत्रकार, अखबार वाले मकान खरीद लेंगे वह चाहे वे राज्य सरकार के पास हों, राज्य सरकार खाली कर देगी और अपना दावा नहीं करेगी ? कोई तो राज्य सरकार नीति निर्धारित करे । क्या यह सुविधा सब को दी जाएगी ? सभापति महोदय, इस तरह यह अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है........

श्री सभापति : माननीय बजरंगलाल जी, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिये शांतिपूर्वक चलती रहे तो ठीक रहेगा ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की परम्परा राम का आदर्श रखने की रही है । जहां राम ने अपनी पत्नी सीता को संदेह होने पर ही घर से बाहर निकाल दिया........

श्री रतन लाल वर्मा : राम का सन्देह होने की वजह से नहीं उस वक्त जो वातावरण हो गया था उसको कायम रखने के लिये...

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं ।

मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से प्रश्न रखना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राम के........

श्री सभापति : No question.

श्री मदनसिंह दाता : यह प्रजातंत्र नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इस सदन की भावनाओं को देखते हुए Justice should not only be done, it should also seem to be done.

हमारे माननीय मंत्री महोदय और मंत्रि-मण्डल ईमानदारी और इम्पार्शियली काम कर रहा है या नहीं, यह मालूम होना चाहिये । क्या राज्य सरकार माननीय सदस्यों का कमीशन बैठायेगी जो इस सारे प्रश्न की जांच करे और हमारे मुख्य मंत्री महोदय को सर्टिफिकेट दे सके कि मुख्य मंत्री जी ने सही किया है या गलत कर रहे हैं । This house is supreme body.

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केसरगढ़ की पूरी जमीन, जिसके मालिक केसरी सिंहजी हैं, अर्बन सीलिंग प्रापर्टी एक्ट में आती है ? क्या उसकी सारी प्रक्रिया से बचने के लिये राजस्थान पत्रिका के मालिक के साथ इसका सौदा हुआ ? क्या यह सही है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पत्रिका को मदद पहुंचाने के लिये ही यह कार्य किया ? मान्यवर, उनकी यह मंशा थी और है तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पत्रिका के मालिक हैं या स्वयं पत्रकार हैं, क्या राजस्थान सरकार ने इससे पहले भी उन्हें क्लार्क, आम्बेर के पास काफी जमीन रियायती दर पर दे रखी है ? क्या राजस्थान सरकार ने एक्ट का वायलेशन करके पत्रिका को इजाजत दी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब आ चुका है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मंत्री महोदय ने फर्माया था उसमें यह बहुत स्पष्ट बात थी। पहले उन्होंने इसमें हां कहा है बाद में ना कहा है....

श्री सभापति : अगर उत्तर नहीं आता है तो जो उत्तर दिया है वह सही है।

श्री नवरंग सिंह : क्या सीकर हाउस को फायदा.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैटर डिस्पोज आफ हो चुका है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देना नहीं चाहते The matter has been disposed of.

श्री खेतसिंह राठोड : यह आधे घंटे की चर्चा उठाई थी उसका जवाब कम से कम.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव..

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये नियम बने हुए हैं। यह आधे घंटे की चर्चा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण तो है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जवाब दे दिया। बिल्कुल स्पष्ट दे दिया। इसके अलावा कोई फायदा नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार किसी मामले में उत्तर देना नहीं चाहती हो तो हमारे कस्टोडियन सभापति महोदय और अध्यक्ष महोदय हैं वे सरकार को जवाब देने के लिये बाध्य करें। स्थगन प्रस्ताव और जो भी चर्चा का विषय हाउस में है इसका सरकार जवाब नहीं देगी तो जनता के बहुत बड़े धन का जो व्यय विधान सभा पर करते हैं उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचेगा। अगर इस प्रकार की आपाधापी, इस प्रकार की जवाब न देने की मनोवृत्ति करेंगे और अगर इनको ताड़ना नहीं दी गई तो मैं समझता हूं कि हाउस का मनोबल धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और हाउस के अन्दर कोई भी जनता की समस्या को नहीं ला पाएंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा भी एक पाइन्ट आफ आर्डर है, सर। माननीय संसदीय मामलात के मंत्री जी ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का हमने जवाब दे दिया। ध्यानाकर्षण में माननीय सदस्यों ने जो पाइन्ट रेज किये उनका सरसरी तौर पर जवाब दे दिया। उसके बाद में विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय मथुरादास जी, बजरंगलाल जी ने स्पेसिफिक सप्लीमेन्ट्री और अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं तो नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि उनका उत्तर आना चाहिये। स्पष्ट प्रश्न पूछने के बाद भी मन्त्री द्वारा जवाब नहीं दिया जावे तो क्या कोई...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ प्रश्न पूछे गये सप्लीमेन्ट्री के रूप में माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आने के बाद। माननीय मंत्री महोदय उचित समझते हैं तो उत्तर दे सकते हैं। कोई पाबन्दी नहीं है। अगर वे उत्तर देना नहीं चाहते तो आसन उनको पाबन्द नहीं कर सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूछ तो सकते हैं ?

श्री सभापति : आसन की बात तो सुन लीजिये—Kindly have patience.

अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं उसके बाद क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, कई प्रश्न अभी उठाये गये और कई शंकायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं। मैं यह बात कह कर आश्वस्त कर सकती हूं, जो कुछ होगा वह एज पर रूल्स होगा। दूसरी बात यह भी है कि इसमें पर्सनल ग्रिवान्सेज कुछ हो सकती हैं। एडिटोरियल के विषय में प्रश्न किया गया उसको दूसरी तरह से तय किया जा सकता है। और कई बातें हैं मगर जहां तक बेचने और खरीदने का प्रश्न है उसमें तो विरोध नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि यह किसी के लाभ या हानि की बात है या किसी को प्रोटेक्शन देने की बात है, वह नहीं है। जो निर्धारित नीति है उसी के अनुसार है। अभी कोई सैटलमेन्ट नहीं हुआ है तो उसमें कान्ट्रेडिक्शन का प्रश्न ही नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : पॉलिसी क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो कुछ कार्यवाही की जायगी वह कानून से की जायगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मकान खाली करके अखबार वाले को देना चाहते हैं तो वह किस रूल से देना चाहते हैं या आर्बीट्रेरी ही कर रहे हैं ? गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को मकान दिये जाते हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं, एम. एल. एज. को दिये जाते हैं उनके लिये रूल्स बने हुए हैं। अखबार वालों को दिये जाते हैं उसके रूल्स बने हुए हैं या आगे रूल्स बनाने वाले हैं ? बने हुए हैं तो यह बता दें कि वे रूल्स क्या हैं ? एक तरफ तो होली कर दें और दूसरी तरफ दीवाली कर दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है उसके बावजूद भी इधर-उधर का उत्तर दिया जा रहा है। क्या मंत्रिमण्डल का नीति सम्बन्धी निर्णय इस प्रकार का है ? दूसरे अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि रूल्स जो हैं उन रूल्स के अनुसार किया जायेगा तो माननीय माथुर साहब ने कहा कि वह रूल्स बतला दें कि वह क्या है ? क्या इस तरह की प्रार्थना लैण्ड-होल्डर ने आपको की है या आपने अपने इनिशियेटिव के अनुसार पत्रिका या ऐसे तत्वों में इन्ट्रेस्ट लेने वालों के कहने पर यह तय कर दिया और फिर खाली कर दिया ? कृपा करके बतायें कि कोई ऐसा नीति सम्बन्धी निर्णय है मंत्रिमण्डल का या इस तरह के

Page No 92

(92)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
नियम है ? आप फर्मा रहे हैं कि यह नियमों के मुताबिक है, इस मकान में सरकार एक किरायेदार की हैसियत से है। क्या यह आम लिटिगेशन में हर पार्टी पर लागू होगा या इसके लिए विचार होगा ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किसी प्राइवेट पार्टी को अपनी प्रापर्टी, जिसमें कि सरकार टेनेन्ट है, एक टेनेन्ट की हैसियत से सरकार मकान मालिक को अपनी प्रापर्टी को बेचने से रोक सकती है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कह दीजिये कि यह राठौड़ रूल्स हैं।

श्री नूरा : राठौड़ी नियम अलग से बना दें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : वह उत्तर बजरंगलाल जी को दे रहे हैं या सदन को दे रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : Government is in the docks. बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं उनकी मदद पर आओ। वह क्या जवाब दे सकती हैं। सदन में पहली बार आई हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माथुर साहब आज बड़े अच्छे लग रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी अच्छे लगते हैं वैसे तो।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, एक मेरा पाइंट आफ आर्डर है। श्रीमान, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदया ने रूल्स का हवाला दिया.......

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स का हवाला दिया तो कौन से रूल्स हैं ? We cannot tolerate wrong things. रूल्स बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इससे सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा गिरी है। कौनसा रूल बना रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूल्स का रेफरेन्स दें।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स बताइये, उनको पढ़िये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह बता रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : We won't allow you to sidetract, आप रूल्स पढ़िये क्योंकि आप रूल्स का हवाला दे रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदया ने रूल्स का जिक्र किया तो उनका आशय सीलिंग लॉ से है। अगर सीलिंग लॉ के अन्तर्गत वैध तरीके से ट्रान्सफर नहीं हो सकती है तो निश्चित रूप से the law will take its course.

जो दूसरा प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि राजस्थान पत्रिका को अनुचित रूप से लाभ

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

देने के लिये यह किया गया है। इस संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जहां कहीं भी मकान मालिक के मकान में किरायेदार की हैसियत रखती है वहां राजस्थान सरकार के सामने जो रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड प्रेमिसेज एविक्शन एक्ट में जो प्रावधान है वह सारे आते हैं

श्री मथुरादास माथुर : यह सरकार पर लागू नहीं होते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पूरी बात तो सुनिये।

श्री मथुरादास माथुर : आप गलत कह रहे हैं। गवर्नमेंट पर रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर लागू नहीं होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मेरी बात सुन लें। उसमें किरायेदार.....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक बात का भी उत्तर सही नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जब माननीय माथुर साहब ने कहा तो क्या राज्य सरकार किसी मकान को किराये पर लेने के बाद नियमों के तहत उसे दबाकर हजम कर सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : ओ हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : सरकार पर रेन्ट कन्ट्रोल आर्डर लागू नहीं होता है तो क्या सरकार उस मकान को दबा सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी हजारों शिक्षण संस्थाएं है, अस्पताल हैं जो दूसरों के किराये के मकान में चल रहे हैं। 20-20 साल से वे कोशिश कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार मकान खाली नहीं कर रही है। यहां पर राज्य सरकार ने, जैसा कि बताया गया है, अखबार वाले को फायदा पहुंचाने के लिये खाली किया है तो मैंने यह पूछा कि अखबार वालों को मकान दिलाने के संबंध में रूल्स बने हुए हों तो बतला दें। कई तरह के रूल्स होते हैं, बिजली देने, किराये पर मकान देने, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को फेसीलिटीज देने के रूल्स बने हुए हैं, इसी तरह से इसके लिये रूल्स बने हों तो हाउस में एलान कर दें। आपने इस संबंध में अगर कोई रूल्स बनाये हों तो सदन की मेज पर रखें। यह सीधी सी बात पूछी है। आप इधर उधर घुमाकर जवाब दे रहे हैं और ख्वाहमख्वाह रोब मार रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विधि मंत्री जी का जबाब आगया। अब माननीय गृह मंत्री जी कह दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: कोई आवश्यकता नहीं है जवाब देने की जब आप जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। आप जब सुनने को तैयार होंगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के द्वारा केसरगढ़ खरीदने का मामला सदन में कई दिनों से चल रहा है...

श्री सभापति : यह मामला आ चुका है। It is very sorry state of affairs I won't allow.

माननीय मंत्री जी।

Page No 94

(94)

शासकीय वक्तव्य

बीकानेर शहर में राजस्थान नहर के अनफिल्टर्ड पानी का वितरण

श्री महबूब अली : सभापति महोदय, बीकानेर शहर की जल पूर्ति के संबंध में मेरा वक्तव्य इस प्रकार है:—

"बीकानेर शहर की जल समस्या के पूर्ण समाधान हेतु मार्च, 1978 में राज्य सरकार द्वारा रुपये 3.89 करोड़ लागत की एक पुनर्गठित योजना स्वीकृत की गई है। यह योजना जल वितरण के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बनाई गई है। इसके अन्तर्गत राजस्थान नहर को पानी फिल्टर करके देने का प्रावधान रखा गया है।

इस वृहद् योजना की क्रियान्विति में 4-5 वर्ष लगने की सम्भावना एवं बीकानेर नगर में उस समय आने वाली गर्मियों में जल समस्या गम्भीर एवं तीव्र होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने बीकानेर शहर के लिए एक स्थायी आपातकालीन योजना स्वीकृत कर 20 लाख गैलन प्रतिदिन जल उपलब्ध करना तय किया। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर से बीछवाल स्थान से पानी लेकर बीकानेर नगर में लाने का प्रावधान रखा गया है। मूल योजना में इसी स्थान से पानी देने का प्रावधान है। इस आपातकालीन योजना को दिनांक 31 मई, 78 से पहले क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया जिससे बीकानेर में जल समस्या गम्भीर होने के पहले ही उसका समाधान किया जा सके। राज्य सरकार ने साथ साथ यह भी निर्णय लिया है कि (बृहद् योजना) पुनर्गठित योजना में लगने वाले फिल्टर प्लाण्ट का निर्माण भी साथ साथ किया जाये तथा फिल्टर का प्लान्ट का कार्य भी युद्धस्तर पर पूरा किया जाये।

इस आपातकालीन योजना को पूरा करने के लिए 18" एवं 14" व्यास के पाइप की आवश्यकता थी तथा चाही गई मात्रा के पाइप शीघ्र क्रय कर उपलब्ध कराना सम्भव नहीं था। अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिये कि राजस्थान नहर विभाग में उपलब्ध स्टील के पाइप इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में ले लिये जावें। वे पाइप राजस्थान नहर योजना विभाग द्वारा पूर्व में प्रयोग में लाय जा चुके हैं तथा ये पाइप पूर्णतया जल वितरण लाइन के उपयुक्त एवं योग्य होने के कारण इस योजना के कार्य को पूरा करने में लिये गये हैं।

इस योजना पर कार्य चल रहा था। इसी बीच माननीय सदस्य के द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के सामने कानून एवं व्यवस्था छिन्न भिन्न करने की धमकी देकर इस नहरी पानी के उपयोग को बन्द करने की चेष्टा की गई और इस कारण योजना के कार्य में व्यवधान पड़ा है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह नहरी पानी जनस्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों के कथनानुसार हानिकारक है जो सर्वदा निराधार एवं असत्य है। सरकार के विशेषज्ञों के अनुसार यह नहरी पानी जनता के उपयोग के लिए उपयुक्त है। इस पानी में क्लोरीन

(श्री महबूब अली)
को निर्धारित मात्रा में डाल दिये जाने के पश्चात् हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाता है।

उपलब्ध साहित्य एवं वैज्ञानिक मतानुसार अवशेष क्लोरीन रहने पर हानिप्रद कीटाणुओं को भी क्रियाहीन करने के लिए पर्याप्त है। क्लोरीन की उपयुक्त मात्रा की आवश्यक (क्लोरीन डिमाण्ड) तथा अन्य रासायनिक विश्लेषण आंकड़ों के हिसाब से किये जाने पर वितरित किये जाने वाले जल में सम्भावित बीमारियों के कीटाणुओं की सम्भावना निर्मूल है। इसी निष्कर्ष एवं नहर के पानी की रासायनिक जांच विश्लेषण के आधार के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि क्लोरीनेटेड जल बीकानेर शहर को फिल्टर प्लाण्ट न बनाने तक उपलब्ध कराया जावे। अतः बिना फिल्टर किये जल से भयंकर रूप से बीमारियों के होने की सम्भावना, जो माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई है, सत्य से परे है।

माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि 32 लाख रुपये खर्च कर धन की बरबादी की जा रही है, सही नहीं है। तकनीकी दृष्टि से उपर्युक्त योजना क्रियान्वित की गई तथा उच्च स्तरीय निर्णय के पश्चात् ही योजना का कार्य किया गया।

जहां तक मेरे आश्वासन देने का प्रश्न है मैंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैंने हमेशा ही यह कहा था कि इस वृहद् योजना में फिल्टर प्लाण्ट निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन उसके लगने से पूर्व बीकानेर की जनता को इस अतिरिक्त जल वितरण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की निरन्तर यह इच्छा रही है कि बीकानेर के जल संकट को अविलम्ब दूर किया जाय और इसी दिशा में कार्य किया गया है। सरकार का ऐसा मानना है कि जब भी कभी नगर में जल संकट की तीव्रता बढ़े उसी समय इस पानी का उपयोग किया जावेगा।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं आज्ञा चाहूंगा। यह मेरा ही प्रश्न उठाया हुआ था। मेरा आरोप था। माननीय राज्य मंत्री जी, जो मंत्रिमण्डल में उच्च पद पर बैठे हैं, ने जिस ढंग से आरोप लगाये हैं वह मेरी ओर संकेत है कि मैंने बीकानेर शहर में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रियेट कर दी है। दूसरे जो माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, है।

श्री मदनसिंह दांता : दूसरा कौन है?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : स्टेटमेंट है।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरा कौन दे रहा है?

श्री सभापति : माननीय डागा जी, कृपया बैठें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मुझे जो यह विधान सभा सैक्रेटरी की ओर से अवेलेबल किया गया है, उसमें यह नहीं है। इसमें दूसरे आरोप का संकेत है।

अनफिल्टर्ड पानी जो आप दे रहे हैं, वह हितकर नहीं है। मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, मुझे स्पष्ट करने का मौका दें ताकि

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)
जो मेरे बारे में कहा गया है, उसके बारे में मंत्री महोदय को जानकारी दे सकूं। मैं निवेदन करूंगा कि उनके विभाग द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा है। इसमें उनको गुमराह किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि मूल योजना में फिल्टर प्लाण्ट की योजना है, एक तरफ आप यह कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्थान नहर का पानी हानिकारक नहीं है। अगर वह यह कहते हैं तो मंत्री महोदय, हमें कहने का हक है। जो लाखों रुपया उसमें खर्च करते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Have you permitted a debate on this, Sir ?

श्री सभापति : Please resume your seat.

श्री मदनसिंह दांता : उनके ऊपर आरोप लगाया गया है।

श्री महबूब अली : सभापति महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री नूरा : आपने आरोप लगाया है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा कर दी है।

श्री सभापति : लॉ एण्ड आर्डर की बात है।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं यही प्रक्रिया होती है। अगर कोई पाइण्ट रह जाता है तो वह पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नियम तो यह है कि स्टेटमेण्ट पर बहस होनी चाहिए।

श्री महबूब अली : सभापति महोदय, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूं। आप इतने एजीटेट हो चुके हैं कि कुछ भी कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपने माननीय सदस्य को जनता के अन्दर बदनाम करने के लिए आरोप लगा दिया है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड की बात फिर उठाऊंगा। इस स्टेटमेंट में मेरी ओर इशारा किया गया है। सारे सदन ने मुझे गलत समझा है।

श्री मदनसिंह दांता : मगर नाम नहीं बताया है। यह कहा है कि वहां के माननीय सदस्य ऐसा करते हैं।

श्री नूरा : अगर कोई जनता के अन्दर गलत काम होता है तो माननीय सदस्य को कहने का हक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपने यह कहा है कि यह धमकी देने को पहुंचे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री गुप्ता जी।

श्री महबूब अली : माननीय सभापति महोदय, मेरी मंशा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पर आरोप लगाने की नहीं थी। यह सही है कि पानी के मामले को लेकर एक आन्दोलन किया गया। माननीय

(श्री महबूब अली)

सदस्य ने यह निश्चित रूप से कहा है कि इस स्थान से पाइप लाइन लगाने के लिए कार्यवाही नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने खम्भ लगाये तो यह कहा कि उनको खोदकर पाइप लाइन नहीं लगाने देंगे। यदि उस समय जिला प्रशासन सूझ बूझ से काम नहीं लेता तो लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती थी, यह बिल्कुल सही है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि बीकानेर की जनता को यह पानी नहीं देने का एक आंदोलन चलाया। वहां के जिला प्रशासन से बातचीत करते रहे और मुझसे भी बातचीत करते रहे। उन्होंने कहा, माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, मेरी लाश पर यह लाइन बिछेगी। इस शब्द तक का उपयोग किया है....

श्री मदनसिंह दांता : कौनसी लाइन, जिसमें जहर डाल रहे थे ?

श्री महबूब अली : मेरी कोई मंशा माननीय सदस्य पर आरोप लगाने की नहीं है। यदि मेरे कथन से उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन यह सही है कि माननीय सदस्य ने वहां इस मुद्दे पर भयंकर रूप से एजीटेट किया और कहा कि यह अनफिल्टर्ड वाटर है चाहे बीकानेर की जनता मर जाए, चाहे एक बूंद पानी उनको नहीं मिले लेकिन....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये झूठ बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : उसके फलस्वरूप उसके अन्दर व्यवधान पैदा हुआ। अब प्रश्न इस बात का है कि माननीय सदस्य को यदि इससे आघात पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें उत्तेजित होने का प्रश्न नहीं है। बीकानेर में पानी की किल्लत है, इसलिए रॉ वाटर देने का प्रावधान किया है। आप पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न या राजनैतिक प्रश्न नहीं है।

(3.52 म० प०)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

बीकानेर के जनहित का प्रश्न है। यदि वहां की जनता को पानी देकर राहत मिल सकती है चाहे रॉ वाटर हो जब तक फिल्टर प्लांट लगे, माननीय सदस्य इस दृष्टि से विचार करें तो बहुत उपयुक्त होगा। बाकी मेरी किसी प्रकार माननीय सदस्य पर आरोप लगाने की मंशा नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अभी राज्य मंत्री ने मेरे स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में बीकानेर में अनफिल्टर्ड वाटर की सप्लाई करने के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में आपने मुझ पर आक्षेप लगाने....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सारी चर्चा सुन ली है। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मुझे दो मिनट का अवसर दिया जाए ताकि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकूं क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाया....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति है दो मिनट ले लीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट यहां पढ़कर सुनाया है, टेप रेकार्डर की तरह अधिकारियों द्वारा लिखा गया वक्तव्य यहां पढ़ कर बताया, अपना माइंड एप्लाई नहीं किया। उसमें गलत तथ्य इन्होंने दिए हैं। किसी भी जन समस्या के लिए किसी भी नागरिक को आंदोलन करने का मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने इंदिरा गांधी के शासन का विरोध किया और आंदोलन करके पुनः अपने अधिकार प्राप्त किए। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करें तो आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते कि लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बीकानेर में कोई लॉ एण्ड ऑर्डर प्रावलम क्रिएट करते तो हम जेल जाने के लिए तैयार थे और हैं। हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका जिम्मा भी हम लेंगे।

मैं मंत्रीजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो, अगर अनफिल्टर्ड पानी स्वास्थ्य के लिए हितकारी है तो राज्य सरकार लाखों रुपये फिल्टर प्लान्ट पर क्यों खर्च करना चाहती है? दूसरे, जहां-जहां पानी नहरों व नदियों का है, वहां यह अलग बात है, सैकड़ों गांवों का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार उनको अच्छा पानी नहीं दे पा रही है लेकिन दिल्ली जयपुर जैसे बड़े शहरों में फिल्टर्ड पानी क्यों दिया जाता है? उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिल्टर प्लान्ट लगाने की आवश्यकता क्यों है?

तीसरे एक तरफ राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का सड़ा हुआ, जंग लगा हुआ 18 लाख का पाइप पी०एच०ई०डी० के माथे मढ़ दिया, दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल वोर्ड से एक करोड़ के पाइप्स मंगवाए। अगर पाइप्स अवेलेबल नहीं थे तो उन लोगों ने कहां से मंगवाए? इसके अन्दर बहुत चोरी हुई है। बीकानेर की तीन लाख जनता की छाती पर मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार किया है। यह वहां के लोगों का कहना है कि चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री तक ने भ्रष्टाचार किया है, विश्वासघात किया है। मैं इस सदन में कहता हूं कि अगर बीकानेर के कुओं में अनफिल्टर्ड पानी मिलाया गया तो रामकृष्णदास गुप्ता बरदाश्त नहीं करेगा, आप वह पानी नहीं दे सकेंगे। जिसने अनफिल्टर्ड पानी कुओं में मिलाया उसका मुंह काला मैं करूंगा, मैं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गली-गली में तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा; मंत्रियों का किया जाएगा। मेरी लाश पर अनफिल्टर्ड वाटर दिया जाएगा, वहां भी यह कहा था और यहां भी कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आवेश में न आयें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप जनता के स्वास्थ्य के साथ होली खेल रहे हैं। ऐसे इर्रेस्पांसिवुल मंत्री के स्टेटमेंट की जनता धज्जियां उड़ाएगी। मैं बीकानेर की जनता के लिए खून बहाने को तैयार हूं, तुम तो पानी की बात करते हो। हिम्मत हो तो बीकानेर शहर में मेरे साथ चुनाव लड़ो अगर नहीं जीतूं तो मैं इस्तीफा दूंगा।

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
बीकानेर की किसी भी गली में चले जाओ और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ो इस इश्यू पर। झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो।

श्री महबूब अली : ऑन ए पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। इन्होंने चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री महोदय तक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आवेश की बात दूसरी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आवेश नहीं है।

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर कह दें कि मैंने भ्रष्टाचार किया है या कर सकता हूं, तो मैं समझूंगा। उनकी बड़ी कृपा होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने जिस ढंग से स्कीम को लागू कराया है विरोध के बावजूद, कोई भी इंजीनियर कह दे कि जो लाइन डाली गई है वह टैक्निकली सही है? 9 मील लम्बी वाटर लाइन डाली गई है वह साइंटिफिकली डाली गई है? जगह-जगह पानी लीक कर रहा है, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने धोखा दिया है और आप आरोप लगाते हो कि मैं बीकानेर शहर को पानी नहीं देना चाहता। यह तुम्हारा झूठ है। बीकानेर शहर के कुओं को ऐसा पानी तुम नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी चर्चा कर चुके हैं। विराजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तुमने आरोप लगाया है कि मैं बीकानेर शहर को पानी नहीं देना चाहता।

श्री मूलचन्द सामरिया : भ्रष्टाचार की बात नहीं की, धन्यवाद।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : भ्रष्टाचार है। इसमें निजी तौर से लाखों रुपये का भ्रष्टाचार मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया है। इसको जानबूझकर छिपाया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कोई संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जी हां। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल इतना-सा निवेदन है कि दो संशोधन इस बिल के द्वारा प्रस्तावित हुए हैं। एक तो संशोधन यह है कि जो मनोरंजन के टिकट हैं वह एक एक पैसे के अब तक चलते है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का हमारे पास एक पत्र आया था कि नासिक प्रिन्टिंग प्रेस में यह छपते हैं और जो सिक्यूरिटी पेपर है उस पर छपते हैं, उस पेपर की कास्ट को देखते हुए 5 पैसे से कम डिनामिनेशन के टिकट छापने में वह असमर्थ हैं क्योंकि उनका खर्चा ज्यादा बैठता है। राजस्थान सरकार के सामने यह समस्या थी कि 5 पैसे से नीचे के जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के टिकट

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

हैं उनके संबंध में क्या किया जाये । तो हमने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव किया है एक संशोधन के द्वारा कि 2।। पैसे से कम के जो टैक्स हैं उनको माफ कर दिया जाय और 2।। से 5 पैसे के बीच में जो टैक्स पड़ता है उसको 5 पैसा राउन्ड करके उसके स्थान पर 5 पैसे कर दिया जाये । तो एक पैसा और 5 पैसे के बीच में जो टिकट हैं उनके छपने की व्यवस्था बन्द कर दी जायेगी । पहले संशोधन के द्वारा तो यह चाहा गया है ।

दूसरा संशोधन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 10 से संबंधित है, जिसमें कुछ अधिकारी, जो कि सी०टी०ओ० की रैंक के हैं, के अधिकार हैं वह हम असिस्टेन्ट कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर्स को देना चाहते हैं । सी०टी०ओ० के पास काम की अधिकता होने के कारण जो उत्तरदायित्व इस एक्ट के अन्तर्गत उनके ऊपर डाला गया है उसका निर्वहन करने में वह असमर्थ है । इसका कारण यह है कि एक तो सेल्स टैक्स का स्कोप बहुत बढ़ गया है और इसी प्रकार से राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स का भी काफी स्कोप बढ़ गया है और दूसरे, सी०टी०ओ० हमारे पास राजस्थान के अन्दर 40 से 45 के बीच में हैं वह दूसरे कामों में प्रिअकुपाइड रहते हैं इसलिए वह अधिकार ए०सी०टी०ओ० को देने की व्यवस्था इसमें की है । यह दो अमेन्डमेंट इसके अन्दर हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका विरोध करता हूं इसी स्टेज पर इसलिए कि राज्य सरकार ने यह लचर दलील दी है 2।। पैसे के स्थान पर पांच पैसे करने की कि नासिक प्रेस में उस पेपर, जिसको सिक्योरिटी पेपर कहते हैं, पर भारत सरकार ने छपवाने के लिए मना कर दिया है । अगर यही बात है तो यहीं छपवा लो, मुश्किल क्या है । आपकी गवर्नमेंट प्रेस है उसमें आप इम्तिहानों के पेपर्स छपवाते हो, सारी छपाई होती है, सीक्रेट डाकुमेंट्स भी छपते हैं । तो यह क्या बात है कि 2।। पैसे आते है उसको 5 पैसे कर रहे हैं । यह दलील समझ में नहीं आती, हजार दो हजार के नोट छपाने हों तो बात अलग है । एक एक पैसे के टिकट छापे जाते हैं उनको सिक्योरिटी पेपर पर क्यों छपाते हो, कोई भी अच्छा पेपर लेकर यहां छपा कर मार्क कर दो । सिनेमा के टिकट भी तो छपते हैं नासिक से छपवाने पर भी तो फोर्जरी कर देते हैं । सिनेमा चलाते हैं वह भी तो अपना टिकट छपवाते हैं । ऐसी क्या परेशानी है कि आप सदन में इस कानून में संशोधन लाते हो ? यह क्या हुआ कि 2।। पैसे के बजाय 5 पैसा लिया जायगा । यह तो सिम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर है । सिक्योरिटी पेपर नहीं मिलता तो मत लो । अब आपको क्या तकलीफ है ? आपका गवर्नमेंट का प्रेस है । यहां बजट भी छपता है जिसके लीक आउट होने पर मिनिस्टर को जाना पड़ता है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है । सब पेपर छपते हैं स्कूल के और कालजों के । आप दूसरे अच्छे पेपर पर छपवा लें । मुश्किल क्या है ? परेशानी क्या है, जिसकी वजह से यह बिल लेकर आप यहां आये हैं । बिल तो बड़ा इन्नोसेन्ट है लेकिन इसको लाने की जरूरत क्या है ? सिक्योरिटी की बात है तो मैंने निवेदन किया कि बजट छपता है, यूनिवर्सिटी के प्रेपर्स छपते हैं....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : यह इन्नोसेन्ट बिल है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : वह भले ही कह दें लेकिन आप क्यों कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो कहता हूं कि 2।। से 5 पैसा टैक्स लगाते हैं तो यह इन्नोसेंट क्यों है ? मैं इन्नोसेंट मानता तो खड़ा क्यों होता ? आप समझे नहीं। इसलिए मैं इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह हाउस का कीमती समय खर्च करना है। आपके पास गवर्नमेंट प्रेस है उसमें छपवा लें। इसे सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

दूसरे आपने सी०टी०ओ० की पावर्स ए०सी०टी०ओ० को देने की बात कही इसका क्या मतलब हुआ ? कल को आप एस०पी० की पावर्स थानेदार को दे देंगे। आप कहेंगे कि सुपरिन्टेंडेंट काम नहीं करता इसलिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट को पावर्स दे दें। जो सी०टी०ओ० होता है वह एक रैंक का ऑफिसर होता है और उसकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। उसकी पावर्स ए०सी०टी० ओ० को दे देंगे, यह क्या बात हुई। लोग तंग हो जायेंगे, परेशान हो जायेंगे। आपके पास काम ज्यादा हो गया है तो सी०टी०ओ० और ज्यादा बढ़ाओ। दलील आपकी यह है कि हमारे पास सी०टी०ओ० कम हैं और काम बढ़ गया है तो सी०टी० ओ० बढ़ाओ। कल को लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़ जायेगी तो दो आई०जी० रखने पड़ेंगे। आप यह बिल अपना वापस लीजिए। मैंने रास्ता बता दिया उसके अनुसार काम कर लो।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कई बार मैंने एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में कहा और सदन में कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। प्रश्न यह है कि एन्टरटेनमेंट जरूरी है या नहीं। जब आपने टैक्स बढ़ाया और 5 पैसा कर दिया, तब भी मैंने यह प्रपोजल दिया था कि जिस जिस नगरपालिका क्षेत्र में एन्टरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कई बार उन नगरपालिकाओं ने इस बात की मांग की है कि आप जो एन्टरटेनमेंट टैक्स लेते हैं उसका हमें आप ज्यादा हिस्सा दें। इस बात के लिए कई बार मांग की है। जब मुख्य मंत्री विरोधी पक्ष में नेता थे और इधर बैठते थे तो बार बार कहते थे। पाली शहर में जो एन्टरटेनमेंट टैक्स इकट्ठा किया जाता है उसका कितना पर्सेन्टेज देना चाहते हैं ? आज 25 पर्सेन्ट भी नहीं देते हमको। मैं यह चाहता था कि एन्टर-टेनमेंट टैक्स का ज्यादा हिस्सा नगर-पालिकाओं को मिलना चाहिए। यह मेरा प्रपोजल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई अमेन्डमेंट मूव नहीं करेंगे डागा साहब ?

श्री मूलचन्द डागा : करूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अमेन्डमेंट मूव करें उसके पहले मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री-जी से यह पूछना चाहता हूं कि टैक्स आप

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

2।। पैसे की जगह 5 पैसे करेंगे तो छोटे जो लोग हैं उन पर कितना भार आयेगा ? यह आपके लिये कोई सोचने की बात नहीं है क्योंकि सोचने का जो तरीका है वह बदल जाया करता है । यह स्वभाविक भी है।

दूसरा मैं यह कहूंगा कि ए०सी०टी०ओ० वाला संशोधन करने की क्या जरूरत है ? करीब 18 महीने आपकी सरकार को हो गए। जब आपने चुनाव लड़ा था तो कहा था कि हम राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में सेल्स टैक्स नहीं रखेंगे। जब हिन्दुस्तान से ही सेल्स टैक्स जा रहा है आपके घोषणा-पत्र के अनुसार तो क्या आप थोड़े से दिनों के लिए यह संशोधन करने जा रहे हैं। क्या तबाही आ गयी कि ए०सी०टी०ओ० को पावर्स दिलाना चाहते हैं ? यह तो आपके घोषणा-पत्र के विपरीत है।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सेल्स टैक्स का प्राविजन नहीं है। आप कृपा करके इसका टाइटल देखिये, इसका स्कोप देखें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सी०टी०ओ० के पास केवल सेल्स टैक्स का ही काम है। उसके पास से ट्रान्सपोर्ट चला गया। अब सी०टी०ओ० के पास काम क्या है ?..

(व्यवधान)

जब सी०टी०ओ० रहेगा ही नहीं तो फिर इस अमेन्डमेंट को क्यों करना चाहते है ? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सेल्स टैक्स ही नहीं रहेगा तो सी०टी०ओ० और ए०सी०टी०ओ० का क्या होगा ? यह जनता पार्टी का घोषणा-पत्र यूं ही है क्या ? या तो यह कह कि उससे मुकर गये इसलिये यह अमेन्डमेंट कराना चाहते हैं। यह नहीं कि काम करने के दृष्टिकोण से यह कहें कि यह काम हम शेरसिंह को देना चाहते है या किसी इन्सपैक्टर को देना चाहते हैं। आखिर सी०टी०ओ० से लोग न्याय चाहते हैं। प्रश्न सी०टी०ओ० और ए०सी०टी०ओ० का नहीं है। जितने सेल्स टैक्स लगाने के अख्तियारात हैं वे सी०टी०ओ० को हैं। आप जो सी०टी०ओ० के अधिकार हैं वह ए०सी०टी०ओ० को देना चाहते हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आप भले ही इसे करते रहें। हमें तो यही कहते हैं कि उचित नहीं है इसलिये इस बिल को वापस लें तो अच्छा रहेगा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

मेरी यह निश्चित राय है कि यह बिल आम जनता से संबंध रखता है, राजस्थान की तीन करोड़ जनता से संबंध रखता है। इसलिये एन्टरटेनमेंट टैक्स के लिये जो यह बिल लाये हैं, मैं समझता हूं इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित करें। यदि आप इसे नहीं मानते तो बोलूंगा और यदि जनमत जानने हेतु प्रसारित कर देते हैं तो नहीं बोलूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बोल लीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठे बैठे ही बोलते हैं, रूल्स में अमेन्डमेंट हो गया है क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं खड़ा हूं, आपको नजर नहीं आ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो भी कहें, आसन को सबोधित करें और आसन के माध्यम से ही कहें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जो संशोधन रखा है वह तीन करोड़ जनता, जो राजस्थान में रहती है, से संबंधित है । मैं कई सालों से कहता रहा हूं कि जहां तक मनोरंजन का मामला है, हमारे गांवों में भी सिनेमा घर पहुंचने चाहियें । सारे हिन्दुस्तान में मूवीज के द्वारा हम शिक्षण कर सकते हैं । आज प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चल रहा है, मैं कहता हूं उसके लिये भी गांवों में सिनेमाघर खोले जांय तो काफ़ी लोग उनके द्वारा ज्ञानवर्द्धन कर सकते हैं और मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं । ज्ञानवर्द्धन और मनोरंजन नहीं होने से वे ज्यादा अपराध करते हैं । यह आप क्या कर रहे हैं कि ढ़ाई पैसे के बजाय पांच पैसे का अमेन्डमेंट ला रहे हैं ? हम बार बार कहते हैं कि आप पूरा परिवर्तन कीजिये ताकि हमारी नगरपालिकाएं आत्म-निर्भर हो सकें । आज नगरपालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं । उनके पास आज हरिजनों को चुकाने के लिये पैसे नहीं हैं । जब आप एन्टरटेनमेंट टैक्स की बात करते हैं तो मेहरबानी करके यह टैक्स नगरपालिकाओं को दें । यह तो आप अमेन्डमेंट लाते नहीं हैं और यह अमेन्डमेंट ले आये हैं । इसलिये मैं कहता हूं मेहरबानी करके इसको आप एक बार जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी ।

(अनुपस्थित)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब ने जो आपत्ति उठाई है, उसके बाबत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई नासिक प्रेस में ही छपने का प्रश्न नहीं है । एक पैसे का और दो पैसे का टिकट छापने लग जायं यह मुनासिब नहीं है भले ही यहां छपे या वहां छपे ।

श्री मथुरा दास माथुर : पहले छपते थे 1-1 पैसे के ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पेपर मंहगा होने से कीमत मंहगी हो गई । आपको यह मालूम होगा, राउन्ड फिगर में टैक्स लगाया जा रहा है । चाहे वह किसी भी टिकट की बात हो उसको राउन्ड करके यह किया जा रहा है । आज चाहे रेल्वे का टिकट हो, बस का टिकट हो या अन्य कोई भी टिकट हो, सबको राउन्ड अप किया जा रहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : You are indirectly raising the tax.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ढाई पैसे से कम पैसों का टैक्स माफ हो रहा है।

Page No 104

(64)

श्री मथुरादास माथुर : Under what law.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दूसरे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इससे पहले भी प्रश्न उठाया है । यह एन्टरटेनमेंट टैक्स से संबंधित है इसमें प्रेस्काइब्ड आथोरिटी for purposes of section 10 जिसके अन्दर Penalty, imposition and compounding of fines के अधिकार उनको दे रखे हैं । आपने जो सेल्स टैक्स के बारे में बात उठाई यह अच्छा किया आपने बात उठाई हैं, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का इम्पोजीशन दूसरे टैक्स से हो सकता है और वह संविधान से संबंधित है । जब तक सारे प्रदेश तैयार नहीं हो जाते हैं और वे प्रदेश जहां आज भी आपकी सरकारें चल रही हैं तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक.....

श्री मूलचन्द डागा : आपकी सरकार ने क्या कहा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके घोषणा-पत्र में है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने सारे वित्त मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली में चर्चा की थी । उसके लिये मैंने बार बार पूछा है कि राजस्थान की सरकार बड़ी प्रगतिशील सरकार है और अपना कदम तेजी से उठाती है उसने वहां पर सेल्स टैक्स की बाबत क्या विचार रखे हैं ? क्या उसको उठाने का निर्णय ले लिया है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आल इंडिया का क्वेश्चन है । आइसोलेटेड वे में राजस्थान की सरकार विचार नहीं कर सकती है । जब तक सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट तैयार न हो जाय सेल्स टैक्स, जिसके इम्पोजीशन में दिक्कत और कई कठिनाइयां हैं आज के ट्रेड मेन को, उद्योगपति को और सेल्स मैन को आती है, के बजाय दूसरी डिवाइस नहीं रख दी जाय तब तक यह समस्या हल नहीं होगी । सारा मामला जब तक आल इण्डिया बेसिस पर तय नहीं हो जाय, तब तक अकेला राजस्थान राज्य नहीं कर सकता है ।

श्री मदन सिंह दांता : इसका मतलब आपका अमेण्डमेंट गलत है........

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हम उसके लिये जनमत जानने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में कहा है, हम सेल्स टैक्स खतम कर रहे हैं........

एक माननीय सदस्य : पांच साल का है ।

श्री मदनसिंह दांता : फिर जनमत जानने के लिये संशोधन प्रस्ताव रखने की क्यों कोशिश कर रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमने वोट लिये हैं और वोट लेकर जीत कर आये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हम भी जीत कर आये हैं, आपकी कृपा से नहीं आये हैं...

(व्यवधान)

श्री नूरा : मेनिस्फटो की बात है, दया वाली बात कहना तो गलत है । कोई किसी की दया पर जीत करे नहीं आया है । आप

(श्री नूरा)
आपने मेनिफेस्टो के अनाउन्समेंट की दया पर बैठे हैं या नहीं, यह बता दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मेनिफेस्टो की याद दिलाई। वह हम सभी को याद है लेकिन जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है वह आपके सामने है। मैं माननीय जयकृष्ण-जी की बात से सहमत नहीं हूं कि विधान सभा में कुछ कहें और बाहर कुछ कहें...

(व्यवधान)

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं कोई पर्सनल बात कहूं, उनमें से नहीं हूं। वैसे तो बहुत अच्छा है ...

(व्यवधान)

बेगुन का नाम बेगन इसलिये रखा है कि वह बेगुन वाला है जबकि उसके सिर पर मुकुट रखा हुआ है। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में जिस समय इसका नारा दिया था उस समय तो आपने मार्क्सवादियों से भी हाथ मिलाये और अन्य पार्टियों से भी हाथ मिलाये थे। एक तरफ तो आप रि-एक्शनरी बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार के कदम उठाते हैं। आप अपनी बात पर पक्के रहें। मैं तो यहां भी बोलता हूं कि सेल्स टैक्स खतम होना चाहिये और बाहर भी यही कहता हूं कि आपकी घोषणा के अनुसार इसे खतम किया किया जाना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपको इसलिए कहता हूं कि अगर आप विधान सभा में यह चाहते हैं कि सेल्स टैक्स चालू नहीं रहे तो बाहर भी आपको वैसा ही मानस बनाना पड़ेगा। ये दो बातें नहीं चल सकती हैं कि अन्दर तो सेल्स टैक्स खतम करने की बात करें और बाहर सेल्स टैक्स चालू रखने के लिए कहें, आपको अपनी पार्टी लेवल पर निर्णय लेना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी पार्टी का निर्णय है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं हैं। जनता पार्टी ने जनता से वायदा किया है तो वह उसको पूरा करे। यह पौलिसी मेटर है इसको आप तय करें, हम क्यों करें।

श्री नूरा : आपने अपना घोषणा-पत्र दूसरों के कहने से बनाया था या अपनी बुद्धि से बनाया था ? घोषणा-पत्र के आधार पर विरोध कर रहे हैं कि जो वायदा किया था उसको पूरा करें।

श्री मदनसिंह दांता : अगर घोषणा-पत्र में यह वायदा किया है तो सरकार इसको खतम करें, अगर घोषणा-पत्र में नहीं है तो कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : राजनैतिक घोषणा पत्र में आपने वायदा किया है, हिन्दुस्तान की जनता से वायदा किया है, जनता पार्टी के घोषण-पत्र में ऑल इंडिया मेनिफेस्टो के आधार पर, आज मैं कापी नहीं लाया हूं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इसको मानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हम कौन सी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बाहर भी कह रहे हैं और अन्दर भी कह रहे हैं। यह आप हमारे पर कौनसा दोषारोपण कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : आपने जनता से इसी आधार पर वोट मांगे थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आप जीत कर आ जायेंगे, कुदरत से जीत गए....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं उनकी पार्टी के ....

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सेल्स टैक्स को रूफ करने के प्रश्न पर कांग्रेस दल की जो सरकारें हैं उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। आपने जो घोषणा-पत्र जारी किया था कांग्रेस वालों से पूछ कर नहीं किया था, वह तो आपके दल ने ही किया है। यदि आपको कठिनाई आ रही हैं, सवैधानिक कठिनाई आ रही है तो आज भी आप इस स्थिति में हैं कि संविधान में संशोधन कर दीजिए। संशोधन और जुडिशियरी तक को आपने करप्ट कर दिया है; उसको दूषित कर दिया ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी: रामनारायणजी, आप और हमसे कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कह दीजिए कि आप सेल्स टैक्स अबौलिश नहीं करते हैं तो हम संविधान में संशोधन करते हैं। आपने जनता के साथ में वायदा किया, जिसकी वजह से आप यहां पर आए हैं, लोगों ने आपको मत दिए उसके बाद यह कहने का क्या अर्थ है कि कांग्रेस की सरकारें कहना नहीं मानती। कांग्रेस सरकार आपका कहना नहीं मानती तो वह आपको पूछ कर नहीं आई है, उनसे पूछा नहीं था। आपका घोषणा-पत्र है। अगर कांग्रेस सरकारें नहीं मानती हैं तो संविधान में ले आइये और हटा दीजिए

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों के सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बुनियादी सवाल उठाया है। मेरा खयाल है कि उनकी समझ के बाहर है मेरी तमाम बातें। अगर समझ में आती होतीं तो जिस प्रकार की दलीलें उठा रहे हैं वह नहीं उठाते।

श्री मूलचन्द डागा : This is the answer from the honble Minister, Sir,

यह इरर्लेवेंट है। यह क्या मंत्री महोदय का जवाब है ? This is Sarcasting.

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: इसमें दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया। हमको यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ राज्यों में आपके राज्य होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : तुम्हारा खुद का केलकुलेशन गलत हो गया। तुम्हे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सत्ता

(श्री मथुरादास माथुर)
में आ जाओगे। सपने में भी यह नहीं सोचा था कि यहां बैठ जाओगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हम यह सोचते थे कि दक्षिण भारत की जनता भी आप लोगों को स्वीकार नहीं करेगी, वह हमारा केलकुलेशन गलत हुआ। इसमें वास्तविक रूप में संवैधानिक ... है

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : सुनो भाई, इनको कहने दो, अकल की बात कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दूसरा प्रश्न यह है कि जो सेल्स टैक्स है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के मत लिए तो गैर जनता पार्टी सरकारें जितनी भी हैं उन्होंने इस बात के लिए हां नहीं भरी कि सेल्स टैक्स नहीं रहे। यह कठिनाई है और जेन्यूइन कठिनाई है। हम यह चाहते हैं कि आप जहां कहीं सत्ता में बैठे हुए हैं उन सरकारों से कह दें कि सेल्स टैक्स अबोलिश करने के हम हामीदार हैं, उसमें सहायक होना चाहते हैं। अगर आपका यह दृष्टिकोण नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि सदन में आप इसका विरोध करें।

श्री मथुरादास माथुर : हमारा दृष्टिकोण कहां था कि हम सेल्स टैक्स खतम करेंगे?

श्री मदनसिंह दांगा: आपकी पार्टी का सवाल नहीं है, जनता का सवाल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके इलेक्शन में मर्कुलिमव ने और आपके राजनारायण ने क्या किया है? आप पहले अपने घर की सम्भालो, मैं क्या एडवाइज दे रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह जो अधिकार देने की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जयकृष्णजी, माननीय माथुर साहब, पाली से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये हैं, इसके सम्बन्ध में दफा 10 है ओरीजिनल एक्ट की इसके सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें इतना ही है कि कम्पाउंडिंग की प्रकाशन एण्ड पनल्टी इम्पोजीशन का अधिकार दिया जा रहा है। जब यह कानून बना था तब कुछ क्षेत्रों में, कुछ शहरों में सिनेमाज वगैरह बने हुए थे। जो सिटीज थे उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए इसको काफी मान लिया गया था। आप मानेंगे कि पाली जैसी जगह, जहां डागा साहब जैसे आदमी रहते हैं, सिनेमा चलने लग गया, यह उम्मीद नहीं थी...

श्री माणकलाल ठाकोर : ऑन ए पोइन्ट आफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय डागा साहब स्वयं एक मनोरंजन हैं, क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय इनके ऊपर एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट टैक्स लगायेंगे।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण पालीवाल : ये सिनेमा देखते नहीं हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: इस दफा

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
10 को इफेक्टिव बनाने के लिए असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर को पावर दे रहे हैं। यह इन्नोसेंट और इनवोकेशन लेजिस्लेशन है। माननीय माथुर साहब, अभी गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही है मैं विनम्र निवदन करूंगा कि इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, क्या आप अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Sorry Sir, मेरे से गलती हो गई। माननीय डागाजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : वापस ले लो, वात रह जायेगी। प्रस्ताव तो गिरने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले माननीय डागा साहब का जो संशोधन है जनमत जानने का उसको.... ।

श्री मदनसिंह दांता : टर्न डाउन तो यह होगा, आप पब्लिक ओपिनियन नहीं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय डागाजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

अब विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव रखूंगा।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने विधयक को विचारार्थ लेने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब खंडशः विचार होगा। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रभारी मंत्री महोदय पारित करने के लिए प्रस्ताव पेश करें।

विधेयक का पारण

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को रद्द किया जाए। इसके पीछे दलील यह है कि यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं की आमदनी का जरिया था, राजस्थान सरकार ने इसको इस आधार पर और शर्त पर लिया था कि टैक्स वसूल करने के बाद, टैक्स के रियलाइजेशन के बाद जो वसूली में खर्चा होगा वह काट कर के सारे के सारे टैक्स की आमदनी नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को दे दी जाएगी। लेकिन राजस्थान सरकार वह पैटर्न जो, शुरुआत में निर्धारित किया

(श्री रामनारायण चौधरी)

था, रखा। बड़ी भारी ग्रामदनी इस टक्स के जरिए हो रही है, जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और आज नगरपालिकाओं की आमदनी के तमाम जरिए कुंठित हो गये हैं। यही एक बड़ी आमदनी का जरिया था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, गगानगर बीकानेर ये बड़े शहर हैं। जयपर के एन्टरटेनमेन्ट की आमदनी जयपुर नगरपालिका को ट्रान्स-फर कर दी जाए तो जयपुर नगर परिषद को राजस्थान सरकार से किसी प्रकार से असस्टिन्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं इस आधार पर इसका विरोध कर रहा हूं कि यह जो आमदनी हो रही है इससे नगरपलिकाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए यह आमदनी खर्चा काट कर के उनको लौटावें। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको रद्द किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध इस आधार पर करता हूं कि किसी भी वेलफेयर स्टेट की यह ड्यूटी है कि वह गरीब जनता को सस्ता, सुलभ मनोरंजन मुहैय्या करे। आपने गरीबों के लिए अन्त्योदय की योजना बनायी। जिसकी गरीबी को दूर करना है उस गरीब को सस्ता और अच्छा मनोरंजन देने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। कांग्रेस शासन से 35 पर्सेन्ट आफ दी टिकिट टैक्स लगा दिया। आप भी वही कर रहे हैं। आज एक गरीब एक रुपये का टिकट लेता है तो उस पर उसको 35 पैसे का टैक्स देना पड़ता है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम आप चला रहे हैं। इस पर करोड़ों रु. खर्च कर रहे हैं तो आज एक गरीब शहरी निवासी, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एन्टरटेनमेंट का साधन सिनेमा ही है। उस पर आपने टैक्स इम्पोज कर दिया है 35 पै.। यह ज्यादा है। लो क्लास पर यह टैक्स समाप्त होना चाहिए। मन्त्री महोदय, आप इस बात पर हंसेंगे परन्तु मेरा निवेदन है कि आप परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता को सस्ता और अच्छा, संस्कृति पूर्ण मनोरंजन देने की व्यवस्था करें वरना नेचूरल एन्टरटेनमेन्ट के जरिए अपना सन्तोष करेगा और आपका परिवार नियो-जन का कार्यक्रम असफल होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक बात है। एक गरीब मजदूर जब शाम को अपने घर आता है......

श्री रतन लाल वर्मा : इसका माननीय सदस्य का क्या अनुभव है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब कोई गरीब मजदर शाम को घर आता है तो वह सीधा होटल नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर भी चालीस पैसे में चाय का कप मिलता है। सिनेमा घर में नहीं जा सकता है क्योंकि उसको 35 पैसे का टैक्स देना पड़ता है। अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति सिनेमा में जाए तो कम से कम एक दिन में उसके बीस रुपये खर्च हो जाते हैं बीस में से चार रुपया टैक्स का चला जाता है। शराबबंदी से गरीब लोगों को फायदा हुआ है। अगर परिवार नियोजनो के कार्यक्रम को आपको सफल बनाना है तो उनको एन्टरटेनमेन्ट सस्ता देने की

Page No 110

(109)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। यह सरकार का नैतिक दायित्व भी है। सरकार को इसके लिए सस्ते सिनेमा हॉल की स्थापना करनी चाहिए। अच्छी फिल्मों के निर्माण में सहायता देनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपनी इस गूंगी, बहरी सरकार को नीति संबंधी एडवाइज दे रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो गरीब जनता है वह लोएस्ट क्लास में सिनेमा देखने जाती है चाहे वह जयपुर शहर हो, बीकानेर शहर हो, ये लोग इन्कम टैक्स पे नहीं करते हैं। आम तौर पर लोएस्ट क्लास के टिकिट वे ही लोग खरीदते हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस क्लास पर से एन्टरटेनमेंट टैक्स माफ कर दें। मुझे याद है मंत्री महोदय ने एक बयान दिया था, एक रुपय के टिकिट पर टैक्स माफ कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री महोदय ने यह बयान दिया था कि एक रुपये के टिकिट पर हम टैक्स माफ कर देंगे। शायद वे उस समय अच्छे मूड में होंगे। लोगों से उन्होंने तालियां पिटवा लीं। परन्तु अभी तक यह टैक्स चला आ रहा है। इस प्रकार जनता का विश्वास जनता पार्टी से टूट रहा है। चिकमगलूर में आपकी यह हालत हुई आप वहां पर मीटिंग नहीं कर सके। उसी प्रकार लोग आपको पत्थर मारेंगे। आज ऐसी स्थिति है कि आप बीकानेर शहर को गंदा पानी दे रहे हैं। सत्यं शिवं सुन्दरम् जैसे नग्न शरीर की फिल्में लोगों को दिखाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आप 35 प्रतिशत टैक्स वसूल कर रहे हैं। इसलिए सरकार का यह दायित्व है कि वह जनता को आर्टिस्टिक फिल्में सस्ती दर पर मुहैय्या करें ताकि जनता का मनोरंजन हो। वरना यह आपकी वायदा खिलाफी है। दूसरे आप सी०टी०ओ०के अधिकार अधीनस्थ अधिकारी को दे रहे हैं। जनता पार्टी की, उनके मंत्रि-मण्डल की जो मनोवृत्ति दिखाई दे रही है, वह यह है कि उसके 90 प्रतिशत मंत्रियों के ग्रिप में डिपार्टमेन्ट नहीं है। इन मंत्रियों ने अपनी ड्यूटीज अपने अधिकारियों पर छोड़ दी हैं। मंत्री लोग खुद अपनी ड्यूटीज नहीं दे रहे हैं, वे साईनिंग मशीन बने हुए हैं, उनके दिमाग में यह अति आवश्यक है कि सी०टी०ओ० की ड्यूटीज ए०सी०टी०ओ० करें और ए० सी० टी० ओज० की ड्यूटीज चपरासी करें। यह जो मनोवृत्ति है यह मंत्रिमण्डल से शुरू हुई है। आज सारे के सारे मंत्री आई०ए०एस०, सेक्रेटरीज के गुलाम हैं। आज 99 प्रतिशत फाइलों पर मंत्री आई०ए०एस ऑफिसर की नोटिंग पर साइन करते हैं। एक परसेंन्ट केसेज में जहां पर राय डिफर करते हैं वह पालिटिकल दबाव से करते हैं। यह तो आपकी सरकार का शीशा है। आप खुश हो रहे हैं। मैं सही बात कह रहा हूं। इससे मुझे डर नहीं लगता, आप जनता का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करें, वरना आज जनता का प्रजातांत्रिक प्रणाली से विश्वास हटता जा रहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इंदिरा गांधी को कोसते हैं, तानाशाह। वही आपकी छाती पर बैठ कर शासन करेंगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जिन आधारों पर इस विधेयक का विरोध किया है उनके सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आस्था आपकी और आपकी सरकार की स्वायत्त शासन सस्थाओं में थी उससे कहीं अधिक आस्था हमारी है । आप चवन्नी प्रति व्यक्ति ग्राम पंचायतों पर खर्चा करते थे हमने सब्सटेंशियल दिया है ढाई रुपये । इसके अलावा हम लोगों ने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये हैं 5 हजार रुपये तक के कार्य प्रारंभ करने के । आपने पहले उसको पंगु बना दिया था । 13–13 साल तक....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने उनको डुबो दिया । हर जगह प्रशासक......

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार का भी प्रशासक बना दें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नगरपालिकाओं के चुनाव जिस समय करवाये स्वायत्त शासन मंत्री ने उस समय हम लोग जेल में पड़े हुए थे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तकलीफ क्यों होती है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विरोधी दल के नेता को इस बात पर शर्म आनी चाहिये, लज्जा आनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : हमने तो बहुत मजे किये हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिस महिला ने आपको जेल में रखा आपने उसकी निन्दा की है । आपमें हिम्मत......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इनको बुद्धि का अजीर्ण हो गया है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बात तो सुन लें ।

1957 में जिस समय कानून पास हुआ उस समय आपका शासन था और 1957 के बाद 1977, 20 साल तक आपका शासन चला । जो राशि 20 साल में आपने दी वह राशि जनता सरकार अब भी दे रही है ।

श्री रामनारायण चौधरी : ज्यादा करिये उसको ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ज्यादा करने के आपके सुझाव पर हम गंभीरता से विचार करेंगे । आप कम से कम ये पाठ पढ़ाना हमको बन्द करिये । श्री गुप्ताजी ने कहा कि एंटरटेनमेन्ट टैक्स एक रुपये से अधिक पर लगे क्योंकि ललित किशोरजी ने कह दिया कि एक रुपये तक माफ कर देंगे । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई घोषणा हुई है । निश्चित रूप से सरकार टैक्सेज के मामले में अपने स्तर पर निर्णय लेगी । अभी घोषणा का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । आपने यह भी फर्माया कि मनोरंजन कर माफ किया जाय, इससे परिवार कल्याण होगा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा नहीं, गरीब लोगों का होगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं समझ गया । आपका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं है, आपको मालूम नहीं है ।

Page No 112

(VI)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ये मेरे साथ जेल में रहे हैं। आपको मालूम नहीं है।

श्री मदन सिंह दौता : जेल में यही काम कर रहे थे आप दोनों।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हम त्यागी हैं, त्याग कर रहे थे।

गुप्ता जी हर भाषण में जनता पार्टी को पाठ पढाते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता था। आप पोलिटिकल मामले उठाते हैं तो......

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें तो मैं आज ही सदन छोड़ने को तैयार हूं। आप आज ही मेरे साथ चलिये। है क्या आपमें हिम्मत ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के साथ आज भी हूं कल भी था और आगे भी रहूंगा। आपने जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र को छोड़ दिया इसलिये आप त्याग-पत्र दो। मंत्री महोदय, आप त्याग-पत्र दें। आपने जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार। माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय प्रस्ताव

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया जाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधान सभा की बैठक का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

विधान सभा की बैठक का समय 7-00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय गृह मंत्रीजी ने कानून और व्यवस्था पर विचार के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि आप बोलें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं। बहुत से सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेने के लिये पहले से ही निवेदन किया है और बहुत से सदस्यों की दल के माध्यम से एक लम्बी सूची भी दी गई है कि वे पहले बोलना चाहेंगे। मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा कि चर्चा में 10 मिनट से अधिक न लें। जितने माननीय सदस्यों ने स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं और जिन्होंने चर्चा में भाग लेने की अनुमति चाही है उनको दृष्टि में रखते हुए मैं ऐसा क्रम रखूंगा कि विरोधी पक्ष से एक और सत्ता पक्ष से दो सदस्य बोलें- जितने बोलने वाले हैं सत्ता पक्ष से वे इस क्रम में बोले। मैं पहले विरोधी पक्ष के श्री डागा जी से इस चर्चा को आरंभ करने के लिये कहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। यह मैं कहना नहीं चाहता मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य माननीय आदित्येन्द्र ने अपने 24 सितम्बर के वक्तव्य में कहा है कि गांवों में हरिजनों पर बड़ी जातियों के लोग घोर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। वर्तमान जनता सरकार शांत बैठी है और अत्याचारों पर तेजी से कार्यवाही नहीं होती है। यह सरकार के माननीय वित्त मंत्रीजी, मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ मंत्रीजी ने भाषण दिया। हमारे आई.जी.पी. साहब ने टाइम्स आफ इंडिया के सम्वाददाता को वक्तव्य दिया है। राजस्थान पत्रिका में 24-7-1978 को वह वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। उसमें कहा है, अपराधों में जयपुर राज्य में सबसे आगे रहा है। जहां पहले प्रति वर्ष अपराधों में सामान्यतः 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि होती थी वहां जुलाई, 77 से लेकर मार्च, 78 तक 35 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। उन्होंने यह बतलाया कि हत्या और अपराधों के मामले में पहले गंगानगर सबसे आगे था, आज जयपुर सबसे आगे रहने लग गया। समय कम है इसलिये सारे आंकड़े बता नहीं सकता। उन्होंने सारे आंकड़े दिये हैं और यह बतला दिया है कि यह सारी स्थिति क्यों बिगड़ने लग गई है? उन्होंने टाइम्स आफ इंडिया को स्टेटमेन्ट दिया है कि हमारे पास पुलिस आदि नहीं है। यह स्टेटमेन्ट देने के बाद श्री धनिकलाल वर्मा, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने अपने भाषण में यह साफ कह दिया है कि राजस्थान की हालत खराब है। संसद में यह भाषण दिया और संसद में यह बताया कि राजस्थान के अन्दर यह अत्याचार हुए हैं। यह धनिकलाल वर्मा ने . . .

एक माननीय सदस्य : धनिकलाल वर्मा नहीं मंडल हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्षमा मांगता हूं। आपने मुझे सुधार दिया। मैं आपका आभारी हूं। यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। यह राजनैतिक दृष्टि का प्रश्न नहीं है किन्तु मैं इसको राजनैतिक दृष्टि से देखना चाहता हूं। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी क्यों है, मैं इसके कारणों को जानना चाहता हूं। कानून व व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी, जिनके लिए मैं कभी कभी कहता हूं कि He is a strong propagandist कभी इस बात को कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने एक बात कह दी हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 800 कैदियों, अपराधियों को छोड़ दिया। मैं नहीं कहता। अगर कोई साधारण आदमी हाई कोर्ट के

(श्री मूलचन्द डागा)

खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास करता है तो उसके खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकद्दमा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने जुडिशियरी को ब्लेम कर दिया।

दूसरी बात उन्होंने कह दी कि गवर्नमेंट सिविल प्रोसीजर कोड में यह अमेंडमेंट कर रही है कि धारा 107 में जमानत लेना शुरू कर दें। हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और सलेक्ट कमेटी में भेज दिया। जब यह पूछा कि 110 और 109 में कितने चालान किये हैं तो वह चुप हो गये। फिर मालूम हुआ कि आई० जी० पी० साहब ने कह दिया कि आप मेहरबानी करके नफरी बढ़ायें क्योंकि पापुलेशन बढ़ रही है। पापुलेशन जितनी बढ़ गई है उसके बराबर हमारी नफरी बढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आई० जी० पी० को पुलिस कमिश्नर कर दें। मैंने तो यह नहीं कहा था, पर यह बात कही गई। मान लें, जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस ज्यादा बढ़े लेकिन आज पुलिस की चौकियां खाली पड़ी हैं पर भैरोंसिहजी के यहां सिविल लाइन्स में पुलिस लगती है और पुलिस एम०एल०एज० क्वार्टर्स पर लगती है। वहां चार पुलिस मैन लगने चाहिएं। शायद यहां भी लगती हो। भैरोंसिहजी के यहां तो लगनी चाहिए क्योंकि वे राज्य के मुख्य मंत्री हैं। वे जहां भी जायें वहां पुलिस न जाय तो क्या बात हुई? यह आपत्तिजनक होने का सवाल ही नहीं है। आई. जी. पी. के घर पर 5 कान्स्टेबल्स काम करते हैं, कोई दाढ़ी बनाता है, कोई क्या करता है। यह हमारे कहने की बात नहीं है। यह उनके देखने की बात है। इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा खर्चा 58 पर्सेन्ट बढ़ गया है। राजस्थान का देखें तो 28 पर्सेन्ट बढ़ गया है। मैंने कहा कि और बढ़ना चाहिए। पुलिस वालों की जितनी संख्या बढ़ जाय उतना ही अच्छा है। हमें कोई गिला नहीं है।

पुलिस की तारीफ में कहते हैं अखबार वाले। उसका मैं पुलिन्दा लाया हूं। वह तारीख वाइज पेश करूंगा। यह सारी तारीफों का पुलिन्दा है अखबारों का। फिर भी पुलिस की गरदन नीचे नहीं होती है। अखबार वाले रोज तारीफ करते हैं। नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत सब तरह की उठाकर खबरें देते हैं। खेतड़ी का ही किस्सा है वहां क्या क्या नहीं किया। खेतड़ी काण्ड का सवाल उठाया तो यहां मुख्य मंत्री गरजे कि हमने निजी तौर पर दौरा किया है इन्सपेक्शन किया है। मुख्य मंत्री ने बड़ी हिम्मत के साथ कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान के एडिटर हैं कुलदीप नैयर उन्होंने एक बात लिखी—

"One of the artists was manhandled and her blouse were torn. Other artists came to her rescue and the organiser escorted them to safety."

किसी की चोली और किसी का ब्लाउज फाड़ दिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस वाले जानें। यह तारीफ की बात है कि यहां का आदमी मुंह नहीं खोलता है, वह प्रेस के सामने मुंह नहीं खोलता है। हिन्दुस्तान के एडिटर ने यह कह दिया— "In the confusion there were attempts to snatch earrings or other pieces of jewellery from the women in the audience. There were other attempts to strip women of their blouses or chollis."

(श्री मूलचन्द डागा)
उसने यह बयान दे दिया तो इन्होंने क्या किया कि उस पर मुकद्दमा चला दिया। जिन अखबारों ने खेतड़ी काण्ड को छापा, छोटे अखबारों ने समाचार छापा, उनको भी बन्द कर दिया। वह हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उस ऑर्डर का। यह सरकार अपने अपराधों को छिपाना चाहती है। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान के कोने कोने में खराब हुई है उसको यह सरकार छिपाना चाहती है। हमको भी कहने का अधिकार है। जनता पार्टी की सतर्कता के बारे में अखबार ही कह रहे हैं, अपने को कहने की जरूरत नहीं है। यह तो मानेंगे कि 35 पर्सेन्ट लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है। यह हम नहीं कहते हैं, यह आपके डाक्युमेंट्स में हैं। आपने सोचा था कि आपका स्टेटमेंट आ गया तो अखबार वाले चुप हो जायेंगे। लेकिन ब्लिट्ज ने स्टेटमेंट दे दिया तो मुख्य मंत्रीजी चुप हो गये। इन्होंने चार्जशीट देने की कोशिश की हिन्दुस्तान अखबार वाले को क्योंकि उस बेचारे ने खेतड़ी काण्ड को छाप दिया। मुख्य मंत्री भागे भागे दिल्ली गये। दिल्ली में मंत्रियों को कान्फ्रेंस हुई। मोरारजी भाई ने खुद ने यह कहा कि देश की हालत बिगड़ गई है। प्रधान मंत्री ने कहा कि हम यों कर रहे हैं, हम यों कर रहे हैं। तो मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बात नहीं है, प्रधान मंत्री। यह सारा राजनैतिक दृष्टि से है। उन्होंने कह दिया कि सीलिंग लॉ कब तक लाओगे ? जब तक सीलिंग लॉ लागू नहीं करोगे, भूख को राज्य से खतम नहीं करोगे तब तक अपराधों की वृद्धि होगी। अपराध वृद्धि को रोकने में, श्रीमान आई.जी.पी. के स्टेटमेंट से क्या कुछ हो सकता है, गृह मंत्री के स्टेटमेंट से क्या होगा, मैरोंसिहजी के गरजने से क्या होगा, और पुलिस की वृद्धि से भी क्या होगा ? सवाल तो यह है कि अपने यहां सोशियो-इकानामिक जस्टिस होना चाहिए। हम सीलिंग लॉ लायें, फोर्स्ड लेबर यानी अनुबन्धक मजदूरों को छोड़ें। प्रधान मंत्री ने कह दिया कि सोशियो-इकोनामिक कन्डीशन्स को सुधारें। हमारे राजस्व मंत्रीजी श्री राम मनोहर लोहिया के फोलोअर हैं। राम मनोहर लोहिया में गरीबों की आत्मा बोलती थी, राम मनोहर लोहिया गरीबों के मसीहा थे, उनमें करुणा थी, उनका हृदय करुणा से ओत-प्रोत होता था। राजस्व मंत्री ने यहां पर भाषण दिया कि सीलिंग कानून में हम संशोधन लायेंगे। कब लाएंगे? पहले सैशन में लायेंगे। जमीन उसकी जो जोते। हमने कहा कि क्रान्ति की भावना अभी उनमें है। लेकिन 6 तारीख को देखा। 8 तारीख को देखा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है। अभी मैंने बात को छुआ ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमान, उन्होंने कह दिया, नहीं, नहीं, कानून नहीं ला सकता। अभी नहीं ला सकता अन्याय और शोषण के राज को खतम करने में विश्वास करते हैं तो अन्याय और शोषण का राज तभी खतम हो सकता है जब सोशियो इकानामिक कन्डीशन में सुधार हो। यह पुलिस और कानून किसके लिए है। यह सारी पुलिस और कानून गरीबों के लिए नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस और कानून धनवानों के लिए है। पुलिस धनवानों के धन की रक्षा करे। मंत्रियों

(श्री मूलचन्द डागा)

के पहरे दे। हमारा स्वागत करे। एम. एल. ए० क्वार्टर पर रहे। May I help you. लोहियाजी का कहना था कि सोशियो इकानोमिक कन्डीशन्स में जब तक सुधार नहीं ला सकते तब तक जस्टिस नहीं ला सकते हैं। फिर आये भंवरलाल शर्मा। उन्होंने कहा, 5 लाख की अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगायेंगे ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले जो बोलते हैं, वह चाहे जब तक बोलते रहते हैं। अब साधारण सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप यह कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री डागाजी।

श्री रतनलाल वर्मा : डागाजी के साथ रियायत की तो सभी नकटाई करेंगे। सभी जिद करेंगे। सब के सब माननीय सदस्य हैं, वही की वही हालत करेंगे। तीन बजेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने यह कह दिया कि हम अब सीलिंग लागू करना चाहते हैं। विषमता को मिटाना चाहते हैं। पुलिस का क्या काम है? जो क्रान्ति लाना चाहते हैं, उनको पुलिस के डण्डे के बल पर सरकार कुचलना चाहती है। क्रान्ति लाने नहीं दी जाती है। क्रांतिकारी कुचला जाता है डण्डे से आपने कहा जब जनता पार्टी की सरकार आयेगी तो कानून और व्यवस्था हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक स्टेटमेंट दे दिया कि उन सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी जिन्होंने इमर्जेन्सी में ज्यादतियां की थीं। उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह भाषण दिया था। बड़ा भारी भाषण दिया था। कहीं गये तो लोगों ने कहा जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। इमर्जेन्सी मे एक्सेसेज के लिये इन्दिरा जी को बुरा कहा। आयोगों का गठन किया। बेरी आयोग का गठन हो गया है। कहा हम एक्शन लेंगे।

"Unfortunately the politicians of the ruling group who held out assurances and promises during the last general elections to undo these excesses and punish the guilty among the bureaucrats, have become complacent now. In such a state of affairs nothing tangible is expected at the Government level."

किन किन ज्यादतियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, यह पूछा जाये तो माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्रीजी अधूरे से जवाब दे देंगे। भ्रष्टाचार समाज का विकार है। यह रहेगा तो देश मे अन्याय रहेगा, अशांति रहेगी। ज्यादतियां करने वालों के ऊपर ये क्या कार्यवाही करेंगे। क्या कार्यवाही इन्होंने की है। हाई कोर्ट में इन्होंने यह कहा है जो सरकारी वकील नहीं है जो भैरोंसिहजी का मुकदमा लड़ते हैं उनको सरकारी वकील बना देते हैं। यह सामन्तवादी और पूंजीपतियों के समर्थक हैं। भ्रष्टाचार पैदा करने वाले हैं। जिस देश में भ्रष्टाचार है, अन्याय और शोषण है

(श्री मूलचन्द डागा)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उस देश में कभी भी शांति नहीं हो सकती है। छात्र आन्दोलन करते हैं, उन्हें डण्डे से दवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका हुक्म मान लेता हूं।

अभी एक किताब निकली है । Studies in Law, Jaipur India उसमें कहा है–

"Drawing independent India, to be a welfare State, the framers of the Indian Constitution had in mind the measures to fight the first five giants; ignorance, poverty, unemployment, disease and squalor so as to achieve socio-economic justice."

कहते हैं, भ्रष्टाचार कांग्रेस राज्य के समय का है उसको बाहर निकाल देंगे। आपके एस. पी. हैं, रिटायर्ड हैं। उनके पास कितना पैसा है ? एक गरीब पुलिस वाले को खड़ा कर दिया। 18 घन्टे ड्यूटी ले ली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, बिराजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : यह कितने दिन रहेगा । "May I help you."

लोग कहते हैं यह हमारे सेवक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार ।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 15-20 रोज पहले एक प्रस्ताव रखा था। आपने हमको रोका। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, शायद ही मेरे जीवन में आज तक लॉ एण्ड आर्डर के बारे में केवल पुलिस के सम्बन्ध में मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवश्य अवसर दूंगा। मैंने पहले निवेदन किया है, एक माननीय सदस्य को इधर से बोलना है और दो माननीय सदस्य को इधर से।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई डकैतियां पड़ीं। कितने ही अपहरण हुए। इन सभी छोटी-छोटी बातों को बोलने के लिए मैं विरोधी दल के नेता माननीय रामनारायण चौधरी पर छोड़ता हूं। इन छोटी-छोटी बातों पर वो बोलेंगे। इन पर मैं ही बोल दूं तो उनके लिए क्या छोड़ूंगा। श्रीमन्, मैं एक नई दिशा देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत भारी दिक्कत यह हो गई है कि कांग्रेस राज के जमाने से जो दमनबाजी आ रही थी थी उसको जाने अनजाने हमने स्वीकार कर लिया है। श्रीमन्, कानून और व्यवस्था बनाये रखनी थी इसके लिए एस. पी. और कलेक्टर बैठे हैं। यह देखना उनका काम है कि कानून और व्यवस्था का काम कैसे होता है। लेकिन ऐसी परिपाटी हो गई है 30 साल के अंदर कि राजनैतिक दखलअंदाजी छोटी-छोटी बातों में हो रही है जिससे एस. पी. व कलेक्टर का मनोबल इतना कमजोर कर दिया गया है कि वे अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हर बात के लिए मंत्री, होम कमिश्नर, आई. जी. की तरफ देखते हैं। इसलिए अगर वास्तव में कानून व व्यवस्था

(श्री सुरेश कुमार)
की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो हमें राजनैतिक दखलअंदाजी, चाहे मंत्री की तरफ से हो, चाहे विधायक की तरफ से हो, से बचना होगा। इसके बावजूद कोई एस. पी. या कलेक्टर अगर अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सके तो उसको बरखास्त कर देना चाहिए लेकिन राजनैतिक दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए।

श्रीमन्, एस. एच. ओ. सारे कानून व व्यवस्था की धुरी है। अगर यह धुरी ठीक है तो कानून व व्यवस्था ठीक चलेगी नहीं तो ठीक नहीं चलेगी। इसलिए इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि एस. एच. ओ. के पद में कैसे सुधार लाया जाय, कहां कहां निगरानी रखी जाए। उसका छः महीने में साल भर में ट्रांसफर किया जाता है। साल छः महीने में तो वह अपने इलाके में अपराधों को कम करने के तरीके से परिचित होता है। मैं मांग करता हूं गृह मंत्री व राज्य सरकार से कि अगर कानून व व्यवस्था आपको ठीक चलानी है तो एस. एच. ओ. का तबादला तीन साल से पहले न किया जाए। विशेष परिस्थितियों में दूसरी बात हो सकती है, उसकी खराबी की बात दूसरी हो सकती है..

श्री रघुनाथ विश्नोई : खराबी है तो सस्पेंड करो।

श्री सुरेश कुमार : नौकरी से बरखास्त करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह भरतपुर का राज थोड़ा ही है।

श्री सुरेश कुमार : श्रीमन्, प्रॉसीक्यूशन के मामले में पी.पी. व ए. पी. पी. वाली बात ठीक नहीं है। इसकी जगह हर अदालत के साथ बार कौंसिल के तीन मेम्बर्स का प्रेक्टिसिंग लायर्स का पैनल बनाया जाए। एस. पी. को आजादी हो कि तीन में से जिस व्यक्ति को वह अच्छा समझे उसको चुने। दृष्टांत के तौर पर इंग्लैंड में व्यवस्था है, पुलिस को वहां आजादी है कि वह अपना वकील करे। आम तौर पर देखा गया है कि पुलिस द्वारा किए गए चालान असफल होते हैं क्योंकि तफतीश करता है हैड कान्सटेबल। कम पढ़ा-लिखा वह हो सकता है। पी.पी. करता है प्रॉसीक्यूशन और बचाव पक्ष का एक अच्छा वकील, जो पी. पी. से कई गुना अधिक कमाने वाला है, बचाव पक्ष की तरफ से आता है। जज होता है आर.जे.एस. देश का दुर्भाग्य है कि तीनों पढ़े-लिखे, बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले आदमी, आर. जे. एस. अधिकारी उस अनपढ़ हैड कान्सटेबल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। देश का भला तब होगा जब तफतीश करने वाले को अच्छी तनख्वाह मिलेगी। कम से कम सब के इन्सपेक्टर का अधिकारी तफतीश करे। कुछ कानून ऐसे हैं कि लकीर के फकीर होते चले जाते हैं। हेबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट और गुंडा एक्ट हैं, मैं सदन से पूछना चाहता हूं ईमानदारी से बतायें कि जनता राज्य में इन दो कानूनों से अपराध वृति को रोकने में कितनी मदद मिली? इसमें प्रावधान है कि 5 साल में तीन बार सजा हो जाए तब उस पर आरोप लगता है। इसलिये कानून व व्यवस्था में शिथिलता है। 5 साल के अंदर तीन कन्विक्शन्स हो जाएं, यह कभी नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि इन एक्ट्स पर विचार किया जाए और इन को प्रभावशाली बनाया जाए ताकि इनमें सुधार हो और लाभ मिल सके।

(श्री सुरेश कुमार)

श्रीमन्, पाली से आने वाले माननीय सदस्य डागा साहब ने कहा, जुर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं कहता हूं कि स्टेटिस्टिक्स के आधार पर यह बात नहीं आंकनी चाहिए कि अपराध बढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि थाने पर आए हुए आदमी की छोटी से छोटी शिकायत को भी दर्ज किया जाए, उसके आधार पर सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। एक बड़ी अजीब बात है कि 5 पैसे चले जायं तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। मानव की प्रतिष्ठा इस कानून में इतनी कम की गई है कि थप्पड़ मारा जाए तो नान-काग्नीजेबल आफेंस होता है। सदन का कोई माननीय सदस्य बता सकता है कि थप्पड़ एकदम किसी को मारा जा सकता है। जब गुंडा हाथ उठाएगा तो सबसे पहले गर्दन पकड़ेगा, फिर हाथ पकड़ेगा और फिर थप्पड़ देगा। आम तौर पर 323 व 504 दफा लेकर पुलिस अपना पीछा छुड़ा लेती है। बहुत गलत तरीका है। इसके साथ 348 भी जोड़ी जाए। एक आदमी, जो आज बच गया, कल चाकू और छुरा चलायेगा। इस कारण अपराध वृत्ति बढ़ती चली जाती है। इस पर विचार होना चाहिए। गृह मंत्री को हिदायत करनी चाहिये कि 323 व 504 के साथ 348 भी जोड़ी जाए।

यहां आधे घंटे की चर्चा चली थी तो गृह मंत्री ने थानेदार के बारे में कहा। हम वर्षों से रोते आए हैं कि पुलिस के पास साधन नहीं है इसलिए बहुत से अपराध बिना डिटेक्ट किए रह जाते हैं। हर थाने को जीप दें। अगर यह संभव नहीं है तो दो दो मोटर साइकिल दें ताकि चार कान्सटेबल उस पर बैठ कर चले जायं। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो थाने वालों को अलाउंस दिया जाए। इससे घटना-स्थल पर पहुंचने में और अपराधी का पीछा करने में सुगमता होगी।

श्रीमन्, जहां कानून व व्यवस्था खटकती है वह है ट्रैफिक के मामले में। तीन बातें बहुत आवश्यक हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। आज कल साइंस का जमाना है। सिगनल लगे हुए हैं लेकिन पूरी शिक्षा नहीं है। अगर वह खराब हो जाए तो जल्दी से ठीक करने की ट्रेनिंग नहीं है। ट्रैफिक वालों को शिक्षा नहीं दी गई है। एक दिन गृह मंत्री मुझे मोटर में लेकर आए। मैं बताऊं कि ट्रैफिक के जो पाइन्ट्स बने हुए हैं, उन पर खड़े हो कर वे किस प्रकार काम करते हैं। कोई इस तरह खड़ा है जैसे दोस्त के कंधे पर हाथ रख कर खड़ा है। उनको शिक्षा नहीं है कि कैसे ट्रैफिक पाइंट्स पर खड़ा होना चाहिए। हमारा यह दुर्भाग्य है कि जो चीज पहले होनी चाहिए वह पीछे होती है और जो चीज पीछे होनी चाहिए वह पहले होती है। एनफोर्समेंट बाद में और इंजीनियरिंग व एजुकेशन पहले होनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है एन्फोर्समेंट पहले होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वालों को शिक्षा दी जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कि पी. डब्ल्यू. डी. के लोगों के साथ मिलकर किस तरह से यातायात का प्रबंध करना है उसके बाद एन्फोर्समेंट करें तो अच्छा है।

श्रीमन्, मामूली सा मेला हो तो जल्दी पुलिस चौकी कायम हो जाती है लेकिन सिनेमाओं पर रोजाना 6–7 हजार आदमी सुबह से लेकर शाम तक आते हैं वहां गुंडागर्दी होती है। जो गुंडागर्दी का एरिया है, उस तरफ गृह मंत्रालय और सरकार का

(श्री सुरेशकुमार)
ध्यान नहीं गया। मैं चाहता हूं कि सिनेमाओं पर चौकियां कायम हों, हैड कान्सटेबल व कान्सटेबल तैनात किए जायं। बहुत-सी चौकियां ऐसी जगह हैं जहा उनका कोई उपयोग नहीं है, वहां बैठे हुए हैड कान्सटेबल व कान्सटेबल गरीब लोगों से बेगार लेते हैं और चंदा वसूल करते हैं।

इन बातों की ओर ध्यान दिला कर मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री इन सब पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज न कानून है और न व्यवस्था है। इतनी खराब व्यवस्था चल रही है कि खून सस्ता है, मनुष्य सस्ता है। गुंडागर्दी खूब जमकर हो रही है। श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बस पर जब सशस्त्र हमला हुआ उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, संध्या का समय था, बस जा रही थी। पूरी बस भरी हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाम को 7 बजे योजनाबद्ध तरीके से लाठी, भाले, चाकू और रिवाल्वर से लेस होकर, बस में चढ़ कर और ड्राइवर को चाकू दिखा कर बस रुकवा कर, बस में सवारियों को रोक कर 7 आदमियों के ऊपर डाकुओं ने कातिलाना हमला किया। सारी बस खून से लथपथ हो गयी। ऊपर छत तक खून के फव्वारे चल रहे थे। एक आदमी की वहीं मौत हो गयी। इस घटना को हुए आज करीब 4 महीने हो गए लेकिन आज तक उसके प्रमुख अपराधी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस को बार-बार कहने के बावजूद उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गयी। इसकी वजह से सारी रामगंज-मंडी में भय का साम्राज्य छाया हुआ है। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के मंत्री श्री सम्पतरामजी पर है। पुलिस नाम का घोड़ा खतरनाक है। अगर इसकी सवारी नहीं कर सकते, इस पर जीन नहीं बांध सकते तो इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। इनके कारण से यह घटनायें लगातार बढ़ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा राजस्थान का एक महानगर है उसमें कोई भी आदमी रात को 9 से 12वाला सिनेमा शो देखने नहीं जा सकता। अगर जायेगा तो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वापस नहीं आ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। रात के समय कुछ गुंडों ने औरतों की चोलियां फाड़ दी, लड़कियों को निर्वस्त्र किया और लड़कियों के शरीर और छातियों से छेड़छानी की गयी फिर भी पुलिस मौन रही। मैं धिक्कारता हूं ऐसी पुलिस को और ऐसे प्रशासन को जिसके सामने हमारी मां बहिनों की लाज लुटती रहे और वह देखते रहें। यह तो जनता के उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, गोली चार्ज करेंगे जो कि अपनी न्यायोचित मांग के लिए कहेंगे और यह कहेंगे कि हमको हमारे अधिकार चाहिए। समझ में नहीं आता कि उस समय क्या हो जाता है? मैं आपको एक घटना और बताता हूं। पुलिस अधीक्षक पंवार विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय में घुस कर और घायल करके उनकी लाश को छोड़कर चला आया, पढ़ने वाले छात्रों को लाठियां मारी। प्रयोगशाला में जो छात्र प्रयोग कर रहे थे जिनके हाथों में अपरेटस थे उनको मारा और पीटा। वह एस. पी कहता है कि जब तक सम्पतरामजी मेरे साथ हैं तब तक कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता, जो मैं करूंगा वही होगा। उसने कोटा में इमर्जेन्सी घोषित कर दी कि कोटा में जुलूस

(श्री हरीश शर्मा)

नहीं निकलेगा। यह दूसरी इमर्जेन्सी थी और इन्दिरा गांधी की इमर्जेन्सी दूसरी थी। शर्म की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार चोरियों का तांता चल रहा है, उसके साथ ही स्थिति इतनी गम्भीर कि आज की पुलिस पूंजीपतियों के दलाल के रूप में काम कर रही है। मुझे दुःख है इस बात को कहते हुए कि कोटा के पूंजीपति वर्ग के हाथ में पुलिस कठपुतली की तरह खेल रही है। श्री सी. आर. दास, जो मैंनेजर हैं, और दूसरे उद्योगपति हैं उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उस उंगली को तोड़ने के लिए सारी कोटा की पुलिस खड़ी हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां के 80 प्रतिशत छात्रों की मांग को दबाने की कोशिश की गयी तो सारा हाड़ौती एक साथ लड़ने के लिए कटिबद्ध होगा और फिर उसको कोई नहीं दबा सकता। मैंने कहा था कि हमारे यहां डी. आई. जी. ऐसा भेजा जो कि ऑफिस में बैठ कर काम नहीं करे, मेज पर बैठ कर काम नहीं करे। ऐसा नहीं भेजा जो कि सड़कों पर और गांवों में जाये। इसका परिणाम यह हुआ कि शाहबाद जो कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां ऐसी घटना घटी। मैं उस समय वहां था जिस समय यह घटना हुई। वहां की जनता ने कहा था कि यहां असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे हैं। उनके पास बन्दूकें हैं और डकैतियां डाल रहे हैं लेकिन वहां का डी.एस.पी. श्री जगन मीणा वहां से नदारद था। रात को 2 बजे आकर शाहबाद में मीणों ने डाका डाला। उसमें चार आदमी घायल हुए। मैंने स्वयं ने उनको घायलावस्था में देखा। सारा शाहबाद खड़ा था। राजपुरा गांव, जो शाहबाद के पास था, में सूचना थी कि पुलिस सावधान हो जाये और हमारी रक्षा करे लेकिन रक्षा नहीं की गयी पुलिस के द्वारा। वहां पुलिस नहीं पहुंची और वहां दो आदमियों की हत्या हो गयी। उसका हर्जाना कौन देगा ? सरकार देगी। यह मदनलाल की लाश को लौटा सकते हैं या घर वालों की गोद भर सकते हैं ? आज कानून और व्यवस्था की खराब हालत के कारण जनता पार्टी कलंकित रूप से लोगों के सामने खड़ी हुई है। यही हमारे ऊपर आरोप है। आज जहां भी जाते हैं वहां चारों तरफ से यही आवाज आती है कि पुलिस गरीबों का खून चूस रही है उसको रोकिये। आज पुलिस थानों में हर आदमी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है जो कि सौ रुपया देता है, मेरी सलाह है कि जितने भी थानेदार हैं उनको होम गार्ड्स में भेजा जाये और नयी भर्ती की जाये। रामगंज मंडी का डी. एस.पी. मेरे आगाह करने के बावजूद सभी थानों से रिश्वत ले रहा है। जितने भी सट्टे वाले हैं, जितने भी जुए वाले हैं सबसे पैसे वसूल करता है। उसने वहां अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है। झालावाड़ कालेज में उसने लड़कों की पिटाई गुंडों से करवाई। जब छात्र संघ के चुनाव होने के बाद छात्र निकले तो वहां के चुनिन्दा लड़कों में से एक एक छात्र को गुंडे पीटते जा रहे थे। पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। गुंडे अब तक 21 छात्रों को पीट चुके हैं। वह डी.एस. पी. कहता है कि लड़के बदमाश हो गए हैं इसलिए उनको गुंडों से ठीक करवाया जा रहा है। छात्रों को गुंडों से पिटवाया जाये यह नहीं चल सकता।

अंता पंचायत समिति के गांव पचेरकलां के सरपंच ने एक बार रिपोर्ट दी कि यहां गुंडे

(श्री हरीश शर्मा)

हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। मेरे सामने एक नाथूलाल मीणा को सरेआम चौक में खड़ा करके पीटा गया। उसकी रिपोर्ट की लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दीवाली पर मेरे गांव में चोरी हुई। उसकी सूचना डी. एस. पी. को दी लेकिन आज तक चोरी का पता नहीं चला। पुलिस ने ढूंढ़ने की कोशिश नहीं की। हमारे घर चोरी हो और पुलिस प्रयास नहीं करे, मां वहिनों की इज्जत लूटी जाये फिर भी सरकार मौन रहे। और सरकार स्टेटमेंट दे कि कानून की व्यवस्था राज्य में ठीक है। तो ऐसी झूठी वात कहने वाले को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है जब पुलिस और जनता दो वर्ग खड़े हो जायेंगे और ऐसा भयंकर संग्राम चलेगा जिसको कि कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए तत्काल व्यवस्था की जाये।

मैं अंत में निवेदन करूंगा कि इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें अन्यथा हमारे दिलों में जो रोष है वह कम नहीं होगा।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करूंगा। यह मेरे जीवन का पहला मौका है जब मैं लॉं एण्ड ऑर्डर पर बोल रहा हूं इसलिये शायद कुछ त्रुटि हो सकती है। लॉं एण्ड ऑर्डर का रोंग कन्सेप्शन क्यों हो गया कि पुलिस के मुकदमें होते हैं जब लॉं एण्ड ऑर्डर बिगड़ता है। अगर राजा का राज्य होता तो मैं मानता कि पुलिस पर लॉं एण्ड ऑर्डर निर्भर है। आज जनतन्त्र है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि हम कानून बनाते हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस का एक हिस्सा है जिसमें गड़बड़ी हो सकती है लेकिन जनतन्त्र में लॉं एण्ड ऑर्डर is the concern of all. संविधान के तहत हमने लॉं एण्ड ऑर्डर कायम करने की सौगन्ध खाई थी। एक डिपार्टमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज या सब ने जिसमें हम असेम्बली वाले भी आ गये. मिल कर अगर कानून बनाया और वह नहीं चलता है तो इसका मतलब है, लॉं एण्ड ऑर्डर के विपरीत आचारण करते हैं। यह जरूर है कि आज लॉं एण्ड ऑर्डर देश का गिरता जा रहा है। लेकिन लॉं एण्ड ऑर्डर खतम हो जाता है देश में न तो हम होश में रहेंगे, न आपका कहना मानेंगे और हमारी मर्जी आये जैसा करेंगे। इसलिये लॉं एण्ड ऑर्डर को समझने की जरूरत है। लॉं एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है उतनी हमारे विधायकों की भी है और जितनी गवर्नमेन्ट की है उतनी ही जनता की भी है। लॉं एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की ज्यादा जिम्मेदारी 60 पर्सेन्ट जिम्मेदारी तो गवर्नमेन्ट की है और 40 प्रतिशत हम एम. एल. ए. और जनता की है। यह लॉं एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेज की भी है, हाई कोर्ट के जजेज की भी है और जो नीचे के कोर्ट हैं, उनकी भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी है। आपने कभी यह नहीं देखा होगा, कि थानेदार चोरी करने गया। माफ करना इतिहास में आपने नहीं पढ़ा होगा कि आई.

(श्री मदनसिंह दांता)

जी. दूसरे कपड़े पहन कर चोरी करने गये । फिर एस. डी. एम. फैसला देता है । जैसा फैसला वह देता है उससे लाठी चलती है । लॉ एण्ड ऑर्डर को गांवों में किसने बिगाड़ा है ? वह सब रेवेन्यू की वजह से हुआ है । हाई कोर्ट में भी जायेंगे तो भी रेवेन्यू की वजह से जायेंगे । आज रेवेन्यू का पटवारी चाहे जिसकी जमीन को चाहे जिसकी कर दे, हरिजन की जमीन है, उसको भी अलग कर दे । तो वह भी लॉ एण्ड ऑर्डर के लिये उतना ही जिम्मेदार है जितनी गवर्नमेंट । लॉ एण्ड ऑर्डर पार्टियों की वजह से भी बिगड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री को भी पत्र दिया है और गवर्नर महोदय को भी दिया है और कम्पलीट एग्जाम्पल के साथ दिया है । होम मिनिस्टर साहब को लॉ एण्ड ऑर्डर का पूरा सांगोपांग विवरण दिया है लेकिन वापस जवाब तक नहीं आया । मेरे पास प्रधान मंत्री के तीन-तीन लेटर्स हैं । दिल्ली में मुख्य मंत्रियों को बुलाया मगर लॉ एण्ड ऑर्डर की बात नहीं हुई । लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में केवल नाथूरामजी ने एक चिट्ठी लिखी है । उन्होंने लिखा है कि आप सही कहते हैं, जन जागरण पार्टी सही कहती है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था में एक एक आदमी का हिस्सा है एक एक आदमी का कर्तव्य है मगर आपकी पार्टी में नहीं बैठूंगा ।

मथुरादासजी को पत्र दिया, व्यासजी को भी पत्र दिया । लॉ एण्ड ऑर्डर की अलग अलग पार्टी की मांग है । मैं कहता हूं, पार्टियों की एक सुप्रीम पावर कीकमेटी बनाई जाय जिसमें सब पार्टियों के नुमाइन्दे हों । वह डिसीजन ले कि लॉ एण्ड ऑर्डर किससे बिगड़ता है । केटेगरीवाइज हमने, जन जागरण पार्टी ने 35 तरह की योजनाएं लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में दी हैं । 35 तरह की योजनायें बनाई जाय तो लॉ एण्ड ऑर्डर किसी भी डिपार्टमेंट से बिगड़े, उसकी समुचित व्यवस्था की जा सकती है । माफ करना, जन जागरण पार्टी का अध्यक्ष स्पष्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी लॉ एन्ड आर्डर की व्यवस्था होती है तो पार्टी कहेगी कि अवश्य होती है । इसलिये जिम्मेदारी एक पुलिस पर छोड़ दें तो मैं समझता हूं अच्छा नहीं है ।

हमने वकीलों की एक टोली बनाई है जो लॉ एण्ड ऑर्डर का अध्ययन करेगी । वह यह देखेगी कि रिक्शे वाले को तीन रुपये देते हैं और कहते हैं कि चान्दपोल की अमुक सड़क पर उतारना है और यदि वह नहीं उतारता है तो रिक्शा वाला भी लॉ एण्ड ऑर्डर के खिलाफ काम करता है । हमने एक योजना भेजी थी पुलिस को, धारा 12 से लेकर 14, 17, 21, 29, 41 और 42 के लिये हमने योजना दी है । मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं । साथ में वकीलों को भी कहा था । वकीलों की एक टोली और आई.जी. साथ बैठें । इसके साथ ही जिस तरह पुलिस की डायरी सप्ताह में या 15 दिन में एस. पी. के पास जाती है उसी तरह वह डायरी कलेक्टर के पास जानी चाहिये, गवर्नमेंट के पास भी जानी चाहिये तब मालूम होगा कि किन-किन वजहों से चोरियां होती हैं, किन-किन वजह से बलात्कार होते हैं । उसके लिये भी एक व्यवस्था होनी चाहिये, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और अच्छे वकीलों की भी एक महीने में मीटिंग होनी चाहिये क्योंकि लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जनता तो जानती नहीं है, या तो वकील जानते हैं जो विधान बनाते

(श्री मदनसिंह दाता)

हैं और वे ही वकील जज बन कर वहां उनको छुड़वाते हैं तो मैं वकीलों से पूछना चाहता हूं क्या वे भी इस बात को तैयार हैं कि जो मर्डर के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं उनके केसेज को लें और कहें कि हम छुडवायेंगे। पुलिस ने जेल में रख भी दिया तो आखिर छुड़वाता कौन है ? वकील छुड़वाता है। छोडता कौन है ? जज छोड़ता है। लॉ एण्ड ग्रॉर्डर जनतन्त्र में तभी रह सकता है जब हम लॉ बनाने वाले बाहर निकलें और लॉ कर्मचारी अन्दर आ जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1898 का जो एक्ट है पुलिस का उसमें से 197 धारा को जब तक नहीं निकालेंगे जिसके लिये ग्रान्दोलन करते हैं तब तक लॉ एण्ड ग्रॉर्डर ठीक नहीं होगा। उसमें पुलिस का प्रोटेक्शन दिया है। ग्राप जानते हैं राजा-महाराजाओं के जमाने में लॉ एण्ड ग्रार्डर जो बिगाड़ते थे तो उनको देश निकाला देते थे। ग्राज थानेदार को देश निकाला नहीं देते हैं। जब यहां मेवों का हमला हो गया था तो महाराजा जयसिंह को पागल कह कर बाहर निकाला था। फिर ग्रंग्रेजों के जमाने में यह नहीं करते थे क्योंकि उनके तो कर्मचारी होते थे। मैं कहता हूं ग्रगर जनता पार्टी को राज करना है तो निश्चित रूप से पावर दीजिये। ग्राई०जी०पी०पर ग्रौर थानेदार को भी ग्राप इसी प्रकार रखें ग्रगर यह धारा 197 हट जाती है तो पब्लिक को राइट होता है कि ग्राई०जी० को भी कोर्ट में डाइरेक्ट ले जावें। इसमें मंत्री महोदय को पूछने की जरूरत नहीं है। ग्रगर धारा 197 ग्रलग हो जाती है तो मुख्य मंत्री को भी छोटे से छोटा नागरिक ग्रदालत में ले जाकर खड़ा कर देगा। ग्रगर यह भय हो जावेगा कि कोई भी नागरिक ग्रदालत में ले जाकर खड़ा कर देगा तो ग्राधा करप्शन तो यों ही चला जाएगा। पब्लिक यह जानती है कि कहां इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रगर यह नहीं रहेगी तो ग्राप पब्लिक के ग्रादमी को इज्जत देंगे। वह भी जानता है कि ग्राई.जी. ग्रौर मुख्य मंत्री को मैं कहां तक ग्रदालत में ले जा सकता हूं। ग्रगर यह रहती है तो उसमें विश्वास पैदा नहीं होगा। वह भी जानता है कि ग्रगर मैं गलती पर होऊंगा तो 182 मुझ पर लगेगी। ग्राज जो चोरियों ग्रौर डकैतियों में सहयोग देते हैं, भ्रष्टाचार ग्रौर बलात्कार करते हैं वही थानेदार हाथ जोड़ते हुए ग्रायेंगे पब्लिक के सामने कि ग्रापके यहां कोई गड़बड़ तो नहीं है। वह जानते हैं कि थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो मुझको ग्रदालत में ले जाकर खड़ा कर देंगे। ग्राज एक चपरासी को खड़ा नहीं कर सकते ग्रदालत में जब तक गवर्नमेन्ट की इजाजत नहीं हो। यह सारी व्यवस्था तो ग्रंग्रेजों की थी। वह ग्रपने कर्मचारियों को बचाना चाहते थे। पंचायत एक्ट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि पंचायत के ग्रण्डर में पटवारी को क्यों नहीं दिया। ग्रगर पटवारी पंचायत के ग्रण्डर में ग्रा जाता है तो उस पर केस चल सकता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ग्रौर भी बोलने वाले हैं। ग्रगर भारत की जनता को फ्री करके उसको राजा समझना चाहते हैं तो धारा 197 को हटा दीजिए तो ग्राधे से ज्यादा करप्शन की रिपोर्ट, ग्राधे से ज्यादा थानेदारों की गलत रिपोर्ट, पटवारियों की शिकायत ग्रौर मिनिस्टरों की शिकायत खतम हो जायेंगी। जन जागरण पार्टी की तरफ से एक ही ग्रान्दोलन है कि जनता को जगाग्रो। छोटे से लेकर मोटे तक को

(श्री मदनसिंह दांता)
जगाओ। जन जागरण पार्टी कभी आन्दोलन नहीं करती। हम आन्दोलनों में विश्वास नहीं करते आन्दोलनों में तो कोरी लाठियां बरसती हैं। विधान सभा सुप्रीम बॉडी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चूरू में बहुत बड़ा आन्दोलन चला। विधान सभा सुप्रीम बाडी है यहां पर सारी पार्टियां हैं, वे देखें कि वह आन्दोलन है या नहीं। यह पार्टी गवर्नमेंट को जाकर नहीं मांग करती कि यह हमारी मांगें हैं। परन्तु जब एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और मांग कर रहा है अगर उसकी मांग सही है तो उसकी मांग समय पर पूरी करनी चाहिए। यही सही जनता का राज है अन्यथा जनता का राज नहीं है। जनता को केवल धोखा दिया जा रहा है।

दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र आया है विदेशों से। यह हमारे देश का प्रजातंत्र नहीं है। कल एक बहुत ही बड़े संघ के वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि तुमको पट्टियां दी, बेल्ट दी, राइफल दी, थानेदार बनाया, सिखाया धर्म से कह, छाती पर हाथ धर कर कह दे कि तू राष्ट्र का आदमी है, तू राष्ट्र का पूत है, तू मालिक है। तुझको बेल्ट दी, रायफल दी है तो तू धर्म से छाती पर हाथ लगा कर कह दे कि गांव में चोरी नहीं होने दंगा। छोटी-सी जागीरें होती थीं हमारी। हम तो बदमाश थे, भ्रष्ट भी थे, लेकिन जो छोटे से छोटे ठाकुर और राजा थे वह जब लॉ एण्ड ऑर्डर की बात आती थी तो प्रशासन हिला कर रख देते थे। आज आप एक छोटे से छोटे थानेदार को नहीं हटा सकते उसका तबादला नहीं कर सकते छोटे से छोटे पटवारी का तबादला नहीं कर सकते .....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर आप बर्निंग प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ फ्राड है। पार्टियों फ्राड हैं अगर वे जन समस्याओं को हल नहीं कर सकतीं। मेरा निवेदन है, होम मिनिस्टर साहब, आपको हमने लिख कर दिया, पूरी शिकायत लिखी हमने। हमने कहा कि होम मिनिस्टर को लिख दिया है, पूरा प्रयास करेंगे लेकिन आज तक आपको पढ़ने की फुरसत नहीं है। आज तक आपने उसको पढ़ा तक नहीं है। आपको पढ़ने में ही दिक्कत आती है। हमने आई. जी. और कलेक्टर को लिख कर दिया जन जागरण की तरफ से लेकिन क्या हुआ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपको फिर कहता हूं कि चौकीदार को मालूम है कि तालाब में कितने आदमी किस तरह से डूबे हैं और क्यों डूबे? वह हमेशा फेरी लगाता है और सुबह जाकर पुलिस की डायरी में दर्ज कराता है। चाहे मोडर्न वे हो चाहे कोई और तरीका हो मैं चाहता हूं कि जन जागरण पार्टी ने जो लिख कर दिया है उसके बारे में आप बात करें, वकीलों से बात करें। एक महीने के अन्दर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, वकील और यहां के प्रतिनिधि, नेता केवल इस बात पर जोर दें कि कानून और व्यवस्था कैसे कायम हो सकती है। आज पुलिस की व्यवस्था है वह लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति गिरी है।

Government of the people,

(श्री मनफूलसिंह भांता)

by the people, and for the people. For the people is law and of the people is order. इसकी नकल मत करो। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हम फौज के द्वारा ही लॉ बनाते हैं प्रजा और सब के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका हुकम हो गया। डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, रोकते रहते हैं और बोलते रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं it is also against law and order.

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। मैं तो आपकी आज्ञा से अपनी बात कहना चाहता हूं। अनुसूचित जाति का एक सदस्य होने के नाते मुझे पहले उनके बारे में कहना चाहिए जिन लोगों का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं। इसके साथ साथ युवा जनता का भी सक्रिय कार्यकर्त्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि चूरू जिले में छापर गांव में 15 अक्टूबर को नानगराम तापड़िया नाम के व्यक्ति द्वारा प्रवीण सुराणा, अध्यक्ष, नगर युवा जनता की निर्मम पिटाई की गई। उनकी जेब से पांच सौ रुपये निकाल लिए गए। उसकी रपट वहां के थाने में 27-10-78 को की गई। उसका मुकदमा दर्ज हुआ दफा 392, 342, 323 और 34 आई. पी. सी. में। श्रीमान्, पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि थानेदार ने तत्काल मुलजिमान को गिरफ्तार किया। नानगराम कैसा व्यक्ति है, इसके बारे में आपको सदन में जानकारी दूंगा और मैं साबित करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, फोटो स्टेट कापीज यह बताने के लिये पेश करूंगा कि श्री नानगराम के खिलाफ कितने केसेज हैं? दिनांक 11-9-59 को जुआ और शराब के मामले के अन्दर मुकदमा नम्बर 40 दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा दिनांक 2-11-69 को दर्ज हुआ। जुआ खेलते हुए पकड़ा गया और एस. डी. एम. कोर्ट रतनगढ़ से जुर्माना कर छोड़ा गया। उसने जुर्म कबूल किया। इसके बाद में 21-10-76 को जुए के मामले में गिरफ्तार किया गया और दुबारा जुर्माना हुआ। श्रीमान्, 27-10-76 को उसके पांच सात साथियों को सात-सात दिन की सजा दी गई। ये सारे प्रमाण, फोटो स्टेट कापी श्रीमान् के सामने सदन के पटल पर पेश करूंगा। ऐसा भयंकर जो आदमी भयंकर जुर्म, अपराध में लगा हुआ है उस आदमी को गिरफ्तार करने के बाद थानेदार के खिलाफ कार्यवाही की गई। किसी मंत्री के दबाव डालने के उपरान्त, श्रीमान्, उस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया क्योंकि उस थानेदार ने अपनी ड्यूटी अन्जाम देते हुए उस आदमी को गिरफ्तार किया था। जैसी मेरी जानकारी है उस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने के कारण। वह भी एक राजनैतिक दल का सेक्रेटरी है और पूर्व राजनतिक दल का बदनाम आदमी रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के कारण उस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम यह सोचते थे कि हमारा शासन आने के बाद में यह सब कुछ नहीं होगा, हम

(श्री गोपाल पचेरवाल) :
इसमें सुधार करेंगे लेकिन शासन आने के बाद सत्ता में बैठ कर अगर हम भी ऐसी बातें करेंगे तो यह गलत होगा।

श्री श्रवणलाल : मंत्री कौन था ?

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमान्, अब मैं हरिजन समस्याओं के बारे में निवेदन करते हुए इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किस तरह से हरिजनों के साथ निर्मम जुल्म और ज्यादती की गई है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा गैर जिम्मेदारी बरती गई है। इन्द्रगढ़ गाव में मेहतर जाति का एक लड़का अपने मकान पर बैठा हुआ था। उसका सारा परिवार बाहर गया हुआ था। श्रीमान्, जब उसके पास में ही सवर्ण जाति के आदमी के घर पर बिजली विभाग द्वारा लाइट कनेक्शन दिया जा रहा था 4-9-78 को तो उस मेहतर जाति के लड़के ने विरोध किया कि मेरे घर के ऊपर से तार मत खींचो। उसके घर पर से तार निकाले जाने का उसने विरोध किया था। सवर्ण जाति का व्यक्ति पैसे वाली पार्टी का था, पूंजीपति था, इसलिए उस मेहतर जाति के जगदीश नामक हरिजन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसको थाने में लाकर बन्द कर दिया गया क्योंकि वह भंगी था। उसको थाने में बन्द करके उसकी निर्मम पिटाई की गई। पुलिस के अधिकारियों ने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। यह परम्परा कब तक कायम रहेगी ? जो परम्परा पिछले तीन सालों में कायम हुई वह अगर आज भी कायम रहती है तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

दूसरा उदाहरण मैं जयपुर जिले का ही देता हूं। जयपुर जिले के ग्राम भूतेड़ा में कैलाशचन्द्र नाम का मेहतर जाति का एक युवक था जिसकी निर्मम हत्या की गई। उसमें पुलिस की उदासीनता रही। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम भूतेड़ा में कैलाशचन्द्र नाम का व्यक्ति, जो कि पोस्ट आफिस में सर्विस करता था, दिनांक 8-9-78 को ग्राम मण्डोली में अपनी बहिन को लाने के लिए गया हुआ था। वहां के कुछ लोगों ने उसको बुलवा कर उसकी निर्मम पिटाई की और उसको जान से मार डाला। जब लोगों को पता लगा तो उस आदमी के खिलाफ वहां के एक श्री किशनलाल मीणा ने चेतमल व्यापारी की दुकान से पुलिस अधिकारियों को टेलीफोन किया। इस पर पुलिस वहां पर पहुंची और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन उस आदमी को रिहा कर दिया। यह कह दिया गया कि इस आदमी ने आत्म-हत्या की है। उस आदमी को पीटा गया और उस अपराधी को बचाने के लिए प्रयास किया गया। उस आदमी की एक बात नहीं सुनी गई। उसकी निर्मम पिटाई की गई और उसको कुए में डाल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कह दिया कि उसने आत्म-हत्या की है। अगर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहेगा तो यह समस्या कभी भी हल नहीं हो सकेगी। हम राजनीतिज्ञ चाहे जैसा भाषण दें, यों तो कांग्रेस वाले गांधी जयन्ती पर हरिजन बस्तियों में जाकर, मेहतर भाइयों के घर जाकर पानी पीने का ढोंग करते हैं परन्तु सरकार ने उनके पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है ? यहां मैं जानना चाहता हूं। यह नौटंकी अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। इस प्रकार से आप

(श्री गोपाल पचेरवाल)

समाज को आगे नहीं ला सकते ।

श्रीमान, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं । उदयपुर छात्रावास में मेहतर जाति के छात्र की निर्मम पिटाई की गई । मैंने गृह मंत्रीजी से सवाल किया था और गृह मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया था । वहां के चन्दन सिंह, हरिसिंह, महेन्द्रसिंह और वीरेन्द्रसिंह इन चारों ने उस छात्र की पिटाई की । 22 तारीख को उस छात्र को मटके से पानी पीने के लिए पिटाई की । उसको पीटा गया । मारा गया । वहां के हरिजनों ने उसका विरोध किया । मुख्य मंत्री महोदय जब वहां पर पहुंचे तो उनको एक ज्ञापन दिया गया । उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि उन लोगों को अपराध संख्या 47 दिनांक 23-4-78 को धारा 4, 5—बी व 7 नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया । श्रीमान्, क्या आप यह महसूस करते हैं कि उनको सही धारा के अन्तर्गत मुकदमा बना कर गिरफ्तार किया गया ? अगर आप कानून का पालन कराना चाहते थे तो उनको छूआछूत के कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मुकदमा चलाना चाहिए था । परन्तु उसके अन्तर्गत उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । पुलिस की इस कार्यवाही से क्या सरकार हरिजनों के प्रति हो रहे अन्याय को रोक पाएगी और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार पाएगी ? इस तरह की व्यवस्था है । गृह मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उनको गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने हत्या कर दी उसको मारपीट के अपराध में गिरफ्तार कर बरी कर दिया गया, क्या यह उचित है ? क्या यह हरिजनों के साथ अन्याय नहीं है ?

इसी प्रकार हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी जून के महीने में अन्त्योदय परिवारों के कार्यक्रम में, उनके लेखा-जोखा में एक गांव में गये थे । झालरापाटन के पास में एक हयलोई गांव है । जब मंत्री महोदय वहां पर पधारे तो वहां के हरिजनों ने उनसे निवेदन किया था कि उनको सवर्ण लोग कुए से पानी नहीं भरने देते हैं । मंत्री महोदय को शायद इसकी जानकारी होगी । यह समाचार पत्रों में भी छपा है । मंत्री महोदय ने कहा कि तुमको पानी नहीं भरने देते हैं तो मैं भी इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा । इस प्रकार की उपेक्षा हरिजनों के साथ की जा रही है । मैं यह सवाल करता हूं कि क्या सिंचाई मंत्री महोदय के इस निर्णय से कि वे उस गांव का पानी नहीं पीएंगे हरिजनों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा ? क्या उनको कुए से पानी भरने का सामाजिक अधिकार मिल जाएगा ? वहां पर आज तक कुआ नहीं खोदा गया है । कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है । इस तरह की व्यवस्था रहते गांधी जयन्ती के दिन नाटक कर हरिजनों के हाथ से पानी पीने से हमारा उद्धार नहीं हो सकेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या का ठोस समाधान किया जाए और कानून का सख्ती से पालन किया जाए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। बूंदी जिले का एक समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। हमारे आई. जी. ने, गृह मंत्री ने, मुख्य मंत्री महोदय ने उसको पढ़ा होगा। 'रक्षक ही भक्षक बने'। श्रीमान, बूंदी के पास तीन सिपाहियों ने मिलकर एक ग्रामीण आदमी की जेब से 618 रुपये निकाल लिए। अफसोस है कि हमारी कमजोरियों से पुलिस इस तरह का काम कर रही है। एक तरफ हम बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस कोई जुल्म करे तो उसको जुल्म नहीं माना जाता है। भूखा पढ़ा-लिखा आदमी भूख मिटाने के लिए किसी की जेब काट ले तो उसको सजा दी जाती है और पुलिस अधिकारी और तीन आदमी सरे आम दिन दहाड़े 618 रुपये छीन ले और कोई कार्यवाही नहीं की जाए तो क्या कहा जाए? यह पुलिस की तत्परता का नमूना है। दूसरी तरफ थोड़ी सी बात के लिए हम गृह मंत्री से इस्तीफा देने की बात करते हैं क्योंकि वे हमारी जाति के हैं। अफसोस है कि आज के थानेदार सिपाही से लेकर पुलिस आफिसर अपने नाम के साथ शेखावत का नाम जोड़ने लगा है। जब पुलिस अधिकारी अपने नाम के साथ शेखावत जोड़ देता है तब फिर गृह मंत्री इस्तीफा क्यों दें? आज पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस अधिकारी तक शेखावत ही शेखावत हो गये हैं। जब इनके नाम के साथ शेखावत जुड़ गया तो हरिजन गृह मन्त्री उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे कर सकता है? हरिजन गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने के बजाय इस नाम से जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बच रहे हैं उनसे इस्तीफा मांगें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरिजनों के खिलाफ कोई भी जुल्म करे चाहे वह जनता पार्टी का हो या अन्य कोई दूसरी पार्टी का उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। अब आप हमारी जुबान बन्द नहीं कर सकते। हम हर जुल्म के खिलाफ सड़क पर आएंगे। आप इजाजत देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कई मामले जो समाचार पत्रों में छपे हैं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप इजाजत देंगे तो मैं पेश करूंगा .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कागजात आप पेश करना चाहते हैं वह मुझे दे दें मैं उन्हें संबंधित मंत्री महोदय के पास पहुंचा दूंगा। यह व्यवस्था मैं कर दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गत एक वर्ष में जो लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, जो अपराधों में वृद्धि हुई है जैसा कि माननीय सदस्य डागा साहब ने बताया, जहां पहले प्रति वर्ष 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होती थी वहां उसके मुकाबले इस वर्ष 1977-78 के अन्दर 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान इन आंकड़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां मार्च 1977 तक 37,775 अपराध हुए थे उनके मुकाबले मार्च 1978 तक 50,290 अपराध हुए हैं। यह अपराधों की वृद्धि जनता पार्टी के शासन के बाद हुई है जो हमारे लिए दुःख की बात है।

(श्री गुल मोहम्मद)

जयपुर जिले की बात लें तो कुल अपराध 5513 हुए जिनमें से 70 हत्याएं हुईं। इस तरह अपराधों में सबसे पहला नम्बर राजस्थान में इन आंकड़ों के अनुसार जयपुर का आता है। जहां पहले अपराध के क्षेत्र में पहला नम्बर गंगानगर का था वहां उसकी जगह अब जयपुर का स्थान हो गया है। आज गंगानगर के बजाय जयपुर का नाम प्रथम श्रेणी के अन्दर आ गया है अपराधों के लिए। जयपुर राजधानी है, यहां तमाम हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट रहते हैं, सक्षम अधिकारी हैं, यहां पर हर व्यवस्था मौजूद है, आई. जी. साहब यहां पर हैं, हमारे गृह मंत्री और पूरी की पूरी केबिनेट इस स्थान पर है ऐसे स्थान, जयपुर जिले में सबसे अधिक अपराध हो रहे हैं। अपराधों में इसका पहला स्थान है, दूसरा स्थान उदयपुर का है, तीसरा स्थान कोटा का है, और चौथा स्थान गंगानगर का हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपको मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आपातकाल के दौरान थानों के अन्दर जो इन्चार्ज लगाये गये थे वह बीस, तीस हजार रुपया लेकर लगाये गये थे। जनता सरकार के आने के बाद हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री ने उन लोगों को वापस हटा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा कार्य किया गया लेकिन माननीय गृह मंत्री सम्पतराम जी के आने के बाद वह लोग, जिन्होंने आपातकाल में जनता को सताया था, जो कि भ्रष्ट थे, पैसा देकर वापस उन्हीं जगहों पर आसीन हो गये हैं। उन्हीं लोगों को वापस थानों का इन्चार्ज बना दिया गया है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस से मित्रता का मोह त्याग कर नियुक्तियां करें ताकि जनता सरकार की छवि उभरे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के अधिकारी सक्षम नहीं हैं अपराधियों को पकड़ने के लिये। हमारी पुलिस सक्षम थी अपराधियों को पकड़ने के लिये। राजस्थान की पुलिस ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किये हैं लेकिन अफसोस की बात है वह कीर्तिमान, प्राप्त करने वाले कहां गये, कहां गया वह जोश? आज उनका खून, उबलता हुआ जोश क्या समाप्त हो गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में दिन दहाड़े बांसवाड़ा में बैंक लूट लेना, जोशी हत्या काण्ड का मालूम नहीं होना, कोतवाली की नाक के नीचे चोरी हो जाना क्या बिडम्बना नहीं है? अभी हाल ही में बच्चे की हत्या हुई थी जो चन्दू हत्या काण्ड के नाम से प्रसिद्ध है उसके अपराधियों को अगर पुलिस चाहती तो पकड़ सकती थी लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाई, शान्त हो गई और सी. आई. डी. द्वारा वे पकड़े गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति हमेशा से, आदतन अपराध करते हों ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही कर जेलों में उन्हें बंद कर दे। जो आदतन अपराधी हैं उनका कोर्ट में चालान होता है तो वे जमानत करवाकर वापस आ जाते हैं। कोर्ट और हवालात उनके घर का मामला है। चाहे सी. आर. पी. सी. या सी. पी. सी. में अमेण्डमेंट करना पड़े, उनको 10-10 या 15-15 साल जेलों में बन्द कर दिया जाय। उनसे समाज की व्यवस्था बिगड़ी रहती है। उनके खिलाफ

(श्री गुल मोहम्मद)

कार्यवाही की जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसको कोड़े लगाये जावें, चौपड़ पर कोड़े लगाये जावें ताकि मालूम पड़े कि किस तरह जलील होना पड़ता है । कोड़े लगायेंगे तो अपराध की प्रवृत्ति कम होगी ।

(व्यवधान)

यह ठीक है कि आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनके हाथ काट कर उन्हें भगा दिया जाय ताकि हिन्दुस्तान में चोरी होना हमेशा के लिये बन्द हो जाय ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह पाकिस्तान की सरकार नहीं है, खां साहब, कि हाथ काट दिये जायं, कोड़े लगा दिये जायं । यह प्रजातंत्र है ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जो अपराधी है, जो समाज की व्यवस्था को बदलने के लिये गुण्डे की तरह काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिये अगर ऐसी सजा का प्रावधान किया जाता है तो क्या बुरी बात है ? मुट्ठी भर बदमाशों का क्या आप पक्ष लेना चाहते हैं ? क्या आप उनको बचाना चाहते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिये कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिये । हाथ काटने की सजा देने के लिये अगर कानून में प्रावधान करने की जरूरत हो तो वह करना चाहिये—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि जिन थानों पर काफी अपराधों के केसेज आते हैं उन थानों में कितने केसेज आये और कितने केसेज में सफलता उन्होंने पाई, मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगा, इसी आधार पर प्रमोशन दिये जायं । जिस थाने में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए और जिस थानेदार को अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली उसका प्रमोशन किया जाय । जिस व्यक्ति के थाने में अपराधी पकड़े नहीं गये उसको डिग्रेड किया जाय । इस प्रकार की व्यवस्था की जाय फिर देखें लॉ एण्ड आर्डर की कैसे व्यवस्था नहीं होती है । मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जवाहर नगर, जो काफी लम्बी चौड़ी बस्ती है, के लिये कई दफा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वहां चौकी खोल दी जाएगी, थाना खोल दिया जाएगा लेकिन आज तक नहीं खोला गया । चौकी घाट के क्षेत्र में खुले आम सट्टा और गुण्डागर्दी होती रहती है । मैं माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बता चुका हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ट्रेफिक की जो व्यवस्था है उसकी ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । ट्रेफिक की लाइट खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिये पैसा कहां से आय । उसके लिये कोई फण्ड नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : म्युनिसिपैल्टी है ।

श्री गुल मोहम्मद : म्युनिसिपैलिटी नहीं कराती ।

(श्री गुल मोहम्मद)

लाइट खराब होने से एक्सीडेण्ट होते रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि लाइट ठीक करने के लिये व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस (आई) मान्यता प्राप्त विरोधी पक्ष है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इसे डी ग्रेड प्राप्त हो रहा है। अपोजिशन को आप अपोर्चुनिटी नहीं देकर कुछ दूसरे लोगों को दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप गलत परिपाटी और परम्परा डाल रहे हैं। मैं पिछले 21 साल से सदन का सदस्य हूं। जब कभी किसी विषय पर डिबेट हुई तो हमेशा अपोजिशन के लीडर बोले। आपने जो व्यवस्था कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी, जिस समय डागा जी को कहा उस समय आप कहते तो मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करता।

श्री परसराम मदेरणा : एडजोर्नमेन्ट-मोशन था तो भी आपने 2 घंटे का टाइम दिया। आप हमारी पार्टी और हमारे पक्ष को निश्चित तौर से इग्नोर करना चाहते हैं और इग्नोर ही नहीं करना चाहते, आप हमारे पक्ष का अपमान करना चाहते हैं। हम अपमान भी सह लेंगे।

श्री नरा : उपाध्यक्ष महोदय, छोटे दलों के प्रति सहानुभूति का रुख रहना चाहिये। विचार व्यक्त करने का हमारा अधिकार है। छोटे दलों को समय देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : काल अटेन्शन...

श्री नरा : यह पार्टी में विचार कर सकते हैं और मन्त्रियों से कह सकते हैं। पार्टियों के हिसाब से समय का बंटवारा हो तो निर्दलियों का भी अधिकार है। हम बैठे हैं और इन्तजार कर रहे हैं। तीन इधर से बोलेंगे और एक उधर से बोलेंगे यह जो आपकी व्यवस्था है वह सब मान्य है फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री रतनलाल वर्मा : जब यह चर्चा शुरू हुई थी तो विरोधी दल के माननीय नेता सदन में बैठे हुए थे। उस समय उनको खड़े होकर अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए थे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आपके ध्यान में, आपके सचिवालय के ध्यान में ला दी गई थी कि हमारा यह राइट है। इसके बाद भी इन्डीकेट किया था, लेकिन आपने एक व्यवस्था बना रखी है कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन देता है उसको आप पहले बोलने देते हैं। पंचायती राज के वक्त भी ऐसा ही किया। आपने उनको पहले बोलने दिया। आज भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि आपके सेक्रेटरी ने कहा था कि इसी तरह से चलेगा। हमने स्पीकर साहब से बात की थी कि हमारे दल को इकट्ठा गिन करके समय का बंटवारा करें। एक मेजर अपोजिशन पार्टी होने के नाते हमारा राइट बनता था, लेकिन आपने मूलचन्दजी डागा को पहले

(श्री रामनारायण चौधरी)

समय दिया । हम मान लेते हैं कि उनकी नेक्स्ट बड़ी पार्टी है । यहां तक तो सब्र कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष वाले बोल गये .....

श्री रतनलाल वर्मा : सत्ता पक्ष वाले वह बोलते है जो आप नहीं बोल सकते ।

श्री नूरा : हम बोलते हैं वह तो सेन्ट पर्सेन्ट ठीक होता है । आप जो बोलते हैं वह 25 पर्सेन्ट भी ठीक नहीं होता है । आप बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि आम तौर पर हमेशा से यह परम्परा रही है कि ऐसी इम्पार्टेन्ट डिबेट में सबसे पहले विरोधी दल के नेता को मौका दिया जाता है, हो सकता है माननीय सदस्यों ने एड-जोर्नमेन्ट मोशन्स इसके लिए रखे हों। चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी पक्ष के उनके एडजोर्नमेन्ट मोशन होते हैं उनको यह कह दिया जाता है कि आपके बोलने का वक्त आयेगा तब आप एडजोर्नमेन्ट मोशन्स पर बोल लें । इस का मतलब यह नहीं होता है कि एडजोर्न-मेंट मोशन दे दिया तो उनको प्रायोरिटी मिले । आपने उनको प्राथमिकता देना शुरू कर दिया तो हरएक विषय के ऊपर माननीय सदस्य प्रायोरिटी लेने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन दे देंगे । यदि उनको प्रायोरिटी मिलती रहेगी तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । इस प्रकार तो हमको मौका नहीं मिलेगा । हमेशा यह परिपाटी रही है कि जिस किसी ने एडजोर्न-मेंट मोशन दिया है उनका जब उस लिस्ट के अनुसार नम्बर आये, जो पार्टी की तरफ से लिस्ट दी जाती है, जैसे आपके पास कांग्रेस (आई) के नाम आये, जिस वक्त आप बोलने के लिय नाम पुकारें उस वक्त में वह लॉ एण्ड आर्डर पर बोल सकते हैं और जिस पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उस पर भी बोल सकते हैं । इस प्रकार की परिपाटी हमेशा से रही है । माननीय रामकृष्णदास गुप्ता कह रहे थे कि हमें भी समय मिलना चाहिए तो एक और तीन का तो अनुपात ही रहेगा । आप 150 हैं

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं ।

श्री नूरा : आप भी वही कह रहे हैं । यह गलत तरीका है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गलत बात आप बोल रहे हैं । इस प्रकार गलत परम्परा कायम होती है । गलत परम्परा कायम करेंगे तो निश्चित तौर से हाउस नहीं चल सकता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि सदन के नेता और विरोधी दल के नेता को बराबर स्थान मिलें । इस प्रकार का व्यवहार विरोधी दल के नेता के साथ करेंगे तो उनका महत्व बढ़ेगा इसके साथ-साथ विरोधी दल को और अन्य व्यक्तियों को पूरा मौका मिले ताकि अपराधों की पोजिशन आपके सामने आती रहे । पार्टी को समय देते वक्त मैं नजर अन्दाज न हो जाऊं इसलिए मैंने सुबह ही चिट दे दी थी कि मेरे यहां पर एक बड़ा मेला हो रहा है । मेरी आपसे प्रार्थना की

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हुई है। उस आधार पर मेरा निवेदन है कि मुझे जल्दी ही मौका दिया जाय क्योंकि मेरे क्षेत्र में मेला होने वाला है और उसमें मुझे शरीक होना है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, यह परम्परा रही है, समय के विभाजन के लिए कि हाउस में विपक्ष में जितने बैठे हैं कांग्रेस (आई), कांग्रेस, सी. पी. एम., सी. पी. आई., प्रगतिशील दल और इन्डिपेन्डेन्ट-सबके लिए समय का विभाजन हो। उसमें पार्टी वाले अपने सदस्यों को अकामोडेट करते हैं। उसके बाद यदि आसन यह महसूस करता है कि और माननीय सदस्य रह गये हैं जिनके स्थगन प्रस्ताव थे तो उनको समय देते हैं। यह हमेशा परम्परा रही है। इस सदन में महत्वपूर्ण डिबेट्स पिछले तीन दिनों से बराबर हो रही है, उसमें तमाम परम्पराओं की बड़ी भयंकर अवहेलना हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी और माननीय परसरामजी मदेरणा ने बात कही है वह बहुत अंशों में सही मैं मानता हूं। डिस्कशन में अपोजिशन के माननीय सदस्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो माननीय सदस्य आपकी ओर से बोलना चाहते थे उनकी सूची में आपने अपना नाम ऊपर नहीं बताया.....

श्री रामनारायण चौधरी : परसरामजी का नाम दिया है। यह जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नाम दिया तो माननीय डागाजी का मैंने नाम लिया उस वक्त आपको बोलना चाहिए था। परसरामजी मदेरणा ने जो प्रश्न किया है उसका मुझे अफसोस है। मैं आपके दल की ओर से बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा अगर वह बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। अगर वह नहीं बोलना चाहेंगे तो मैं आपको आमन्त्रित करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि इम्पार्टेन्ट डिबेट लीडर आफ दी अपोजिशन ओपन करता है। यह परम्परा है। लीडर आफ दी अपोजिशन डिबेट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो पार्टी के किसी आदमी का नाम बता दें और कह दें कि मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी बोलने वाले हैं। इन्होंने अपना नाम भी दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह इनके सोचने की बात है। दूसरी पार्टी के जितने लीडर्स हैं चाहे छोटी पार्टी के हों उनको भी चान्स प्रायोरिटी में दिया जाता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। उसके बाद औरों को टाइम दे दें। अगर हम पार्टी के 5 आदमी बोलना चाहते हैं तो हम एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं कि 10-10 मिनट खड़े होकर लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कहें। वह दस मिनट में कहें तो कुछ और बात है लेकिन हमें तो जस्टीफाई करना पड़ेगा। We will have to justify. 10 मिनट में आदमी क्या बोलेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन आदमियों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं उनको 1 घंटा, दो घन्टा जो देना है वह दे दें। उनको भी समय दीजिये, लेकिन यह 50-50 पर्सेन्ट समय का विभाजन आज तक नहीं हुआ है। यदि ट्रेजरी बेन्चेज वालों को जो एक

(श्री मथुरादास माथुर)

मेम्बर की सिचुएशन के बारे में कोई शिकायत है तो वह पार्टी मीटिंग में कह सकते हैं और मिनिस्टर से भी कह सकते हैं। वह यहां भी बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी है उसमें अपोजिशन का डेमोक्रेटिक रोल रिकग्नाइज्ड है उस रोल को वे अदा नहीं कर सकते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि उनकी ही मोनोपोली हो जाय बोलने की। फिर जैसा आपको कन्वोनियेन्ट हो वैसा ही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जब इस प्रकार की चर्चा प्रारम्भ हो तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल कर समय का बंटवारा करा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय से अगर आप मिलते तो वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समय का बंटवारा कर देते।

श्री मथुरादास माथुर : इस पर चर्चा हो चुकी है। डिबेट की इम्पार्टेन्स कैसी है उस बेसिस पर रूलिंग देना सम्भव नहीं है। इस सदन में पहले से ही समय निश्चित हो जाता है उससे डेवियेशन होता है तो सदन में बात होती है।

श्री परसराम मदेरणा : हम समय का बंटवारा स्पीकर से नहीं करायेंगे और न पहले कभी कराया है। यह चेयर के सोचने की बात है। जिस पार्टी की जो स्ट्रेन्थ है उसके अनुपात में ही पार्टी का समय निर्धारित करते हैं। समय निर्धारित करने के बाद डिबेट प्रारम्भ होने से पूर्व ही चेयर अनाउन्स करती है कि इस तरह से समय इस डिबेट पर इस इस पार्टी को दिया गया है। हम एप्लाई नहीं करेंगे कि इतना समय दे। हमारी यह प्रणाली है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि स्ट्रेन्थ के आधार पर समय का बंटवारा कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्ट्रेन्थ के आधार को देखते हुए ही बंटवारा किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में इस समय कुछ निर्णय होने वाला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमेशा यह हुआ है। जब विरोधी दल के नेता अध्यक्ष महोदय थे तो दो-दो, ढाई-ढाई घण्टे स्पीच देते थे। हमारा काम यह है कि हम सरकार को जागरूक करें, सही स्थिति बतायें। माननीय शर्माजी कह रहे हैं कि हम बतायेंगे। आप क्या बतायेंगे ? हम बतायेंगे। आपको बताना है तो आप इधर आ जायें। आप गवर्नमेण्ट को क्रिटीसाइज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा ही मानस बनेगा।

श्री मदनसिंह दांता : कोई नाराजगी की भावना नहीं है। श्री परसराम मदेरणा के विचारों से हो सकता है, हमको लाभ मिले।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस चर्चा के विषय में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मैं भी निवेदन करूंगा कि मदेरणा साहब अपने विचार रखें। उनके बहुत सुलझे हुए विचार होंगे। आप प्रार्थना ठुकरायें नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब करीब करीब सब साफ हो गया है। मैं भी उनसे यह निवेदन करूंगा, मेरा विश्वास है कि वह मेरी बात मानेंगे। उम्र के लिहाज से भी मेरी उम्र उनसे ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय परसराम मदेरणा से पुनः निवेदन करता हूं कि वह अपने विचार रखें।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं सभी माननीय सदस्यों की ओर से पुनः निवेदन करता हूं कि श्री मदेरणा जी बोलें।

एक माननीय सदस्य : प्रार्थना स्वीकार हो गई।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में राजस्थान की ओर से जो एड्रेस किया गया, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा, उससे यह प्रतीत होता था कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति शोचनीय है।

एक माननीय सदस्य : यह पुरानी बात है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने स्थिति सन्तोषजनक बताई। हरिजनों के जितने भी केसेज हुए हैं, उनमें 90 प्र. श. चालान खारिज कर दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दो दिनों की कान्फ्रेन्स के बाद प्रधान मंत्री ने कहा कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अलार्मिंग नहीं है या लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है इस प्रकार कहना सही नहीं होगा।

"Winding up the two day discussion, Mr. Desai said that what had emerged was the unanimous view that the law and order situation in the country was not alarming or having gone to pieces would not be correct. But there was no room for complacency."

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना है। लेकिन इस पूरे सत्र के अन्दर स्थगन प्रस्तावों के जरिये से, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये से कानून और व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षण किया गया है। माननीय गृह मन्त्री जी भी जिस प्रकार की अभिव्यक्ति करते रहे हैं उसके अनुसार भी लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक है। यह आज सरकार सोचे कि जो कुछ आज कहा जा रहा है या सरकार द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, जनता की उससे भिन्न प्रकार की मानसिक स्थिति है। आज जनता में एक दूसरे प्रकार की भावना पैदा हो गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में किसी भी अखबार को सवेरे खोलते हैं तो वह अपराधों के समाचारों से भरा हुआ मिलता है। फलां जगह डकैती हो गई, फलां जगह बलात्कार हो गया, फलां जगह कत्ल हो गया या फलां जगह पर बस लूट ली गई। देश के और राजस्थान के किसी भी अखबार को उठा कर देख लें उनमें इस प्रकार की स्थिति का उल्लेख मिलता है तो यह हमारे लिए सोचने की बात है। यह स्थिति क्यों है? आखिर जनता भयभीत क्यों है? वह क्या सोचती है? जनता का मानस उद्विग्न हो रहा है। रात को कोई भी आदमी आठ बजे बाद घर

(श्री परसराम मदेरणा)
बन्द कर जाना पसन्द नहीं करेगा। सिनेमा के दूसरे शो में बच्चों को नहीं ले जाएगा। वसों में रात को ट्रेवल नहीं करेगा। यह चर्चा सुनते हैं तो इस बात का आभास मिलता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। जनता में भय है। जनता आज परेशान हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है, इन सब स्थितियों से सरकार आंकड़े देकर वचने की कोशिश कर रही है। अगर वह आंकड़े देखें जायं तो इस प्रकार के आंकड़े हैं जो कि चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में रखे गये, उनसे यह प्रतीत होता है कि राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा अत्याचार हुआ है। अभी पिछले माह में जनवरी, 77 से जनवरी, 78 तक राजस्थान में हत्या, डकैती और वलात्कार के आंकड़े मांगे थे। जो फिगर्स दिये हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वलात्कार ले लीजिए। अगस्त, 77 से जनवरी, 78 तक 233 वलात्कार हुए। इस आठ महीने, दस महीने के अर्से में हरिजन महिलाओं के साथ वलात्कार हुए, हरिजन महिलाओं का शील हरण किया गया उनकी संख्या 38 है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह अखबार की रिपोर्ट है। जो जयपुर से "उद्‌बोधन" अखबार निकलता है शायद उसमें आपने पढ़ा होगा। आठ जुलाई का यह है। 14 हरिजन महिलाओं के साथ में वलात्कार हुआ है। आपके मिनिस्टर बनने के बाद.....

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े किस रेफरेंस में दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह देखिये गृह मन्त्री श्री सम्पतराम, आपकी आंखों के आगे महिलाओं से दुर्व्यवहार क्यों ?

प्रो. केदार नये थे। आप तो मंझे हुए हो, फिर ऐसा क्यों ? इसमें 8 स्टेटमेण्ट दिये हैं, थानों का नाम देकर। मैं तो सोच रहा था यह शायद आपके ध्यान में आया होगा। फैक्ट्स क्या हैं; मैं फैक्टस में पड़ना नहीं चाहता लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है, भयानक स्थिति है। मैं निवेदन कर रहा था कि आज जयपुर को देख लीजिए। पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उन्होंने कुछ आंकड़े दिए जिनसे मालूम होता है कि जयपुर में अपराधों का फिगर बढ़ा है। पिछले 4-5 महीने के अंदर जयपुर में लगातार एक दर्जन के ऊपर महिलाओं ने आत्महत्या की है, आत्म-हत्यायें या हत्यायें लेकिन यह आत्म-हत्याओं की बाढ़ एकदम किस प्रकार से आई है, इसका क्या कारण है ? यह बताया गया कि आत्महत्याएं हुई उसकी कोई सूचना देने वाला, जांच करने वाला है तो हैड कान्स्टेवल है। वह पता लगाए कि आत्महत्या कैसे की ? उसके घरवालों, रिश्तेदारों को भी पता नहीं। इस प्रकार की स्थिति होती जा रही है। इससे निश्चित तौर से जन जीवन आक्रांत है, लोगों में भय और रोष है।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि इसी प्रकार का एक अखबार मैंने पढ़ा। इसमें कहां तक सच्चाई है यह आप बतायें। एक दूसरा अखबार है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि 12 वर्षीय लड़की के साथ किसी सबइन्सपेक्टर ने वलात्कार किया है। इस तरह की घटनायें, जो पढ़ने को मिलती हैं, अगर गलत हैं तो सरकार को प्रतिवाद करना चाहिए। अगर सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रतिवाद नहीं करती है तो स्थिति बनते-बनते ऐसी हो जाती है जैसे चंदू कांड जयपुर में हुआ। इसमें पूरे पुलिस प्रशासन ने सर्टीफिकेट ले लिया है। मैं कह रहा हूं जो स्थिति आज बनी हुई है उसका सही चित्रण मैंने पढ़ा। मुवता अक्टूबर का है, उसमें एडीटोरियल है मैं 100 प्रतिशत उससे सहमत नहीं हूं लेकिन उसकी मूल धारणा के साथ मेरी सहमति है। वह इस बात को स्वीकार करता है : दिल्ली में हाल ही में हुए हत्याकांडों के बाद देश भर में पुलिस की अकुशलता की आलोचना हुई है। सफाई में पुलिस विभाग की ओर से आदमियों की कमी का रोना रोया जाता है। आंकड़े दिए जाते हैं कि विकसित देशों में प्रति हजार नागरिकों के पीछे पुलिसमैनों की संख्या हमारे देश से कई गुना है और इसीलिए वे प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं।

यदि पुलिसमैनों की संख्या का ही प्रश्न होता तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी न होती। तब पुलिस के सिपाही भी कम थे, स्वतंत्रता आंदोलन से निबटने का काम भी था और पुलिस विभाग के पास टेलीफोनों, जीपों की इतनी भरमार भी न थी, फिर भी काम खासा अच्छा चलता था।

दूर जाने की क्या जरूरत है, आपात स्थिति के दौरान भी पुलिस विभाग ने खासी मुस्तैदी दिखाई थी। एक ओर कांग्रेसियों को कड़ा संरक्षण दिया, दूसरी ओर भूमिगत आंदोलन से निबटे, फिर भी अपराध कम न हुए। तब क्यों नहीं आदमियों की कमी महसूस की गई ?

वास्तव में यह समस्या शासन की लापरवाही की है। पुलिस विभाग से काम लेने की जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों की है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन्हें अपनी उठा-पटक से फुरसत हो तो वे कानून और व्यवस्था की ओर देखें। उनकी देखा देखी पुलिस अधिकारी भी अपनी गलतियां दूसरों पर मढ़ते हैं और दूसरे किसी तीसरे पर। पिसती है जनता, जिसे करों का भार भी सहना पड़ता है और जानमाल की सुरक्षा भी नहीं मिलती।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज यह स्थिति है। आज जन मानस आक्रांत है, भयभीत है। आप कह रहे हैं कि कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक है, राजस्थान में राम राज है, हमारे यहां पर अमन-चैन है और जनता कहती है लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हुई है, बिल्कुल डेटिरियोरेट हुई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति के बनने के कई कारण हैं। उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपराध की वृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है। गांधीजी से जब पूछा गया 1921 में गुंडागर्दी के संबंध में जब प्रिन्स ऑफ वेल्स आए थे, हिंसा की कार्यवाही के संबंध में उन्होंने उस समय जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि ऐसे तत्व समाज में क्यों पैदा होते हैं, किस कारण से पैदा होते है, उनके इलाज के लिये क्या करना चाहिए। मैं उस उद्धरण को नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने लिखा है कि समाज के अन्दर कई

(श्री परसराम मदेरणा)

कारण है जिनसे लोगों में अपराध-की वृत्ति पैदा होती है। आज बढ़े हुए अपराध हैं और उनके साथ-साथ सोशल टेन्शन्स हैं, इनके मूल में सबसे पहला कारण बेरोजगारी है। आज अव्यवस्था, है यह दूसरा कारण है, आज औद्योगिक अशांति है। यह तीसरा कारण है। विश्वविद्यालय के परिसर में अशांति भी एक कारण है। भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है साथ साथ मंहगाई भी इसका कारण है। उनके साथ साथ अपराध करने की वृत्ति इसलिए भी बढ़ रही है कि जो अपराध करते हैं उनको सम्मान मिलता है, वे हीरो बन जाते हैं। मैं धमयुग में पढ़ रहा था, पूना में जिन चार लड़कों ने हत्या की थी जब कोर्ट में आते थे तो बहुत बड़ा ओवेशन मिलता था, फांसी देने के समय भी वे हाथ हिला रहे थे। हमारे राष्ट्रीय नेता मोरारजी देसाई को जैसा सम्मान मिलता है उस प्रकार का सम्मान जब मिजोरम व गोहाटी के बाजारों में जब असामाजिक तत्व निकलते हैं, तो इन असामाजिक तत्वों को मिलता है, अपराध करने वालों को जनता से मिलता है। खास तौर से अखबारों में भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं, यह भी एक कारण बनता है हीरो बनने का। उपाध्यक्षजी, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन राजनैतिक संरक्षण भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हालांकि चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में भी यह बात कही गई। यह कहा गया कि राजनैतिक संरक्षण असामाजिक तत्वों को भी दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? रूलिंग पार्टी दे रही है या अपोजीशन दे रहा है? कौन संरक्षण दे रहे हैं। महत्वपूर्ण मसलों पर प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में, अलीगढ़ की घटनाओं के बारे में दो दिन पहले उनसे लोग मिले थे तो कल या परसों प्रधान मंत्री ने कहा है कि मैं मीटिंग बुला रहा हूं और देखूंगा कि विभिन्न सम्प्रदायों में कैसे सद्भावना हो। आज सत्तारूढ़ दल की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यह जानने की है कि पोलिटिकल संरक्षण कौन दे रहा है? पोलिटिकल संरक्षण सत्ता में जो बैठे हैं वे दे सकते हैं। इसके साथ में मैं देख रहा हूं कि श्रमिक संगठन में जो प्रतिस्पर्धा है, उनकी लड़ाई चल रही है, वह भी एक कारण है। विधि मंत्री यहां बैठे हुए हैं वह काफी सोशियोलोजी की अध्ययन किए हुए हैं वह इस सम्बन्ध में बतायेंगे। जो जो युवा आर्गेनाइजेशन्स हैं चाहे युवा भाई हैं, युवा मोर्चा है, युवा जनता है, जनता युवा है उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। यह भी लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राजनैतिक अस्थिरता का जो माहोल बना हुआ है इसमें सुधार लाने के लिये राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिएं और कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो कानून हाथ में ले रहे है, जो गुंडागर्दी कर रहे है, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, उनको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, कानून के कटघरे में उनको खड़ा करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कितना समय आप और लेंगे?

(139)

श्री परसराम मदेरणा : दस-पन्द्रह मिनट का समय और लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं ।

अब जहां तक गुण्डागर्दी का प्रश्न है । यह गुण्डागर्दी जो पनप रही है, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, राजनैतिक संरक्षण को राजनैतिक गण्डागर्दी की संज्ञा दी जा सकती है । इसलिए लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जहां कहीं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनको कानून के कटघरे में डालना चाहिए । उनकी तुरन्त तफतीश होनी चाहिए और तुरन्त उन्हें सजा मिलनी चाहिए ।

कुछ प्रशासनिक गुण्डागर्दी भी है। आज पुलिस प्रशासन के बारे में सुनने में आ रहा है कि इनका कमीशन होता है । कई जगह यह भी बात सुनने में आती है कि फलां फलां पुलिस स्टेशन में एस० एच० ओ० के फलां फलां खास आदमी हैं । तो इस प्रकार की जो प्रशासनिक कमियां हैं उनको भी समाप्त किया जाना चाहिए ।

पूंजीवादी गुण्डागर्दी भी है जिसमें श्रमिकों को आपस में लड़ाई करवाना और कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी करना भी आता है । ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर संगठन शक्तियां अपना परिचय दे सकती हैं, लेकिन जहां श्रमिक संगठनों में प्रतिस्पर्धा है वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार को संभालनी पड़ेगी, प्रशासन को संभालनी पड़ेगी ।

जहां तक साम्प्रदायिक तत्वों का प्रश्न है कुछ लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं । मैं कल पढ़ रहा था, धर्मयुग में आया है इसी सप्ताह कि कुछ ऐसे आदमी हैं जो कम्युनल टेन्शन फलेयर-अप करते हैं और जो वैमनस्यता और बहुत बड़ा साम्प्रदायिक झगड़ा खड़ा कर देते हैं । कई लोग गोली से मारे जाते हैं । मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारे यहां एक बार भी गोली नहीं चली । गोली तो नहीं चली, लेकिन कत्ल तो 36 हो गये हैं । इसका मतलब आपकी गोली से नहीं मारे जा रहे हैं दूसरे मार रहे हैं, इसलिए लोगों की जानें जा रही हैं । यह स्थिति बड़ी खतरनाक है । जहां कम्युनल टेन्शन हैं वहां प्रिवेन्टिव स्टेप्स इमीजियेटली लेने चाहिए । राजस्थान के अन्दर भी मैं देख रहा हूं आज कम्युनल टेन्शन जातियों के बीच पैदा किया जाता है, यह भी अच्छे लक्षण नहीं हैं । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो गुण्डागर्दी फैलने का कारण है वह यह भी है कि कुछ लोग जान-बूझकर कम्युनल टेन्शन पैदा कर देते हैं।

अभी थोड़े दिन पहले जयपुर जिले के अन्दर हरिजनों की काफी भूमि छीनी गयी है । पिछले 7-8 महीनों के अन्दर जितनी भूमि छीनी गई उसके बारे में एक ज्ञापन राज्य सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था । उसमें तमाम गांव वाइज फैक्ट्स दिये हुए हैं कि किस किस को बेदखल किया गया और कब कब किया गया । इसलिए हरिजनों को बेदखल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हो सकता है कि टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट के बाद कुछ कारगर कदम इस संबंध में उठा सकें लेकिन आपको निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए जब कभी भी आपके ध्यान में ऐसे मामले आयें ।

(श्री परसराम मदेरणा)

अभी पाली से आने वाले और दूसरे माननीय सदस्य जब एन्टरटेनमेंट टैक्स के संबंध में यहां चर्चा हो रही थी तो, उपाध्यक्ष महोदय आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि यह सेल्स टैक्स से संबंध नहीं रखता। अभी 7 अक्टूबर, 78 को सेल्स टैक्स के संबंध में एक कान्फ्रेंस हुई थी और उस समय दिल्ली बंद का आव्हान हुआ था जो कि आंशिक रूप से सफल रहा। उसका कारण यह है कि पहले तो लोग वायदा करते हैं और फिर वायदा करने के बाद में मुकर जाते हैं। यह भी एक कारण बनता है आन्दोलनों का और प्रशासन में गड़बड़ी फैलाने का।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं गृह मंत्रीजी को आपकी मार्फत कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह देना चाहता हूं कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस का व्यवहार चाहे वह कम्पलेनेन्ट हो, चाहे वह एक्यूज्ड हो या गवाह हो उसके साथ संवेदनशील व्यवहार नहीं है। आप कहेंगे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है। आप दूसरे कन्ट्री में चले जायें लेकिन पुलिस का व्यवहार इस प्रकार का है कि जनता पुलिस से डरती है और यह बात स्पष्ट करती है कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। कुछ केसेज जो रजिस्टर होने चाहिए वह रजिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि जो भी शहादत देने आयेगा वह वही ज़िल्लत में फंस जायेगा और गवाही देने वाला व्यक्ति कोर्ट और अदालतों में फिरता फिरेगा।

पुलिस संगठन के स्वरूप और गठन के संबंध में भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि सीन ऑफ आकरेन्स पर पुलिस नहीं पहुंचती है। तो एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए या आइडेन्टीफाई करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए जो भी साधन हों वह पुलिस को मुहैय्या कराने पड़ेंगे क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ में सीन ऑफ आकरेन्स के अन्दर जयपुर शहर के अन्दर अगर 7-8 मिनट के बाद पहुंचते हैं तो मैं समझता हूं कि पुलिस की और पुलिस प्रशासन की अक्षमता है। हलके का जो इन्चार्ज है चाहे वह सी॰ ओ॰ हो या डी॰ एस॰ पी॰ हो वहां उसकी जूरिस्डिक्शन में जो भी अपराध हुआ है, जो इन्वेस्टीगेशन हो रहा है इन्वेस्टीगेशन के बाद में जो चालान हुआ है इन तमाम की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहनी चाहिए। ट्रान्सफर हो गया है अच्छी बात है लेकिन मुकदमे में तफतीश ठीक तरह से नहीं हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी हलके के इन्चार्ज की होनी चाहिए। इसके लिए आप उसको पाबन्द कीजिए। यहां पर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पुलिस को पैट्रोलिंग के लिए आप समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं। खोसला कमिशन ने सिफारिश की थी कि पुलिस कर्मचारी से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाये और अगर ज्यादा समय ड्यूटी लेंगे तो उसकी इफीशियेन्सी में निश्चित तौर से डेटरियोरेशन आयेगा। इसलिए मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो ड्यूटी के ऊपर पुलिस काम करती है उसका समय निर्धारित कीजिए और उस अवधि के बाद उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए ताकि उसकी एफीशियन्सी कायम रह सके।

सदन की कार्यवाही

निर्धारित सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठक का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी सक्रिय नहीं हैं या कमजोर हैं उनकी तो येन केन प्रकारेण पदोन्नति हो जाती है और जो ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं वह वंचित रह जाते हैं और फिर हार्ट-बर्निंग होती है और पुलिस का मनोबल गिरता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो कर्त्तव्य निष्ठा वाले हैं, लगन वाले हैं और ईमानदार हैं ऐसे कर्मचारियों को बराबर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुलिस के गिरते हुए मनोबल को रोकने के लिए यह जो प्रशासन में दखलन्दाजी की जाती है यह दखलन्दाजी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पुलिस प्रशासन का जो हैड है उसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह आन्सरेबल हो मिनिस्टर को। जोधपुर के अन्दर एक पुलिस स्टेशन पर चार इन्सपेक्टर बदल गए। एक के बाद एक इन्सपेक्टर लग रहा है। मैंने देखा कि यह प्रशासन है या गवर्नमेंट है ? एक पुलिस स्टेशन के अन्दर चार सब इन्सपेक्टरों का तबादला हो गया है। इस तरह से बिना सोचे समझे जो स्थिति बन गयी है इसको बन्द किया जाना चाहिए और यूनिट ऑफ कमाण्ड का मतलब यह है कि जो आपने सिस्टम रखा है दिल्ली के अन्दर, कमिश्नर की पोस्ट इसलिए कायम की है ताकि क्राइम्स का डिटेक्शन जल्दी से जल्दी किया जा सके।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सजेशन है कि जो क्राइम के सीरियस ऑफेन्सेज हैं उनकी तफतीश के लिये कुछ अधिकारियों को प्रारम्भ में ही सतर्क कर देना चाहिये। आज हो क्या रहा है प्रशासन में कि एक ही मामले में पहले तो रेग्युलर ब्रान्च इन्वेस्टीगेशन करती है। उसके बाद किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को वह मामला इन्वेस्टीगेशन के लिये दे दिया जाता है। यह सब गृह मंत्रीजी के ध्यान में है। मैं उन फैक्ट्स की भी आपको जानकारी दे दूंगा। मेरा मतलब है कि सीरियस ऑफेन्सेज में छोट ऑफिसर के पास तफतीश न रखकर प्रारम्भ से ही किसी उच्च अधिकारी के सुपुर्द की जानी चाहिये।

मेरा एक और सजेशन है। पुलिस की मशीनरी को एफिसियन्ट बनाना है तो पुलिस को काम कम दिया जाय। खोसला कमीशन ने भी निर्धारित किया है कि एक सर्किल इन्सपेक्टर के पास इतने से ज्यादा केसेज नहीं होने चाहियें। जब ज्यादा काम रहता है तो वह एक तरफ तो तफतीश में लगा रहता है दूसरी तरफ वह लॉ एण्ड ऑर्डर को देखने वाला होता है। फिर उसी के जरिस्डिक्शन में आन्दोलन भी होते हैं उनको देखने के लिये भी उसे जाना

(श्री परसराम मदेरणा)

होता हैं। एक एफ०आई०आर० की 8 कापी देनी पड़ती है। बैठा बैठा एक कान्सटेबल काम करता रहता है। मैं चाहूंगा कि एक टाइप मशीन हर पुलिस स्टेशन पर दी जानी चाहिये और टाइप मशीन के साथ एक टाइपिस्ट को भी मुहैय्या करना चाहिये।

दूसरा मेरा सजेशन है, क्राइम होता है वह बम्बई में भी होता है, दिल्ली में भी होता है और राजस्थान के किसी भी जिले में होता है। पुलिस में आज कोर्डिनेशन का अभाव है। इसलिये ज्योंही पुलिस का वायरलेस पहुंचता है तो एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कोर्डिनेट नहीं कर रही है। इसलिये कोर्डिनेशन बैठाया जाय।

इसके साथ ही क्राइम ब्रान्च और रेग्युलर इन्वेस्टीगेशन ब्रान्च में भी कोर्डिनेशन बैठाया जाना चाहिये। रेग्यूलर ब्रान्च से क्राइम ब्रान्च में केस लिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि उस केस को बिगाड़ने लग जाते हैं। सही तफतीश नहीं होती है व सही नतीजा नहीं निकलता है इसलिये रेग्यूलर ब्रान्च और क्राइम ब्रान्च में भी कोर्डिनेशन किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के अन्दर नीचे के तबके में भ्रष्टाचार है। यह चाहे माने या न माने और चाहे जून के महीने में बड़ी चौपड़ पर ऐलान करा हो और चाहे बाड़मेर में यह कहा हो कि भ्रष्टाचार खतम हो गया है लेकिन सही स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार नीचे के रेन्क में पुलिस में है। जो भ्रष्टाचार है, उसे मिटाने के लिये यह आवश्यक है जो कुछ भी सेलेरी मिल रही है, जो कुछ उनकी वेतन श्रृंखला है वह बहुत थोड़ी है इसलिये वेतन श्रृंखला पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिये।

क्राइम के संबंध में यह निवेदन करूंगा पुलिस के अमले को बेटर इक्विप किया जाये। उसके साथ ही जो फाइलिंग का सिस्टम है जो पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं, उनकी फाइलें ठीक नहीं हैं। उनकी फाइलों को बराबर मेन्टेन नहीं किया जाता है। जो जुर्म किया हुआ पकड़ा जाता है और वह हिस्ट्री शीटर है तो इसका मतलब है, वह जान बूझकर क्राइम करता है। उसको सीरियस आफेन्स में लिया जाना चाहिये। पता नहीं क्यों जब एक क्राइम में किसी को पकड़ा जाता है और उसको दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कहते हैं यह तो नोटोरियस है। जिसे कहेंगे वही नोटोरियस आदमी है। मेरा निवेदन है फाइल रहे हिस्ट्रीशीटर की तो उसकी पिछली सारी एक्टिविटी का पता लग सकता है....

श्री प्रद्युम्नसिंह दांता : ऐसे हिस्ट्रीशीटरों का मामला कांग्रेस राज्य में उठा था लेकिन कौन कौन नोटोरियस हैं, वह प्रकाशित नहीं हुआ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उसमें से कुछ मंत्री बन गये।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें से मंत्री भी बन गये और शायद एम० एल० ए० भी बन गये हों।

दूसरा मेरा सजेशन है, फारेन्सिक लेबोरेटरी है उसको भी आपको इक्विप करना चाहिये। अब जो क्राइम कर रहे हैं व इतने होशियार हैं कि पकड़

Page No 144

(143)

श्री परसराम मदेरणा

में नहीं आ रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि क्राइम दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था स्काटलैण्ड यार्ड द्वारा 90 परसेंट केसेज डिटेक्ट हो जाते हैं। हिन्दुस्तान में केवल 50-60 परसेंट डिटेक्ट हो सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन जरूरी है। इसके लिये फोरेन्सिक लेबोरेटरी को ज्यादा इक्विप करना चाहिये और हाई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट स को इसमें रखना चाहिये। उनको ट्रेनिंग और स्पेशल कोर्स द्वारा ट्रेन्ड किया जाना चाहिये क्योंकि अब पुराने तरीके से इन्वेस्टीगेशन करेंगे तो कोई हल नहीं निकलने वाला है। यही मानते रहें कि डण्डा एक हल है तो मैं समझता हूं कि इनह्यूमन भी होगा और क्राइम को ठीक प्रकार डिटेक्ट नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा इस संबंध में भी आप पहल कीजिये। क्राइम ब्रान्च में आप इस बात का प्रशिक्षण दीजिये। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत क्ल्यू मिलता है उससे पता लगाकर क्राइम को डिटेक्ट किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस विभाग की क्राइम लिस्ट है इसमें आंकड़े हैं और समय समय पर जो आई० जी० पी० ने अपने प्रशासन का पूरा पूरा सरकार को विवरण दिया है, उसका भी उल्लेख है....

(6.58 सायं)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पीठासीन)

यह भैरों बाबा को संबोधित किया गया है। सरकारी पद्धति में यह भैरों बाबा कहां से आ गया है? हो सकता है गांव वालों ने लिख दिया हो लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। पुलिस की तरफ से जो भी इन्वेस्टीगेशन हो सकती हैं, वही करना चाहिये भैरों बाबा से तो कोई काम चलता नहीं है। मुख्य मंत्रीजी को बाबा बनाने की बात की जा रही है। अगर मुख्य मंत्रीजी बाबा हो गये तो बण्टाधार हो गया। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाये। इन्वेस्टीगेशन के तरीकों में जो अभी तक ढर्रा चल रहा था, उसमें भी संशोधन किया जाना चाहिये। और उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये

बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने अपने भाषण में जो बातें सदन के सामने रखी हैं उनको तो मैं दोहराना पसन्द नहीं करूंगा मगर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो चर्चा इस वक्त सदन में चल रही है वह कानून और व्यवस्था की चर्चा इस बात की द्योतक है कि समय आ गया है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो इन दिनों बिगड़ती जा रही है, उस पर सदन में चर्चा करके कुछ ऐसे कदम उठाये जायं जिनसे उसको रोका जा सके। इस भावना से आपने इस सदन में चर्चा करने के लिये विषय रखा है। मैं गृह मंत्रीजी, एक एक बात में तो जाना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन दो-चार बड़े मुद्दों की बात कहना चाहूंगा। मैं आंकड़े भी नहीं रखूंगा। माननीय मदेरणा साहब ने कहा है सुबह उठते ही अखबार में पढ़ने को ऐसी खबरें मिलती हैं और जितनी रिपोर्ट इस

(श्री मथुरादास माथुर)

बारे में निकलती है उनसे मालूम होता है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि दिल्ली और बम्बई में, सब जगह हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था में कुछ कमजोरी आई है कुछ लोग कहते हैं कि स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, सरकारी पक्ष वाले कहते हैं कि कम हुई है। अब इस बहस से कोई मतलब नहीं निकलेगा। यह बात मान कर के चलना पड़ेगा कि कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाय कि राजस्थान पुलिस की कमी है और इस वजह से क्राइम बढ़े हैं तो मैं इसको नहीं मानता राजस्थान में हर पांच सौ आदमियों की आबादी के पीछे एक पुलिस का आदमी है, चाहे वह आर्म्ड कांस्टेबल हो चाहे अन-आर्म्ड कांस्टेबल हो। राजस्थान के अन्दर तीस पर्सेन्ट पुलिस फोर्स आर्म्ड है। राजस्थान में हर पांच सौ आदमियों की आबादी के ऊपर एक क्राइम होता है। यह राजस्थान की क्राइम स्थिति नटसैल में समझ लीजिए। इसलिए राजस्थान के गृह मंत्री यह कहें कि हमारे पास पुलिस की नफरी कम है इसलिए क्राइम बढ़े हैं तो मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप यह मानते हैं तो आपको पुलिस फोर्स बढ़ानी चाहिए। अभी मदेरणा साहब ने ब्रिटिश देश का हवाला दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि आज पुलिस के अन्दर ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। आज अगर आप पुलिस को ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पुलिस को ज्यादा आजादी दें तो मैं चाहता हूं कि आप पुलिस को मोबीलिटी दीजिए। आज पुलिस के आदमियों के मुकाबले में जो जुर्म करने वाले हैं, जो क्रिमिनल हैं उनके पास मोबीलिटी है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि जीप में बैठ कर आए और बैंक लूट ले गए, हत्या कर गए, लड़की को उठा कर ले गए, मोटर साईकिल पर आए, जीप में आए और उड़ा कर ले गए। ऐसी सूरत में पुलिस फोर्स को ठीक करने के लिए पुलिस को एक्टिव करने के लिए पुलिस को मोबीलिटी मिलनी चाहिए। मैं और सुझाव तो बाद में दूंगा, पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर राज्य सरकार पुलिस फोर्स को ठीक करना चाहती है तो मेरी यह धारणा है कि राजस्थान की पुलिस फोर्स अपने आप में खराब नहीं है। राजस्थान की पुलिस फोर्स भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि और जगहों की पुलिस फोर्स है। हां, यह हो सकता है कि सियासी कारणों से थानों के अन्दर इधर-उधर गड़बड़ कर लें मगर पुलिस फोर्स को एज ए होल कण्डम नहीं कर सकते। सवाल यह है कि आज की मौजूदा स्थिति में, आज के मौजूदा वातावरण में पुलिस फोर्स को काम में लेना चाहते हैं, इसको कायमाव करना चाहते हैं तो, गृह मंत्रीजी, आप अपनी पुलिस फोर्स पर पूरा कोन्फीडेंस करिये। आज हम यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार का पुलिस फोर्स का कोन्फिडेंस कम नजर आता है और पुलिस फोर्स का सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कोंफिडेंस कम नजर आता है। यह बीमारी बढ़ रही है जिस पर आपको कण्ट्रोल करना पड़ेगा। आज पुलिस के आदमी सोचते हैं कि अगर हमने कोई काम किया, कोई इनीशियेटिव ले लिया तो कल कमीशन बिठा देंगे, हमारी इन्क्वायरी हो जाएगी। इसलिए वे किसी

(145)

(श्री मथुरादास माथुर)
काम में इनीशियेटिव नहीं लेते । इस प्रश्न पर आप विचार करें । लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पर कण्ट्रोल करने के लिए, बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए जो आपकी पुलिस फोर्स है उस पर आपको कोंफिडेंस रखना चाहिए । और पुलिस फोर्स का आपमें कोंफिडेंस रहना चाहिये। लॉ एण्ड ऑर्डर के प्रश्न पर आप अपने अधिकारियों को प्रोटेक्शन दें और छोटे बड़े अफसरों के खिलाफ मुकदमें चला कर उन्हें डी-मोरेलाइज्ड नहीं करें ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पुलिस फोर्स की जो दूसरी स्थिति है, दूसरी बात आज जो पुलिस फोर्स की है वह यह है कि उसके अन्दर जो रोंग डूअर्स हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, जो रिश्वत लेने वाले हैं उनके खिलाफ आपको इमीजियेटली एक्शन लेना पड़ेगा । हम सदन में कई बातें कहते हैं, कई माननीय सदस्य, उस तरफ बैठने वाले हों या इस तरफ बैठने वाले हों, बोलते हैं तो उनको जवाब मिलता है कि मैं जांच करूंगा । किन्तु जांच होती नहीं है । लम्बे समय तक मामले चलते रहते हैं । एक्शन नहीं होता है । जब एक्शन नहीं होगा तो रोंग डूअर्स को प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिए आप उनके खिलाफ इमीजियेटली एक्शन लें और सदन में बतायें कि आपने क्या एक्शन लिया है । इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए ताकि जो दूसरे रोंग डूअर्स हैं उनके अन्दर दहशत पैदा हो कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी ।

इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छे सवार की तरह से काम करिये । आप अपने अफसरों के कहने से ही मत चलिये । आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा । आपके सामने जो सुझाव आते हैं उनके आधार पर आप ठीक तरह से काम कीजिए तभी आप पुलिस फोर्स पर काबू पा सकेंगे । आज यह हालात बन गए हैं कि न आप में पुलिस फोर्स का कोंफिडेंस है और न पुलिस फोर्स में आपका कोंफिडेंस है । वैसे पुलिस फोर्स के बारे में अमूमन यह बताया गया है कि पुलिस फोर्स हमारे यहां पर जो है वह डिटेक्शन ऑफ क्राइम के लिए है, मगर कुछ पुलिस के पुराने आदमी क्राइम ब्रान्च के अन्दर हैं, उनका काम क्राइम को मेंटेन करने का नहीं बल्कि प्रिवेन्शन एण्ड डिटेन्शन ऑफ क्राइम का है लेकिन आज वे मेंटीनस ऑफ क्राइम का काम कर रहे हैं । पुलिस के लोगों से मेरा वास्ता रहा है, मेरी ऐसी धारणा है और मैं कह सकता हूं कि पुलिस स्टेशन पर पुलिस के आदमी अगर एफिशियेंट हों, ऑनेस्ट और कैपेबल हों तो मजाल नहीं कि उसके इलाके में कोई गुण्डा और कोई क्रिमीनल नजर में आने से बच जाए । हजार केसेज में दो-चार की बात नहीं कहता लेकिन अगर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट या एस.एच.ओ., इंस्पेक्टर एफिशियेंट हैं, ऑनेस्ट एण्ड कैपेबल है तो कोई वजह नहीं कि उसके एरिया में कोई क्रिमिनल उसकी नजर में नहीं आये और क्राइम होने के बाद 24 घंटे में मुल्जिम पकड़ा नहीं जावे । हिम्मत नहीं है किसी क्रिमिनल की । रात को 'खबरदार रहो,' 'खबरदार रहो' की आवाज लगाते फिरते हैं, एक-एक आदमी को सम्भालते हैं, लकड़ी बजा-बजा कर देखते हैं लेकिन जब पुलिस

(श्री मथुरादास माथुर)
वाले खुद ही क्रिमिनलों से मिल जायं तो व क्राइम का डिटेक्शन और प्रिवेंशन करने के बजाय क्राइम मेंटेन करते हैं। पुलिस रूपी हमारी जो इमारत है वह एक जगह से भी लीक हो जाएगी तो सारी इमारत गिरने का खतरा हो जाएगा।

आज सवाल इतना ही नहीं है कि पुराने ऑफेंसेज को कैसे रोका जाय। आज के दिन नए ऑफेंसेज बढ़ गए हैं, नई प्राब्लम्स खड़ी हो गई हैं- उनमें एक तो है स्टूडेन्ट अनरेस्ट की और दूसरी है हरिजनों के ऊपर अत्याचार की। यह फैक्टर है जो नया आ रहा है। मैं पहले स्टूडेंटस अनरेस्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, 7520 वाकये यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर हुए हैं। यह हिन्दुस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में अर्ज कर रहा हूं। इसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान भी बहुत बड़ा कण्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यह आप सब जानते हैं। उनमें से 1146 इंसीडेंस वायलेंट नेचर के हुए हैं यूनिवर्सिटी कैम्पस में। 1977 के बाद, आपकी हुकूमत के आने के बाद 1978 में अगस्त, 78 तक 5838 इंसीडेंस यूनिवर्सिटी कैम्पस में हुए जिनमें से 1050 वायलेंट नेचर के केसेज हुए हैं, यह दूसरा फिगर रख रहा हूं, आपके सामने। अब जो वाकये होते हैं, जो इंसीडेंस हैं वे नॉन-एकेडेमिक नेचर के हैं। एकेडेमिकनेचर के नहीं हैं बल्कि नॉन-एकेडेमिक नेचर के है आइदर वे इंसीडेंस यूनिवर्सिटी कैम्पस में पोलिटिकली मोटीवेटेड हैं या रिजर्वेशन ऑफ जोब्स एण्ड री-नेमिंग ऑफ यूनिवर्सिटी के नाम पर हो रहे है। बस और सिनेमा में कन्सेशन के नाम पर इंसीडेंट हो रहे हैं। पूरा एनेलेसिस कमेटी के द्वारा किया हुआ है कि इन कारणों से य इंसीडेंट हो रह हैं। अब स्टूडेंट अनरेस्ट यूनिवर्सिटीज में बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां पर कत्ल हो रहे हैं, आदमी को काट दिया जाता है और आप कहते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है। यह इम्पोर्टेंट फीचर है कि स्टूडेंट पढ़ने के बजाय वायलेंस में लगा हुआ है। यह गंभीर चिंतन का विषय है।

श्री मदनसिंह दांता : आप क्या समझते हैं केवल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ? पार्टीज भी जिम्मेदार हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : जो आपने सवाल पूछा है मैं इसका जवाब बाद में दे दूंगा।

मेरा सुझाव है कि स्टूडेंट अनरेस्ट के लिये पोलिटिक्स एण्ड पोलिटिकल पार्टीज इन दी कम्पस जिम्मेदार हैं। आज आपकी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं। इलेक्शन में इनको डिबार करना चाहिए। वे तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से और इलेक्शन लड़ते हैं पोलिटिकल पार्टीज का।

तीसरा कारण है अनएम्पलॉयमेंट और नग्लीजेंस ऑफ दी स्टाफ। आज स्टूडेंट एण्ड स्टाफ के रिलेशन खराब हो रहे हैं। आज स्टूडेंट स्टाफ के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और स्टाफ स्टूडेंट के खिलाफ हो रहा है। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी हुआ है। ये सब बातें यूनिवर्सिटीज के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की कन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इनके द्वारा यूनिवर्सिटीज के अन्दर पोलिटिक्स चली जाती है। यह

(श्री मथुरादास माथुर)

तो अच्छा हुआ कि यूनिवर्सिटी से आर० एस०एस० के कैम्प हटा दिये गये। किन्तु यूनिवर्सिटी में कई यूथ आर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्टेड बाय पोलिटिकल लीडर्स हैं। उनके कारण इलेक्शन में कनफिलक्ट होता है। नतीजा यह है कि आज यूनिवर्सिटी एक हंगामा हो गई इससे लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है। पुलिस को भेज दिया तो लड़कों को एतराज हो गया। हमारी ऑटोनामी में दखल हो गया। वाइस चांसलर को ऐतराज हो गया इस लिए मेरा यह सुझाव है कि आपके विभाग के अलावा यूनिवर्सिटी की अलग से पुलिस होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के अन्दर अलग से पुलिस है। कभी भी कोई झगड़ा होता है तो आपकी पुलिस जाती है, वह कनफिलक्ट में आती है और स्टूडेन्ट पुलिस का झगड़ा बन जाता है। यह चीज लॉ एण्ड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली है। इसलिए यूनिवर्सिटी केम्पस को पुलिस से अलग करें। उनका इन्चार्ज अलग हो। हिन्दुस्तान के बाहर भी यह है। आप भी अपने यहां पर एक एक्सपेरीमेन्ट कर के देखें। झगड़ा होता है तो पुलिस चली जाती है। लड़के पुलिस को देख कर प्रवोक होते हैं। पुलिस भी बदनाम होती है। इसलिए आप पुलिस और स्टूडेन्ट को कनफिलक्ट में लाने की कोशिश न करें।

अब, श्रीमान, जो दूसरा विषय मैं ले रहा हूं वह है हरिजनों पर एट्रोसिटीज का 1966 से 1976 तक 40 हजार केस रिपोर्ट हुए थे यानी 40000 एट्रोसिटीज हरिजनों के खिलाफ हुई 66 से 76 तक और अकेले 77 में 10860 एट्रोसिटीज हुई हैं पूरे हिन्दुस्तान में अगस्त 78 तक 5952 एट्रोसिटीज हुई हरिजनों पर जिनमें रेप, लैन्ड के कारण मारपीट मर्डर हैं, ये सब एट्रोसिटीज में चले आते है। इस देश के अन्दर शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं जिसको कि हरिजन कहा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई सरमायदार आदमी, बड़ी कौम का है, किसी हरिजन के बीस जूते रख दे तो वह पुलिस रिकार्ड में नहीं आता है क्योंकि वह कॉगनीजेबल ऑफेन्स नहीं है। जब तक सिर न फटे, दांत न टूटे, वह कॉगनीजेबल ऑफेन्स नहीं बनता है। इस लिए इसको रिकार्ड भी नहीं किया जाता है। अमूमन समाज के अन्दर ऊंची जाति के लोग हरिजनों को जूते से पीटते हैं और वह कोई ऑफेन्स नहीं बनता है। इसलिए मैं आपसे निवदन करूंगा....

श्री सम्पतराम : इसके लिए आपका क्या सुझाव है, यदि यह सही है तो ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए आपको आई०पी०सी० में संशोधन करना चाहिए, चेन्ज लाना चाहिए। आपका नेशनल कमीशन दिल्ली में है। उसके सामने सुझाव दिया है। हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार करता है, जो हरिजनों को जूता मारता है, वह इन्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत सीरियस आफेन्स बनना चाहिए। दो आदमी, जो बराबरी के हैं, आपस में लप्पड़ मारें तो कोई बात नहीं है लेकिन कोई हरिजन को पीटता है, तो ये लोग सताये हुए हैं समाज के द्वारा, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : कोई राज्य कर्मचारी के थप्पड़ मार दे तो।

श्री मथुरा दास माथुर : आप मुकद्मा करो।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरिजनों के मर्डर और रेप के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं। जो दूसरी डिसीज हैं उनके बारे में माननीय परसराम जी ने निवेदन कर दिया है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जनवरी से जुलाई 78 तक मर्डर और रेप के फिगर हैं उनमें सब से पहला नम्बर यू०पी० का है, दूसरा नम्बर मध्य प्रदेश का है, तीसरा नम्बर बिहार का है और चौथा नम्बर राजस्थान का है। पूरी यू०पी० स्टेट के अंदर जनवरी से जुलाई के महीनों तक 94 रेप्स के केसेज हुए और 89 मर्डर्स हुए। मध्य प्रदेश में इसी पीरियड में 64 रेप और 35 मर्डर हुए। बिहार में 58 रेप और 41 मर्डर हुए और राजस्थान में 40 रेप और 40 ही मर्डर हुए हैं। यह जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं यह होम मिनिस्ट्री के दे रहा हूं। चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में ये सर्क्यूलेट हुए थे। यह आंकड़े हैं इनमें राजस्थान का नम्बर चौथा था। यू०पी० की पापूलेशन राजस्थान से चार गुना ज्यादा है। पापूलेशन के हिसाब से पर्सेंटेज निकाला जाय तो राजस्थान का नम्बर फर्स्ट हो जाएगा। य०पी० की आबादी से इसको केलकुलेट करें तो हमें राजस्थान आग निकलता नजर आएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो मर्डर और रेप के केसेज हो रहे हैं इनका क्या कारण है? इनके कारण हैं, —पहला तो कास्ट फीलिंग, दूसरा है अनटचेबिलिटी, तीसरा लेन्ड डिस्प्यूट, चौथा मनी लेन्डिंग, पांचवां वान्डेड लेवर, छठा पोलिटिकल एनीमिटी एण्ड मोटिवेशन और सातवां policemen belonging to caste Hindus and their apathetic or antipathetic attitude. तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन कारणों से लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है और हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि हरिजनों पर अत्याचार हो तो पुलिस क्या कार्यवाही करे? सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्याचार रोकने के लिए सारी पुलिस की ही कोई जवाबदारी नहीं है। यह मैं पहले कह चुका हूं कि इतने आफेन्स कमिट हो चुके हैं, रेप, मर्डर के इसलिये पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल सेल कायम होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर राजधानी में इसका सेन्टर हो, हैडक्वार्टर हो जो कि इस बात को देखें। गृह मंत्री महोदय, यदि 6 महीने ही इसने काम को एफिसियेन्टली देख लिया तो काम ठीक हो जाएगा। यह बात भी देखनी होगी कि किसी गांव में इस प्रकार की घटना हो गई तो वहां पर जो थानेदार हैं, वह समाज के जिस तबके से आता है वह उस तबके के साथ ही रहेगा। कोई पुलिस का आदमी हो गया तो यह जरूरी नहीं कि वह धर्म निरपेक्ष हो गया, या अनटचेबिलिटी में उसका विश्वास हो गया। यह उसके विचार नहीं हो सकते। आज हम, जो एम०एल०ए० हैं, में भी यह विचार नहीं मिटा है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हैडक्वार्टर्स पर जो आदमी हों जिनके ऊपर भी यह जवाबदारी डालें वह कम से कम इस मायने में ठीक हों, ऐसे आदमी हों जो कास्टिज्म में विश्वास

(श्री मथुरादास माथुर)

न रखने वाला हो, जो एफिसियेन्ट हों और जो हरिजनों को प्रोटेक्शन देने की भावना को रखता हो । इस प्रकार का सेन्टर में एक सेल कायम कर दीजिए और मुख्तलिफ जिलों के अन्दर ब्रान्चेज बना-इये । आफेन्स कोई होता है तो इमी-जिएटली रिपोर्ट होकर उसका इन्वेस्टी-गेशन शुरू हो जाए और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए । अगर यह काम आपने किया तो इसका असर पड़ेगा और जो लॉ ब्रेकर हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी ।

अब मैं, श्रीमान्, तीसरे पान्इट पर आता हूं। कम्युनल रायटस राजस्थान के अन्दर चित्तौड़ में हुआ । अभी अली-गढ़ में यह चल रहा है । यह सब हो रहा है । इसकी जवाबदारी पुलिस पर आती है । अलीगढ़ में जो रायट्स हुए उसके लिए आर०एस०एस० का नाम आ रहा है अखबारों में....

श्री मदनसिंह दांता : जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि इसकी जांच ठीक नहीं हुई है इसलिए सब पार्टियों की जांच होनी चाहिए । जयप्रकाश नारायण का यह स्टेटमेंट अखबारों में आया है । यह आर० एस०एस० का कार्यक्रम नहीं है । किसी स्वयंसेवक ने किया होगा परन्तु सारी पार्टी को आप बदनाम नहीं कर सकते ।

श्री नूरा : अखबारों में जो बात आई वह बिलकुल सही है । जांच करने वालों ने यह बयान दिए हैं कि इसमें आर०एस० एस० का हाथ है ।

श्री उगमराज मेहता : मेरा यह आरोप है कि इसमें कोई नहीं सिर्फ कांग्रेस (आई) और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है ।

श्री नूरा : आप यह साबित कर दे । कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीपतियों की विरोधी है । आप तो पूजीपतियों के एजेन्ट हैं...

श्री उगमराज मेहता : आप राव मसूदा के एजन्ट हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह महता : आप उनके एजेन्ट हैं ।

श्री नूरा : आप किसके एजन्ट हैं यह तो राव साहब ने मेहरबानी की थी ।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महो-दय, मैं निवदन कर रहा था, मैं किसी को दोष नहीं देता । अलीगढ़ की रिपोर्ट आ जाएगी । जनता पार्टी के लिये जो बयान आये हैं कोई गलत कह सकते हैं....

(व्यवधान)

मैं तो समझता हूं कि यह एक इंडि-केशन है, राजस्थान में चितौड़ में कम्युनल राइट हुआ । हमारे मुख्य मंत्री जी देख कर आये और हमारी जानकारी के लिये कह दिया सब ठीक है । मैं कहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर के रूट में मानना पड़ेगा कि कनफ्लिक्ट है एक डोमिनेन्ट कल्चर का कम्पोजिट कल्चर से । कुछ इस्टीट्यूशन आर० एस० एस०, पोलिटिकल पार्टीज डोमिनेन्ट कल्चर के हामी हैं । मैं समझता हूं इसलिये हिन्दू-मुस्लिम रिलेशन नेचरली हिन्दू धर्म में नहीं हैं । जो किताबें लिखी हैं वह हमने पढ़ी हैं । इसलिये यह एक

(श्री मथुरादास माथुर)
बड़ा अहम सवाल है ।

श्री मदनसिंह दांता : यह समस्या नहीं है । आप हिन्दू मुस्लिम राइट करा कर पाकिस्तान का बंटवारा कराने वाले. . .

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो अपनी बात कहता हूं ।

मैं लॉ एण्ड ऑर्डर के संबंध में एक और निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक इकानामिक ओफेन्सेज का सवाल है, श्रीमान्, जहां तक हिन्दू-मुस्लिम रिलेशन्स् का सवाल है वहां पोलिटिकली मोटिवेटेड पार्टीज इंपोर्टेंट रोल अदा करती हैं । अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में आपने लोगों को तरह-तरह से तसल्ली दी । डोमिनेन्ट कल्चर में विश्वास करने वाले जितने भी हैं उनका सिलसिला बढ़ता है तब लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था करने में सरकार को जोर पड़ता है । मैं फिर कहता हूं पोलिटिकली मोटिवेटेड जो हैं जो डोमिनेंट कल्चर पर विश्वास करते हैं उनको आपकी सरकार को, जो गवनमेंट में बैठे हुए हैं कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिये । इतना ही मेरा निवेदन है । कोई भी आर०एस०एस० में हो सकता है मैं तो फिलोसफी की बात कर रहा हूं । अगर फिलोसफी गलत है तो एक्शन भी गलत होगा फिर पोलिटिकली स्टेण्ड नहीं करेगा । नतीजा यह होगा कि लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ेगा । इस बारे में भैरोंसिहजी ने कहा, मैं गांवों में कदम उठाऊंगा । हम देखते हैं लोग कई बार कहते हैं और जगह-जगह कहते हैं कि राज हमारा है । उनकी समझ में आना चाहिये राज जनता का है । जनता के हित के लिये आप योजनाएं बनाते हैं तो आप उनको प्रोटेक्शन दें ।

श्रीमान्, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं एक-दो बात और कहना चाहता हूं । टाइम मेरे पास थोड़ा है ।

एक तो यह कि आजकल इन्वेस्टीगेशन काफी साइंटिफिक बन गया है इसलिये आप लॉ एण्ड आर्डर की एजेन्सी और इन्वेस्टीगेशन की एजन्सी को अलग कर दीजिये । यह मैं बहुत बोल्डली सुझाव दे रहा हूं। गृह मंत्री जी, इस पर आप चिन्तन कीजिये । आज इन्वेस्टीगेशन काफी साइंटिफिक बन गया है यह क्रिमिनल्स भी जानते हैं । वे भी हाथ में मोजे, दस्ताने पहन कर जाते हैं । मैं आपको कहता हूं इत्र की खुशबू डाल देते हैं ताकि कुत्तों को पता ही नहीं चले । तो साईंस तो चोरों के लिये भी अवेलेबल है और साहूकारों के लिये भी अवेलेबल है । इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस में बैठे पुराने आदमी आज इन्वेस्टीगेशन करें तो इन्वेस्टीगेशन नहीं हो सकेगा । साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन हो गया है इसलिये मेरा निवेदन है कि इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी को अलग कर दीजिये और लॉ एण्ड आर्डर एजेन्सी को अलग कर दीजिये ताकि जनता में रोष नहीं हो । इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से सांइस ऑफ क्रिमिनोलोजी डवलप हो रही है उसको देखते हुए इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी, प्रोसीक्यूशन एजेन्सी, लॉ एंड आर्डर एजेन्सी को अलग-अलग कर दीजिये ।

श्रीमान् मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं । लॉ एंड आर्डर एजेन्सी को अलग करने के सुझाव के बावजूद मैं कहूंगा कि पुलिस के पास कम्युनिकेशन

(श्री मथुरादास माथुर)
के साधन बहुत होने चाहियें। पुलिस कहती है कि टेलीफोन नहीं है, तार नहीं है, वायरलैस नहीं है। इसलिये आप कम्यु-निकेशन के साधनों पर कुछ खर्चा कीजिये। आज मल्क में, विशष कर राजस्थान जैसे प्रदेश में आबादी के लिहाज से आप नफरी बढ़ायें उससे पहले आप किसी दूसरे मुल्क की स्टडी तो कर लीजिये। वहां पुलिस फोर्स की नफरी देख लीजिये। मैं जाकर आया हूं अभी अफ्रीका में एरिजोना। बिल्कल डेजर्ट एरिया है। वहां पर टोटल मिला कर ढाई हजार आदमी थे पुलिस फोर्स के लेकिन कम्युनिकेशन था, हर बात थी। उनका पुलिस सिस्टम कुछ डिफरेन्ट है आपसे....

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : पुलिस ने भी आपकी स्टडी की या नहीं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : वहां की पुलिस ने स्टडी की होगी या नहीं, श्रीमान्, मगर जंगे आजादी से यहां हूं और मेरी हिस्ट्री-शीट खुली हुई है। आप क्या पूछते हैं? आप अपनी हिस्ट्री पुलिस में देखिय।

श्री **नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** : वे गृह मंत्री जी से पूछ लेते हैं क्योंकि उनकी खुली हुई है।

श्री **मथुरादास माथुर** : श्रीमान्, मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि अब पुरानी पुलिस नहीं रह सकती। आपने डिस्ट्रिक्ट. लेवल पर विजिलेन्स कमेटी बैठाई है लेकिन कभी कलेक्टर नहीं आते कभी कोई अजण्डा नहीं होता है। तो जो भी विजिलेन्स कमेटी है व सरकार पर बर्डन है। वहां रेस्पेक्टेड एम० एल० एज० आते हैं तो....

श्री **संपतराम** : मेरी अर्ज सुनियें। ये कमेटी पहले कायम की गई थीं। अब हम चाहते हैं कि वे किसी तरह से तरक्की करें। यह हमारा उद्देश्य है और आप...

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं तो सात साल से राजस्थान में हूं नहीं, खैर छोड़िये।

आपको मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि पुलिस पीपल्स रिलेशन्स कमेटी कायम होनी चाहिये, उसमें गांव के नागरिक, समाज के अच्छे आदमी सभी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में डिस्कस कर सकते हैं। इन्वस्टीगेशन पर ही नहीं जनरल डिस्कशन कर सकते हैं कि रूल्स में, कानून में पुलिस किस तरह काम करें। पुलिस अब पुराने अन्दाज से नहीं रह सकती। पुलिस को पब्लिक सर्वेन्ट के रूप में काम करना पड़ेगा। यही मैं निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके पुलिस के नुक्ते निगाह को सुधारने की कोशिश करें। इसके साथ-साथ जो सुझाव दिये हैं उन पर भी चिन्तन करें। नेशनल कमीशन जो बना है उसकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं वह जल्दी से जल्दी आये। वह कितना इन्क्लाब एक लाती है यह देखना है।

हमारे यहां बाड़मेर जिले में बिजराड़ा गांव है वहां से पाकिस्तान के लोग आकर जबरदस्ती एक औरत को उठाकर ले गय।

श्री **भैरोंसिंह शखावत** : कौन सा गांव है ?

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : चौहटन तहसील में है बिजराड़ा।

श्री **मथुरादास माथुर** : पाकिस्तान

(श्री मथुरादास माथुर)
वाले आये और बन्दूक की नोंक पर एक औरत को उठा कर ले गये। आपकी बोर्डर की मीटिंग हुआ करती है। आप कोशिश करके उस औरत को लाने की कृपा करें। मेरे पास एक चिट्ठी आई थी इसलिए मैंने कह दिया।

श्री मदनसिंह दांता : न्यायपालिका के बारे में भी कह दें, उनका जो आज रोल है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर सेपरेटली कहा जा सकता है।

श्री मदन सिंह दांता : स्पेशली लॉ एण्ड आर्डर के लिए रेस्पान्सिबल है। Are they not responsible for maintaining law and order ?

श्री मथुरादास माथुर : लॉ एण्ड आर्डर के लिए वह रेस्पान्सिबल नहीं है। इन्वेस्टीगेशन अलग कराना चाहते हैं तो न्यायपालिका को एजीक्यूटिव का काम दिलाया जाय, यह बात पासिबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द ठाकोर।

श्री माणकचन्द ठाकोर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, जब किसी की शिकायत आती है तो जांच आयोग की बात की जाती है। सरकार, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जांच आयोग के लिए इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह यह सोचती है कि अगर जांच आयोग की रिपोर्ट प्रशासन या पुलिस के पक्ष में आये तो उसकी घोषणा कर देंगे और कह देंगे कि जांच आयोग आपकी शिकायत को गलत मानता है। अगर जांच आयोग के द्वारा पुलिस एट्रोसिटीज या प्रशासन की ज्यादतियां साबित होती हैं तो यह फिर उनके हाथ में रहता है कि वह कमीशन की रिपोर्ट को सदन में रखे या न रखे, और उस पर कोई कार्यवाही करें या न करें। बेरी कमीशन के सम्बन्ध में जो विस्तृत चर्चा हुई थी उसमें यही हुआ था।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि नैनवा काण्ड में जो सुरेश माथुर कमीशन बैठाया गया था उसके सम्बन्ध में हमने तीन महीनों के बाद अखबारों में पढ़ा कि जांच रिपोर्ट दे दी गई है। उसके बाद मैंने प्रश्न के जरिये से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मैंने वह रिपोर्ट नहीं देखी है, तीन महीने लग गये वह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी गई, और उसके सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वह रिपोट निश्चित रूप से पुलिस या प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए। यह रवैया सरकार का बन चुका है कि पुलिस और प्रशासन कोई ज्यादती करे और ज्यादती साबित हो जाय कमीशन में तो निश्चित रूप से सरकार पुलिस और प्रशासन को बचाना चाहेगी। सरकार इस बात से आतंकित हो गई है और डर गई है, जैसा कि मंत्री लोग कहते हैं कि अगर हमने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की, गो वह किसी की हत्या कर दें, गो वह किसी के हाथ पांव तोड़ दें, बिना कानून के और बिना अख्तियार के वह निरपराधी लोगों पर लाठियां चलाये, तो उनमें डिमोरेलाइजेशन होगा। इसलिए आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही

(श्री माणकचन्द ठाकोर)

नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन बैठाये जाते हैं वह केवल यह देखने के लिए बठाये जाते हैं कि पुलिस का पक्ष ठीक है। पुलिस की ज्यादतियों को साबित न करने के लिए ही वह बैठाये जाते हैं या अगर साबित हो जाय तो उसको दबाने के लिए बैठाये जाते हैं। उसके सम्बन्ध में उच्चस्तर पर निर्णय हो जाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि होम कमिश्नर ने बात की थी या और उच्च अधिकारी ने बात की थी जब कि मैंने नैनवा काण्ड का सवाल उठाया था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना कर पुलिस के अधिकारी को बचाने की कोशिश की थी। वह आज आपकी आंखों में भी धूल डालने की कोशिश करेंगे। अगर आयोग की रिपोर्ट में निरपराधियों पर लाठी चार्ज बिना किसी अधिकार के करना साबित होता है या यह साबित होता है कि लाठी चार्ज करना अनिवार्य नहीं था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले तीन महीनों से वह रिपोर्ट आपने किस कानून से दबाकर रख रखी है। क्या आपका न्याय करने का यही तरीका है कि उसको अपनी बगल में लेकर बैठ जायं और यह कोशिश करते रहें कि जुल्मी को बचाया जाय।

मेरे गांव नैनवा में पच्चीसों आदमी भून दिये गये और एक बच्चे की हत्या हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पेश करने की कृपा करें। मैं नहीं कहता कि आज की सूरत में गृह मंत्री जी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मैं आरोप नहीं लगाता हूं। यह मेरा कयास है क्योंकि तीन महीने से रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जा रहा है, और न यहां रखा जा रहा है। इससे यह इन्फरेन्स निकलता है। कयास के आधार पर ही मैं निवेदन करता हूं कि आप स्पष्ट रूप से नतीजा निकालने की स्थिति में नहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अकसर बेचारे हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये जा रहे हैं। यह भी कहना चाहता हूं कि अन्त्योदयी परिवारों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने माननीय राजस्व मंत्री श्री पुरुषोत्तम मंत्री से रिक्वेस्ट की। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने आदेश दिये कि एस. डी. ओ., हैडक्वार्टर या कम से कम जिले के हैड-क्वार्टर पर एक पुलिस का एस्कार्ट रहेगा और एस. डी. एम. और एस. डी. ओ. के साथ थानेदार रहेगा। उसका यही काम होगा कि जहां हरिजनों की जमीनों को छीना जाय और जहां हरिजनों पर अत्याचार हो, जहां कहीं अन्त्योदयियों के ऊपर अत्याचार हों तो पुलिस को तुरन्त आदेश देकर एस. डी. ओ. और एस. डी. एम. या कलेक्टर मौके पर जांय और जाकर हरिजन की या अन्त्योदयी की मदद करे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी यह कहना चाहता हूं, बुद्धिमानी से वे यहां पर नहीं रहते हैं यह प्रजातन्त्र का अच्छा तरीका है और हम उनकी प्रशंसा इसीलिए करते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पास समाचार भेजे जायं। गृह मंत्री जी सुन लें, यह एक तरीका हो सकता है। भूतपूर्व गृह मंत्री जी यहां पर हैं उनके जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस एस्कोर्ट के आदेश जारी हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि वह वाजिब है और उन्होंने

(श्री माणकचन्द ठाकोर)

जारी कर दिये आदेश । लेकिन शासन पर जनता पार्टी का तो नाम है हुक्म उनका नहीं चलता है । हम खुश हो सकते हैं कि हमारा राज्य आ गया, मुख्य मंत्री का राज्य आ गया लेकिन, असल में राज्य उन लोगों का है । उन्होंने इस बात को नहीं माना और इन्कार कर दिया कि हम पुलिस एस्कार्ट देने में असमर्थ हैं । आई. जी. पी. साहब और पुलिस विभाग द्वारा मना कर दिया गया और आज तक पुलिस एस्कोर्ट नहीं भेजा गया । यही कारण है । राजस्व मंत्री जी क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं मुख्य मंत्रीजी पर दबाव डालते हैं ? इसका कारण मैं यह सोचता हूं वह यह देखते हैं कि अगर मैं कहूंगा तो इनकाम्पीटेन्ट साबित होऊंगा । जैसे कि प्रोफेसर केदार से पोर्टफोलियो ले ली, उसी तरह से इनसे भी ले लेंगे । यह मजाक की बात नहीं है । हरिजनों के साथ सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है यह बात है ? सब बातों को छोड़कर हरिजनों, गरीबों और अन्त्योदयियों की मदद करना चाहते हों तो मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से कार्य करें ।

आज यह हालत है, आप लोग यह कहते हैं कि साहब, पुलिस वाले अगर गलती करें तो हमारे पास शिकायत कर दो । कानून को हाथ में न लो । यह बिल्कुल ठीक है । कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए । इस मामले में 18 महीने से कुछ नहीं हुआ इसलिये अगर कानून हाथ में न लें तो शिकायत करने से क्या होता है ? माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे क्षेत्र से आये हैं उनको मालूम है कि वहां पर एक हैड कान्स्टेबल ने किसी के साथ मारपीट की। मारपीट की शिकायत राजस्व मन्त्री को भेजी तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी बातचीत करेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे । दो दिन बाद जिसने शिकायत की थी उसको बाजार में पकड़ लिया । उसको मारते हुए जहां चौकी थी, थाना था, वहां ले गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको मार-मार कर बुरी तरह घायल कर दिया क्योंकि उसने शिकायत की थी । अध्यक्ष महोदय,कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसके साथ में ऐसा किया जाता है । हर जगह डी. एस. पी. होते हैं । वह ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे ? हमने उनसे कहा कि एक वरिष्ठ मन्त्री ने कहा है तो उसने भी इन्कार कर दिया । नतीजा यह हुआ कि गृह मंत्री जी ने एक लैटर लिखा तीन महीने की लगातार कोशिश के बाद उस व्यक्ति को सस्पेंड किया । कोई शिकायत करता है तो उसको पीटा जाता है । कहा जाता है कि क्रान्ति आ गई-लेकिन यह क्या है ? कहां से क्रान्ति आयेगी ? एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय आई. जी. और होम कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, पुलिस में जाते ही गरीबों की रिपोर्ट ले ली जाया करे । बिना पैसे के दर्ज कर ली जाया करे । यदि ऐसा हो जाये तो 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा । अगर इसकी घोषणा की जाएगी तो यह पूरा ही भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा । समय पर रिपोर्ट नहीं लेने पर पुलिस का कोई आदमी बरखास्त नहीं हुआ तो क्राइम कभी खतम नहीं होंगे । इसलिए समय पर रिपोर्ट लिख ली जाया करे ।

(व्यवधान)

इसलिए मैंने यह निवेदन किया है । समय कम है इसलिए मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनेक बातों की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है लेकिन मैं कुछ अहम मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लॉ एण्ड आर्डर की हालत खराब हो गई है। इसका मतलब है, कहीं न कहीं खामियां हैं। कहीं न कहीं कमजोरी है। इस कारण ही लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री आ गये हैं, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जड़ में हमारी शिक्षा प्रणाली है। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। बी. ए., एम. ए. करके नौजवान निकलते हैं। सालों तक नौकरियों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। बेरोजगारी और बेकारी से परेशान रहेगा, आदमी खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। बी. ए., एम. ए. होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, यह बात बहुत जरूरी है? शिक्षा विभाग में, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सुधार किया जाये। लड़कों को टैक्निकल शिक्षा दी जाये। अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कुछ न कुछ पर्सेन्ट लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बिगड़ने में कमी आ जाएगी।

लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने में, अध्यक्ष महोदय राजनैतिक कारण अधिक होते हैं। हम यह देखते हैं कि कई राजनैतिक पार्टियां अपना महत्व बनाये रखने के लिये, अपनी इमेज बनाये रखने के लिये ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं जिससे कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो जाती है। चिकमंगलूर चुनाव में आपने देखा होगा, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो गई कि सी.आर.पी. भेजनी पड़ी। इस प्रकार से राजनैतिक लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगाड़ने को राजनैतिक पार्टियां सामने आती हैं। उनमें विद्यार्थी घुसते है। श्रमिक संगठनों में आज जो स्थिति हो रही है इसके कारण लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है। मजदूरों की लेजिटीमेंट डिमान्ड होती है। मजदूर डिमान्ड रखते हैं। सरकार अगर इन्कार करती है तो मजदूर हताश हो जाते हैं मेरा यह मानना है, घर में किन्हीं चीजों की जरूरत होती है तो हम किन्हीं हालतों में उनको पूरा करते है। मेरा निवेदन है, जो भी श्रमिक संगठनों के द्वारा मांग रखी जाये यदि वह लेजिटीमेंट डिमान्ड है तो वह उनमें बिना असन्तोष पैदा किये स्वीकार कर लेनी चाहिये। जितनी उसके स्वीकार करने में देरी करेंगे, श्रमिक असन्तोष उतना ही बढ़ेगा और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को बिगाड़ने में राजनैतिक पार्टियां एक बहुत बड़ा कारण है।

इसके आगे चलें तो हिन्दुस्तान में और राजस्थान में जातिवाद का मसला है। कहते है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। मैं चित्तौड़ की मिसाल देता हूं। हिन्दू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ। कई मसजिदें

(श्री एच. एन. शर्मा)

तोड़ी गई। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हुई। राजपूतों ने हरिजनों को मारा। जाटों ने जमीन छीन ली। तो इस जातिवाद को खतम करना पड़ेगा। । हमें इसके लिये बैठ कर चिन्तन करना होगा, मनन करना होगा और हर तरह से कोशिश करनी पड़ेगी। यह जातिवाद की भावनाएं दिनों दिन बलवती होती जा रही हैं इनको समाप्त किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आगे चलना चाहूंगा। जर और जोरू के लिये इतिहास में झगड़े हुए हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : जर, जमीन और जोरू, तीन हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : वह तो घर घर में हो रहा है।

राजस्व अभियान सरकार चला रही है। सारी लड़ाई झगड़े की जड़ जमीन है। गांवों में जमीन के झगड़े होते हैं। इससे हमारी जनता पार्टी की इमेज बिगड़ रही है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि नवम्बर से राजस्व अभियान शुरू होने वाला है उसके द्वारा जो सारे झगड़े टन्टे की जड़ जमीन है, एस०डी० ओ० कोर्ट में जमीन के झगड़े पड़े हुए हैं, उनका निपटारा कर दें। तो गांवों का जो 80 प्रतिशत क्षेत्र है उसमें लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन काफी कम हो जाएगी। मुझे आशा है इस बारे में सरकार ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके आगे अगर हम चलें तो आज लॉ एण्ड आर्डर को बिगाड़ने का, नवयुवकों का दिमाग खराब करने का सबसे बड़ा दोषी अगर है तो वह है सिनेमा। सिनेमाओं में अपराध प्रवृति दिखाई जाती है। एक अच्छा लड़का सिनेमा में ऐसे दृश्य देखता है कि ऐसे चाकू मारा था, ऐसे मर्डर किया था तो वह ऐसी बातें सीखता है। यह इन्सान की कमी है, प्रकृति की देन है कि इन्सान बुराइयां जल्दी ग्रहण कर लेता है। मेरा निवेदन है इस प्रकार के दृश्य सिनेमाओं में दिखाए जाने पर रोक लगानी चाहिए।

एक बात और, शराब झगड़े कराती है। शराब पीकर शराब किसी को सुलाती है। पीने के बाद आदमी सो जाता है। किसी को रूलाती है। उसकी याददाश्त बढ़ती है तो पुरानी बात याद आती है। शराब किसी को लड़ाती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके अमल करना चाहिये। इससे लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन काफी हद तक कन्ट्रोल हो पाएगी।

इसके बाद आगे चलूंगा, अंतिम बात। सबसे बड़ा लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन खराब करने का जो जिम्मा है वह है पुलिस विभाग का। आज भी आपको मालूम है कि थाने बिकते हैं। जब तक थाने बिकने की प्रक्रिया चालू रहेगी तब तक लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन हर हालत में खराब रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। देख लीजिए, एक थानेदार जब कोर्ट में फाइल पेश करता है तो एक दिन पहले ही कहता है कि एक फाइल के 20/- रुपये दीजिये। जब थानेदार महोदय के यहां एस.पी., डी. आई. जी. या कलेक्टर मुआयना करने आते हैं तो शराब की बोतल और मुर्गी पहले चाहिये। अब थानेदार साहब एस.पी. महोदय की अगवानी में 500 या 1000 रूपये खर्च करें तो जरूर कहीं न कहीं से वह पैसा लायेंगे। मेरी मान्यता है कि निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है जब तक इस भ्रष्टाचार को कम नहीं

Page No 158

(152)

(श्री एच. एन. शर्मा)

किया जाएगा जैसे कि मुझसे पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ठाकोर साहब ने कहा तब तक लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में सुधार नहीं होगा। यह व्यवस्था सरकार कर दे, होम कमिश्नर होम मिनिस्टर या आई. जी. निचले स्तर पर यह आदेश दें कि गरीबों की जो रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट हो उसको बिना किसी देरी, के, बिना कुछ लिए दिए इंद्राज कर दिया जाय तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लॉ एण्ड आर्डर के मामले में हर हालत में कमी आ सकती है.........

श्री मदन सिंह दांता : मैं आपको इन्फार्म करूं एक रिपोर्ट के लिए थानेदार 20 रु. लेता है।

श्री एच. एन. शर्मा : या तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे और करती है तो क्रियान्वित जरूर करे। पुलिस के कार्यों को हमने देखा है। थोड़े दिन पहले कोटा में एजीटेशन हुआ। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर व एस. पी. ने मिल कर धारा 144 लगा दी। उसके बावजूद विद्यार्थियों ने जलूस निकाल कर एफिजीज जलाई। तो क्या महत्व रह गया 144 लगाने का? या तो धारा 144 लागू नहीं करनी चाहिए। अगर की तो मेन्टेन करते। इससे हमारी नहीं, हमारी सरकार और प्रशासन की इमेज गिरती है। इस तरह का निर्णय लेने से पहले पुलिस प्रशासन को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि जो हम कार्यवाही करने जा रहे हैं उसको हम क्रियान्वित कर सकेंगे या नहीं। अगर हम क्रियान्वित नहीं करते हैं तो इस प्रकार का आर्डर देने का कोई मकसद नहीं रह जाता। इसलिए पहले सोच विचार कर पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए।

एक ही केस को लेकर बार बार उसकी तफतीश करने से समय की बहुत बड़ी बरबादी होती है। एक पुलिस अधिकारी एक केस का इन्वेस्टीगेशन कर रहा है, थोड़े दिनों बाद शिकायत हुई तो डीवाई. एस. पी. इन्वेस्टीगेशन कर रहा है, फिर शिकायत आई तो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टीगेशन कर रही है, फिर शिकायत आई तो और अधिकारी इन्वेस्टीगेशन कर रहा है। साल-साल डेढ़-डेढ़ साल इन्वेस्टीगेशन में चल रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पुलिस के उच्च अधिकारीगण और सरकार को देखना चाहिए, कौन से कौन से केसेज हैं जो बड़ी ही अहमियत के हैं, उनकी जिम्मेदारी शुरू से ही बड़े अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए ताकि तफतीश का सिलसिला बदलना नहीं पड़े, समय की बरबादी न हो। मुझे आशा है सरकार जल्दी से जल्दी बदली हुई सिचुएशन को कन्ट्रोल करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बन्सीलाल सारस्वत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम जानना चाहेंगे कि मुख्य मंत्री डिबेट में इन्टरवीन करेंगे क्या? आए हैं तो उनका भाषण हो जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): आप क्या चाहते हैं?

श्री मदन सिंह दांता : आप जब बोलते हैं तो खेत सिंह का नाम जरूर आता है इसलिए बोलने दिया जाए।

श्री बन्सी लाल सारस्वत (नागौर): भारत में प्रमुख अखबारों में यह खबर आई और विपक्ष ने बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में यह बात कही कि राजस्थान के

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

राज्य मंत्री श्री लालचन्द ने जिस दिन शपथ ग्रहण की उसी दिन चोरों ने उन्हें हाथ दिखा दिए। राजस्थान का अपराध जगत में जो सातवां स्थान था वह पांचवां स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो गया। साथ ही साथ जघन्य अपराधों और जुर्मों का तांता लगा पुलिस की अयोग्यता और कार्यकुशलता की कमी के कारण कुछ अपराध, जो डिटेक्ट होने चाहिए थे, डिटेक्ट नहीं हुए। यह स्थिति राज्य के लिए शोभा का विषय नहीं है। साथ ही साथ चाहे खेतड़ी कांड न हुआ हो, मगर सदन में बैठ कर जिम्मेदारी व्यक्ति भी यह कहें कि वास्तव में इस प्रकार का कांड हुआ है तो मेरा यह निवेदन है...

श्री राम नारायण चौधरी : आप कैसे कह सकते हैं कि खेतड़ी कांड नहीं हुआ? आप गए थे?

श्री बन्सीलाल सारस्वत : देश के अनेक व्यक्तियों ने कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : देश के अनेक व्यक्तियों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपके मुख्य मंत्री व गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि राजस्थान के एडीशनल आई. जी. पुलिस जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट सदन में बतायेंगे। उसके बाद कितने दिन हुए, उसकी जांच रिपोर्ट आई? मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी है कि कुछ नहीं हुआ और आप वकालत करते हैं। आपको पता नहीं, खेतड़ी कहां है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नागौर की बात कहिए।

श्री बन्सीलाल सारस्वत : आप अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखें। मैं अपने दृष्टि-कोण से बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ऐसे मामले पर नहीं बोल सकते जो नेशनल लेवल पर डिस्कस हुआ है, राजस्थान विधान सभा में डिस्कस हुआ है।

(शोरगुल)

श्री बन्सीलाल सारस्वत : आप संयम रखें मैं निवेदन कर रहा था, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां तक अपने उत्तरदायित्व का प्रश्न है, आप आत्म निरीक्षण करें और खुद अपनी आत्मा को टटोलें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। सुर्खियों में नाम छपाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है। सुर्खियां मात्र से गाइड होने की आवश्यकता नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तानाशाही शासन में और प्रजातंत्र में हमेशा अन्तर होगा। विशेषतया उस स्थिति में जब कि एक अंतराल के बाद हम थोड़े से आगे बढ़े हैं तो लोगों के दबे हुए विचार, श्रमिकों के दबे हुए विचार, व्यक्तियों में काम करने वालों के विचार, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के विचार भिन्न होना स्वाभाविक है। इस परिप्रेक्ष्य में सब हालात को देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई लम्बे-चौड़े विवाद का विषय नहीं हो सकता। लेकिन इसे सारे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इतना बढ़ा चढ़ाकर यह न बतायें कि हमारी स्थिति दूसरों की तुलना में ठीक नहीं है। सारे आंकड़े आपके सामने हैं, आप उनको देख सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दल को निर्देश करने वाले तमाम नेता और उनके

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

सरदार जानते हैं कि देश की राजनीति को सड़कों पर लाकर और शोरगुल की राजनीति पैदा कर क्या कुछ विगत हुआ है। उस सारी चीज को क्या भुला दें ? साथ ही साथ अदालत में और कमीशन के सामने जो मुकदमे चल रहे हैं क्या उन तमाम को हम राजनीति के आधार पर लें और शान्ति व व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हालात पैदा करें? साथ ही साथ अदालतों से दूर हट कर हम तमाम मामलों के अन्दर राजनीति का आधार बनायें और तमाम मामले तय कर लें ? यह कोशिश आज की जा रही है। यदि यह हालात हैं तो विद्यार्थियों के यही तो विवाद थे, यही तो कालेजों में झगड़े थे, यही गवर्नमेन्ट के नौकरों तथा सामान्य नौकरों के विचार थे जो नौकरी से निकाल दिये गये थे। उस समय निर्देश करने वाले व्यक्ति कहां थे ? मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जितना शासन पक्ष का, सत्ता पक्ष और इधर बैठने वालों का उत्तरदायित्व है उतना ही विरोधी पक्ष में बैठने वालों का उत्तरदायित्व भी है। जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है सब उस पर विचार करें। जब तक विचार नहीं किया जायेगा ठीक से उसका कोई भी समाधान होने वाला नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कुछ समय और देने की स्वीकृति दें।

यह मान्य तौर से लग है कि हम किसी आफिसर को दोष दे दें और यह कह दें कि वह काम ठीक नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचारी है तो गलत होगा। साथ ही साथ उनको क्या कठिनाइयां हैं इसके बारे में मैं थोड़े से विचार और सुझाव आपके सामने रखूंगा।

जहां तक डी॰ एस॰ पी॰ का सवाल है वह दोहरी सेवाओं का अधनीस्थ अधिकारी है। एक तरफ तो आई॰ जी॰ और डी॰ आई॰ जी॰ का उसे काम करना पड़ता है दूसरी तरफ प्रशासन के दृष्टिकोण से जिले का जो कलेक्टर है उसका भी कन्ट्रोल रहता है। मेरा यह निवेदन है कि या तो पुलिस के एस॰ पी॰ या एकमात्र डी॰ आई॰ जी॰ या आई॰जी॰ के अधीन वह होना चाहिए। उनके प्रति ही उत्तरदायी उसको बनाया जाये। कलेक्टर के कन्ट्रोल का जहां तक प्रश्न है उससे उसको अलग रखा जाये। पुलिस का बेड़ा चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाये मगर जब तक ईमानदार और सही अधिकारी नहीं होंगे तब तक सही रूप से गरीब और सामान्य व्यक्तियों को न्याय मिलना कतई सम्भव नहीं है। कुछ महीनों तक तो यह जरूर नजर आया कि पुलिस के अधिकारीगण कुछ डरने लगे हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया है। शिकायत सामान्य रूप से भ्रष्टाचार की ज्यादा आ रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अधिकारियों का जब भी दौरा हुआ, निरीक्षण हुआ, क्या कभी यह विचार आया या आत्म चिन्तन करने और देखने का प्रयास किया गया, पब्लिक से मिल कर मालूम करने की कोशिश की कि अमुक ऑफिसर के खिलाफ क्या शिकायतें हैं, क्या शिकायतें नहीं हैं। क्या अमुक अधिकारी ठीक है या नहीं ? मेरा यह निवेदन है कि जितने भी बड़े अधिकारी दौरों पर जायें, वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों से या प्रतिनिधियों से यह जानने की कोशिश करें कि अधिकारियों के एन्टी-

(श्री वंशीलाल सारस्वत)

सिडेन्ट्स क्या हैं और किस तरह का काम हो रहा है। तो जनता को उनके पास आने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा अधिकारीगण किसी भी अधिकारी के यहां निरीक्षण के लिए आयें तो उनके यहां भोजन या एन्टरटेनमेन्ट किसी प्रकार का स्वागत नहीं करें, यह राज्यादेश जारी होने चाहिए ताकि जो अधिकारी है वह इन बातों से प्रभावित नहीं हों और नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी यह निवेदन कर रहा था कि शराब, जुआ और लाटरी से सरकार आमदनी कर रही है। एक तरफ तो कहा कि देश में शांति व्यवस्था तब तक कायम नहीं होगी, जब तक शराब को बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक हमारी आमदनी जुआ, शराब या लाटरी की बिक्री से होगी तब तक यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि लॉ एण्ड आर्डर को सिचुएशन हमारी ठीक हो जायेगी, और हमारी व्यवस्था ठीक रहेगी।

समय कम है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पूरे देश की पुलिस का सवाल है हमारे यहां की पुलिस भी किसी देश की पुलिस से कम हो ऐसी बात तो नहीं है। आई० जी० पी० चरित्रवान हैं, भगवान से डरने वाले हैं। कई एस० पी०, डी० एस० पी० और डी० आई० जी० भी अच्छे हैं। इतना होते हुए भी लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब क्यों है? इसका एक ही कारण नहीं है, कई कारण हैं। पहले जो शिक्षा मिलती थी उसमें सादगी, सरलता, सौम्यता, शिष्टता, सच्चरित्रा और श्रम की प्रतिष्ठा प्रकट होती थी। अब जो शिक्षा मिलती है उससे शराब, सट्टा, सुन्दरी, सिनेमा, शान-शौकत और सुख-सुविधाओं की ओर बढ़ते हैं और श्रम से नफरत बढ़ती है।

पूरा ही फर्क पड़ गया। एक तरफ जब राज्य हमारे हाथ में आया तो गांधीजी ने कहा था कि सब खुराफातों की जननी शराब है। अब आप लॉ एण्ड आर्डर तो रखना चाहते हैं लेकिन शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं। पांच जिलों में शराबबंदी की तो शराबबन्दी में बढ़ोतरी हुई लेकिन आमदनी में कमी नहीं हुई, वही 30 करोड़ है। एक तरफ हम चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे और दूसरी तरफ चाहते हैं कि शराब की आमदनी बढ़े तो यह दोनों साथ साथ चलने वाली नहीं हैं। अन्त्योदय का काम है, सुन्दर काम है, सारा संसार देख रहा है लेकिन शराब चलती रही तो अन्त्योदय सफल होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस शराब को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा काम कर रही है। जहां जहां शराबबन्दी है वहां पर कई लोग, अधिकारी और कर्मचारी खास तौर से पुलिस कर्मचारी बहुत शराब पीते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जहां जहां शराबबन्दी है वहां ऐसे पुलिस अधिकारी न जायं। कई बार कहा जाता है कि मंत्री शराब पीते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि आप ऐसे आदमियों को कृपया न रखें। यदि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति रखनी है और अन्त्योदय को सफल बनाना है तो ऐसे मंत्रियों को न रखिये। मैं तो कहता हूं कि हमारे मंत्री ऐसे नहीं हैं। अगर है भी तो

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
आप उनसे अनुरोध करिये कि वे शराब न पीवें।

कई कारण हैं लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होने के। हम लोगों में से कई दफा जाकर कहते हैं, उस थानेदार को हमारे यहां लगा दीजिये, उस इन्सपेक्टर को हमारे यहां लगा दीजिये। जब वे हमारे कहने से लग जाते हैं तो फिर उनको डर किस बात का रहेगा। हमारे कहने से वह लगे हैं इसलिये उनको हमसे तो डर रहेगा ही नहीं। वह खूब रिश्वत खायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं हम ऐसे चक्कर में पड़ें ही क्यों? जब पुलिस वाले किसी को फांसते हैं तो हम में से कुछ लोग सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। यह गलत बात है। हमको सिफारिश नहीं करनी चाहिये। पुलिस के डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल मत दीजिये। पुलिस वाले फिर क्या करेंगे। एक बार इन्होंने दखल देते देख लिया तो फिर वे ही लूटेंगे। मेरे कई साथियों ने कहा है कि अमुक को हमारे यहां भेज दो लेकिन मेरा, अध्यक्ष महोदय, संकल्प है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो एक्शन लेने की कोशिश की जाय, उसको हटाने से काम नहीं चलने वाला है। भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो एक्शन भी लिया जाता है तो हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं अगर शिक्षा में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हालत बहुत खराब होने वाली है। आज खोमचे लुट रहे हैं। बांसवाड़ा छोटासा शहर है वहां भी खोमचे और दुकानें लूटी जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप नये कालेज मत खोलिये। यदि आवश्यकता हो तो जो हैं उनको भी बन्द करवा दीजिये। अगर यह मौजूदा शिक्षा रही तो किसी प्रकार हालत सुधरने वाली नहीं है। कहा भी गया है:

देखो तो ई राज की, सूझ कहूं कन मूल।

एक ओर मदिरा चले, एक ओर स्कूल।

एक ओर मदिरा चल रही है तो दूसरी ओर स्कूल चल रहा है। क्या तमाशा है, शिक्षा का?

जब मैं भरतपुर गया तो बस स्टेण्ड पर ही मैंने अंग्रेजी शराब की दुकान देखा। मैंने कहा, अगर मास्टर जी के यहां की यह हालत हो जाय तो फिर इस राज्य का क्या कहना? इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सज्जन ने वहां बताया कि टी. बी. सेनीटोरियम के पास शराब की दुकान खुल रही है। अभी चूरू से शिकायत आई है कि थानेदार खूब शराब पीता है। मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके एक मीटिंग बुलाइये, लोगों को इकट्ठा करिये और उन्हें शराब न पीने की, गंगा जल की सौगन्ध आप दिलवाइये। अगर एक बुराई दूर हो जायेगी। तो कई बुराइयां अपने आप दूर हो जायेंगी। आप नये-नये सिनेमाओं की इजाजत क्यों देते हैं?

श्री बालकृष्ण पानवी: मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक शराब पीते हैं, उनका क्या करेंगे?

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता: आपका यह इलजाम सही नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री):

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलत इलजाम लगाया है, इसे प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिये ।

श्री वृद्धि चन्द जैन : यह अन-पालियामेन्टरी वर्ड नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा और......

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : यह राजस्थान का लॉ एण्ड आर्डर है ?

श्री बालकृष्ण यादवो : मैंने तो कोई मंत्री पीते देखे हैं, कहा है...

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं ।

जब तक नैतिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक देश का किसी भी प्रकार से उद्धार होने वाला नहीं है ।

बस मैं एक-डेढ़ मिनट में ही निवेदन करूंगा ।

गंगानगर में खूब खुशहाली है, भौतिक समृद्धि है, लेकिन नैतिकता का नाम नहीं है । वहां हर आदमी के कन्धे पर बन्दूक, हर आदमी की जेब में बोतल, हर आदमी के पास खाने के लिये बकरे का गोश्त और हर आदमी की लड़ाई-झगड़े, बैर और बदले की भावना हमेशा रहती है । यहां का बेरोमीटर क्या है फसल का ? जब इधर फसल होती है, तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पांच आदमियों का पेट भर सके, इतनी फसल तो भगवान अवश्य देना । लेकिन जब गंगानगर में फसल होती है तो वहां का किसान कहता है कि सांप कत्ल कर सकूं इतनी फसल ईश्वर देना । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें नहीं बनें तो कोई हर्ज नहीं, स्कूल नहीं खुलें तो कोई हर्ज नहीं, बान्ध नहीं बने तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन नैतिकता बढ़नी चाहिये । एक कहावत है—

धान्ध बंधा बणावा सड़क, भली मदरसा खोल
नैतिकता बिन देश कोनी कोड़ी रो मोल ॥

इसलिये नैतिकता बढ़नी चाहिये । जब नैतिकता सब में बढ़ेगी तो पुलिस वाले भी निश्चय ही इस ओर बढ़ेंगे और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी अच्छी होगी । जो स हिन्दुस्तान के लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है, उससे तो हमारे राजस्थान की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति काफी ठीक है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इससे सन्तोष नहीं करना चाहिये और हमें निरन्तर बढ़ते रहना चाहिये ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सूरा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात से चिन्तित हैं कि सही मायन में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, जितने विधायकों ने अपने विचार यहां प्रकट किये हैं, उनमें से कांग्रेस के हमारे साथियों ने 30 साल के अनुभव से जो बताया, उसमें मैंने बात का जिक्र नहीं किया । मेरे विचार में इन सारे जुर्म की जननी पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं । इन लोगों का बाजार में

(श्री नूरा)

झगड़ा-टण्टा करवाने में भी हाथ रहता है। बाजार में यदि इनका माल नहीं बिकता है तो किसी न किसी वर्ग से झगड़ा करवा देते हैं। पूंजीपति इस प्रकार की एक टीम रखते हैं। वे माल को जलवा देते हैं ताकि उनका माल बाजार में आ जाय। इसमें पैसे वाले पूंजीपतियों का बहुत बड़ा हाथ है साथ ही उनकी अच्छी कमाई होते हुए भी, अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की जो बोनस की मांग होती है, उससे वे मना कर देते हैं, उनकी मांगों को मंजूर नहीं करते हैं और लम्बी-लम्बी हड़तालें करवाते हैं और फिर हड़तालें तुड़वाने में वह उद्योगपति, पूंजीपति पुलिस का सहारा लेता है, पुलिस को बीच में लेकर मजदूरों को बदनाम करता है। ज्यादा पैसे वाले लोग, पुलिस को हर प्रकार से गाइड करते हैं और येन केन प्रकारेण मजदूरों पर डण्डे बरसवाते हैं। फिर हमारे बहुत से साथी राजनैतिक पार्टियों पर इलजाम लगाते हैं। मजदूर यदि समय पर मांग उठाते हैं, उस मांग को मिल मालिकों के सामने रखते हैं और सरकार के सामने रखते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्राइवेट सैक्टर में जो कारखानें चलते हैं और जो माल व पैदा करते हैं उसको बाजार में खपाने के लिये वे हमेशा झगड़े करवाते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन का समय साढ़े आठ बजे तक का है ...

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि समय बढ़ाया जाय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जब तक यह बहस समाप्त न हो जावे, तब तक के लिए बढ़ा दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हमारे दल का तो अभी तक एक भी आदमी नहीं बोला है।

श्री मदनसिंह दांता : पंचायत पर डिस्कशन हुआ है, विद्युत पर हुआ है तो यह तो बहुत बर्निंग पोइन्ट है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बहस के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि बहस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बहस समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति

श्री नूरा: अध्यक्ष महोदय, दूसरा इस सारी बिगड़ती हुई व्यवस्था के जिम्मेदार सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वे कांग्रेस के टाइम के हों। यह हालत रही है कि अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग मेरे मन के माफिक होने चाहिए। मेरे मन के माफिक थानेदार रहना चाहिए, मेरी पार्टी की मदद करने वाला कोई ऑफिसर होना चाहिए। यह नीति बिलकुल गलत है। इस समय जनता पार्टी के शासन में भी ऐसे लोग हैं जो अफसरों को अपने मन माफिक जमाना चाहते हैं। मेरे मन माफिक थानेदार हो, एस०डी०ओ० हो, तहसीलदार मेरा कहना मानने वाला हो

(श्री मूरा) चाहिए । जब इन लोगों को अपने यहां पर जमाऊंगा, तब ये सही रहेंगे, मैं कुछ भी करूंगा मेरे साथ रहेंगे । यह सही बात है कि किसी हद तक राजनैतिक दबाव, कार्यकर्ताओं का दबाव होता रहता है । उनकी पीठ पर होने के कारण से अधिकारी लोग गलत काम कर बैठते हैं । साथ ही एक बात और है कि अगर ईमानदार अफसर होगा, तब भी उसके दिमाग पर राजनैतिक डर रहेगा कि मेरे पीठ पर जो आदमी है अगर उसके अनुसार नहीं चला तो मैं बदला जाऊंगा, मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । इसलिए भी गलत कार्य होते हैं, कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ती है ।

दूसरी बेकारी की समस्या देश के अन्दर है जिसमें हमारा राजस्थान भी जुड़ा हुआ है । जो पढ़े-लिखे बेकार होते हैं वे कुछ ऐसी सोसायटीज के साथ जुड़ जाते हैं, धन्धा नहीं मिलने के कारण गलत धन्धा कर बैठते हैं । वह धन्धा किस स्टेज पर होता है उसको आप हम सब जानते हैं । मैं कहता हूं कि जो ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, जो हर साल बाहर निकलते हैं उनकी बेकारी मिटाने के लिये हमें नौकरी देनी चाहिये या जीवन को चलाने के लिए उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि गलत कामों की तरफ न जावें । सबसे ज्यादा झगड़े, धन और धरती के होते हैं । जब तक धन और धरती नहीं बटेगी तब तक यह झगड़े चलते रहेंगे, आप इनको रोक नहीं सकते । राजस्थान में ढेर सारी जमीन है फिर भी जमीनों के झगड़े होते हैं। जमीन के झगड़ों के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले विधायकों ने कहा । हमारे यहां राजस्थान में काफी जमीन है, जमीन खाली पड़ी हुई है, जमीन काश्त के लिए तरस रही है और काश्तकार जमीन के लिए तरस रहे हैं । कहीं भी काश्त योग्य जमीन है वह जमीन लोगों को दे दी जावे तो छोटे-मोटे जमीनों के झगड़े खतम हो सकते हैं । जो लोग खेती के लिए तरस रहे हैं उनको जमीन दी जावे । जब तक यह समस्या हल नहीं होगी तब तक झगड़ों में कटौती नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगे, थोड़ी सी जमीन के लिए लोग लड़ेंगे। जब आदमी बेकार होगा, धन्धे से नहीं लगा होगा तो गलत काम में चला जाएगा ।

चौथा कारण है सक्रिय ढंग से धन्धा करना । एक समय में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी लेकिन अच्छे बोलने चालने वाले व्यक्ति हैं वे भी आदतन जुर्म करते हैं । अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जुर्म करते हैं। आदतन धन्धा करने की आदत होती है । ऐसे लोग जुर्म का खतरा मोल ले करके भी ऐसा धन्धा करते हैं और अपनी पूंजी बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों पर विशेषतौर पर ध्यान रखना चाहिए । इसमें पहले पोइन्ट पर, जैसा मैंने कहा था, ऐसे लोग भी आते हैं जो पूंजीवाद की लाइन में आते हैं । ज्यादातर पूंजीपति इसमें बढ़ रहे हैं । इसके सम्बन्ध में सरकार की नीति में मोड़ आने की जरूरत है । जब तक सरकार की नीति में मोड़ नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं हो सकेगा । मैं इस मामले में गृह मंत्री को ही जिम्मेदार नहीं मानता, यह तो सरकार की नीति का दोष है । जब तक सरकार की नीति ठीक नहीं होगी जुर्म रुकना असम्भव है । इसके लिए सरकारी नीति में परिवर्तन करना जरूरी है । मैं समझता हूं कि जो दो चार पोइन्ट मैंने उठाये हैं इन पर गंभीरता से विचार कीजिए ।

इसके बाद मेरे सामने एक दो मामले और भी आये हैं। एक हैं मिस्टर एस०एम०

(श्री सूरा)

बल्कि जो कि जयपुर के एस० एम० एस० हास्पिटल में भर्ती थे। एक आध घंटे के लिए हास्पिटल से निकल कर टेलीफोन करने के लिए गए और पीछे से ढाई हजार रुपये का उनका माल चोरी चला गया। कपड़ा, ट्रांजिस्टर और दूसरा सामान था। उसकी एफ० आई० आर०, दफा 406 में ता० 1-11-76 को मोतीडूंगरी थाने में मौजूद है। हास्पिटल में रहता हुआ आदमी क्या करे? क्या थोड़ी देर के लिए भी वह बाहर नहीं जा सकता?

मैं एक दूसरा जिक्र और करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। मिनाय में एक केस हुआ था। एक नर्स 3-9-78 को उसके निवास स्थान पर कमरे में बंधे, मुंह बेहोशी की हालत में पड़ी हुई पाई गई। उसकी 5-9-78 को ब्यावर में डेथ हुई। उसके पिता ने 8-10, 15-20 पत्र मांग पत्र के रूप में लिखे कि मेरी लड़की की हत्या की गई है। उसने यह मामला उठाया और शिकायत की। गृह मंत्री जी को शिकायत की, एस. पी. को और प्रार्थना की कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दें लेकिन उस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसका मकान सील किया हुआ था, उसके गले पर निशान पाये गये थे। उसकी चाबी किसके पास रही? उसने बताया कि उसके गले पर चोट थी। डॉक्टर ने मुआयना किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाप ने चिल्ला-चिल्ला कर, मुख्य मंत्री तक को शिकायत की और प्रार्थना की कि इसकी पुलिस की तरफ से जांच होनी चाहिए, जांच से साफ हो कि उसकी हत्या की गई है या आत्म हत्या हुई है। उसने सब जगह लिखा और आपके पास भी भेजी है लेकिन आज तक उसकी तफतीश नहीं हुई है।

ऐसी मिसालें दो चार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी घटनाएं सब जगह हो रही हैं। सारा राजस्थान और हिन्दुस्तान ऐसे मामलों से भरा हुआ है। इन बातों को लेकर लोगों के दिलों में दहशत फैली हुई है। गरीबों को जीने का क्या कोई अधिकार नहीं है? मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। पैसे वाले लोग जुर्म करवाते हैं। आज सुबह ही जिक्र हो रहा था मुख्य मंत्री को द्वारा करके बेरी आयोग के बारे में कि अमुक अधिकारी को निकाल दिया जावे। मैं कह सकता हूं कि जैसी सत्ता होगी, जैसा सत्ताधारी दल आदेश देगा वैसा ही अधिकारी लोग करेंगे। कल जनता पार्टी का शासन चला जाएगा, उसके बाद तीसरी गवर्नमेंट आएगी तो आप कहेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। इसमें तो राज सत्ता करने वाली पार्टी का दोष है, जब तक उस दोष को नहीं निकालोगे, वह जुर्म करने वाले ठीक नहीं हो सकते। मैं कहूंगा, गृह मंत्री जी, यह आपका दोष नहीं, बल्कि यह तो आपकी पार्टी की कार्य नीति पर डिपेंड करता है। इसलिए पार्टी की सारी नीति तय करें कि जुर्म को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है तभी जुर्म खतम होंगे। मगर आज तो क्या होता है? अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए भाषण करते हैं। सोचते हैं कि कल मेरा समाचार आएगा कि कैसा अच्छा भाषण कल सदन में दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्ताधारी पार्टी की राजनीति कैसी होनी चाहिए। जुर्म कराने की जिम्मेदारी तो राज करने वाली पार्टी की होती है। उनको चाहिए कि वह अपनी नीति पर पुनर्विचार करें।

(श्री नूरा) —

जुर्म रोकने के लिए जो मैंने दो-चार सुझाव दिए हैं उनके आधार पर आप अपनी कार्य नीति को बदलें और ठोस कदम उठायें। जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं, छोटे काश्तकारों पर हो रहे हैं और अन्य लोगों पर हमले हो रहे हैं, उनके लिये दोषी आदमियों के खिलाफ सख्त कदम उठा कर, कार्यवाही करें। लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। यह सुझाव यहां पर दिए गए हैं। मैं भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि सरकार उन पर गंभीरता से विचार करे। सारे मामलों को सुलझाने के लिए, सारे मामलों को गंभीरता से लेकर विचार करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी-दल के माननीय नेता।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना भूल गया, शराब बंदी के बारे में। शराब को क्राइम के साथ जोड़ा जाता है और यह कहा जाता है सारे अपराधों की जड़ शराब ही है। मैं माननीय मेहता साहब को नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोवियत रूस में सब से ज्यादा शराब पी जाती है परन्तु वहां पर शराब पी कर कोई क्राइम नहीं करता है। इसलिए शराब को अपराध से नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री मदनसिंह [illegible] : वह ठंडा मुल्क है और यह गर्म मुल्क है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस सदन में अच्छा हुआ एक ही कम्युनिस्ट आया, ज्यादा आ जाते तो सदन में आकर पीने की इजाजत चाहते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के सम्बन्ध में मुझे जो एक पत्र मिला है, वह पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं, उससे पता चल जाएगा कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की क्या सिचुएशन है? उससे सारे राजस्थान की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। मुझे एक पत्र मिला है—

"महोदय, शाहबाद-किशनगंज क्षेत्र में गत दिनों फैले डकैतों के आतंक के बारे में आपने समाचार पत्र एवं आकाशवाणी में समाचार सुने होंगे। शाहबाद तहसील मुख्यालय पर 25 अक्टूबर रात्रि को सशस्त्र डकैतों ने हमला किया। डकैतों ने सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन के पास डालचन्द चिराड़ नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की। वह व्यक्ति तत्काल पुलिस स्टेशन पहुंचा, परन्तु पुलिस ने कोई परवाह नहीं की। उसके आधा घंटे बाद डकैतों ने शाहबाद ग्राम में मकानों में घुस कर लोगों को बुरी तरह मारा व माल लूट कर ले गये। चार व्यक्तियों को मरणासन्न हालत में बारां चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इसके दूसरे दिन 27 अक्टूबर की रात्रि को डाकुओं ने शाहबाद से तीन मील दूर राजपुर ग्राम में डाका डाला, जहां एक नवयुवक को गोली से उड़ा दिया। औरतों-बच्चों को मारा व काफी सम्पत्ति लूट ली। एक व्यक्ति को गोली का छर्रा लगा। इसी रात पुलिस को सूचना के बावजूद डाकुओं ने तेलनी ग्राम में डाका डाला। यहां एक और नवयुवक को गोली से उड़ा दिया। इसी डाकू दल ने 23 अक्टूबर को राजस्थान के सीमावर्ती छर्च ग्राम में डाका डाला। इन डाकुओं के आतंक से तहसीलों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। खेतों पर जाना

(रामनारायण चौधरी)

छोड़ दिया है। लोगों के चेहरों पर भय व्याप्त है लोगों के काम काज अस्त व्यस्त हो रहे हैं। मजे की बात है कि शाहबाद डाकू विरोधी अभियान का केन्द्र है वहां डीवाई.एस.पी. व आर.ए.सी. की फोर्स है व वायरलेस युक्त जीपों की व्यवस्था है।

मान्यवर, यह तो मैंने राजस्थान की एक शाहबाद तहसील का ही जिक्र किया है। इस प्रकार के कई पत्र मुझे मिले हैं जिन्हें यहां सदन में पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि माकूल व्यवस्था की जाए, उनको जीप दे दी जाए, वायरलेस सेट दे दिया जाए और उनको आज के जमाने के साथ साफिस्टिकेटेड सुसज्जित कर दिया जाए तब ही लॉ एण्ड आर्डर पर काबू पाया जा सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मान्यवर, देश में और दुनियां के ऊपर थोड़ी भी नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेवीली गार्डेड, हेवीली पुलिस के होते हुए भी वहां पर क्राइम की क्या स्थिति है और जहां पर पुलिस कम है वहां क्राइम की तादाद क्या है। इन दोनों की क्या स्थिति है। यह अंग्रेजी में है, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा सदन से कि इसको अंग्रेजी में ही पढ़ने की इजाजत दें। यह बहुत ही इन्टेरेस्टिंग है और सरकार के लिए भी लाभदायक है।

"Strengthening the police force in a city leads to the prevention of crime— the public is often made to believe this. In the case of Delhi it is a myth. The crime wave continues unabated, despite the fact that the capital is the most heavily policed city in the country.

As against 25 policemen for every 100 sq km. of area throughout India, Delhi has 1,375 policemen. All other major cities like Bombay, Calcutta and Madras have less than 800 policemen for 100 sq. km. moreover, Delhi has more than 40 policemen to deal with 10,000 people as compared to 35 for Bombay, 20 for Calcutta and 17 for Madras.

Per capita police expenditure on Delhi's population is reported to be about Rs. 15 as compared to less than Rs. 10 in Bombay and less than Rs. 20 in Calcutta and Madras.

Capital Crimes: Despite the resources available to the Delhi Police, the crime rate is highest in the capital as compared to any other city in India. The volume of crime per lakh of population is more than 800 in case of Delhi as compared to 550 in Bombay, 600 in Madras and 500 in Calcutta.

Although Delhi tops in terms of total crime, murder rate is, however, extremely low as compared to other cities. In India a murder is committed every 20 minutes, but in Delhi after every 30 hours an attempt to murder is made while an actual murder takes place after every 44 hours. In Delhi 3.3 murders are committed for one lakh population, as against 2.7 in Ahmedabad, 1.8 in Calcutta, 2.3 in Bombay and 2.5 in Madras.

Three murders are committed for every one lakh of the worlds,

(श्री रामनारायन चौधरी)

population. The U.S.A. tops the list with 97.6 murders, Japan is at the bottom among the developed countries with 1.4 murders per one lakh of population. In the U.S.A., according to the Federal Bureau of Investigations' crime clock a murder is committed every 27 minutes, an attempt to murder is made every two minutes, a rape every 41 second and a car theft is reported every 42 seconds."

संसार की क्राइम स्थिति यह बताती है। इसलिये यह कहें कि कहीं पर ज्यादा साधन हों और कहीं पर ज्यादा पुलिस रख दी जाय, या एफिशियेन्ट पुलिस हो तो वहां पर क्राइम में कमी होगी तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। अमेरिका में जितनी पुलिस है, जितने वैज्ञानिक साधन उनके पास हैं, उससे ज्यादा और किसी मुल्क में नहीं हैं। दिल्ली का मैंने अभी सदन में हवाला दिया है। कलकत्ता हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर है वहां पर बम्बई और दिल्ली, इन दोनों शहरों के मुकाबले बहुत कम पुलिस है, किन्तु वहां पर क्राइम कम हैं और दिल्ली में ज्यादा हैं। तो, मान्यवर, यह स्थिति हमारे देश की है। मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह नहीं कहता कि आप इस मामले में प्रयत्नशील नहीं हैं, या आपकी पुलिस प्रयत्नशील नहीं है। मैं लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में पुलिस को दोष नहीं देता। यदि आप इतिहास के ऊपर दृष्टि डालें, चाहे वह अशोक सम्राट का शासन रहा हो, तब भी चोरियां होती थीं, डकैतियां होती थीं। बाद में हर्ष का शासन आया, चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन आया, उस शासनकाल में भी चोरियां हुई थीं, कम और बेशी का सवाल जरूर रह सकता है। मुस्लिम काल में अकबर के जमाने में सबसे कम चोरियां होती थीं। अकबर के बाद चोरियां और डकैतियों में, लॉ एण्ड ऑर्डर में तब्दीली आती गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसी भी युग को लीजिए, चाहे वह राजाओं या बादशाहों का काल रहा हो, चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति में चेन्ज हुआ है जब-जब भी शासन बदला और पूर्व शासन से कमजोर शासन आया तो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा बिगड़ी है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आज हमारे देश के अन्दर इतना बड़ा कमजोर शासन आया है, आज हमारे केन्द्र का शासन कमजोर है, और उसका रिफ्लेक्शन, उसके कान्सीक्यूएन्सेज प्रदेश में हो रहे हैं, सारे देश में हो रहे हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, केबिनेट या पुलिस को अकेले ही दोष नहीं देता हूं। यह जो चेन है वह चेन रिएक्शन करती है, इसको आप नहीं रोक सकते इसलिए क्राइम की संख्या बढ़ी है। मैं यहां परउदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इस देश के गृह मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा, उन पर इल्जाम लगाये, सुझाव दिए और भयंकर आरोप लगाये तो बदले में इस देश के प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री पर आरोप लगाये कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा दामाद चोर है। आप मुलाहिजा फर्माएं, अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क के गृह मंत्री ने यह कहा कि मेरे परिवार पर सन्देह है तो आपको अधिकार है कि मेरे परिवार और आपके परिवार पर जांच कराने के लिए कमीशन बिठा दें परन्तु इस बात की कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है पॉलिटिक्स में जिसके पास मेजोरिटी होगी वह शासन

(श्री रामनारायण चौधरी)

करेगा । आपकी मेजोरिटी होगी आप शासन करेंगे । आपकी मेजोरिटी नहीं है तो वर्मा साहब शासन करना शुरू कर देंगे लेकिन आप नहीं मानते । इस प्रकार की स्थिति जिस मुल्क में शुरू होती हो उसके प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा ? क्या आप सोचते हैं कि यह कुछ नहीं है ? आप इतिहास को उठा कर देख लीजिये, जब मुगल शासन अकबर के बाद कमजोर होता गया और मुगल सम्राट आखिरी हालत में पहुंच गये थे तब देश की क्या हालत हो गई थी । यह आप नहीं मानते तो इतिहास को उठा कर देख लीजिये । तो जब केन्द्रीय शासन कमजोर होता गया तो देश में सब तरफ उसका असर हो गया । जब केन्द्र में शासन स्ट्रांग हो तो प्रदेश में भी स्ट्रांग होगा और केन्द्र में शासन कमजोर होगा तो प्रदेश में भी कमजोर होगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : स्ट्रांग की परिभाषा क्या इमर्जेन्सी, मीसा, डी.आई. आर.-107 ये है क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तथ्य है । आपने पी. डी. एक्ट बनाया, यह तथ्य है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय रामनारायण चौधरी ने साबित किया है कि दिल्ली में जब सबसे ज्यादा क्राइम हैं और केन्द्रीय सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती तो आपके यहां कौनसा लॉ एन्ड ऑर्डर है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं इसका असर बता रहा हूं । केन्द्रीय शासन दिल्ली में है इसका असर तमाम प्रदेशों पर पड़ रहा है । बिहार के गृह मंत्री और यहां के मिनिस्टर की ही बात नहीं है । माननीय मिनिस्टर, संसदीय मामलात बार-बार आज उछलते हैं और कहते हैं, आज तो कानून का राज है और पूरी स्वतंत्रता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे एक जानकारी चाहता हूं । देश की सर्वोच्च सत्ता आज जनता में निहित है और जनता की प्रतिनिधि आज पार्लियामेन्ट है । पार्लियामेन्ट का एक भाग राज्य सभा है उसमें अभी 35 आरोपों के बारे में यह प्रस्ताव पास करके प्रधान मंत्रीजी को भेजा कि इसकी जांच होनी चाहिये । उस जांच का आधार हो गृह मंत्री की रिपोर्ट, गृह मंत्री का पत्र और 35 आरोपों की सूची । यह प्रस्ताव प्रधान मंत्रीजी के पास गया तो प्रधान मंत्रीजी ने विचार करना तो दूर रहा प्रारंभिक जांच कराना तक स्वीकार नहीं किया । यह लोकतंत्र की सर्वोच्च सत्ता की स्थिति है । आज हमारे थानों की कितनी ही बुरी स्थिति है, आज यदि एक व्यक्ति अपनी शिकायत को लेकर चोरी, डकैती, मारपीट की शिकायत को लेकर थाने में जायेगा तो थानेदार रिपोर्ट को रजिस्टर में दर्ज करने में भले ही टाइम लगा देगा लेकिन केस दर्ज करने के बाद हैड कांस्टेबल को भेजेगा किन्तु इस देश के प्रधान मंत्री पार्लियामेन्ट के अन्दर जो 35 आरोप लगाये गये भारत के गृह मंत्री ने लगाये जिनके आधार पर राज्य सभा में प्रस्ताव पास किया गया उनकी जांच करना भी मुनासिब नहीं समझते । थाने का थानेदार जांच कर सकता है । फिर भी आप कहते हैं कि लोकतंत्र है । पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव आज रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा कि आज के प्रधान मंत्री

(श्री रामनारायण चौधरी)
से पुलिस स्टेशन का थानेदार कहीं अच्छा है।

मान्यवर, मैं गृह मंत्रीजी को बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान में पिछले दिनों में, आपके शासन काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे अपराध बढे हैं। एक जिला, आप भरतपुर ही ले लीजिये, अकेले भरतपुर में 1975 में 1875 मामले दर्ज हुए, 1976 में 2089, 1977 में 2370 और अगस्त में 2704 जुर्म हो चुके हैं।

श्री सम्पतराम : यह तो बहुत ठीक बताये लेकिन इमर्जेंसी से पहले मामले दर्ज हुए उनके कंपेरेटिव फिगर बतायेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो आपके पास होंगे। मैंने तो बड़ी मुश्किल से सदन से सूचना प्राप्त की है।

मान्यवर, 1978 में 325 व्यक्ति मोटर दुर्घटनाओं में मारे गये, 2405 घायल हुए और 106 अपाहिज हुए। इन दुर्घटनाओं में राजस्थान रोडवेज बसों में 211 दुर्घटनाएं हुई, 77 आदमी मारे गये, 267 घायल हुए, 6 व्यक्ति अपाहिज हुए। यह 8 महीनों की स्थिति है।

मान्यवर, इनके शासन काल में हरिजनों पर जो अत्याचार 22-6-77 से 31-8-78 तक हुए उनकी जिलेवार मुझे सूचना दी है। इस अर्से में 24 हरिजनों की हत्या हुई, मर्डर हुए। 384 दूसरे प्रकार के मामलों में उनको ऊंची जातियों के लोगों ने यातनाएं दीं। कुल मिला कर 578 लोगों के साथ, हरिजनों के साथ इस अर्से में भयानक ज्यादतियां और मार पीट हुई है, उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया है। मान्यवर, मैं एक एक का विवरण सदन में प्रस्तुत करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैंने उदाहरण के तौर पर हरिजनों पर हुए अत्याचारों का और देश में जो हालत है उसका जिक्र किया है। मान्यवर, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पुलिस एजेंसी को केवल आदेश न दें। जब तक उसमें कांफीडेंस पैदा नहीं करेंगे, तब तक उनको कांफीडेंस में नहीं ले सकेंगे और लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं हो सकेगी।

मान्यवर, जयपुर की हालत का आज वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह एक लड़के की मेरे पास तस्वीर, फोटो है। यह लड़का, इतना सुन्दर लड़का आज से 12 महीने पहले उठाया गया और आज तक पुलिस इसकी तलाश नहीं कर सकी है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेन्ट में काम कर रहे श्री जोशी की हत्या करके उन की लाश को सड़क पर डाल दिया गया। क्या आप उसके लिये यह कहेंगे कि मर्डर नहीं हुआ? मर्डर हुआ तो कौन उसके अपराधी हैं? आप उनको नहीं पकड़ सके। मान्यवर, जघन्य अपराधों का मैं नाम नहीं लूंगा। सिनेमा के दूसरे शो, आखिरी शो को देख करके आज रात्रि काल में पति-पत्नी और परिवार के लोग सही सलामत घर में नहीं पहुंच सकते। कुछ दिन पहले का किस्सा है। जयपुर का, अजमेर का विशेषतः बताऊंगा। जयपुर का मैं पहले आपको दे रहा हूं। पांच बत्ती के पास एक सिनेमा है। पति, पत्नी और उसकी बहन आखरी शो देख कर वहां से घर जा रहे थे। रामनिवास गार्डन के पास रात्रि के एक बजे के आसपास कुछ बदमाश उनको मिले। उनको रोक कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

उस युवक से कहा गया कि यह तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी एक को छोड़ दो। मान्यवर, उस वक्त उस युवक के दिल पर इस बात से कैसी गुजरी होगी ? रात का वक्त, तीनों घर जा रहे थे रामनिवास बाग के पास से। वह युवक, उसकी पत्नी और उसकी बहन थी जो अविवाहित थी। कोई और व्यक्ति उधर से गुजरता हुआ नजर नहीं आता हुआ देख कर उस महिला ने अपने पति से कहा कि तुम अपनी बहन को लेकर घर पहुंच जाओ और मैं इनको निपटा कर आ रही हूं। तुम यहां से रवाना हो जाओ। वह युवक आज का नौजवान था, उबलते हुए खून का नहीं पैदा हुआ होगा वरना ऐसी स्थिति को अपनी आंख से नहीं देख सकता था।

श्री सम्पतराम : क्या इसका केस रजिस्टर हुआ है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह दूं उसके बाद में पूछें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप जबरदस्ती सेन्सेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिम्मेदार नेता हैं। आप जानते हैं कि जो आप सदन में कहते हैं उसका असर समाज पर पड़ता है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मुझे जानकारी मिली है और जानकारी मैंने की है। यह कोई गलत बात नहीं है। कोई सेन्सेशन की बात नहीं है, फैक्ट है। यह बात हुई है।

वह युवक अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी वहां पर रह गई बदमाशों के पास और काफी रात के बाद, उस घटना के बाद वह अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पति ने उससे कहा कि अब तेरे को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वह रुआंसी हुई। उसने कहा कि मेरा क्या कसूर है ?

श्री सम्पतराम : यह घटना कब की है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा इसमें क्या अपराध है, जो कुछ हुआ है ..

श्री सम्पतराम : माननीय विरोधी दल के नेता से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ सकता हूं कि यह घटना कब हुई ?

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ दिन पूर्व हुई है।

श्री सम्पतराम : मैं पूछना चाहता हूं कि कब की घटना है ? इतनी सीरियस बात है...

श्री रामनारायण चौधरी : यह बहुत ही सीरियस बात है। यह बात इतनी सीरियस है, गृह मंत्रीजी, आपको राज्य करने का अधिकार नहीं है और न नैतिक दृष्टि से इस सदन में बैठने का अधिकार है।

श्री सम्पतराम : आप कह रहे हैं इसलिए जानकारी करने का मेरा हक है कि यह घटना कब की है ? इतना तो मैं आपसे पूछ सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहूंगा उससे पता चल सकेगा। आप यह पूछने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। यह खबर राष्ट्रदूत मे निकली थी। जिस इलाके का मैंने नाम लिया वहां की सारी पुलिस ने इसके लिये कोशिश की। मैं क्या गांव भर में तलाश करता फिरूं कि किस आदमी ने कहा, किस बच्चे ने कहा। इस प्रकार की घटना घटी है। आज मैं इसका सदन में जिक्र कर रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उसके बाद पुलिस की कार्यवाही हुई हैं। आप गृह मंत्री हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की घटना अखबारों में आई है।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य जानते हैं कि अखबारों में जैसे ही रार्यासिंहनगर की खबर मिली तो मैं यह खद्दर वगैरह के कपड़े छोड़कर पैन्ट वगैरह पहन कर उस इलाके में 15 दिन तक घूमा और उसके बाप और मां से मिला। वह शिड्यूल्ड कास्ट का मामला था और मैं भी शिड्यूल्ड कास्ट से हूं। उनसे मैंने मालूम किया तो मुझे उन लोगों ने बताया कि हम लोग काम कर रहे थे और वह लड़की भी हमारे साथ काम कर रही थी। उसके ऊपर रूई गिर गई और वह दब कर मर गई। इस तरह की सेन्सेशनल खबरें फैलाने से लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन और खराब होती है। मैं नहीं कहता हूं कि घटना नहीं हुई. लेकिन जब आप सदन में कहें तो कम से कम यह तो बता दें कि यह किस तारीख को हुई है और किस के साथ हुई ताकि उसकी जांच पड़ताल हो सके।

श्री रामनारायण चौधरी : आप उपदेश देना बन्द करके कृपया सुनिये।

श्री सम्पतराम : हम सुनने के लिए तैयार हैं। आपका कहने का हक है और हमें सुनने का हक है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह क्या बात हुई...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी इस तरह की बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं। आपकी इस तरह की बातों से मैं बैठने वाला नहीं हूं। आप मजाक कर रहे हैं इस घटना का....

श्री अध्यक्ष : बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : जब लोगों की बहनों और पत्नियों की यह हालत होगी तो आपको और हमको लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपको जानकारी नहीं है और उछल रहे हैं। आपकी यह मूछें, वर्माजी लोग उखाड़ देंगे।

वह महिला जब अपने पति के घर पहुंची तो पति ने कहा कि मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। वह रो दी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है ? यह सब आपकी अनुमति से हुआ है। आपकी अनुमति से रुकी वरना मैं जान दे देती। उसको घर से निकाल दिया गया। वह कुए में जाकर गिर गई। यह तथ्य है। इसकी जानकारी अगर आप के पास नहीं है तो आपको पूछना चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं करते हैं तो हटिये यहां से।

श्री सम्पतराम : विरोधी दल के माननीय नेता से मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है और वह विरोधी दल के नेता की जानकारी में आता है वह उसकी डिटेल नहीं देते हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने बता दिया। आप जांच करा लें। आपसे पता नहीं चलता है...

श्री सम्पतराम : आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर इस प्रकार की घटना आपकी जानकारी में आई तो उसकी आप पुलिस को खबर करते। केवल अखबारों में छप गया और विरोधी दल के माननीय नेता ने सरकार पर लांछन लगा दिया तो इससे लॉ एण्ड ऑर्डर का क्या हाल होगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय गृह मंत्रीजी, संपतरामजी, आपके अन्दर आज जोश पैदा हो रहा है। उस वक्त आप कहां गये थे जब उस महिला को निकाल दिया गया और यह बात दबाई गई ?

श्री सम्पतराम : मैं एक सूचना मांग रहा हूं। आप बड़े पुलिस सुपरिटेंडेन्ट हो रहे हैं। एक महिला कुए में गिरी है यह साबित हो गया है, इसके बारे में आप सदन में बताते हैं तो कुछ फैक्ट वगैरह आप दे दें ताकि वह हमको मदद करें। कल यह बात अखबार में छपेगी कि चौधरी रामनारायणजी ने इस तरह की घटना का जिक्र किया था और राजस्थान सरकार पता नहीं लगा सकी ....

श्री रामनारायण चौधरी : उसका पता आप लगायें। आपको क्या हो गया है ? कम से कम...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप अगर यहां भाषण करें और इस तरह की बात करें तो यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति का पता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री लोग इस बात से ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई गरिमा की बात नहीं है। आप चार्ज लगा रहे हैं और आप पता नहीं दे रहे हैं। कहां यह घटना हुई और कब हुई है, वह बता दें तो हम अच्छी तरह से जांच करके उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या खाक उत्तर देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आप सुओ मोटो जांच करें या माननीय होम मिनिस्टर साहब यह एलान कर दें कि यह झूठ है। कर दें एलान।

श्री सम्पतराम : मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पता दे रहा हूं।

श्री सम्पतराम : मैं सत्य और झूठ के बारे में नहीं कह सकता हूं। आप सही जानकारी के लिए कह रहे हैं तो यह सच है या झूठ है यह कैसे कह सकता हूं ? विरोधी दल के माननीय नेता बोल रहे हैं मेरे पास दूसरा चारा नहीं है सिवाय इस बात के कि उनकी बात का यकीन करूं, लेकिन यकीन करके चलने के लिए पृष्ठभूमि आवश्यक है, मुझे मालूम हो कि यह घटना कब हुई है। इस प्रकार की खबरों से समाज में अव्यवस्था फैलेगी।

श्री मदनसिंह दांता : विरोधी दल के नेता के पास साधन होते तो आपको नहीं कहते और उसका डाटा पकड़कर ले आते। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वह सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी

(श्री मदनसिंह दांता)
है। एक चीज जरूर है कि टाइम और महीना जरूर बता दें ताकि मालूम पड़ जाय कि इस महीने में हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : सारा अखबार में आया है।

श्री सम्पतराम : आपको मालूम होना चाहिए कि उस खबर के लिए मैंने 15 दिन कोशिश की है और मालूम हुआ है कि गलत बात थी। वह झूठी थी खबर।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने जांच की है वह सही है। आपकी जांच रिपोर्ट जो आई है वह गलत है।

श्री सम्पतराम : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बहुमूल्य सूचना दी इसकी इन्फार्मेशन आपको किस ने दी, किस एजेन्सी ने दी, यह बता दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप अच्छी तरह से जानते हैं और कह रहे हैं तो..

श्री एच. एन. शर्मा : वह माहौल खड़ा कर रहे हैं। आप यह तो बतायें कि कहां की घटना है ?

श्री रामनारायण चौधरी : रायसिंहनगर का किस्सा इस सदन में उठा था। 14 साल की एक लड़की एक रूई के व्यापारी के यहां नौकरी करने के लिए जाती थी। उस लड़की के साथ उस सेठ के लड़के ने बलात्कार किया। उस लड़की से कोई भेद न खुल जाये इसलिए उस लड़की को रूई की गांठ के अन्दर दवा कर मार दिया गया। थाने में रिपोर्ट हुई। पुलिस ने जांच की। डाक्टरी मुआयने में आया है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। जब लड़की के बाप को, लड़की की मां को यह मालूम हुआ तो पैसे वाला सेठ, उसका लड़का और रायसिंहनगर के तमाम व्यापारी इस मामले में एक हो गये और उस लड़के को बचाने की कोशिश की। तो आपके सैकेन्ड लेफ्टिनेंट मुल्कराज थिन्द ने सम्पतराम के नाम से 50 हजार रुपया लिया है उसको बचाने के लिए। अगर यह गलत है तो जानकारी कर लें। आपके नाम से 50 हजार रुपये लिये गये हैं। बच्चा बच्चा कहता है। हम उनके प्रमाण लाकर दे देंगे।

श्री सम्पतराम : इसके मायने हैं, हम उन्हें बचाना चाहते थे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने दवाया है।

श्री सम्पतराम : इससे ज्यादा कमीनेपन की कोई हरकत नहीं हो सकती। यह गलत कहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका मुंह देखने का धर्म नहीं है। हरिजनों के हत्यारे तुम हो। राजस्थान का गृह मंत्री सम्पतराम हरिजनों का हत्यारा है।

श्री सम्पतराम : यह झूठ है।

श्री नूरा : आप इस तरह से, मंत्री महोदय बोलते हैं। आप मंत्री हैं आपको सब्र रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : होम मिनिस्टर के नाम पर कोई रुपया खा गया है, यहां यह कहा गया है। आपने कहा है कि आप इसमें शामिल हैं।

श्री **रामनारायण चौधरी** : इस केस को दबाने में राजस्थान का होम मिनिस्टर शामिल है ।

श्री **सम्पतराम** : इससे ज्यादा कोई झूठ हो नहीं सकता है ।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : आप जांच करवा लें ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : आज जांच करवा लें ।

(व्यवधान)

श्री **सम्पतराम** : मैंने आपका बहुत लिहाज किया है । बहुत सुना है । आपने इस तरह की बातें कहने का तरीका बना रखा है ।

(व्यवधान)

श्री **एच० एन० शर्मा** : जब आपको एक महीने पहले जानकारी मिल चुकी थी, तो विरोधी दल के नेता के नाते बताने का आपका कर्त्तव्य था। आपको बताना चाहिए था । आपने बताया नहीं ।

(व्यवधान)

यह इस बात का द्योतक है कि यह बात झूठी है ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : हम रायसिंह-नगर जाकर यह जानकारी नहीं करना चाहते थे ।

(व्यवधान)

यह गृह मंत्रीजी ने करवाया है ।

श्री **सम्पतराम** : मैं कोई बात छुपाऊंगा क्या ?

श्री **नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** : अभी इन्होंने अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेंट्री शब्द कहे हैं । इन्होंने "कमीनेपन की हरकत" कहा है । यह एक मंत्री को नहीं कहना चाहिए ।

श्री **मदनसिंह दांता** : यह खुद के लिए कहा है ।

(व्यवधान)

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय··

(व्यवधान)

नरेन्द्रपाल सिंहजी को कुछ गलतफहमी हो गई है । यह कहा है लेकिन अपने लिए कहा है ।

श्री **मदनसिंह दांता** : मैंने यह सुना है । यह कहा है, अगर राजस्थान के होम मिनिस्टर ऐसा करें तो इससे ज्यादा कमीनी हरकत नहीं हो सकती है ।

श्री **एच. एन. शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता ने 50 हजार रुपये लेने का आरोप एक कत्ल के मामले में गृह मंत्रीजी पर लगाया है । विरोधी दल के नेता ने अब तक इस सूचना को अपने पास क्यों दबाये रखा है ?

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : मेडिकल रिपोर्ट है ।

(व्यवधान)

श्री **एच. एन. शर्मा** : मैं दावे से कह सकता हूं कि यह सूचना गलत है । जानकारी हुई थी तो आकर बताते ।

श्री **नवरंग सिंह** : अगर वास्तव में गृह मंत्रीजी के दलाल ने लिये हैं तो पहले बताते अन्यथा यह कोई आरोप नहीं है । इस आरोप को वापस लें ।

श्री **रतनलाल वर्मा** : इस तरह से विरोधी दल के नेता सदन का समय नष्ट करते हैं और बदनाम करते हैं। आपने आरोप लगाया कि 50 हजार रुपये मांगे। क्या तमाशा है। खुला आरोप लगाया है। इतने दिन कहां सो गये थे? स्थगन प्रस्ताव रखते।

श्री **रामनारायण चौधरी** : स्थगन प्रस्ताव आया है।

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** : मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करायें। अगर यह बात गलत है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर यह सही है तो माननीय गृह मन्त्रीजी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सदन के अन्दर अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिएं।

(व्यवधान)

श्री **रामनारायण चौधरी** : माननीय सदस्य को कोई भ्रम है तो वह स्वयं चले जाय और जानकारी कर लें। उनको खुद को कॉन्फीडेन्स हो जाएगा।

श्री **नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या जानकारी करके कहा है?

श्री **रतनलाल वर्मा** : यह बात आप इसलिए कहते हैं कि अखबारों में आये कि विरोधी दल के नेता ने 50 हजार रुपये खाने का आरोप गृह मन्त्रीजी पर लगाया है। इसका मतलब कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री **नवरंग सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता को ये शब्द वापस लेने चाहिएं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : एक बात आप सुन लें। आपने चार्ज लगा दिया। क्या आप यह आरोप लोकायुक्त को लिख कर देंगे?

श्री **रामनारायण चौधरी** : फिर आप मुख्य मन्त्री बन कर किसलिए बैठे हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मंत्री के खिलाफ चार्ज की जांच के लिए लोकायुक्त को लिखकर देने की बात कह रहा हूं।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मैंने मन्त्री के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : फिर किसके खिलाफ लगाया है?

श्री **रामनारायण चौधरी** : लोकायुक्त को दे दं फिर आप किस मर्ज की दवा हैं। गृह मन्त्री आपके हैं। 50 हजार रुपये लिये हैं। 14 साल की महिला को खतम कर दिया गया है। आप नेता किस बात के हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मुझे नेता आपने नहीं चुना है। इन्होंने चुना है।

सवाल यह है कि आपने ही कहा था कि लोकायुक्त होने के बाद मन्त्रियों के विरुद्ध इस सदन में आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। अब यदि मंत्री के आचरण पर किसी प्रकार का दोष लगाया जाए तो लोकायुक्त से शिकायत की जाए। तो मैं आपके शब्दों में ही पूछना चाहता हूं कि जब आपने उसका प्रीएम्बल इस प्रकार का बनाया था तो क्या आपने

(177)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जो आरोप लगाया है, उसकी शिकायत लोकायुक्त के सामने करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : शिकायत करने वाले तो शिकायत कर देंगे। लोकायुक्त का सहारा लेकर आप, आपके मंत्री और आपकी सरकार यदि बचने की चेष्टा करे तो एक मामले में बच जायेंगे, दूसरे में नहीं बच सकेंगे। और बचते हुए चलेंगे तो, भैरोंसिंहजी शेखावत, लिख लीजिए साढ़े तीन साल बाद आप और आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। आप कहते हैं किसकी वजह से आए हैं, तो मैं बताता हूं कि 1972 में ग्वालियर में जाकर वोटर्स लिस्ट में अपना नाम लिखाना पड़ा तब जाकर आये थे। अगर सही रास्ता नहीं अपनायेंगे और जो बात कही गई है लोकायुक्त का बहाना लेकर उसे टालने की कोशिश करेंगे तो मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बदतर, दुखद और डिप्लोरेबल सिचुएशन कोई नहीं हो सकती।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1975 से 1978 तक राजस्थान में इस तरह अपराध हुए, 1975 में 34748, 1976 में 34833, 1977 में 39272, 1978 के अंदर 53261। यह स्थिति इस बात की इंडीकेटर है कि राजस्थान में बराबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह तो उस समय है जब कि राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान की सरकार ने प्रत्येक एस. पी. को ये आदेश दे रखे हैं, कान्फीडेन्शल, जबानी या लिखित, मैं नहीं कह सकता, कि केसेज का रजिस्ट्रेशन न हो। इस बात का प्रमाण चाहिये, धौलपुर से निर्वाचित होने वाले पार्लियामेन्ट के सदस्य का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। यदि यह गलत है तो उनको बुला लीजिए। उनका स्वयं का स्टेटमेंट है कि आज थानों में केसेज रजिस्टर नहीं होते। एक मामले में भरतपुर के माननीय सदस्य, जो इस सदन के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, का स्टेटमेंट अखबार में निकला है। यदि यही हालत है तो मुख्य मंत्री और गृह मंत्री, भरतपुर को राजस्थान से निकाल कर यू. पी. में मिला दें यह तो आपका दल है जिसके सदस्य का स्टेटमेंट मैंने देखा। मेरा चार्ज है राजस्थान सरकार पर कि आपकी पुलिस को, आई. ए. सी. को और अधिकारियों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, जब से आप राजस्थान में और केन्द्र में सत्ता संभाले हैं, तब से केन्द्र की आपाधापी, पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है और उसी के परिणामस्वरूप राजस्थान में पार्टी में इनफाइटिंग है क्या हालत है मंत्रियों की ? आज मंत्री महोदय की बाईं तरफ भीम सिंह, दाईं तरफ गोपाल सिंह, सामने पृथ्वी सिंह है और सबके सामने बैठे हैं भैरोंसिंह। तो ऐसी हालत में आप क्या उम्मीद करेंगे ? आप स्पष्टीकरण दे रहे थे कि कार्टून छपा था कुछ हालात में कार्टून आते हैं, लंगड़े चलते हैं, कुबड़े चलते हैं, जैसी शक्ल वैसा कार्टून कार्टून वैसा बनेगा जैसी राजस्थान की शकल होगी ....

श्री मदनसिंह दांता : हिन्दुस्तान कौन थे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप आई. ए. एस. ऑफिसर जी. रामचंद्रन कान्फ्रेन्स के अंदर ....

(व्यवधान)

श्री **मदन सिंह दांता** : प्रधान मंत्री के पास में कितने सिंह थे कितने, चौधरी थे ? आप जातीयता की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री **रामनारायण चौधरी** : मैं बिल्कुल जातीयता को नहीं ले रहा हूं । आज पंजाब बोल रहा है, पूर्वी भारत का भरोसा नहीं है, यू. पी. के हालात आपसे छिपे हुए नहीं हैं और राजस्थान में भी जिस तरह से शासन आज चल रहा है, उससे कानून व व्यवस्था की समस्या समाप्त नहीं हो सकती । मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप फाइलों में न उलझें, प्रैक्टिकल आदेश आप अधिकारियों को दें । उनको आदेश दें तो प्रशासन में फर्क पड़ेगा, लॉ एण्ड आर्डर सुधरेगा । आप तो रात दिन फाइलों में उलझे रहते हैं । यही हालत रही तो राजस्थान की बुरी हालत हो जाएगी । जयपुर में क्या हर शहर में निकलना मुश्किल हो जाएगा । थोड़े दिनों बाद लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा । अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और सदन का भी आभारी हूं कि कृपापूर्वक उसने मुझे सुना ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो चुका है और इतना समय भी नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन मैं गृह मंत्री से कुछ कहना उचित समझता हूं । उदाहरण के लिए जालौर जिले को लीजिए । वहां मेरे पर्टीक्यूलर क्षेत्र का उदाहरण देना उचित होगा । जनता सरकार के पावर में आने के बाद में जैसा मंत्रीगण और सरकार कहती है, दो या तीन साल से कम किसी थानेदार का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए । एक उदाहरण मेरे यहां का मैं देना चाहता हूं । सबसे पहले सांचौर थाने में गणेशाराम थानेदार 8 महीने, चैनसिंह 2 महीने, दूरू सिंह एक महीना रहा । इस तरह आप क्यों लॉ एण्ड आर्डर बिगाड़ते हैं । जो पार्टी इन पावर है चाहे भैरोंसिंहजी हों या और कोई, उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता जो भी सत्ता में होगा उसको सुनना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको लाइटली लेना चाहिये क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, यहां बैठ चुके हैं । उस समय भी इसी तरह से सरकार पर आप चार्ज लगाते थे । अब हम भी लगाते हैं । आपके नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष को सत्ता पार्टी पर चार्ज नहीं लगाना चाहिए । हम इसमें विश्वास नहीं करते कि चार्ज लगाकर अनर्गल बात कह कर चार्ज प्रूव नहीं कर सकें । इस बात को मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर इधर बैठने वाला सदस्य कोई वाजिब बात भी कहे तो क्योंकि वह विरोधी पक्ष से आता है इसलिए उसके चार्ज को उड़ा दिया जाए, यह अच्छी बात नहीं है ।

मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं । आप मुख्य मंत्रीजी जब सांचौर में आए थे और बाकलिया स्टेशन पर खड़े थे तो एक हरिजन महिला, जिसके पति का मर्डर हो गया था, ने आपको दरख्वास्त पेश की थी । आपने तफतीश का आदेश दिया था कि इसकी तफतीश हो । उस मामले में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह दुर्गति हुई कि उस केस के अंदर दो निर्दोष व्यक्तियों का तो चालान भी पेश कर दिया गया किन्तु उनके खिलाफ हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट बहस नहीं कर सके और कहने लगे कि इस केस में क्या बहस करूं ? उनकी जमानतें हुईं। फाइल के अंदर मुख्य मंत्री का आर्डर है उसकी तफतीश नहीं हुई । कई ऑफिसर आते हैं और जिस समय मर्डर हुआ उस समय मैंने वहां लोकल पुलिस से विधायक के नाते कहा था कि आप सावधानी बरतें, पार्टीबाजी उग्र है, कहीं मर्डर न हो जाए। केवल एहतियात बरतते, पुलिस चौकी लगाते तो मर्डर नहीं होता । मर्डर होने के बाद जिस पार्टी का पक्ष लिया गया है वह ओपियम के चार्ज में रैंड हैंडेड पकड़ा हुआ है और वह मीसा कानून में गिरफ्तार हुआ है। जो पार्टी इन पावर है, जैसा नूरा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी ट्रांसफर में पड़ती थी। वही जनता पार्टी कर रही है। यह चीज नहीं होनी चाहिए । पार्टी इन पावर एक स्टेण्ड ले लेती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दुखदायी होता है। क्या किया जाय ? सच्ची तफतीश करें तो मारे जायेंगे और झूठी करें तो भी मारे जायेंगे । इस मामले में हाई कोट ने जरूर इंसाफ किया लेकिन पुलिस इंसाफ नहीं कर पाई। उस केस में, अध्यक्ष महोदय, 15-15 आदमी, जिनकी उम्र 70-70 और 80-80 साल की है, इन्वाल्व्ड हैं । उसमें सरपंच भी इन्वाल्व्ड हैं। जो डी. एस. पी. नीम का थाना में था, श्री सूर्यनारायणजी बैठे हैं वह जानते हैं कि उसको यहां से भीनमाल भेजा क्योंकि उसकी चलती थी। भीनमाल रह कर वह अपने आपको जनता पार्टी का वर्कर कहता है । जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कांग्रेस की दुहाई देता था। आप उसको जानते हैं। उस आदमी का ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए दिल्ली हवाई जहाज से लोग गये लेकिन मुझे खुशी है कि अधिकारियों ने भी उसको सीरियसली लिया। उसकी शिकायत पैंडिंग है, उसकी जांच होगी या नहीं मैं नहीं कह सकता। पार्टीबाजी के आधार पर निर्दोष लोगों को जो नुकसान उठाना था वह तो उठा लिया लेकिन अनसूचित जाति के परिवार का उप-सरपंच मर गया। उसके संग एक भाई मर गया और दूसरे भाई के पीछे पुलिस पड़ गयी । वह डी-वाई. एस. पी. कहता है कि मैं जनता पार्टी को मजबूत बना रहा हूं । उसने अपनी मनमानी करके जो भी जनता पार्टी का विश्वास था जनता में उसको और रसातल में पहूंचा दिया है। जो करूंगा मैं करूंगा। लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है और मेरी बात की तरफ सरकार तवज्जोह देती है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं किसी को नाजायज फायदा देकर डीमोरेलाइज कर दूं। गृह मंत्रीजी कह दें कि मैंने कभी उनको किसी डी. एस. पी. या और किसी के ट्रान्सफर के लिए कहा है। यह तो अच्छा हुआ कि पहले माहौल बना हुआ था और आप उधर चले गये । ट्रान्सफर फिर भी करने पड़ते हैं क्योंकि सत्ता चलानी पड़ती है । लेकिन इसकी भी एक सीमा है । अगर हम इन्टरफियरेन्स नहीं करते हैं तो आप भी दूसरे पक्ष का इन्टरफियरेन्स कम से कम मत मानो । जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसकी बात की तरफ तवज्जोह दो और हम कहते हैं उससे उसका मिलान करो ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जिसका मर्डर हुआ उसके सगे भाई को अरेस्ट करके बाजार में घुमाया। हम यह नहीं कहते हैं कि आप पार्टी इन पावर हैं इसलिए हमें आपको राजी रखना है। आप भी तो इसी तरह की बात विरोधी पक्ष में बैठ कर करते थे। कम से कम जो जनता का प्रतिनिधि है उनकी राय लॉ एण्ड ऑर्डर कायम करने के लिए लो और उसको मानो। मैंने सदन में कहा था कि सांचौर में लड़कों का झगड़ा होगा और आपने कहा कि नहीं होगा। मैंने तो सेफगार्ड के लिए कहा था। मेरी बात सच निकली। एक लड़का कुचल कर मारा गया। लड़ाई हुई खून खच्चर हुआ और पब्लिक परेशान हुई। आपने अब 18 दिन के बाद लड़कों का चालान किया। लोगों ने बेल तक नहीं दी। उनके बापों ने आकर बेल दी। मैंने आपको फैक्ट्स भेजे लेकिन आप तवज्जोह नहीं देते। क्या इधर से आने वाले माननीय सदस्य अन-इम्पार्टेन्ट हैं ? तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने यह उदाहरण दिया।

पार्टी इन पावर का बहुत दायित्व है और अपोजीशन का भी दायित्व है। सब मिलकर कर्मचारियों को ही दोष देते जायें और लॉ एण्ड ऑर्डर कायम हो जाय, ऐसा मैं नहीं मानता। हम ट्रान्सफर्स के मामलों में नहीं पड़ें लेकिन यह भी नहीं हो कि विरोधी पक्ष का क्षेत्र है इसलिए उसकी तरफ तवज्जोह नहीं दें। यह नहीं होना चाहिए। इससे लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ेगा। इससे अधिकारी भी डी-मोरेलाइज़ होते हैं क्योंकि उनकी बात पर सरकार तवज्जोह नहीं देती। यह गलत है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि एक तो ट्रान्सफर्स के मामले में इन्टरफियरेन्स नहीं करें। दूसरे ऑफिसर्स के ऊपर कान्फीडेन्स लैक नहीं करें। आप फ्री उनको काम करने दीजिए। उनकी गलती है तो उनको पनिश करें, सस्पेण्ड करें, डिसमिस करें। आपकी पकड़ में आने के बाद उसको आप नहीं छोड़ें चाहे आपका आदमी हो या हमारा आदमी हो। यह टेन्डेन्सी होगी तो लॉ एण्ड ऑर्डर आपका मजबूत होगा और स्थिति सुधरेगी। पब्लिक पार्टीबाजी में नहीं मारी जाय यह भी आपका सर्वोपरि दायित्व होना चाहिए। यह नहीं होगा तो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने का काम करने वाली, जैसा मेहताजी ने कहा, शराब है, पार्टीबाजी है। ट्रान्सफर ऑफ पावर हुई है तो मैं यह मानता हूं कि कुछ केसेज भी बढ़ेंगे लेकिन बात को उड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए। पब्लिक का हित सर्वोपरि होना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए।

मैं ज्यादा समय लेना उचित नहीं समझता क्योंकि समय बहुत कम है और रात काफी हो गयी है। इसलिए मैं इसी बात को कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी बात गलत है तो हमारे खिलाफ भी इन्क्वायरी खोलने की आपको बिलकुल छूट है। इससे हम तो घबराते नहीं हैं। यह दृष्टि-कोण रहेगा तो लॉ एण्ड ऑर्डर कायम होगा। कोई भी गृह मंत्री हो हरिजन हो या दूसरा हो कोई अपनी बदनामी नहीं चाहता। हालात काबू में नहीं हैं तो कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ कमजोरी जरूर है उसको दूर किया जाय ताकि जनता पार्टी की छवि बिगड़े नहीं। यह बात कह कर मैं प्रार्थना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करता हूं आपसे और अध्यक्ष महोदय से भी कि जो बात मैंने कही है उनकी तरफ तवज्जोह दें, गुस्सा नहीं करें। जो वकील क्रास एग्जामिनेशन से इर्रीटेट हो जाता है उसकी हार होती है, इसको भूलिये। आपको बड़ी संजीदगी से जवाब देना है।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था पर बहुत से मद्दों पर विचार हो चुका है। मैं संक्षेप में ही मेरे जिले में जो कुछ घटनायें हुई हैं उनके बारे में सदन में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। नीम का थाना में नया बांस एक गांव है। नया बांस है वहां नकबजन बड़े हिस्से में रहते हैं। वे राजस्थान के बहुत से हिस्सों में नकबजनी करते हैं, गुजरात में भी करते हैं, मद्रास में भी करते हैं और बहुत से स्थानों पर करते हैं। उन्होंने बाड़मेर में बायतू और मोकलसर में, जैसलमेर जिले के पोकरण और फलसून्ड में, जोधपुर जिले में टीकमखोर में बहुत सी नकबजनी के केसेज किये हैं। वे जीपों और कारों से सुसज्जित होते हैं। पूरी तैयारी के साथ में साइन्टिफिक तरीके से चोरी करते हैं। पुलिस उनको अब तक पकड़ने में नाकामयाब रही है। जो गैंग है वह उन लोगों की है। जहां तक सचना मिली है उस गांव के 30 पर्सेन्ट लोग यही धन्धा करते हैं। इसी के कारण उनकी आर्थिक स्थित मजबूत हो गई है। यह कार्य 15-20 वर्षों से चल रहा है। हमारी कांग्रेस सरकार में भी करते थे। हमारे गूंगा में वे लोग आये-नकबजनी करने के लिये। उसमें वे कामयाब नहीं हुए। यह नकबजनी का मामला बहुत अर्से से चल रहा है। इस विषय में प्रोफेसर केदार, जब होम मिनिस्टर थे, का ध्यान भी आकर्षित किया था। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, वह जानकारी गलत भी हो सकती है उनको राजनैतिक प्रोटेक्शन तो नहीं लेकिन पौलिटिकल प्रोटेक्शन भी उधर के क्षेत्र के एम. एल. ए. और महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। जो उनकी पैरवी करते थे, वे भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे उनके मुकदमों की पैरवी करते थे। इस तरह काफी प्रोटेक्शन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको मिलता था। इसलिये यह मामला बहुत ही संगीन मामला है। गुजरात वाले एक बार पूरी तरह अपनी फोर्स लाये और 5-7 मुलजिमों को पकड़ कर ले गये और उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे मुख्य मंत्रीजी और होम मिनिस्टर साहब को कहना है कि वे पूरी तरह सख्ती से कदम उठायें और जो दोषी हों, उनको हरेश करें। और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। यह बात मैं नोटिस में लाना चाहता हूं।

दूसरी बात वह है जिसके सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन भी रखा था और गृह मंत्रीजी ने सन्तोषप्रद जवाब भी दिया था। लेकिन जवाब देने से ही कुछ नहीं होता है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक मुझे सन्तोष नहीं होने वाला है। इसलिये मैं उस बात की ओर भी मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 30-10-77 की रात को 11-00 बजे जोधाराम जाट बायतू के घर पर पुलिस का हैड कान्स्टेबल धीरसिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति को लेकर घर में घुस गया और महिलाओं से बलात्कार करने की कोशिश

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करने लगा। जोधाराम और चुन्नीलाल 11-00 बजे कार्य करके पहुंचे तो देखा कि पुलिस घर में घुसी हुई हैं। पहले तो वे थोड़े से अलग खड़े हो गये। बाद में उनको पकड़ लिया और पकड़ कर उनकी मार पिटाई की। मार पिटाई करने पर हैड कान्स्टेबल के साथ कोई चार कान्स्टेबलों को लेकर आये। फिर उन दोनों की मार-पिटाई की और पकड़ कर थाने में ले जाकर जबरदस्ती उनको शराब पिलाकर प्रोहिबीशन का केस लगा दिया। मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हूं और इस बात की पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक शब्द बोलूं वह सही बोलूं। अगर सही नहीं बोलता हूं तो सदन को गलत सूचना देना भी उचित नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे कतई शराब नहीं पीते हैं .....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : विरोधी दल के नेता को भी कह दें।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, उनको जबरदस्ती शराब पिलाकर प्रोहिबीशन का केस उनके खिलाफ बनाया। मैं पुलिस एस. पी. के नोटिस में लाया। उन्होंने अच्छी तरह मुझे सुना और मेरी बात को सुन कर उस कान्स्टेबल को पुलिस लाइन में भेज दिया। अभी उसकी इन्क्वायरी चल रही है। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इन्क्वायरी करवायेंगे। एक और रात को बुरी नीयत से घर में घुसे, यह तो अच्छा हुआ उनकी लड़की नहीं थी वह बहिन के यहां पर गई हुई थी, इस तरह बुरी नीयत से आये और झगड़ा किया और दूसरी ओर निर्दोष को हथकड़ी लगा कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, यह सीरियस बात है। मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे जांच करवायें और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

तीसरी बात जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूं वह है बोर्डर एरिया में स्मगलिंग की। बोर्डर एरिया में स्मगलिंग बहुत चलता है—बकरों और भेड़ों का स्मगलिंग चलता है। कुछ अर्से पहले गायें भी गुजरात से आती थीं। उनका आना दो तीन महीने से बन्द हुआ है, यह बात गलत नहीं है। जो सही बात करते हैं उनकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। जो कदम लिया है बाड़मेर के एस. पी. महोदय ने कि कान्स्टेबल को पुलिस लाइन में भेज दिया, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। यह अवश्य है कि उस प्रकार की स्थिति हुई थी जो गायें होती हैं, उनको मांस के लिये पाकिस्तान वाले पसन्द करते हैं। बकरे, भेड़ आदि भी स्मगल होकर जाती हैं। तो स्मगलिंग को रोकने के लिये भी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये। सन् 71 में जो पाकिस्तान से आये थे वे शरणार्थी अधिक स्मगलिंग कर रहे हैं क्योंकि वे उस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। अभी दो महीने पहले विशनदास ने पाकिस्तान में जाकर डकैती कर ली, तीन लाख की डकैती थी। बहुत सा कपड़ा और जेवर ले आया। बोर्डर पर यदि इस प्रकार का आफेन्स करते हैं तो पाकिस्तान वाले क्या कहते होंगे? गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया कि केस रजिस्टर किया और दो मुलजिमों को पकड़ा। विशनदास मुलजिम है उसको भी पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिये। इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर जांच करनी चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन है, उनकी परमिशन लेकर चालान किया जाना चाहिए। इसका वहां असर पड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। उसके आदमियों ने ऐसा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

किया तो उनको वे सजा देंगे । इसका असर पड़ता है इसलिये

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गवर्नमेंट एक्शन ले ।

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बीजोडा, जो कि चौहटन तहसील में है, के पुलिस स्टेशन के बारे में अभी एक बात कही । वहां से एक किसान महिला को उठा कर पाकिस्तान ले गए । उस घटना की जांच करानी चाहिए कि किस प्रकार यह घटना हुई ? क्यों इस प्रकार की घटना हुई ? उसका री-एक्शन हुआ है इसलिये उसकी जांच की जानी चाहिए । सबसे बड़ी बात यह है, मोरारजी भाई ने बहुत सिद्धान्त की बात कही है कि भय-मुक्त समाज की रचना होनी चाहिए । बहुत सिद्धान्त की बात उन्होंने कही । परन्तु भय-मुक्त समाज का फायदा उठा रहे हैं स्मगलर्स, भय-मुक्त समाज का फायदा उठा रहे हैं गुण्डे । उसका फायदा उठा रहे हैं डकैत । तो इन सब को भय-मुक्त नहीं होने देना है । यह दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं उनको भी सही कार्य करने की छूट होनी चाहिए । अगर उनको विश्वास होगा कि हम अगर वही काम नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्ती से स्टेप उठाया जाएगा और अगर सही कदम उठायेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और फिर वे अच्छी तरह से विश्वास के साथ काम कर सकेंगे । मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि अधिकारियों का कॉन्फीडेंस प्राप्त करिये । अगर कॉन्फीडेंस प्राप्त करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वे विश्वास के साथ काम नहीं करें । गृह मंत्रीजी, जो भी हमारे ईमानदार अधिकारी हैं इस प्रकार के अच्छे अधिकारियों का पुलिस में अगर उपयोग करेंगे तो सही तरीके से लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन हल हो सकेगी । हम भी यही चाहते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन सही तरीके से हल हो सके ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री किशनसिंह भाटी ।

श्री **किशनसिंह भाटी** : अब तो बहुत समय हो गया । I don't want to add further fule to the heated discussion.

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं बोलना है तो मैं आपका आभारी हूं ।

श्री किशनसिंह भाटी : अब तो क्लोजर कर दें ।

श्री अध्यक्ष : सभी तो बोल चुके हैं, एक रह गए हैं ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है । मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था । मुझ इस विषय पर बोलने का मौका दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लूंगा । यहां नाम नहीं है । श्री उगमराम मेहता ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता महोदय यहां पर बोल रहे थे, वे जिस प्रकार से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे उसको सुनकर आश्चर्य हो रहा था...

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ भी आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : जिन्होंने आपातकाल में हजारों-लाखों निरपराध लोगों को पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया आज वे ही लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, यह बड़ी शर्म की बात है। हम बेगुनाहों को जेलों में जिन्होंने ठूंसा था और हथकड़ियां लगा करके बाजार और गलियों में घुमाया था आज वे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कांग्रेस ओ में हैं कि आई में हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो ओ का ही हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है, मैं अभी आपको बुलाऊंगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम आ गया है। मेरी गलती थी। गलत लिस्ट मैंने देखी थी, आपका नाम इसमें है।

(व्यवधान)

सब का 'ओ' और का 'आई' एक हो जाने वाले हैं।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, पहले थाने बिकते थे, दस हजार, बीस हजार और एक लाख में लेकिन जनता पार्टी का शासन आने के बाद वह बीमारी मिट गई। ऊपर से कम से कम थाने के लेवल तक इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आता। मैं मानता हूं कि थाने के लेवल पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। थाने के लेवल तक, पुलिस स्टेशन तक मामले सामने आते हैं। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति.......

श्री मदनसिंह दांता : पटवारियों के लिए क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री उगमराज मेहता : अभी मैं पुलिस के मामले में बोल रहा हूं।

जिस प्रकार से पहले चोरियां होती थीं, ब्रिटिश सरकार के टाइम में होती थीं, जनता पार्टी की सरकार में चोरियां होती हैं। परन्तु यह मैं जरूर कहूंगा, ब्यावर में फरवरी से लेकर अगस्त तक बहुत चोरियां हुई। सरे बाजार में ताले टूटे। 15 अगस्त को दिन में ताले टूटे। मैंने मुख्य मंत्रीजी को फोन किया, आई. जी. को फोन किया, गृह मंत्रीजी को फोन किया। यह बात जरूर है कि वहां के डी. आई. एस. पी. ने तत्परता बरती। उसी दिन रात को इस प्रकार से उन्होंने घेरबन्दी की कि चोर पकड़े गए। नकदजनी भी पकड़ी गई। चोरियां केवल ब्यावर की ही नहीं हुईं, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर और जयपुर

(श्री उगमराज मेहता)

तक की चोरियां खुलीं। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। परन्तु वहां पर डी-वाई. एस. पी. और एस. एच. ओ. में बनती नहीं है। यह बात मैंने पहले भी माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर दी थी। डी-वाई. एस. पी. सट्टा बन्द करवाना चाहते हैं। उनके आने के बाद सट्टा बन्द भी हो गया लेकिन एस. एच. ओ. कभी-कभी दुकानदारी चालू करवा देते हैं..

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने तो कहा कि थानों में रिश्वत नहीं होती।

श्री उगमराज मेहता : थाने के लेवल से ऊपर तक के लिए कहा था।

यह बात जरूर है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने में कुछ राजनैतिक पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। मैं आपको ब्यावर का किस्सा सुनाता हूं। वहां हड़तालें होती हैं। बाजार में सरे आम नारे लगाते हुए निकलते हैं 'इनको हथोड़ा मार दो,' 'इनको मार दो,' इस प्रकार से वे नारे लगाते हुए सरे आम बाजार में निकलते हैं। मेरा निवेदन है कि मिल मजदूर और मालिकों दोनों को संरक्षण होना चाहिए। यह मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मजदूरों को संरक्षण दें तो मालिकों को भी संरक्षण देना पड़ेगा। वहां पर किसी भी छोटे कारखाने के मालिक को सरे आम बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। यह घटना ब्यावर में हुई है। एक जगह हड़ताल होती है तो छोटे-छोटे कारखानों में हड़ताल नहीं होते हुए भी उनका माल बाहर आने से रोक देते हैं। वहां इस प्रकार का व्यवहार होता है। यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं .....

श्री हमवन्तसिंह : माननीय सदस्य, सेठों की पैरवी नहीं करके लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पर बोलें।

श्री उगमराज मेहता : यह भी लॉ एण्ड ऑर्डर में ही आता है।

श्री मदनसिंह दांता : सेठों के घरों पर भी डाके पड़ते हैं। क्या रोज गरीबों के ही घरों पर डाके पड़ते हैं? क्या इनको मरने दें? यह क्या बात हुई?

श्री उगमराज मेहता : मैं एक चोरी का मामला, खीमेली की चोरी का मामला आपके सामने रखता हूं। एक घर में चोरी हुई। घर के अन्दर का पूरा सामान चोर ले गए। वह सारा सामान एक बिस्तर में या एक अटची में ले गये, यह बात भी नहीं है। बड़े-बड़े भगोने, सिलाई मशीन, रेडियो, पंखा, बिस्तर पूरा सामान इस प्रकार से चला जावे तो कम से कम किसी की मिलीभगत उसमें जरूर होनी चाहिए। उसकी शिकायत की गई परन्तु आज दिन तक चोरी का पता नहीं चला। कई बार गृह मंत्रीजी को लिखा परन्तु आज तक चोरी की छानबीन नहीं की गई।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर का किस्सा है। मेरे पास एक चिट्ठी आई है। किस्सा यह है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के एक मैनेजर की 14 साल की लड़की को गुण्डे उड़ा ले जाते हैं। इसके बारे में सम्पतराज दवे, पुलिस अधिकारी पुखराज मेहता को घर आकर सारी हिस्ट्री बताते हैं। उनको दुःख होता है। वे चाय पीकर चले जाते हैं। य सारी स्थिति को अपनी पत्नी

(श्री उगमराज मेहता)
ज्योति मेहता को बताते हैं। उसके बाद शाम को वे अपने पुत्र को बताते हैं कि इस प्रकार की घटना हो रही है तुम लेट मत आया करो। उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाता हूं। पास में रामलीला होती है वहां मैं स्वयं सेवक का काम करता हूं। मेरे साथ भी मारपीट की घटना घटी है। जिस दिन यह घटना घटी वह रामलीला देख रहा था। तीन पहिये वाले रिक्शे में दो लड़के और एक लड़की जा रहे थे। वह रामलीला से आ रहा था और रिक्शा को देख रहा था। इतने में यशपाल, जो अपने को शास्त्री नगर का पुलिस थानेदार बताता है, बोलता है कि क्यों घूरते हो। सुभाष को पकड़ कर मोटर साइकिल पर बिठा कर ले गया और सरदारपुरा में ले जाकर उसकी पिटाई करने के बाद छोड़ दिया। वह घर आकर के सो गया। उसने अपनी मां को नहीं बताया। इस तरह की घटना उसने अपने पति को बताई। पति सीधा सम्पतराम दवे के पास गया। पूछा कि इस प्रकार की हुलिया की लड़की है। वे घर आये और लड़के मुन्ना से पूछा। सुभाष उर्फ मुन्ना से पूछने के बाद उसको साथ में ले गये। थाने में ले जाने के बाद वहां के थानेदार ने उसकी पिटाई की। उसकी मरने की सी हालत हो गई। उसको अस्पताल ले गये और एडमिट करा दिया। जब मुन्ना घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता सीधे पुलिस स्टेशन पर गये। पूछताछ की। वहां पर सुनसान था। मालूम हुआ तो वे अस्पताल गये। वहां पर उसकी हालत सीरियस थी। वहां पर पुलिस वालों के टेलिफोन आये कि इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। यह सर्टिफिकेट भी इसका मौजूद है। उसकी कापियां मौजूद हैं। इस प्रकार से उसके इलेक्ट्रिक शाक लगाये गये। इसकी बाबत में पुलिस में भी कम्पलेन्ट की। गृह मंत्री को भी लिख कर भेजा मुख्य मंत्री को भी लिखा।....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : कृपया स्पष्ट करें कि यह सम्पतराम कौन थे ?

श्री उगमराज मेहता : सम्पतराम दवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अपोजीशन वाले कहते हैं तो आप तथ्य की बात कहते हैं। अब ये तथ्य बता रहे हैं। आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री उगमराज मेहता : ज्योति मेहता ने पुलिस को कम्पलेन्ट की। अब यह दबाव डाल रहे हैं कि इस केस को वापस लो। सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने एडमिट किया 4.10 को पांच ए. एम. पर और एफ. आई. आर. लिख कर भेजी 3.10....

श्री मदनसिंह दांता : आप तो कह रहे थे एस. पी. लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं है।

श्री उगमराज मेहता : मैं रिपोर्ट की कह रहा हूं।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ज्योति मेहता की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जांच करवाई जाए।

एक मिनट और लूंगा। बाली में झगड़ा चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गोचर भूमि की मियाद बढ़ा दें ......

श्री हुकमसिंह : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि बाली

(श्री हमदमल सिंह)

का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री उगम राज मेहता : जवाजा ब्लॉक के कांग्रेस ई के जो मंत्री हैं उन्होंने पुलिस वाले से रिश्वत मांगी है कि 500 रुपया दो नहीं तो तबादला करवा दूंगा। इसका लिखित में मेरे पास प्रमाण है। मैं यह गृह मंत्री को दूंगा। इसकी जांच करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने का जो प्रस्ताव रखा है उस पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में कई सुझाव आ चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि शराबबंदी का जो मसला है अगर उस पर विशेष तौर से ध्यान से दिया जाए तो कानून और व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से हमने सुधार किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चौमू और गोविन्दगढ़ में आये दिन चोरियां होती थीं क्योंकि सीकर और झुंझुनूं के चोरों का अड्डा था और वे शराब पीया करते थे। विजिलेन्स कमेटी में इस बात की चर्चा हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट के इन्सपेक्टर और चौमू थाने के इन्चार्ज दोनों ही मुसलमान थे और शराब नहीं पीते थे। उन्होंने इस समस्या की ओर तत्परता से ध्यान दिया, पुलिस ने सहयोग दिया, स्थानीय जनता और सरपंच ने सहयोग दिया। इस कारण निश्चित रूप से वहां पर 5-6 महीने में ही 18-20 एक्साइज के मुकदमें बन गये। आज जो मुकदमों की संख्या है वह पिछले 2-3 साल की दृष्टि से काफी कम है इस कारण वहां पर कम से कम जुर्म और मुकदमें दर्ज हुए हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वे वित्त मंत्री महोदय से बात करें और शराबबंदी को अमल में लाएं। इससे जितना टैक्स आता है वह दूसरे जरिए से जुटाएं तो कानून और व्यवस्था में सुधार आएगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों के साथ साथ विधायक और जनता की भी है। लेकिन जहां जनता और विधायक की जिम्मेदारी की बात है, वहां पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। प्रतिनिधियों और जनता के सुझाव के बावजूद इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से सुधार होगा।

(रात्रि 9.55)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का विश्वास जनता में नहीं है। जनता के बिच में पुलिस का विश्वास नहीं है।

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

गांव में जाते हैं तो अनपढ़ आदमी, किसान, मजदूर हम को यह कहता है कि हमें आप एस. पी. से मिला दीजिए। गृह मंत्री जी से मिला दीजिए। मैं थाने में नहीं जाऊंगा। हम पूछते हैं, क्यों ? वे कहते हैं, एस. पी. हमारी सुनते हैं, गृह मंत्री हमको सुन कर हुक्म देते हैं लेकिन थाने में जाते हैं तो हम को गालियां दी जाती हैं, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है। इसलिए यह जो विश्वास जनता में है वह हट जाए, पुलिस के प्रति विश्वास हो जाए तो कानून और व्यवस्था पर सदन में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विश्वास जनता में है, पुलिस थाने में आम जनता नहीं जाती है, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, यह खतम हो जाये और उनकी बात सुनी जाए तो जनता का यह जो अविश्वास है वह समाप्त होगा। इस अविश्वास को समाप्त करने के लिए हम को एस. एच. ओ. को निर्देश देना चाहिए कि वे निश्चित रूप से आम आदमी की बात को सुनें।

इसी सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं। जमुवा रामगढ़ में दिनांक 6-11-78 को 11-12 बजे भूतपूर्व सैनिक मेहरचन्द यादव का सोनिया मीणा के साथ जमीन सम्बन्धी कोई विवाद हुआ था। गयारिसा और सोनिया मीणा ने पुलिस से सांठ-गांठ की और 6-11-78 को लड़ाई का मुकदमा दर्ज करा दिया। 7 तारीख को वहां का एस. एच. ओ. मय पुलिस जांच करने को गया। मेहरचन्द यादव की औरत ने कहा मेरे दो देवर फौज में हैं। मेरे पति भूतपूर्व फौजी का मर्डर हो गया है। आप चल करके उसकी लाश को देखें। उसकी लाश खेत में पड़ी है लेकिन सब इंस्पेक्टर ने ना कर दिया। यह कहा कि मर गया तो अच्छा हुआ। वह विधवा औरत जैसी मेरे पास सूचना है, गृह मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी से मिली। आपने तत्परता से आदेश दिया। जयपुर के ए. एस. पी. वहां गये और 8-11-78 को लाश का दाह संस्कार किया गया। तो यह जो इतनी ढिले, इतनी देरी हुई, वहां के थाने के अधिकारी, वहां की पुलिस जो यह करती है इससे जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है कि थाने में बात नहीं सुनी जाती। इसलिये, गृह मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले तत्परता से निपटाये जाने चाहियें। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सदस्य ने कहा कि जो सीरियस केस हैं, ऑफेन्सेज हैं उन पर सीरियसली ध्यान दिया जाय। मेरा भी सुझाव है कि सीरियसली ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सकता है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो ऑफेन्सेज हुए हैं उनके अन्दर कनसर्निंग पुलिस अधिकारी एस. एच. ओ. ने तत्परता से जांच नहीं की है और इमिजिएट एक्शन नहीं लिया है तो पुलिस अधिकारी, एस. एच. ओ., हैड कांस्टेबल के खिलाफ निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं एक बात मेरे क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, यह उड़ी हुई बात है कि अलवर एस. पी. की गाड़ी पांच बजे अलवर से जयपुर रवाना हुई लेकिन ड्राइवर और अलवर का

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

एम. पी. ओ. चौमू एरिया में गये । वापिस आते वक्त दुर्घटना हो गई लड़के से, ट्रक से लग कर । वहां की जनता ने इस जीप को पकड़ लिया । बाई दी वे मैं चौमूं गया तो कहा गया कि एस. पी. की गाड़ी से चोरियां होती हैं । डी. एस. पी. ने बताया कि अलवर एस. पी. की गाड़ी है । मैंने डी. एस. पी. से कहा कि इसकी सी. आई. डी. से जांच की जाय और दो-तीन रोज तक इस गाड़ी की खुली जांच की जाय । अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिये । मुझे अफसोस है कि हमारे डी. एस. पी. ने उस जीप को दो-तीन रोज रोकने के बजाय शाम को ही जयपुर रवाना कर दिया । उसकी कोई खुली जांच नहीं हुई ।

इससे मिलता जुलता ही मामला विजिलस कमेटी की मीटिंग में आया । दो मुकदमों के चालान पेश हो गये थे लेकिन साथ ही उसी रात्रि कालाडेरा में 8 भैंसों की चोरी हुई । शाहपुरा थाने में उनेको पकड़ लिया, चोरियां करते देख लिया पुलिस ने । कम से कम पुलिस के दिमाग में आ गया कि चोरी करने वाले इस तरह के थे लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसमें यह कहा गया कि उसमें एफ. आर. दे दी गई है । आम जनता और मेरा भी यह मत है कि चोर जीप में बैठे थे, वे मेरे एरिया के मीण जाति के सदस्य थे और ट्रक को पकड़ा भैंसों सहित उसको शाहपुरा थाने में रोका, बाद में एफ० आर लगा दी । मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा चौमू एरिया में भैंसों की चोरी हुई उसमें खरथल का गैंग था । उसका चालान हुआ लेकिन उसकी कोई तत्परता से जांच नहीं हुई । ऐसे मामलों में अगर उनकी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खुली जांच होती है और जनता को विश्वास में लिया जाता है तो जनता में अविश्वास पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता । लेकिन खामियां रखी जाती हैं हमारे पुलिस अधिकारियों के द्वारा । एस० पी० अलवर की जीप हैड कांस्टेबल या एस०एच० ओ. को दे दी, वे एक आई० पी० एस० ऑफिसर के मातहत हैं तो आइ० पी० एस० ऑफिसर के खिलाफ या उसके ड्राइवर के खिलाफ में कैसे रिपोर्ट दर्ज करें ? मैं पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि अलवर एस०पी० की गाड़ी बिना किसी प्रोग्राम के चौमं एरिया में कैसे गई ? उससे एक्सीडेण्ट हुआ । उसका बोनेट टूट गया, उसकी रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ ? उसके रिपेयरिंग के खर्चे को किसने वहन किया ? उसका दोषी एम०पी०ओ० है या ड्राइवर है । अनेकों केस आंखों से नहीं देखे लेकिन तफतीश के आधार पर राजस्थान की पुलिस ने अच्छी-अच्छी चोरियां बरामद की हैं फिर जिनको आंखों से देख लिया–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी के माध्यम से वहां के लोगों से कहा गया है । वहां के विधायक पर प्रेशर डाल रहे हैं । मेरे पर भी दबाव डाला है कि लड़के का राजीनामा करवा दिया जाय । मैं हजारों बार इस बात को कह चुका हूं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के सीरियस मामले, जिनमें आइ० पी० एस० ऑफिसर का

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

ड्राइवर शामिल हो, की निश्चित रूप से जनता में विश्वास पैदा करने के लिये जनता के सामने, वहां के जन प्रतिनिधियों के सामने खुली जांच करवानी चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर माननीय गृह मंत्रीजी निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आरोप तो बहुत लग चुके हैं । चोरियां, डकैतियां, जबरजिन्हा ये कोई जनता राज के आने के बाद ही नहीं हो रहे हैं पहले भी होते थे । एक बात जरूर थी कि पहले अखबार वालों का गला घोंटा हुआ था और पत्रकारों को पिटवा देते थे । यहां तक कि पुलिस वाले भी पिटवा देते थे । मैं यह उदाहरण दे सकता हूं कि जो राजस्थान पत्रिका का कार्यालय जौहरी बाजार में था उसमें भी लोगों को पिटवा दिया गया । मैं कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं तो उस समय भी हुआ करती थीं लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ करती थीं और इनको दबा दिया जाता था इसलिये जनता को मालूम नहीं पड़ता था । आज मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब कभी कोई मर्डर हुआ, पुलिस ने जांच कर ली और अपराधी पकड़े गये । अब लोग उनसे मिलने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं । पुलिस वालों से छाने-छाने की मांगोई करते हैं । मौके की तफतीश में मौके का नक्शा, सबूत आदि चीजें बरामद नहीं की जातीं । जो गवाह भुगताये जाते हैं उसमें क्या होता है कि अदालत में चालान पेश होने के बाद 3-4-5 दफा अदालतों के चक्कर काटकर, खुद अपने किराये से लाते हैं । उनको किराया तक नहीं मिलता इस कारण जब उनकी शहादत होती है तो आ नहीं पाते । यह हुआ पुलिस का केस । इधर दूसरी पार्टी को फोर्स करते हैं । इस तरह लोग परेशान होते हैं और इस तरह भावनाएं जो पैदा होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि अपराध बढ़ने लगते हैं । अपराध बढ़ने लगे इसका एक तो मूल कारण यह है । दूसरा मूल कारण यह है कि जो गुण्डे लोग आदतन अपराधी लोग हैं उनको दुकानदार, आस-पास के लोग, व्यापारी वगैरह कोई 25 देते हैं कोई 50 देते हैं । इस तरह उनके 25-50 रुपये महीने के बन्धे रहते हैं । इस तरह अपराध बढ़ते हैं । इससे क्या होता है कि छोटे-मोटे गुर्गे भी उनसे मिले रहते हैं । लीगल पाइंट से कमजोर हैं और सभी तरह से कमजोर हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अदालत में वह ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं । सरकारी वकील जो होता है वह अपने गवाहों को पूर्ण रूप से तैयार करके अदालत में खडा नहीं करता है क्योंकि उसको फुरसत नहीं मिलती है । जहां भेंट-पूजा हो जाती है तो फुरसत मिल जाती है और नहीं होती है तो लापरवाही बरती जाती है । जब मुल्जिम छूट जाता है अदालत से एक दफा तो वह दुबारा जुर्म करेगा और दुबारा छूट गया तो तिबारा जुर्म करेगा । इस तरह से वह अधिक से अधिक जुर्म करता जायेगा । यह मूल कारण है जुर्म बढ़ने का । मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से कि मुकद्दमा जिस थानेदार का बनाया हुआ है वह अदालत में पेश हो जाय और सरकारी वकील उसकी पैरवी करें फिर भी मुल्जिम बरी हो जाय तो थानेदार और सरकारी

(श्री रतनलाल वर्मा)
पैरोकार के खिलाफ एक्शन लिया जाय कि क्यों बरी हुआ, क्या कारण था ? अगर बरी हो जाता है तो उनको चार्ज - शीट दी जाय । थानेदार को चार्ज शीट दी जाय और सरकारी पैरोकार को चार्ज शीट दी जाय । सरकारी पैरोकार ने फाइल कम्प्लीट करके अदालत में पेश नहीं की इसलिये वह दोषी है और तफतीश के अन्दर, जांच के अन्दर कमी रहती है तो थानेदार दोषी है ।

श्री मदनसिंह दांता : प्रोटेक्शन एक्ट के मातहत हाई कोर्ट में वापस जीतता है थानेदार ।

श्री रतनलाल वर्मा : उन्होंने क्यों कमजोरी रखी इन सब बातों के लिए उनको पाबन्द करें ताकि वहीं पर कमजोरी न हो। अगर कमजोरी न रहे तो मैं कह सकता हूं कि 100 में से 5-10 तो छूट जायेंगे, लेकिन आज तो 95 प्रतिशत छूट जाते हैं। ऐसी हालत है । यदि प्रयत्न किया जाय तो ऐसी हालत नहीं रहेगी । यह एक सुझाव मैंने रखा है ।

दूसरा मेरा निवेदन इस मामले में यह है कि ज्यादातर गांवों में जो केसेज होते हैं वह जमीनों के झगड़े के होते हैं । मैं अजमेर जिले की बात कह सकता हूं कि सारे झगड़ों में कम से कम 300 मामले 1974 से लेकर 1976 तक इस तरह के हैं । उनमें क्या हुआ कि कब्जा तो मेरा है, काश्त तो मैं कर रहा हूं खसरा 995 पर और खातेदार हूं 997 के ऊपर । तो इस तरह के जो लोग बैठ गये हैं वह सही नहीं हैं । मौके पर कब्जा है तो कब्जा सही नहीं है । पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं तो पटवारी की रिपोर्ट खसरा नं० 995 की आयगी और कब्जा 997 के ऊपर है । इस वजह से जुर्म बढ़ते हैं । जुर्म बढ़ने का मूल कारण यह है कि जो नक्शे बनाये गये कांग्रेसी राज्य में वह गलत बने और जो खसरे बनाये गये वह गलत बने । यह इस कारण गलत बने क्योंकि जो मंत्री बने थ...

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब नक्शे सही बना लें ।

श्री रतनलाल वर्मा : जो मंत्री बनते थे या जो विधायक नहीं बनते वह..

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : पटवारी की वजह से हजारों ऐसे मर्डर हो रहे हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी गलती होती है इस कारण जिसकी जमीन है वह कहता है कि यह जमीन मेरी है तू कैसे जोत रहा है ? झगड़ा होता है । हल के पास कुल्हाड़ी होती ही है तो कुल्हाड़ी मारता है और मर्डर हो जाता है । पटवारी की हरकतों से ऐसे कितने ही मर्डर हुए हैं । इसका एक मैं जिन्दा उदाहरण हूं । सन् 1954 से मैं कांग्रेस के राज्य में चिल्लाता रहा । आज जनता राज्य में सैटलमेंट हो रहा है अजमेर जिले का उसके लिए मैं राजस्व मंत्री को धन्यवाद दूंगा और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही । उन्होंने अजमेर जिले में सभी जगहों का सैटलमेंट कराने की घोषणा कर दी ।

श्री मदनसिंह दांता : पटवारी को नियंत्रित करने की जरूरत है ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि घोषणा कर देने मात्र से ही कुछ नहीं होगा । जिन कर्मचारियों को आप वहां काम करने के लिए भेजें या वहां के जो पटवारी हैं उनको साफ कह दें कि कहीं नक्शों को गलत रख दिया, मौके पर कब्जा नहीं मिला और खसरे में इन्द्राजात गलत कर दिये तो आप तत्काल ही नौकरी से हटा दिये जाओगे, और आपके खिलाफ पुलिस केस बनाकर अदालत के कठघरे में रख दिये जाओगे । मौके पर नक्शा गलत है तो पकड़ा जायगा । मैं यह गारन्टी लेता हूं कि मैं रात-दिन एक करूंगा जब तक सैटलमेंट होगा और कोई गलती नहीं होने दूंगा । लेकिन यह पाबन्दी आप कर्मचारियों पर लगा दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सा डिस्कशन रेवेन्यू के मामलों पर भी हो गया, बिजली के मामलों पर हो गया और पंचायती राज के मामलों पर हो गया, लेकिन उस पटवारी को पंचायती राज के नीचे देने में क्या जोर आ रहा है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में मेरा यही निवेदन है कि पटवारी को पहले पंचायती राज के साथ नहीं जोड़ा अब तो जोड़ लें । आपको ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी बनाने की जरूरत नहीं है । आप पटवारी को पंचायत का सेक्रेटरी बना दें । उनको ग्राम पंचायतों के अन्दर दे दें ।

श्री मदनसिंह दांता : उनको कैसे बना सकते हैं ? कानून रोकता है ।

श्री रतनलाल वर्मा : आप रेवेन्यू रिकार्ड को ग्राम पंचायतों को दे दें तो फौरन ही भ्रष्टाचार खतम हो जायगा और लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन में एक रुपये में बारह आना सुधार आ जायेगा । यह बात जरूर है कि तब आपकी मनमानी नहीं चलेगी । जब आप चाहेंगे तब रिपोर्ट नहीं आयेगी और जैसा आप चाहेंगे उस तरह से काम नहीं होगा । जो सही काम होगा, सच्चा काम होगा वही होगा । अगर उससे कतराते हैं तो लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था हल नहीं हो सकती । एक सुझाव मेरा यह है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हैबिचुअल गुण्डे है, जो गुण्डाई करते हैं, जो हैबिचुअल चोर हैं, जो हैबिचुअल शराबी हैं, जो नालायक हैं वह किसी तरह की बात करते हैं तो उनके साथ सख्ती बरतें । माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव रखते हैं और स्थगन प्रस्ताव रखकर कहते हैं कि पुलिस ने अन्याय कर दिया, पुलिस ने उनके साथ मार-पीट कर दी, उनके साथ फलां कर दिया, उनके साथ धींगड़ा कर दिया, वे भी ऐसे स्थगन प्रस्ताव नहीं रखें भले ही चुनाव में उसने साथ दिया हो, उसकी परवाह न करें ।

मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो वह अगर आज गलत काम करता है, किसी की बहन-बेटी को छेड़ता है, चोरी करता है, नालायकी करता है, गुण्डागर्दी करता है और पुलिस उसका काला मुंह करके घुमाती है या डंडे भी लगाती है तो कोई गुनाह नहीं है, हम पक्षपात नहीं करेंगे ।

श्री मदनसिंह दांता : इन्दिरा गांधी ने यह किया तो आपने हल्ला किया । जो बदमाशी करते थे उनको ही तो जेल में रखा था ।

श्री रतनलाल वर्मा : बदमाशों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया । राजनैतिक लोगों को जेलों में रखा । भले आदमियों की इज्जत उतारी, गुण्डों की नहीं उतारी ।

श्री मदनसिंह दांता : किसी भी गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं किया। पूंजीपतियों को जेलों में रखा । गरीबों को कहां रखा ? कालेजों के छोरे ठीक हो गय थे ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय गृह मंत्रीजी अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों को बुलाकर मेहरबानी करके यह संकल्प करा दें कि पुलिस की सर्विस में कोई....

श्री मदनसिंह दांता : गंगाजल दिला दें ।

श्री रतनलाल वर्मा : शराब नहीं पीयेगा ।

अगर शराब पीये हुए मिलेगा तो वह घर ही जाएगा । यह एक काम ही आप कर दें तो बहुत है । दूसरी बात, माननीय सदस्य हैं वह यह निश्चित कर लें कि सदन की चारदीवारी में कोई शराब नहीं पीयेगा । न इसके लिये किसी को प्रोत्साहन देगा ।

एक माननीय सदस्य : विधान सभा की चारदीवारी में कोई आदमी शराब पी सकता है क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : यह कह रहे हैं कोई पीकर नहीं आये ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं यह कहता हूं शराब को जड़-बुनियाद से साफ कर दें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए ।

श्री मदनसिंह दांता : भंग और सुलफे को भी साथ में ले लें । वह भी भयंकर है ।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी पार्टी की ओर से कोई भी मांग आये, अगर वह मांग उचित है तो उसको उसी समय मान लेना चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि जब इन्सान कारों और मोटरों को जलाये तब आप उसकी मांग को स्वीकार करें । एक यह कारण भी लॉ एण्ड आॅर्डर की स्थिति को बिगाड़ने वाला है । अगर नाजायज मांग है तो हजार आदमी भी कहें या पांच हजार आदमी भी कहें तो भी नहीं माननी चाहिए । स्टाफ के हर डिपार्टमेण्ट के आदमी की जो भी जायज मांग है, वह मान लेनी चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसा ही सारी पार्टियों को भी करना चाहिए । नाजायज बात हो उसका साथ नहीं दें ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह रतनलालजी ने नहीं कहा है ।

श्री रतनलाल वर्मा : हम कानून बनाने वाले ही कानून का उल्लंघन करते हैं । हम ही उनको राजनैतिक दलदल के बीच में लाते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह लॉ एण्ड ऑर्डर को खराब करते हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : गरीब जनता ने हमको चुनकर भेजा है । आप अपने राजनैतिक स्वार्थ पूरा करते हैं । मैं निवेदन करूं, मेरे पास गठड़ी भर भगवा कपड़े हैं । जो साधु बनकर जनता को ठगते थे और चोरियां करते थे उनकी जटाओं को मूंडा है । ऐसे 14 जबरदस्त गुण्डों, जो महिलाओं को छेड़ा करते थे, का काला मुंह करके गधे पर घुमाया है ।

मैं तो सिपाही हूं । अपने को सिपाही मानकर चलता हूं । सिपाही की निशानी मेरा डण्डा है, जो बाहर रखा हुआ है ।

श्री मदनसिंह दांता : यह तो अच्छा हुआ कि आपका डण्डा विधान सभा से बाहर कढ़वा दिया है ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह नहीं है कि मेरी इच्छा हुई, मेरी इच्छा का थानेदार नहीं आया तो मैंने माननीय मंत्री महोदय से कहकर उसका ट्रांसफर करा दिया । हमें जनता की फिक्र रहती है । यह तरीका बिल्कुल गलत है । मैंने अभी मंत्रीजी से कहा है । हमारे यहां थानेदार को आये दो महीने नहीं हुए, उसको बदल दिया है । आप उसको रखिये । अगर वह ठीक नहीं है तो मैं उसको सुधार लूंगा । अगर उससे कोई गलती होगी तो आपको आकर नहीं कहूंगा । ट्रांसफर कोई सजा नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी पुलिस के वास्ते सुपर मेमोरी···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी मंत्री हो । लॉ एण्ड आर्डर को चलाना है तो आपको कोई विधायक शिकायत करे तो आप प्रमाण लीजिए, ठोस जांच कीजिए । अगर सही है, तो ऐसे आदमी को सजा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये । काफी समय ले लिया है ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है तो विधायकों के ऊपर दो-दो हजार क्यों खर्च करते हैं ? कहते हैं, हमें वहां ही भेजिए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारे नहीं खाते थे ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, थाने पर जीप नहीं है । डी० एस० पी० के पास जीप है । पंचायत समितियों में जीप है । आप ऐसे निर्देश दे दें कि थानेदार जीप मांगे तो उसको जीप दे दी जाये । पंचायत समिति, एस० डी० ओ०, डी० एस० पी० तीनों में से किसी न किसी के पास जीप मिलेगी ही वह उनको दे दी जाय ताकि उनको ऐसे मामले में दौड़ना नहीं पड़े और बचने की गुंजाइश नहीं हो । जयपुर रातोंरात आयें यदि जीप नहीं मिले··· ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जायें ।

श्री रतनलाल वर्मा : दूसरा मैं निवेदन करूंगा, पुलिस में भर्ती होती है···

श्री मदनसिंह दांता : यह महत्वपूर्ण बात है ।

श्री रतनलाल वर्मा : भर्ती होती है तो रिश्वत लेकर भर्ती नहीं करें । जो आद-

(श्री रतनलाल वर्मा)
टेरिया में आता है उसकी भर्ती करें। पक्षपात और रिश्वत के आधार पर अयोग्य आदमी को भर्ती नहीं करें, तभी सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिनेमा के बारे में निवेदन करूंगा कि सिनेमा के अन्दर खराब फिल्में आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, आप बिराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह सिनेमा लॉ एण्ड ऑर्डर को बिगाड़ने के क्षेत्र हैं। या तो इनमें चरित्र निर्माण की चीजें दिखानी चाहिएं जो चरित्र को ऊंचा उठायें...

श्री मदनसिंह दांता : रामजी का सिनेमा देखते हैं। मां को उठाकर ले जाते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : अभी माननीय नूराजी ने जिस नर्स के बारे में कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, वह नर्स बिल्कुल ताम्बा सी थी। यदि यह बात सही होती तो मैं उसकी पुष्टि करता। लेकिन यह बात सही नहीं है। उसके पास तेल और माचिस पड़ी मिली। पहले भी उसने नींद की गोलियां खाई थीं। वह नींद की गोलियां खाकर मर गई। अगर यह सही बात नहीं हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। उसने खुदकशी की है। किसी ने उससे शादी का वायदा किया होगा। वायदा करके मुकर गया होगा। किसी ने उसको मारा नहीं है। अंधेरे में खड़ी हो जाये, तो डाकन जैसी दिखाई पड़े।

(व्यवधान)

आप कहते हैं, क्या वर्माजी शासन करेंगे। मैं कहता हूं वर्माजी शासन करेंगे, जब तक वर्माजी के हाथ में डण्डा है कांग्रेस राज में अपने क्षेत्र में गुण्डागर्दी पनपने नहीं दी है। आज भी मैं शासन के भरोसे नहीं हूं, मैं खुद-मुख्तयार हूं, गुण्डा-गर्दी कभी पनपने नहीं दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : जय हो डंडे की। कल से डंडा लेकर आओ।

श्री रतनलाल वर्मा : गृह मंत्री ध्यान दें। अधिकारीगण सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये दो चीजें तो कर दें, इससे सुधार आएगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : राजस्थान में कानून व व्यवस्था के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। मेरे पास भी बहुत-सी घटनाओं के बारे में तथ्य थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं सिर्फ अपने इलाके की कुछ विशेष बातों के उदाहरण पेश करना चाहूंगा। मेरा इलाका डेगाना नागौर जिले में स्थित है। उसके आस-पास 3-4 थाने हैं। वहां कानून-व्यवस्था जैसी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था कैसी है। राजस्थान में अधिक जगह इसी प्रकार का माहौल बना हुआ है। डेगाना में एक मुख्य थाना है, जहां पुलिस के और अधिकारी भी हैं। आपने वहां थानेदार लगाया है वह जनता पार्टी का शासन आने के बाद में पांचवां सब-इंसपेक्टर है। इतने क्यों बदले? इसकी लम्बी-चौड़ी कहानी है, इस बारे में मैं सदन में कह चुका हूं, लेकिन या तो आपने प्रयत्न नहीं किया कि उन तथ्यों का पता लगाया जाए और लगाया

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
है तो मुझे जानकारी नहीं। तीन महीने तक कोई थानेदार नहीं था। उसके लिए डी-वाई० एस० पी० व एस० पी० से निवेदन किया कि इतना मुख्य थाना है, रोज 20-30 वारदातें होती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो मुझसे कहा गया...

श्री बालकृष्ण थानवी : कोरम टूट चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने उनसे कहा कि इस थाने पर कोई थानेदार नहीं है, तो डी-वाई०एस०पी० व एस० पी० दोनों ने कहा कि इस थाने पर कोई थानेदार आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जब उनसे कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से अपना हिस्सा मांगते हैं और चूंकि वे हिस्सा देने में असमर्थ हैं, इसलिए कोई थानेदार आने को तैयार नहीं है। डी-वाई० एस० पी० व एस० पी० से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात कही तो पता लगा कि एकमात्र यही कारण है कि तीन महीने तक कोई थानेदार वहां नहीं आया। एक सब-इन्सपेक्टर 15-20 दिन पहले आया। दो-तीन महीने तक सब-इन्सपेक्टर नहीं आया। उन दो-तीन महीने की घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरे यहां पर लकड़ी कटती है और जोधपुर, बालोतरा वगैरह जाती है। पुलिस का हिसाब किताब उसमें बंधा हुआ है। 20-22 ट्रक्स निकलते हैं, हर एक ट्रक से 100) रुपये लेते हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं जितने ट्रक्स निकलते हैं उतने सौ रुपये पुलिस को रोज मिलते हैं। नए थानेदार के लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, मैं जयपुर में था, विधान सभा अधिवेशन चल रहा है। यह तो हुई डेगाना की बात।

अब मैं पीलवा पर आता हूं। पीलवा थाने के क्षेत्र में अमूमन चोरियां होती रहती हैं। मैंने डी-वाई० एस० पी० से निवेदन किया, उनको लिखकर भी दिया। आज ही मेरे पास रिपोर्ट आई है। एक छोगाराम नामक व्यक्ति है, उसके यहां चोरी हुई, थानेदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले तो रिपोर्ट ली नहीं, उसके बाद में उसने दो पांच लोगों से निवेदन किया तब रिपोर्ट पेश की 26-8-78 को। उसके बाद उस केस में कोई जांच नहीं हुई तो तंग आकर वह डी-वाई० एस० पी० के पास गया और 13-9-78 को रिपोर्ट की कि मेरे यहां से तीन हजार नकद और सोने की चोरी हो गई है, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। 28-9-78 को एस० पी० को रिपोर्ट प्रस्तुत की। हाल यह है कि 26-8-78 से लेकर आज तक उस छोगाराम के यहां हुई चोरी के संबंध में कुछ कार्यवाही नहीं की। उसने बताया भी कि मेरा शुबहा फलां व्यक्ति पर है उसने चोरी की है।

अब मैं पादू कलां थाने की बात करता हूं। पहले वाले वाले गृह मंत्री से और अब वाले गृह मंत्री से मैं मिला और उनसे निवेदन किया कि हमारे इलाके में थानेदार ठीक नहीं है, उसको बदलवायें। पहले वाले गृह मंत्री ने असमर्थता प्रकट की कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अभी वाले गृह मंत्री ने मुझे यह नहीं कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आप

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बाद में जरूर मुझसे मिलें, मैं करूंगा। लेकिन डेगाना का थानेदार नहीं आ रहा है इसलिये मैंने नहीं कहा। मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। एक बावरी को भेड़ों की चोरी के मामले में पकड़ कर तीन आदमी ले गए। थाने पर ले गए उसके साथ मारपीट की जिससे वह मर गया। मर जाने के बाद पुलिस वालों को पता लगा कि इस तरह का जुर्म हो गया है तो वे आए और आकर 7 हजार रुपय लिये। इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सारा इलाक इस बात को जानता है कि किस क्रूरता से उसको मारा गया। ग्राम रास्ते, जहां बीच का रास्ता है, में कतल हो गया और लाश को रफा दफा कर दिया।

अब मैं मेड़ता सिटी की बात करता हूं। जिस तरह का सब-इन्सपेक्टर है उसका तो कहना ही क्या। जनता अपने प्रति स्नेह और मेहरबानी से दबी जा रही है। अभी हाल ही में मेड़ता मैडिकल स्टोर में रात को चोरी हुई जिसमें चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। चोरी की एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई निरंतर निवेदन करने पर भी ध्यान नहीं दिया। बाद में दुकान वालों से थानेदार ने कहा कि मैं पैसे यूं ही दिलवाऊंगा। क्यों रपट दर्ज करवाते हो? थानेदार ने चोर से मिल कर चोर को छोड़ दिया। रोजनामचे में रपट तक दर्ज नहीं की गई।

उसके बाद श्री नथराज वकील के घर में चोरी हुई, चोर पकड़ा गया जिससे 600) रुपये बरामद भी कर लिए गए मगर चोर से मिल कर उसे छोड़ दिया। गया। इसकी भी रोजनामच में रपट तक दर्ज नहीं की गई। थानेदार पैसे खा गया।

इसके बाद मेड़ता तहसील के ग्राम चून्दीयां में एक जाट के घर दस हजार रुपये की चोरी हुई 30-6-78 को। वह आदमी दो तीन जनों के साथ एफ० आई० आर० दर्ज करने गया, थानेदार ने मना कर दिया। वह घूमता रहा, डी-वाई० एस० पी० के पास गया। उसके आदेश देने के बाद में 16-7-78 को चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद थानेदार मुलजिम से मिलकर पैसे खा गया और कोई कार्यवाही नहीं की। जब वह थाने पर कार्यवाही के लिए गया तो उसको यह कह कर निकलवा दिया कि मैं तुमको जेल में डालूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

य घटनायें अगर मैं पेश नहीं करूंगा तो लॉ एण्ड आर्डर कैसे सुधरेगा? हम गृह मंत्री से नहीं कहेंगे, ग्राम जनता, जिससे संबंध है, के बारे में नहीं कहेंगे तो यह स्थिति सुधरने की नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : नागौर में शमशेर सिंह है। मैं अपने इलाके के लिए कह रहा हूं।

अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि ग्राम नोखा चान्दवती के सुखाराम चौधरी मेड़ता कोर्ट में तारीख की पेशी पर गवाह के रूप में आया था। वह अपनी पेशी करवा कर वापस जा रहा था। सुखाराम बागड़ के एक दीनाराम नाम के व्यक्ति से रुपये मांगता था। उसने उससे अपने रुपये मांगे। तब उसने कहा कि मेरे साथ थाने चलो। मैं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
वहां थानेदार से दिला देता हूं, क्योंकि मैं भी उससे पैसे मांगता हूं। वह वहां उसके साथ गया तो थानेदार ने उसको जेल में बंद कर दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : थाने में जल नहीं होती।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : हां, नहीं होती।

थाने में उसको बन्द करने के बाद उसकी पिटाई की गयी। उसी समय मेड़ता रोड थाने में वायरलैस मैसेज करके उनसे पूछा कि आपके थाने में अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो मेरे पास भेज देवें। मेड़ता रोड वाले थाने ने मना कर दिया तब थानेदार ने अपने रोजनामचे में ही उसी थाने के दो सिपाहियों द्वारा 109 सी-आर० पी० सी० के तहत गिरफ्तार करना बताकर चालान पेश किया। जब एस०डी०एम०, मेड़ता को सही बात मालूम हुई तो उसने केस को खारिज कर दिया। उसके बाद सुखाराम द्वारा एम०जे०एम० कोर्ट, मेड़ता में एक इस्तगासा पेश किया गया। उसमें पुलिस के उन दोनों सिपाहियों के बयान करवायें जिनके द्वारा उनको गिरफ्तार करना बताया है। उन सिपाहियों ने कोर्ट में बयान किये हैं कि हमने इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया न इनको हम जानते हैं और न किसी तरह की हमको जानकारी है। इसी तरह थानेदार ने इनके खिलाफ जो रपट रोजनामचे में दर्ज की है उस पर इन सिपाहियों के हस्ताक्षर भी फर्जी किये गये हैं। उसकी जो नकल डी० एस०पी० साहब के ऑफिस में भेजी थी उस पर सिपाहियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। जब एम० जे० एम०, मेड़ता ने रोजनामचे को अपने कब्जे में मंगवाया तब थानेदार ने अपने पास वाली कॉपी पर फर्जी हस्ताक्षर कर दिये जिनके बाबत भी सिपाहियों ने अदालत में मना किया था कि यह हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। आप बताइये कि इससे बड़ी और आपके कानून और व्यवस्था में दखलन्दाजी क्या हो सकती है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाये। इसका डी० एस० पी० को पता है। इसके आगे कितना काण्ड हुआ वह पता है। डी० एस० पी० कहता है कि थानेदार बहुत शक्तिवाला आदमी है हमारे बस का नहीं है। तो या तो उस आदमी के ऊपर आपकी शक्ति है या आई० जी० साहब की है या फिर मुख्य मन्त्रीजी की है। हम मान लेते हैं कि डी० एस० पी० कहता है कि हमारे बस की बात नहीं है।

इसके बाद में एक बात और बताऊं कि रात को उनके दो कान्सटेबल शराब पीकर गये और जबरदस्ती लड़ाई की। उसके बाद में उन्होंने थानेदार से यह कहा कि इस तरह की बात हो गयी है। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में पैसे वाले व्यक्ति कौन हैं? 3 आदमियों के खिलाफ केस बना दिया और दो कान्सटेबल को गवाह बना दिया। मैं इस बात के लिए डी० एस० पी० के पास गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है, लेकिन वह थानेदार मेरे बस का नहीं है। याने डी० एस० पी० ने कहा कि मैं हेल्पलैस हूं····

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य काफी डिटेल दे रहे हैं। अगर इसके अलावा और चीज नहीं है तो यह मैं आपसे

(श्री सम्पतराम)

कल ले लूंगा । सारे फैक्ट्स मैं कल ले लूंगा ताकि जो भी वाजिब कार्यवाही जरूरी समझी जाय, कर ली जाय ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अब मैं थोड़ा-सा आपके शासन और व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां पर स्पीकर्स कांफ्रेन्स हुई थी उसमें पार्लियामेन्ट के स्पीकर साहब भी आये थे । उन्होंने भी यह टिप्पणी दी कि जयपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है । यहां पर विदेशी आते हैं और राजस्थान की बहुत तारीफ करते हैं । मैं सुझाव के बतौर निवेदन करना चाहता हूं, शिकायत के तौर पर नहीं । आपकी जितनी सड़कें हैं उन पर आपने यातायात नियंत्रण की व्यवस्था कर रखी है । पहली बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स ही बिगाड़ते हैं । मैं और एक अन्य विधायक जा रहे थे । हमने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी तो पुलिस के ट्रैफिक वाले सिपाही ने कहा कि यहां नहीं वहां खड़ी कर दो । मैंने वहां से हटाकर उसकी बताई हुई जगह पर खड़ी कर दी । थोड़ी ही देर बाद वहां पर मैंने देखा कि एक जीप खड़ी है । मैंने पूछा कि यह जीप यहां क्यों खड़ी है ? सिपाही ने कहा कि यह हमारे ऑफिसर की है । मैं क्या करूं ? वहां एक महाशय आये तो मैंने पूछा कि यह जीप किसकी है ? वह कहने लगे कि यह डी० आई० जी० की है । वहां निरन्तर तीन गाड़ियां सिर्फ पुलिस वालों की खड़ी थीं, तो आप ही बताइये कि लोग आपकी व्यवस्था को क्यों मानेंगे जबकि ऑफिसर ही नहीं मानते हैं । डी० आई० जी० उस गाड़ी में नहीं थे । उसमें दूसरे ही होंगे ....

श्री मदनसिंह दांता : कैबरे में थे या कहां थे ? अगर ड्यूटी पर थे तो गाड़ी वहां खड़ी होगी ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके अलावा जितनी आपकी पगडण्डी हैं वह पैदल चलने वालों के लिए हैं, लेकिन पटरी पर दुकानें लगी हुई हैं, इसलिये उस पर आदमी नहीं चल सकते । इसके अलावा आपकी लाइटें ठीक नहीं हैं । लाल से हरी होती हैं और हरी से लाल होती हैं । एक यलो बीच में और होनी चाहिए । लाल से हरी होती ही रवाना हुए कि खट से लाल हो जाती है । उधर से दूसरा आ जाता है और फिर एक्सीडेन्ट हो जाता है । आप अपनी लाइट की व्यवस्था को ठीक कराइये ।

आप रोड पर लाइनें डालते हैं । उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं । हर तीन महीने के बाद सड़क को रोककर आप लाइनें डालते हैं । उस लाइन की पालना कौन करता है ? अभी असेम्बली चल रही है और आपने बहुत व्यवस्था–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कर रखी है । शुरू से आखिर तक रामनिवास बाग से लेकर असेम्बली तक सिपाही खड़े कर रखे हैं । इतने सिपाही खड़े करके ही व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता । यह तो अण्डरस्टैंडिंग की बात है । आप देख रहे हैं कि लोगों में समझ नहीं होती । तो आप उनके साथ सख्ती बरतिये चाहे गलती

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
किसी आफिसर की हो या साधारण आदमी की। स्कूटर वाला हो या मोटर वाला हो, अगर गलत चलता है तो चालान कीजिए....

श्री **उपाध्यक्ष** : बहुत चर्चा कर रहे हैं, माननीय सदस्य। उदाहरण बहुत दे सकते हैं। उसका कोई अंत नहीं होगा।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : इतना ही कहना चाहूंगा, अगर सुधार नहीं होता है तो फिर भगवान ही भरोसे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंग सिंह।

श्री **नवरंग सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान में कानून और व्यवस्था की ओर दिलाना चाहूंगा। जहां तक मंत्री-जी का सवाल है यकीनी तौर पर यह विश्वास है कि हमारे मंत्रीजी बहुत ही काबिल आदमी हैं। इनसे जो बन पड़ता है निश्चित तौर पर करते हैं। इनसे मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी वजह से हो नीचे के स्तर पर कानून और व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में जो पुलिस नीचे के स्तर पर है उसका नैतिक पतन हो गया है। छोटे मामलों में भी मैं आम काश्तकारों से मिलता रहता हूं। कई काश्तकार मुझ बताते हैं कि फलां पुलिस के ऑफिसर ने या पुलिस के सिपाही ने पैसे ले लिये। मैंने काफी लोगों के पैसे भी वापिस दिलाये। मैं आपको यहां तक बताऊं कि विधायक निवास में एक व्यापारी आया उसको रात को रोक लिया। सुबह उसकी शिनाख्त की गयी। बाद में उससे 20 रुपये लिये। वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे ऊपर कोई जुर्म था तो मुझे पकड़ते, मेरे ऊपर केस बनाते लेकिन मेरे 20 रुपये ले लिय और कोई बात नहीं है। मैंने मुंशी को बुलाया। थोड़ी देर बाद मुंशी ने कहा कि थानेदार है। आधा घंटे के बाद उस आदमी को 20 रुपय दे दिये। उसने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दिये हैं इस संबंध में अखबार में भी चर्चा हुई।

इसी तरह से मैं आपको नवलगढ़ थाने के एस०आई० की बात कह दूं। एक व्यापारी था उससे 150 रुपये यह कहकर ले लिये कि तुम्हारा काम कर दूंगा। उसका काम किसी कारण से नहीं हुआ। वह मेरे पास आया। उस रोज कलेक्टर भी वहां था। दूसरे दिन वह थानेदार मुझसे मिला। उसने 150 रुपये व्यापारी को वापस लौटा दिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मामूली बातें हैं, इनको लेकर कानून और व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इसलिए इस मसले पर हम गम्भीरता से विचार करें। छोटे-मोटे व्यक्तियों को ऐसे मामलों में ताड़ना दें और सजा दें तो मेरी मान्यता है कि जो भ्रष्टाचार है वह कुछ हद तक मिट सकता है।

इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अपराधों के बारे में निवेदन करूंगा चार माह पूर्व झूंझुनूं में एक बाबू था, एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में। रात को गाड़ी से वह गया था। एस०पी० और कलेक्टर के बंगले के सामने छुरे चले और उसके पैर

(श्री नवरंग सिंह)

मे लगी । पुलिस वाले उसका सामान लेकर भाग गये । किसी ऊंची पहाड़ी पर ले गये । वहां विद्याधर जी वकील थे, उन्होंने फोन किया लेकिन तीन घंटे तक पुलिस नहीं आई । इस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ । पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी ।

इसी तरह मैं यह भी निवेदन करूं हमारे विरोधी दल के माननीय नेता का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां एक सेठ के यहां सवा लाख की चोरी हुई । चोरी का माल बरामद करने के बजाय उसको 20 हजार रुपये देकर सन्तुष्ट कर दिया गया । चोर को नहीं बताया गया और सारे मामले को रफा-दफा कर दिया गया । ये बातें, उपाध्यक्ष महोदय, क्या बताती हैं ? इस प्रकार की कार्यवाहियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये तभी चोरियां दूर हो सकती हैं ।

इसी प्रकार कत्ल के मामले आपके सामने लाऊं । रामेश्वर पटेल था सीकर जिले में, उसका सनसनी खेज रूप में कत्ल किया गया । मुलजिम का पता आज तक नहीं लगाया जा सका । मैंने एस०पी० महोदय से बात की । उन्होंने कहा, यह मामला गंभीर है, तफतीश चल रही है, तफतीश होने पर कार्यवाही होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूं सैनिक स्कूल, चित्तौड़ का सितम्बर, 77 में इसी सदन में प्रश्न उठाया गया था । उस लड़के के पिता राजपाल ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्रीजी को और मुझे भी दिया है कि हाउस केप्टीन मनमाना अत्याचार करते हैं । इतनी दूरी की बात है कि जाने की हिम्मत नहीं करता है । वह सब जगह घूम आया है और उसकी यहीं पोस्टिंग है । हवलदार है वह कहता है होना जाना तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ तसल्ली तो हो । मेरा निवेदन है इस तरह के कई मामले हैं ।

अभी खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य चुन्नीलालजी ने बताया, द्वारका-प्रसाद नायकपुरा का था । सवाई माधोपुर जिले में उसका 5-11-78 को कत्ल हुआ । उसकी नामजद रिपोर्ट है । मुलजिम घूमते हैं, लेकिन पकड़ते नहीं हैं । इसी तरह पाली में एक मजदूर की हत्या का मामला है, मुलजिम घूमते हैं लेकिन पुलिस उनको पकड़ती नहीं है । 15 दिन पहले कत्ल हुआ झोंपड़ा पंचायत समिति सवाई माधोपुर में रेल में से धक्का मारकर हत्या कर दी । उसका मुलजिम भी नहीं पकड़ा गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा इन सब मामलों को दूर करने के लिये आज पुलिस में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । डी०आई० जी० को बदलें, चाहे एस०पी० को बदले उससे काम नहीं होने वाला है । नियम तो वही रहेंगे । इसलिये व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी है । मेरा सुझाव है जितने थानेदार हैं और आई०जी०, अफसर वगैरह हैं उनके लिये दो साल में एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाय और उनको आधुनिक ढंग से ट्रेनिंग दी जाय । आधुनिक कोर्स के नय नये साधन निकल चुके है लेकिन थाने में जाकर देखते हैं तो वहां जनता के साथ गाली गलौज का व्यवहार होता है । मेरा निवेदन है निश्चित रूप से

(श्री नवरंगसिंह)
अच्छे साधन दीजिये ताकि कत्ल के अपराधों का पता लग सके।

जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको लेकर कत्ल के मुकदमें बन जाते हैं। मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि ये जो छोटे मोटे मामले हैं ये सब प्रशासनिक कठिनाइयों से होते हैं। इनको दूर कर देंगे तो काफी हद तक कत्ल के केसेज कम हो जायेंगे। अभी राजस्व अभियान में नामान्तरकरण के मामलों को नहीं लेंगे और इनको नहीं लेंगे तो कोई बात भी नहीं होगी, लोगों को आपत्ति भी नहीं होगी, लेकिन जो रास्तों के मामले हैं उनको आप एक बार सुलझा दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि झगड़े नहीं होंगे और झगड़े नहीं होंगे तो कत्ल के केसेज भी नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। गांवों में जो अधिकतर कत्ल के मामले होते हैं वे रास्तों को लेकर होते हैं। राजनैतिक लोग उनके बीच में आ जाते हैं और झगड़े को बढ़ा देते हैं। इसलिये यदि इस मसले को हल करना है तो जो राजस्व अभियान है उसमें इस प्रकार के सारे झगड़े सुलझा देने चाहियें ताकि झगड़े आगे बढ़ें ही नहीं। यह गांवों के लिये काफी बड़ी समस्या बन गई है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा इन सारे मामलों में चिन्तन करें, विचार करें।

जहां तक लॉ एण्ड ऑडर का सवाल है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और मुगलकाल से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ा है। कानून की व्यवस्था तो बिगड़ती और बनती रहती है। कभी अच्छी भी हो जाती है तो कभी खराब भी हो जाती है, लेकिन नीयत में सुधार होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित मान्यता है कि कानून और व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवतन हो सकता है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : कानून और व्यवस्था के बारे में शायद मैं अपने आपको अन्तिम न समझूं तो गलत नहीं होगा। इन्सान की प्रवृत्ति झगड़ालू होती है, यह हम मानते हैं लेकिन जुर्म. .

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आवाज नहीं आ रही है। माइक पर बोलें।

श्री अब्दुल अजीज : लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि जुर्म सरकार करवाती है। मेरी यह मान्यता नहीं है। अगर पुलिस विभाग जुर्म को कम करने में, उसको खतम करने में सक्षम नहीं होता है तो सरकार उसको जिम्मेदार ठहराती है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग का कर्तव्य है कि हर इन्सान की जान माल की हिफाजत करे और एक अच्छा माहौल, शान्त माहौल बनाय रखें। कानून के अन्तर्गत यह पुलिस विभाग का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम समय लेते हुए अपने ही क्षेत्र की कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। जब से जनता सरकार आई है उस पर मुस्तकिल रोशनी नहीं डाल पाई है। चुनावों में चन्दा लिया गया। चन्दा नहीं देने पर लोगों के साथ ज्यादती भी हुई है। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, हरनावा में झूंथाराम का कत्ल कर दिया। मुलजिम को सरकार नहीं पकड़ पाई। मन्नानी गांव में तेलन के पति को गुण्डों ने मार दिया। मैंने स्थगन प्रस्ताव लाकर इसके बारे में गृह मंत्री को बताया था। मुझे लेटेस्ट जानकारी जो बताई गई है

(श्री अब्दुल अजीज)

उसके अनुसार उसको पीटा गया, मारा गया और बाद में उसको कुए में डाल दिया गया। उसकी पत्नी भी यही समझती रही कि उसके शौहर ने आत्महत्या की है। इसलिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी को जांच जरूर करानी चाहिए। सी०आई०डी० के जरिये जांच करायें तो बहुत मुनासिब होगा।

जयपुर के थाना अशोकनगर से इस ईद के पहले गजिश्ता ईद पर थानेदार एक जमील नाम के आदमी को पकड़ कर ले गया। उससे दो हजार रुपये लिए मकराना में आकर। इसी तरह से वहां पर चोरियां होती हैं उनकी रोकथाम का इन्तजाम नहीं है। अभी रीसेन्टली चार रोज पहले एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसको वह पाकिस्तान से आना बताते हैं। सी०आई०डी० ने उसको गिरफ्तार किया और कानून के मुलाहिजे से उसको थाने के हवाले कर दिया। आगे यह हुआ कि जिस न्यायालय में 24 घंटे में पेश करना चाहिए था उस न्यायालय में मुंसिफ साहब नहीं थे, इसलिय दूसरी अदालत में ले जाने के लिए क्योंकि वे जानते थे कि ईद का त्यौहार आ रहा है उसके रिश्तेदारों से पांच हजार रुपया उस मकराना के थानेदार ने लिए हैं। यह सब कुछ व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि जो जुर्म करता है उसको सजा दीजिए। इस तरह का करप्शन कोई वाजिब बात नहीं है। हम यह मान कर चलते हैं कि कमिश्नर से लेकर छोटे से छोटे कांस्टेबल तक ईमानदार हैं, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक जो तवाजुन हैं, उनके लिए हम सोचने पर मजबूर होते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि खेली में आता है तो कोठ में आता है। पानी जब खेली में आता है तब कोठे में भी आता है.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले कोठे में आएगा तो खेली में भी आएगा।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा खयाल है कि जब खेली में आएगा तभी वहां से कोठे में पहुंचेगा।

श्री बालकृष्ण थानवी : रेगिस्तान में पहले कोठों में पानी भरते हैं और उसके बाद खेली में डालते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आप जैसा भी सोचें वैसा समझें। लेकिन यह जरूरी बात है कि हम अपनी इस व्यवस्था में सुधार लायें। जुर्म जो लोग करते हैं हम इस बात को मानते हैं कि जुर्म को रोकने के अनेक तरीके हैं। रुपयों की चोट लगती है तो वह भी जुर्म रोकने में थोड़ी बहुत मदद करती है जो आफ दी रिकार्ड होती है लेकिन कानन के संदर्भ में हर बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार मुजरिम को संरक्षण देते हैं। मिसाल के तौर पर एक सर्किल का डी वाई०एस०पी० एक कौम का, फिर थानेदार भी उसी कौम का, फिर असिस्टेंट थानेदार भी उसी कौम का रहे, साथ में डाक्टर भी ऐसा मिल जाय तो एक कौम को संरक्षण दें और वह पब्लिक के साथ बुरा बर्ताव करें तो that is not the correct way. हमें देखना चाहिए कि किस थाने में क्या व्यवस्था हो। मैं किसी पर्टीक्यूलर जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं...

श्री मदनसिंह दांता : अंग्रेजों के टाइम में भी जातिवाद के आधार पर रखा जाता था ।

श्री अब्दुल अजीज : अगर एक कौम का थानेदार है तो सर्किल अफसर दसरी कौम का लगाया जाना चाहिए ताकि जातिवाद को संरक्षण नहीं मिले । आज से तीन महीने पहिले मेजर साहब के लड़के ने कण्डक्टर को थप्पड़ मार दिया । वहां पर हड़ताल हो गई । 24 घण्टे तक हड़ताल रही । यूनियन के मार्फत मुख्य मंत्री को भी तार दिया । मैं किसी पर्टीक्यूलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूं एक व्यवस्था की बात है। उस कण्डक्टर ने यह मांग की कि मलजिमों को गिरफ्तार किया जावे । आखिर नतीज या निकला ? पुलिस वालों ने मिलकर कर कम्प्रोमाइज करादिया 24 घण्टे के बाद हड़ताल खतम हो गई । इस तरह से मुलजिमों को संरक्षण देना मुनासिब नहीं है । अगर एक के साथ आप रियायत बरत देते हैं तो दूसरे लोगों पर अपर हैंड हो जाता है और ठीक इन्तजाम कायम करने की राज्य सरकार की जो नीयत है उस पर इफैक्ट पड़ता है। इसलिए राज्य के तवाजुन को सही बनायें । खास तौर से एक बात और भी देखने में आती है कि थानेदारों ने अपने इन्फोर्मेन्ट्स रख रखे हैं जुर्म को मालूम करने के लिए । लेकिन एजेंट मुकर्रर करके समाज के लोगों को लड़ाते है और किसी तरह का इन्द्राज नहीं करते हैं । जिस तरह से बिजनेस में दूसरा रिकार्ड रखते हैं, कालाबाजारी करने वाले सैकिड खाता रखते हैं उसी तरह से थाने में लोगों को डराया धमकाया जाता है। रुपया वसूल किया जाता है और भगा दिया जाता है । ऐसे वाकये हुए हैं । लेकिन रिकार्ड में यह वाकये दर्ज होते नहीं हैं । रोजनामचे में इस तरह की घटना दर्ज नहीं होती है । थाने में बुलाकर रुपया ले लिया जाता है और भगा दिया जाता है इस तरह के वाकयात जो होते हैं हम उनको सुधार । रीसेंटली जो उयदपुर का वाकया हुआ उसका आपने भली प्रकार कण्ट्रोल किया है उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं । ऐसे नाजुक मौके पर सरकार ने बड़े हौसले के साथ कदम उठाया । इस तरह से समाज में जो आदमी जुर्म करते हैं उनको रोक कर लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन को कमाण्ड में रखगे तो यह बहुत ऊंची और अच्छी बात राज्य के लिए होगी । अब मैं ज्यादा इसमें क्या अर्ज करूं सुबह से बहस चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल ऐरन।

(अनुपस्थित)

श्री हनुवन्त सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाहा ।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदयजी, काफी चर्चा इस विषय में हो चुकी है । जो कुछ वस्तु स्थिति है वह आपके माध्यम से मुझे प्रस्तुत करनी है । जिस सरदारपुरा कांस्टीट्यूएंसी से मैं प्रतिनिधि हूं उसके जोधपुर शहर के और जोधपुर के आस पास के जो हालात हैं उनको देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि

(श्री माधोसिंह कछवाह)

रक्षा करने वाली पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रही है। जोधपुर में शराबबन्दी लागू है। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन में शराब आती है आधी रात और आधी रात के बाद। आधी रात के बाद तो गाड़ियां आती हैं लेकिन आधी रात तक शराब बिकती है। वहां जो कोई गुंडे हैं उनसे भी पुलिस का गहरा सम्बन्ध है। कुछ लोग जो किसी तरह से तस्करी करते हैं, अनैतिक तरीके से पैसा कमाते हैं, चाहे जेब काट कर या और किसी तरह से उसमें साझेदारी है पुलिस की। मुझे जो भी हालात की जानकारी मिली है, और कई दफा मैं खुद सारी चीजों को देखने और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने गया तो मुझे लगा कि पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। हमारे यहां डी. आई. जी., जे. के. बालानी जी हैं। उनका नाम जय कृष्ण है। वहां पर एक डी. आई. जी. नहीं, दो डी. आई. जी. काम करते हैं। उनका निवास स्थान वहीं पर है। उनके पिताजी भी डी. आई. जी. का काम करते हैं, वे भी वहीं काम करते हैं। पुलिस के दस बाहर पन्द्रह तम्बू लगे रहते हैं। वहां आदमी लगे रहते हैं। जो उनको बंगला मिला हुआ है वहां पर आदमी अलग लगे हुए हैं। जो उनके पिताजी के पास पहुंच जावें, उनकी सिफारिश हो जावे, उनका टेलिफोन हो जावे तो उसका काम मिनटों में होता है। आम जनता में से अगर कोई जाता है तो उसकी मिट्टी पलीद होती है। मीठा जरूर बोलते हैं लेकिन होना जाना राम का नाम है। मेरे साथ में भी यह हुआ है। कई दफा उनसे मिलने जाता हूं तो 15–20 मिनट आधा घण्टे तक बैठाने के बाद उनको याद आती है कि कोई जन प्रतिनिधि भी बैठा हुआ है। हम रिमाइंड कराते हैं,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनिट और लूंगा।

जब मैंने उनसे बात की तो वे कहते है कि मैंने तो लिख कर दे दिया हैं कि मैं लोकल आदमी हूं और मेरे पर लोकल प्रेशर भी बहुत आता है। मैं मेरे पिताजी की वजह से भी बहुत परेशान हूं। मैंने अपने ट्रांसफर के लिए भी लिख दिया है। क्यों नहीं मेरा ट्रांसफर करते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि गृह मंत्रीजी को यह मालूम है लेकिन मालूम होने के बाद भी गृह मंत्रीजी न्याय नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है तो उनका कोई दोष नहीं है। आई. जी. पी. साहब को देखना चाहिये, इस बात से उनको वाकिफ होना चाहिए। 42–44 हजार राजस्थान की पुलिस है। उसके अन्दर सिपाही भी आजाते हैं। अगर इसका विश्लेषण किया जाए जैसे कि जन प्रतिनिधियों ने यहां पर जन भावनाएं व्यक्त की हैं। मेरा निजी ख्याल है कि 99 प्रतिशत पुलिस के अधिकारी सिपाही किसी न किसी प्रकार से रिश्वत लेते हैं और अपनी ड्यूटीज को नजरअंदाज करते हैं। इस पुलिस का यह हाल है कि रिश्वत लेने वाले जो लोग हैं उनकी आमदनी तनख्वा से चार–पांच गुना है, बड़े बड़े अफसर अपने कार्यकाल, दस साल, बीस साल में इतनी पूंजी अर्जित कर लेते हैं कि उनकी सात सात पीढ़ी मौज उड़ावें तो भी वह सम्पति खतम नहीं हो पाती है। उनको गृह मंत्री की क्या परवाह है? नौकरी करते हैं ठाट बाठ मनाने के लिये यह व्यवस्था चलती रहेगी? पहले भी राज बदला, मंत्री बदले। मंत्री तो बदलते रहेंगे लेकिन पुलिस की जैसी स्थिति है पुलिस का

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

जो राज है, उससे मैं मानता हूं यह पुलिस पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो खर्चा करती है उसका 80-90 प्रतिशत व्यर्थ जाता है। ये तो रिश्वत लेते हैं और जनता को तंग करते हैं। यह तो एक ऐसी प्राइवेट एजेन्सी हो गई है जो कि राज्य सरकार से तनख्वाह लेती है, राज्य सरकार से सहूलियत लेती हैं, यह सब खर्चा उनके मजे के लिये होता है। व्यवस्था कानून के लिये कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिये आज पुलिस एक ऐसी प्राइवेट एजेन्सी बन गई है जिस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसमें सुधार करने के लिये नए कदम नहीं उठाये जायेंगे तो कोई नतीजा नहीं आने का है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वस्तु स्थिति है, जो कलेक्टर सामने आ रहा है, उस कलेक्टर को बदलने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। वे इसके लिये जिम्मेदार हैं परन्तु सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उधर विपक्ष की ओर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने इस पुलिस का जिस तरह से उपयोग किया, उससे आज यह स्थिति पैदा हो गई है........

(व्यवधान)

मेरे वक्तव्य से सदन में किसी प्रकार की उत्तेजना होती है तो यह सदन के माननीय बुजुर्ग सदस्यों को देखना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

मैं एक उदाहरण दे रहा था, एक महिला थी। उसमें सब तरह की बुराइयां थी। सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी और दूसरी दूसरी आदतें भी उसमें थीं। उसने एक तोता पाल रखा था। वह तोता ऐसा था जैसे उसका जीवन साथी हो। उसके साथ हो रहता था। उसको खांसी हो हो गई। किसी ने कहा, सिगरेट की वजह से हो गई। सिगरेट बंद कर दो। सिगरेट बंद कर दी। दवाई लेती रही। तब भी कोई असर नहीं हुआ। काफी उसका इलाज हुआ। दुर्भाग्य से उसके तोते को भी खांसी हो गई। वेटेरीनरी के डाक्टर को बुलाया गया। तोते का काफी इलाज करने के बाद भी उसकी खांसी नहीं गई। उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर एक ऐसा डाक्टर आया जो मनोवैज्ञानिक भी था। उसने कहा कि इस तोते को कोई बीमारी नहीं है। आपको जो खांसी थी उस खांसी की इसने प्रैक्टिस कर ली है। जैसे राम राम शब्द तोता रट लेता है उसने वैसे ही खांसी की आवाज की प्रैक्टिस कर ली है। इसके अन्दर आदत पड़ गई है अपने मालिक की। इसी प्रकार हमारी भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने इस पुलिस को वैसी खांसी कर दी है जैसी खांसी कांग्रेस सरकार को थी। चुनाव के लिये चंदा इकट्ठा करना होता था। उससे पुलिस को यह काम पकड़वा दिया। पुलिस का काम चंदा इकट्ठा करने का हो गया। पुलिस को यह खांसी हो गई इसके अलावा कुछ नहीं है ....

एक माननीय सदस्य : अब तो तोते की आवाज को बदल दो।

श्री माधोसिंह कछवाहा : तो मैं गृह मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पुलिस की यह खांसी कैसे मिटाएं। इस खांसी को मिटाने के लिये यहां पर कई सुझाव आए हैं। मैं समझता हूं कि कुछ रह गये हैं। इसमें कई उपयुक्त हो सकते हैं लेकिन वह तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मुकर्रर नहीं

Page No 208

2021

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

करेंगे अमुक क्षेत्र के अन्दर, उसको जिम्मेवार नहीं बनाएंगे । अमुक क्षेत्र के अन्दर कोई गुनाह होते हैं तो गुनाहगारों को पकड़ने, मुकदमा दायर करने, चालान करने की सारी जिम्मेदारी उस अधिकारी पर डालनी चाहिये । उसके क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो उसको रोकथाम करने, पकड़ने की जिम्मेदारी उसकी होगी । अगर उसका वह मुकदमा फेल हो जाता है तो वह जिम्मेदार होगा । उसका तबादला करना ही काफी नहीं होगा । यह एक आई. जी. पी. काम नहीं कर सकता । एक ही क्या करे । उसके पास कितने कागज आते हैं । इधर विजिलेन्स का काम उनके पास होता है । एक आदमी की कितनी क्षमता होती है । वह कितने कागज पढ़ सकता है । कितनी फाइलें देख सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपनी बात कह रहा हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत सीरियस बात कह रहे है । इनको समय दिया जाये ।

श्री माधोसिंह कछवाहा : एक बात साफ है कि एक आई० जी० पी० की इतनी क्षमता नहीं है कि वह 18-18 घंटे काम कर ले और जो कुछ राजस्थान के अन्दर हो रहा है उसको भी वह देख सके । उसके आगे फाइलों का ढेर लगा रहता है । मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है । शिकायत करने वालों का तांता लगा रहता है । इसलिये एक आई. जी. पी. यह सारा नहीं देख सकता है । आई. जी. पी. राज्य सरकार की आंख है..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट और चाहूंगा ।

आज जितने भी जुर्म होते हैं, उन जुर्म को आप रोकना चाहते हैं, उन पर समुचित कार्यवाही करना चाहते हैं । हरिजनों पर अत्याचार होते हैं परन्तु आज कई जगह केस रजिस्टर नहीं होता है । रजिस्टर हो जाता है तो न्याय नहीं मिल पाता है । मुकदमों को दर्ज किया जाकर क्या होता है, यह दूसरी बात है । कइयों का फैसला नहीं हो पाता है । इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान को चार जोन में बांटा जाए । हरएक जोन का एक एक आई. जी. पी. अलग से हो । जो फुल फ्लेज्ड काम करें । एक सर्व करें । दो कमिश्नर हों । वह कम से कम अपने एरिया को देख ले और अपनी रिपोर्ट दें । आज गृह मंत्री और आई. जी. पी. के बीच खींचातानी चलती है । जितना काम है उसको वह संभाल नहीं पाता है । इसलिए आज इस सारे महकमे में रिओर्गेनाइजेशन की जरूरत है । रिआर्गेनाइजेशन के लिए आप विचार करें । होम कमिश्नर इसके लिए आपको कई प्रस्ताव दे सकते हैं ।

पुलिस के अन्दर आज भ्रष्टाचार बढ़ा है इसका एक कारण वेतन भी है । आज आप पुलिसमैन को एक चपरासी का वेतन देते हैं । चपरासी आठ घंटे काम करता है और आप एक पुलिसमैन से 24 घंटे काम लेते हैं । वह 24 घंटे की ड्यूटी देता है । अगर यह हाल है....

श्री मदनसिंह दांता : चपरासियों में उतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना सिपाहियों में है ।

श्री **माधोसिंह कछवाहा** : उसका कम वेतन है इससे उसकी आत्मा मरी हुई रहेगी । थानेदार उससे किसी प्रकार से बेगार लेना चाहे उसकी हिम्मत थोड़े ही है बोलने की । वह तो थानेदार के अधीन काम करता रहेगा । थानेदार तो आज के जागीरदार हैं । पहले जागीरदारों का इतना आतंक नहीं था जितना आज थानेदार का है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : कितना समय और लेंगे, माननीय सदस्य ?

श्री **माधोसिंह कछवाहा** : बस, 3–4 मिनट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय ।

वे ढंग से किसी से बात नहीं करते हैं इसलिये गरीब आदमी उनके नजदीक जाना नहीं चाहते । किसी प्रकार से उनके व्यवहार में तब्दीली लाई जाय, यह बड़ा आवश्यक है । वेतन चाहे थानेदार का हो चाहे सिपाही का, इन सब का वेतन बढ़ना आवश्यक है । किसी सिपाही का 500 से कम वेतन नहीं होना चाहिये । जोधपुर में मैं डी० आई० जी० के साथ बैठा था । मैंने बात की कुछ तस्करी आदि की । ट्रेफिक वाले पैसा लेते हैं । वे कहते हैं कि उनका वेतन कम होने से मजबूरी में उनको यह सब करना पड़ता है । वे खुद मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं । तो इस प्रकार से पुलिस का करेक्टर नहीं बदलेगा, मान्यवर ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे पीछे की मेजें खाली हो रही हैं ।

श्री **माधोसिंह कछवाहा** : सट्टे का भी जोर जोधपुर में चलता है । मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस बारे में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें । सट्टे से वहां काफी आमदनी है, चाहे वह चांदी का हो या सोने का हो या तेल का हो । वहां जो लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं । जब वे पकड़ में आते हैं तो एक रात में 1-2 लाख पकड़े जाते हैं । तो यह सट्टे वाली चीज खतम होनी चाहिये । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी सट्टे और शराब के मामले में जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकने की कार्यवाही करें । मैं 5–10 केसेज बताना चाहता था लेकिन समय नहीं है । अभी एक मामला अजमेर का मुन्नी सुभाष का मामला उठाया था । इस मामले में भी बहुत कुछ कार्यवाही की जा चुकी है । थानेदार को सस्पेण्ड भी किया है लेकिन वह हुआ कैसे । उसके बयान हुए, कोर्ट में पेश हुआ तभी यह मामला हुआ । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि थानेदार जगदीश चौधरी और यशपाल के बारे में जानकारी दी थी ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, 5 से ज्यादा 7 मिनट आपने ले लिये ।

श्री **माधोसिंह कछवाहा** : ये लड़कियों के लिये घूमते हैं । नन्दा द्विवेदी करके लड़की के बारे में बताया तो उस लड़की को इतना पीटा कि मरते मरते बची । पुलिस के आफिसर के लड़के को दबा दिया तो आम नागरिक का क्या हाल होगा ? मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसी पुलिस कर्मचारी की शिकायत हो तो उसकी पुलिस के अधिकारी ही जांच करते हैं । इसके बजाय इसका अलग से सेट–अप होना चाहिये ।

श्री **मदनसिंह दांता** : I have been shouting for three months.

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री काशीनाथ गुप्त ।

(209)

श्री काशीनाथ गुप्त : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार पहले सरकार आंकड़ों के आधार पर राज करती थी और झूठे आंकड़े बता कर जनता को गुमराह करती थी उसी प्रकार आज की सरकार ने जनता के सामने इसका प्रयास किया है। तारीख 13-7-78 को मैंने पुलिस के खिलाफ बयान दिया था उसका जवाब 23-7-78 को राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। कुम्हेर थाने में अपराधों की रोकथाम डकैती और लूट के अपराधों को छोड़ कर, उस इलाके के जनवरी से मई तक उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनसे मालूम होता है 1977 में 137 अपराध हुए। 1978 में 106 अपराध हुए, 5 महीने में। नकबजनी के 76-77 में 10 व 17 केस दर्ज हुए और इन पांच माह में 36 केस। 5 जनवरी, 1978 को 1 व्यक्ति का मर्डर हुआ। उसके परिवार को मेरी प्रार्थना पर मुख्य मंत्रीजी द्वारा मुख्य मंत्री कोष से सहायता दी गई। इसके पश्चात् 6-3-78 को डकैती हुई और एक व्यक्ति मारा गया। मेरी प्रार्थना पर मुख्य मंत्री कोष से मुख्य मंत्रीजी द्वारा दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता उसके परिवार को दी गई। उसके पश्चात् फिर मेरे क्षेत्र में 22-23 की रात्रि को एक डकैती हुई और बहुत माल लूटा गया। ये चार घटनाएं जनवरी से मार्च तक मेरे इलाके में हुई जबकि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि केवल दो मामले दर्ज हुए। इन तीनों मामलों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना की और उनसे सहायता मिली तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन तीनों मामलों को कहां दर्ज किया गया ?

जब से यह नई सरकार बनी है मेरे क्षेत्र के अन्दर कई डकैतियां डली हैं लुधवाड़ा, घोरमुई, लुधावई, लाखन, तमरेर और इसके बाद जाटवों का जया ग्राम में। मैंने मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि मार्च के महीने तक माकूल इन्तजाम होगा। उन्होंने पुलिस को ताड़ना दी। सात डकैतियां होने के बाद रोकथाम हुई। दो माह पूर्व जब मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की कोठी पर बैठा हुआ था तो गृह मंत्री साहब ने कहा था कि अब तो आपके इलाके में शान्ति हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन रात के 12 बजे जाटवों के जया ग्राम में डकैती डली और उसमें जाटवों के अलावा कोई व्यक्ति नहीं लूटा गया। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने डकैतियों की रोकथाम के लिये पुलिस को ताड़ना दी और विशेष इन्तजाम किया। तो फिर पशुओं की चोरियों का तांता लग गया। भटावली में एक आदमी के घर से भैंसों की चोरी हुई। उसकी रिपोर्ट की गई तो वहां के थानेदार ने 2400 रुपये मुल्जिमों से लेकर उनको छोड़ दिया और कह दिया कि चोरी नहीं हुई। हमने एस. पी. से कहा तो उन्होंने डीग के थानेदार को तफतीश करने के लिये भेजा। उस थानेदार ने जांच की और उन्होंने कहा कि यह सबूत है कि चोरी हुई है और कुछ महीने बाद एक भैंस बरामद हो चुकी है। पहले एफ. आर. उस मुकदमे में लगा दी और कहा कि चोरी नहीं हुई लेकिन आज तक उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर अदालत में कोई आदमी गलत बयानी कर देता है तो अदालत उसको सजा देती है लेकिन उस थानेदार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इसी प्रकार से राह में एक वाकया हुआ। एक आदमी जो कि बैंक में मुलाजिम था उसके केस को वहां के थानेदार ने रुपये खाकर बरा,

Page No 211

(210)

(श्री काशीनाथ गुप्त)

गर कर दिया। उसका एक सबूत यह है कि जिस दिन थानेदार ने केस बरामद किया उसी दिन भरतपुर में उस व्यक्ति ने अपनी औरत का जेवर गिरवी रखा है और वकील के मार्फत रिश्वत दी। सरकार सी. आई. डी. भेज कर उसकी जांच करा सकती है।

इसी प्रकार से 29-6-78 को कुम्हेर में एक नारायणदास गुप्ता के यहां चोरी में सर्वस्व चला गया। उस व्यक्ति ने मय अपनी पत्नी और बच्चों के कुम्हेर थाने के सामने भूख हड़ताल की। बड़े आदमियों ने पहुंच कर उसकी समझाइश की और उस आदमी की भूख हड़ताल तुड़वाई गई।

एक डकैती हुई तमरेर में एक वृद्धा को घायल कर दिया गया। एक वेटरनरी डाक्टर के घर पर चोरी हुई उसमें 10 हजार का माल लूट कर ले गये लेकिन थानेदार मौका देखने भी नहीं गया। यह हालत है इस इलाके में चोरियों की। मैंने बराबर सुझाव दिये कि इन चोरियों को रोका जाय। वहां के लोग जयपुर आये लेकिन मुख्य मंत्रीजी नहीं मिल पाये, होम मिनिस्टर नहीं मिल सके, मैं नहीं मिला तो उन्होंने मास्टर साहब से कहा कि चोरियां बढ़ गई हैं और थानेदारों और पुलिस की सुस्ती रही है। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिला और इस बात को मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में लाया कि जिस प्रकार से आपने डकैतियों को रोकने का इन्तजाम किया उसी प्रकार से चोरियां रुकवाने का इन्तजाम करें, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

आजरन का एक व्यक्ति चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया उससे रिश्वत मांगी थानेदार ने। मुझसे आकर उसने कहा तो मैंने कहा कि उसको पकड़वाओ। वह भ्रष्टाचार विभाग में गया तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस के खिलाफ शिकायत लाते हो वह दर्ज न होगी। दूसरे डिपार्टमेन्ट के खिलाफ लाओ। वह फिर मेरे पास आया तो मैंने उसको जयपुर भेजा। जयपुर आकर उसने कहा। यहां से पुलिस गई और उस नायब थानेदार को रेडहैण्डेड पकड़ा भरतपुर के अन्दर। रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो नहीं करते हैं। पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट करने जायं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार जो तथ्य आ रहे हैं वह गलत हैं। किसानों की न रिपोर्ट दर्ज होती है और न चोरियों की रोकथाम होती है।

हमारे भरतपुर जिले के अन्दर चोरियां होती हैं, कारें लूटी जाती हैं, दिन दहाड़े नगर और भरतपुर के बीच में 3 कारें लूटी गई हैं। धौलपुर के पास में एक कार लूटी गई है। 5 डकैतियां हुई हैं। उज्जैन के थानेदार ने अनुसूचित जाति के एक कंजर का मर्डर कर दिया। उसको इतना मारा कि वह मर गया। पचासों आदमी उस को देख रहे थे। वह उसको अस्पताल ले गये लेकिन उसका डेढ़ दिन तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया। आज तक कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया गया। यह है आपकी कार गुजारी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): जो कार लूटी गई थी शर्मा वाली उसके मुजरिम पकड़े नहीं गये?

श्री काशीनाथ गुप्त: पकड़े जाते हैं लेकिन आदमी मारे जाते हैं वह वापस नहीं आते हैं और माल भी वापस नहीं आता है। मरे हुए आदमी वापस नहीं आते हैं पत्नियां

(श्री काशीनाथ गुप्त)
विधवा हो जाती है तो पति नहीं मिलते हैं। विधवाओं को सुहाग नहीं मिलता ।

सरकार बराबर यह कहती रही है हमारा इलाका उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है इसलिए डकैतियां ज्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश का इलाका तो सदैव से हमारे पास रहा है, यह आज कोई नई बात नहीं है। आज जो स्थिति बन रही है उससे राहत मिलनी चाहिए। जो आदमी जान से मारे गये हैं वह वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आयन्दा के लिए इस पर रोक लगाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान मनोहरसिंह जी मेहता ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं नहीं बोलना चाहता ।

श्री किशनसिंह भाटी : बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विचारणीय विषय कानून व्यवस्था को लेकर आज काफी चर्चा माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की । इससे पूर्व भी जब से यह सत्र चला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव और अन्य तरीकों से बराबर माननीय सदस्यों ने पुलिस के सम्बन्ध में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सरकार ने भी जिस तरह के हालात थे उनसे सदन को हमेशा अवगत कराने का अपना कर्त्तव्य समझा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था एक बड़ी जटिल समस्या है । यहां पर ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से सारी दुनिया के लिए होगी । हम काफी कोशिश कर रहे है और करेंगे नतीजा लाने की । हम पर इस बात का उत्तरदायित्व है, मैं इसको समझता हूं । हम राज्य की रचना को देखें तो सबसे पहला सवाल यह था कि समाज में शान्ति-व्यवस्था कायम होनी चाहिए । हमारा जीवन नियन्त्रित हो और कानून के मुताबिक हमारा सारा सामाजिक जीवन चले, यह एक बहुत आवश्यक है । इस बात को सरकार के मंत्री भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि कोई भी देश या प्रान्त भौतिक दृष्टि से चाहे कितना ही सम्पन्न हो जाय, दौलत कितनी ही क्यों न उसके पास में हो जाय और सब व्यवस्था कर दें, लेकिन यदि हमारा सामाजिक जीवन नियन्त्रित नहीं है कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है तो एक बहुत बड़ी अव्यवस्था समाज में फैल जायगी । हम सब जानते हैं, कितने ही काम सरकार ने किये होंगे । लेकिन एक छोटी सी अव्यवस्था ने सारे देश को बिगाड़ रखा है । इस पोलिटिकल परिवर्तन से खुशी है कि सभी पहलुओं को देखकर शांति और व्यवस्था के लिये बड़े अच्छे और ठोस सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये हैं । यह खुशी की बात है कि देश में कानून और व्यवस्था कायम करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति वे सजग हैं । अपने उस उत्तरदायित्व को सदन ने भी निभाया है । आज प्रश्न यह है कि एक बहुत ऐतिहासिक बात देश में हुई है । 28 साल तक एक ही पार्टी का राज इस देश में चलता रहा । एक दो प्रदेशों में से कुछ समय के लिये कम्युनिस्ट पार्टी का भी शासन रहा है उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी चतुरता के साथ इमरजेन्सी के अन्दर

(श्री सम्पतराम)

हुई ज्यादतियों के लिये कुछ नहीं कहा है। इमरजेंसी में कोई व्यक्ति कुछ लिख पढ़ भी नहीं सकता था। अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। और न कोई आन्दोलन हो सकता था। ऐसी हालत में कुछ भी होना मुश्किल था। आप जानते हैं इमरजेन्सी में बड़े बड़े मकान टूट गये। अब हमारे विरोधी दल के नेता शान्ति और व्यवस्था में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जहां तक अव्यवस्था की बात है, यह राजस्थान में ही नहीं है, सारे देश में है। इस दृष्टि से देखे तो इसके कारण भी स्पष्ट हैं। आज सारे देश में और समाज में यह स्थिति है, यह कोई ठीक ढंग की बात नहीं है। यह जो कुछ भी होता है वह देश में बरदाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश में और विशेषकर हमारे प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था रही है। जब इस राज्य सरकार का निर्माण हुआ तो कुछ चीजें पहले की सरकार से मिली हैं। विद्यार्थी थे, मजदूर थे वे कोई मांग नहीं उठा पाते थे। इनकी कई प्रकार की समस्याएं थीं। उनका गुबार नहीं निकल पा रहा था। कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो अब जो यह आन्दोलन हुए, उससे पुलिस पर काफी असर पड़ा है। जो दिमाग उस समय उनको लगाना चाहिए था, वह उस समय उन्होंने नहीं लगाया। एक और बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा। यह सभी मानते हैं कि सरकार किसी भी पार्टी की हो सरकार का एक कर्त्तव्य होता है कि यदि वह किसी के लिये कुछ कर सकती है तो करे। लेकिन शासन तंत्र का जो ढांचा था वह ढांचा बदला नहीं। मैं मानता हूं कि आप भी इस बात कोस्वीकार करेंगे। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार हमारा प्रशासन था लेकिन वह लोग भी थे जो इसके जिम्मेदार थे। हमेशा ऐसी गलती होती है। ऐसा होता है, जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब सरकार बदलती है तो जो पार्टी सरकार चलाती है, कानून और व्यवस्था कायम करना उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन इसके अलावा उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी है। जो परिवर्तन आया है इसके परिप्रेक्ष्य में। एक दिन हमारे शेखावतजी उस तरफ बैठा करते थे।

श्री किशनसिंह भाटी: यह शेखावत जी नहीं कहिये। शेखावत साहब कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: भाटीजी को भाटियानी जी कहने पर आपत्ति है।

श्री सम्पतराम: अगर उन्होंने कोई भी हुक्म कहीं भी जारी कर दिया तो वह अदरवाइज है। उसमें नहीं जावें।

(व्यवधान)

इसका असर यह पड़ा कि राज्य की सेवाओं के लिये उनका नैतिक बल कायम रखने के लिये, उनके विश्वास को कायम रखने के लिये जो सरकार ने हुक्म दिये हैं, उनका उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। जैसे कि एस. पी. ने हुक्म की तामील की है। वह सोच भी नहीं सकता है कि इस प्रकार सत्ता परिवर्तन की घटना ही जल्दी ही सामने आयेगी। अभी हमारे लोग सक्षम हैं।

हरजनों के बारे में हमने क्या क्या दृष्टिकोण अपनाये हैं, यह साफ नहीं हुआ है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बहुत से जुर्म बढ़ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह तथ्यों के विपरीत हैं। मैं समझता हूं कि ये भिन्न बातें है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 77 को लें। उसकी प्रथम छःमाही में आपातकाल की स्थिति थी। उसके बाद 4 पखवाड़ों में, दूसरी छः

(श्री **सम्पतराम**)
माही में जनता पार्टी की सरकार आई । मुझे इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि पहली छःमाही से दूसरी छःमाही में अपराध बढ़े हैं । हरिजनों को पीट दिया है तो किस के पास जायें । कोई फेवर नहीं । कुछ हो गया तो किसके पास जायें । कोई जुडिसियरी नहीं थी । घर बैठ गये । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांव के रहने वाले हैं । मैं भी गांव का रहने वाला हूं । हालांकि मैं जानवरों का मुकाबला आदमी से नहीं करता हूं लेकिन जानवर भी बदल जाते हैं । वह भी भाग दौड़ करते हैं । पुलिस भी रही है लेकिन इसके बावजूद वस्तुस्थिति यह है । अब मैं प्री-इमरजेंसी पीरियड..

श्री **मदनसिंह दांता** : यह लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिये क्या करने जा रहे हैं ? आप मानते हैं कि इसमें कमी आई है तो नई व्यवस्था के लिए आपने मीटिंग में क्या किया ? उन बातों पर आएं । राम नारायणजी ने जो कहा उसका जवाब तो दो । वह कहें वह भी गलत, हम कह दें तो वह भी गलत तो आप भी उसी गलती पर जा रहे हैं ।

श्री **सम्पतराम** : मैं जवाब दे दूंगा । सुन लीजिए । इसके बाद मैं आपके सामने तुलनात्मक पोजीशन निवेदन करना चाहता हूं ।

वर्ष 1977 की दूसरी छःमाही में पूर्व की छःमाही की अपेक्षा 17 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि हुई थी याने इमरजेंसी वाली छःमाही के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़े । उसके बाद हमने कुछ उपलब्धि की । वर्ष 1978 की प्रथम छःमाही में वर्ष 1977 की दूसरी छःमाही की तुलना में 15 प्रतिशत जुर्मों में कमी आई है । हमने कुछ. .

श्री **मदनसिंह दांता** : प्रेसीडेंट रूल में कोई भी चोरी नहीं हुई, इसका क्या मतलब?

श्री **सम्पतराम** : मेरी बात सुन लीजिए ।

इस वर्ष 215 डाकू गिरफ्तार हुए हैं, 6 मुकाबलों में मारे गए हैं और 13 ने आत्म समर्पण किया है । इन डाकुओं से 9 अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया गया है । वर्ष 1977 की द्वितीय छःमाही में डकैती के 85 अपराध पंजीबद्ध थे जबकि इस वर्ष की प्रथम छःमाही में डकैती के 74 अपराध दर्ज हुए है यानी 11 अपराध कम दर्ज हुए हैं । इसी प्रकार लूट के पिछली छःमाही में 929 अपराध दर्ज हुए थे जबकि इस वर्ष की प्रथम छःमाही में 829 अपराध, दर्ज हुए हैं । वर्ष 1977 की द्वितीय छःमाही की तुलना में 100 अपराध कम हैं । इसी प्रकार बलवे के इस वर्ष की प्रथम छःमाही में गत छःमाही की अपेक्षा 1006 अपराध कम दर्ज हुए हैं नकबजनी में 483 अपराध कम दर्ज हुए हैं व अन्य चोरी आदि के मामलों में 918 अपराध कम दर्ज हुए हैं । बाकी जो मुतफर्रिक अपराध है वे वर्ष 1977 की द्वितीय छःमाही में 16300 दर्ज हुए थे जबकि इस वर्ष की प्रथम छःमाही में 14183 अपराध दर्ज हुए हैं । इस प्रकार 2117 अपराध कम दर्ज हुए हैं ।

आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है । अखबारों के जरिए आपको जानकारी मिली है वह इस प्रकार है:-

(श्री सम्पतराम)

भरतपुर जिले में 32 डकैत गिरोह में से 19 गिरोहों का पूर्णतया सफाया किया जा चुका है। अन्य 6 गिरोहों के अधिकतर सदस्यों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने अब तक डाकुओं से 18 मुठभेड़ें की हैं। गिरफ्तार किए हुए प्रमुख डकेतों में से कप्तान मल्लाह के 16 सदस्य, हन्नु दरोगा के 13, रामसिंह गेंग के 7, सोनपाल बावरी के 5, झरारी ऊपर्ल देसाई के 20, अशरफ अकबर गेंग के 7, डा0 सुरेश गेंग के 4 तथा बंगाली गेंग के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी उल्लेखनीय है। यह अशरफ अकबर वह है जो हरियाणा पुलिस से राइफल्स लेकर भाग गया था और हमारी बस को लूटा था। उसमें से एक को हरियाणा में गिरफ्तार किया, उसके पास 303 राइफल थी और एक स्टेनगन थी..

श्री **मदन सिंह दांता** : आपका मतलब कम होता जाएगा ?

श्री **सम्पतराम** : जी हां।

श्री **मदनसिंह दांता** : आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री **सम्पतराम** : इसी प्रकार जिला सवाई माधोपुर में सक्रिय 5 गिरोहों में से 4 गिरोह तो समाप्त किए जा चुके हैं और पांचवें गैंग लच्छू व चंदन के गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

माह दिसम्बर, 1977 में भीलवाड़ा के समीप डकैतों द्वारा बारात को बंदूक की नोक पर लूटकर भागने वाले गिरोह के पांचों सदस्यों को उसी रात बूंदी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उनसे हथियार और बहुत सा सामान बरामद किया गया।

जोधपुर में भी, उपाध्यक्षजी, एक अजीब बात हुई है। जुर्म इसलिए हुए कि जोधपुर में मिलिट्री डिपो से कारतूसों की चोरी हुई। मिलिट्री को चोरी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली लेकिन हमारी पुलिस ने बहुत से मामले हल किए और प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किए गए कारतूस बरामद कर लिए। सिरोही पुलिस द्वारा भी बावरियों के गिरोह से 12 नकबजनियों का करीब 85 हजार से अधिक का माल बरामद किया गया। इसी प्रकार झालावाड़ पुलिस ने 9 कुख्यात नकबजनों को गिरफ्तार कर उनसे कई टोपीदार बन्दूकें, पिस्तोल एवं कारतूस बरामद करने तथा कालेज विद्यार्थियों के एक गैंग से नकबजनी के माल कीमतन 1,40,000 बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।..

श्री **मदनसिंह दांता** : रंगा बिल्ला को भी आपकी पुलिस ने पकड़ा।

श्री **सम्पतराम** : राज्य में टेलीफोन तारों की चोरी करने वाले कई गिरोहों को पकड़ने में भी पुलिस को सफलता मिली है। बड़े पैमाने पर अजमेर में चोरी पकड़ी है। मेरे खयाल से इसमें हम हिन्दुस्तान में सबसे प्रथम होंगे।

जैसलमेर में भी कुछ घटनायें हुई हैं उसमें भी पुलिस ने अच्छा काम किया है। 5 तस्करों को मय तीन 303 राइफल व कारतूसों के पकड़ा है। तस्करी का माल भी उनसे बरामद किया है। हरएक क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हो रहा है।

इसी प्रकार गंगानगर पुलिस ने बहुत

(श्री सम्पत राम)
बड़ी चोरी का माल पकड़ा है। थोड़े दिन पहले पंजाब सिंध बैंक अहमदगढ़ के प्रमुख कैशियर को बैंक से गबन कर लाई हुई 6,62,894 रुपये की धनराशि को गंगानगर शहर में रंगे हाथों पकड़ने में अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। नगद पकड़ी गई इसके लिए बैंक वालों और सरकार ने 10,000 रुपये का इनाम भी देने की घोषणा की थी। सौभाग्य की बात थी कि नगद पुलिस ने पकड़ी और बरकरार पुलिस ने बैंक को संभला दी।

इसी प्रकार जयपुर नगर में चोरियों के मामले में काफी काम-काज हुआ है। पुलिस द्वारा दौलत सिंह कुख्यात नकबजन तथा उसके गिरोह से 40 नकबजनियों का पता लगाया गया है। इस गिरोह से करीब एक लाख रुपये का माल बरामद किया जा चुका है और अभी पूछताछ जारी है। इसी प्रकार मालीराम उर्फ भंवर सिंह के गिरोह से 25 वारदातों का करीब 90 हजार का माल तथा चिरंजीलाल के गिरोह से 58 हजार रुपये का माल बरामद किया गया है। अलवर के 25 नकबजनों को अभी दीवाली के अवसर पर और उनके कब्जे से कई ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर साड़ियां एवं जेवर कीमत 20 हजार रुपये के बरामद किए जा चुके हैं। जयपुर शहर में औरतों के गले से जंजीर छीनने की घटनायें जो भी थीं, आज वे घटनायें आपको नहीं मिलेंगी।

कुछ गिरोह जेबकतरों के थे, लोगों को छुरा मारते थे उस गैंग को भी वर्क आउट किया जिससे आज बहुत कुछ देखने को मिलता है....

श्री मदन सिंह दांता : यदि पकड़े गए तो दुबारा नहीं होंगे ?

श्री सम्पतराम : नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नतीजे अच्छे मिलेंगे।

अभी आपने देखा, चंदू बालक की हत्या को लेकर सारा जयपुर शहर चिंतित था परेशान था। हमारी पुलिस की सतर्कता, दक्षता और ईमानदारी से केस वर्क आउट हुआ। हम फिर भी सोच रहे हैं कि जो हत्याओं के और दूसरे केसेज हैं उन केसेज को और वर्क आउट करायें। थोड़े दिन पहले मुख्य मंत्री ने आदेश दिए थे कि जो संगीन केसेज है उन सब केसेज को हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों में बांट दें और उन पर उत्तर दायित्व डालें ताकि किसी न किसी तरह से वर्क आउट करें ताकि जनता में विश्वास पैदा करें। जहां जुर्म होते हैं वहां यदि पकड़ने वाली एजेंसी हो, उसने सतर्कता से पकड़ना शुरू कर दिया तो जुर्म करने वाले को मालूम होगा कि पकड़ने वाली एजेंसी बैठी है। इस दृष्टि से हमने काफी काम शुरू करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी काफी काम बाकी है।

काशीरामजी ने कहा कि डकैती के मामलों पर कन्ट्रोल किया तो चोरी के मामलों को कंट्रोल किया जाए। मैं अलवर का रहने वाला हूं और वे भरतपुर के हैं। वहां कैटिल लिफ्टिंग की बात प्रमुख है। अलवर वाले भरतपुर की तरफ ले जाते हैं। हालांकि भरतपुर से अलवर कैटिल नहीं जाता था लेकिन काफी चोर पकड़े गए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 25 प्रतिशत जुर्म नीचे आ गए और इससे भी नीचे आयेंगे। कैटिल

(श्री सम्पतराम)
लिफ्टिंग के बारे में पुलिस को जानकारी होती है, उसको थोड़ा जागरूक किया, उस पर प्रेशर डाला, जिम्मेदारी डाली। लेकिन यह सब नीचे के स्तर पर होता है। आज खुशी की बात है कि जितना यहां वादविवाद हुआ है, सत्य बात सामने आई हैं, जितने केसेज पुलिस स्टेशन पर आए उसी स्तर पर आए...

श्री मदनसिंह दांता : यह जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री सम्पत राम : आप और हम सब की है।

श्री मदनसिंह दांता : इसके लिए योजनाएं क्या हैं ? कांग्रेस राज में बीकानेर और आधे राजस्थान में डाकुओं का सफाया हुआ, आपसे यह नहीं हो सकता। डाकू नाम नहीं छोड़ा। ये डाकू नहीं हैं। जो मनचले आदमी हैं वह बंदूकें हाथ में ले लेते हैं। डाकू तो वे होते थे जो कांग्रेस राज में थे, आपको भी उठा ले जाते। यह डाकू नहीं हैं। वही डाकू चोरी करने लग गए....

(रात्रि 12-00)

श्री सम्पत राम : यह ठीक नहीं है। सबसे अहम बात जो यहां भी कही गयी वह यह है कि हरिजनों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। यह कोई आज की बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है। हमारे सब कुछ करने और चिन्तन करने के बाद भी आज भी हमारे सामने समस्या बरकरार है। पहले भी जुल्म होते थे और आज भी होते हैं। हरिजनों के साथ कुछ सामाजिक बंधन भी है। और आर्थिक बंधन तो पहले से ही हैं। आर्थिक अयोग्यता तो है ही। तो जहां इनके उत्थान के लिए किसी प्रकार के काम चालू किये गये हैं तो हमेशा शक्तिशाली वर्ग की तरफ से विरोध आया है और कुछ न कुछ अवरोध पैदा किये गये हैं। अभी हरिजनों के प्रश्न पर सरकार का ध्यान विरोधी पक्ष की ओर से आकर्षित किया गया लेकिन ध्यान आकर्षित कराने के पहले विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य गौर करते कि हरिजनों या उससे भी पिछड़े हुए लोगों की बहबूदी के लिए जो एक अच्छी योजना चालू की है वह अन्त्योदय की योजना है। इससे साफ जाहिर होता है कि हरिजन ही नहीं बल्कि देश के जितने गरीब आदमी हैं उनकी बहबूदी के लिए सरकार काम कर रही है और उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब चोरी हरिजन करते थे।

श्री सम्पतराम : आप बैठिये तो सही।

इस समस्या को मैं, उपाध्यक्ष महोदय, तीन भागों में विभाजित करना चाहूंगा। अभी मैंने काफी नुक्ते-निगाह से इस बात को देखा है। कम से कम सौ दो सौ आदमी मुझसे मिलते रहते हैं और दरख्वास्तें देते रहते हैं। मैं इसको स्पष्ट करूंगा, जो मेरी समझ में बैठा वह यह है कि पिछले वर्षों में जमीन के आंकड़े और अलाटमेंट के बड़े बड़े दिखाये और कहा गया कि हमने हरिजनों को इतनी भूमि अलाट कर दी। लेकिन अलाट करते समय ठीक तरह से अलाटमेंट नहीं हुआ। किसी ने गोचर भूमि का अलाटमेंट कर दिया और उस गोचर भूमि को सिवाय चक में नहीं बदला। उसके खिलाफ किसी ने अपील कर दी और अलाटमेंट

(श्री सम्पतराम)
खारिज हो गया। इस बीच में क्या हुआ कि हरिजनों ने उस जमीन पर खेती कर ली। अदालतों ने उनको वेदखल कर दिया। इसलिए भी इन केसेज की संख्या बढ़ी है और जमीन के मामले बढ़े हैं। अभी श्री रामनारायणजी चौधरी बोल रहे थे। उनको पता होना चाहिए कि जितनी भी सवाई माधोपुर में जमीन थी उसमें एक इंच के ऊपर भी वह काश्त नहीं कर पाये। जिनके खिलाफ जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वह हमने की। इस मामले में हम काफी कोशिश करते हैं।

जहां तक बलात्कार का प्रश्न है इसमें कुछ बातें गलत भी होती हैं। आज स्थिति यह है कि जब भी हरिजन एट्रोसिटीज का मामला आता है तो-किसी तरह की ज्यादती को लोग इसमें ले लेते हैं। कमजोर वर्ग समझकर जो भी जुल्म उनके ऊपर किया जाये वह हरिजन एट्रोसिटीज में आता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। गंगानगर में भी बलात्कार के केसेज हुए। वहा 16 केसेज हुए थे जिनमें से 9 मामलों में शिड्यूल्ड कास्ट ने शिड्यूल्ड कास्ट के साथ बलात्कार किये। अब स्वयं सदन को विचार करना है कि क्या इस प्रकार की घटनाओं को हम हरिजन एट्रोसिटीज में लें? बलात्कार बहुत बुरी बात है, सामाजिक अभिशाप है, नहीं होना चाहिए लेकिन जहां हरिजन एट्रोसिटीज का प्रश्न आयेगा तो यह देखना पड़ेगा। एक हरिजन की निर्मम हत्या – अखबार में निकला। हत्या करने वाला कौन था? दो भाई आपस में लड़ पड़े। एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी और दूसरा मर गया। जब अखबार में निकलता है तो मालूम होता है पढ़कर कि बहुत बुरी घटना हो गयी। बहुत से लोग किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी छाप देते हैं, उससे एक प्रकार का वातावरण बनता है ..

श्री मदनसिंह दांता : कोई भाई दूसरे भाई को मार दे वह हत्या में शुमार नहीं है यह आपके वर्ड्स कहते हैं।

श्री सम्पतराम : वह हरिजन एट्रोसिटीज में नहीं आता।

इसमें, उपाध्यक्ष महोदय एक बात यह है कि इनकी जमीन की वजह से कुछ केसेज बढ़े हैं और कुछ लोगों ने राजनैतिक पृष्ठभूमि भी इस बात की बनाई है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में योजनाबद्ध तरीके से राजनैतिक दल इसको करना चाहते हैं। एक राज्य बदला और दूसरी पार्टी का राज्य आया। आज हर आदमी चाहता है कि हमारा राज्य स्थाई बना रहे। राजनैतिक दल और दूसरे लोग भी यह सोचते हैं कि वह स्थाई तभी रहेंगे जबकि वीकर सैक्शन उनके साथ मिल जायेगा या उनकी सिम्पैथी गैन कर लेगा या उनके प्रभाव में आ जायगा। इस दृष्टिकोण से सारी बातें की जाती हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर भी गौर करें कि यह कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, यह गरीबों का मसला है और यह मानवता का सवाल है ..

श्री मदनसिंह दांता : इस जाति में बाबू जगजीवनरामजी भी हैं।

श्री सम्पतराम : यह तो कुछ पार्टीज राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचती हैं। माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए कि यह तो एक मानवीय प्रश्न है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और हरिजनों का मामला पूरा सरकार के जरिये

(श्री सम्पतराम)
से हल नहीं कराना चाहिए। पूरा का पूरा हिन्दू समाज इसके लिए जिम्मेदार है। वह अपने उत्तरदायित्व को समझकर समाज को ऊंचा उठाये और उनकी मदद करे। जहां कहीं जुल्म होते हैं उनकी वह शहादत दे और तथ्यों को सामने लाये। यदि यह हालत नहीं होती तो आज हरिजन समाज हिन्दुस्तान में नहीं होता। हमारे स्वार्थों की वजह से हमने उनको समानता का अधिकार नहीं दिया उसका नतीजा यह हुआ कि गलत तवका बनकर खड़ा हो गया। अब कोशिश होगी तो ठीक हो जायगा अन्यथा मुश्किल है।

केसेज की संख्या बताई गई और कहा गया कि बहुत अपराध बढ़ गये हैं। किसी चीज का इससे सही मूल्यांकन नहीं हो सकता कि किस समय में कितने केसेज दर्ज हुए हैं। मैंने अधिकारियों को लिखा है कि केसेज को रजिस्टर करके मुलजिमों को पकड़ा जाये और जो दोषी हों उनको सजा दी जाये। अगर पुलिस केसेज को दर्ज ही नहीं करेगी तो कार्यवाही कैसे होगी? केसेज का बढ़ जाना इसका द्योतक नहीं है कि हरिजनों पर जुल्म ज्यादा हो गए हैं। यह कसौटी हमारी हो कि इतने केसेज रजिस्टर हुए थे उनमें से इतने का चालान हुआ और इतने का चालान नहीं हुआ। यह तो न्याय होगा। लेकिन ज्यादा केसेज रजिस्टर हुए इसलिये कहें कि जुल्म ज्यादा हुए तो यह सही नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि इसका हल कैसे किया जाये। अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली में भारत सरकार ने एक संसदीय समितिगठित की थी। उसने बड़े विस्तार से बहुत से सुझाव दिये। राजस्थान सरकार के पास भी वह आये थे। उन पर राज्य सरकार ने विचार किया। हमने इनको समस्याओं को हल करने के लिए एक तरफ जहां स्पेशल केसेज को निपटाने की घोषणा की है उसके साथ ही साथ उनके लिए तीन जगह व्यवस्था की है। पहली व्यवस्था पुलिस हैड क्वार्टर्स पर, दूसरी डी०आई०जी० के पास और तीसरी जिले के स्तर पर। जिलों में समस्या का एस. पी., ए. पी. पी. और कलेक्टर तीनों बैठकर मूल्यांकन करेंगे और यह देखेंगे कि जितने जुर्म हुए थे उनकी तफतीश ठीक तरह से हुई या नहीं। अभी जो आंकड़े हमारे पास आये हैं उनसे अन्दाजा होता है कि इस प्रकार के केसेज की तफतीश में 36 दिन से ज्यादा नहीं लगाये हैं। हरिजन एट्रोसिटीज के मामलों में तफतीश डी. एस. पी. से कम के रेंक का व्यक्ति नहीं करेगा। डी. एस. पी. से इन्क्वायरी कराने का कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है लेकिन जहां तक सम्भव हो डी. एस. पी. से कम रेंक का आदमी इसकी जांच नहीं करेगा। यहां पर पुलिस हैडक्वार्टर में एडीशनल आई. जी. पी. जो विजिलेन्स के हैं उनको हमने रखा है। वह हमारे पुलिस में बहुत ईमानदार व्यक्ति समझे जाते हैं और कर्त्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति हैं ...

श्री मदनसिंह दांता : वह मर जायेंगे तो?

श्री सम्पतराम : वह मर जायेंगे तो और आ जायेंगे।

वह यह देखेंगे कि तफतीश तत्परता से की गयी या नहीं, मुलजिम तत्परता से पकड़ा गया या नहीं, कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया या नहीं और अदालत द्वारा दिये गये फैसले के आधार पर तफतीश में कोई कमी तो नहीं रही। वह यह सब देखेंगे। यदि कमी

(श्री सम्पतराम)

रही तो उसका भी मूल्यांकन किया जायगा। डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे और यह देखा जायगा कि इस विषय में तत्परता से कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी समय समय पर चैकिंग भी की जायगी और उनके कामों का जायजा भी लिया जायगा। हमने 5-6 निर्देशक तत्व रखे हैं - हर पुलिस स्टेशन उनका तत्परता से इस्तेमाल करे।

•

अब सवाल यही नहीं रहता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन को किस प्रकार ठीक करें बल्कि यह भी देखना है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें समय-समय पर आती हैं। पिछले दिनों कितने ही आन्दोलन हुए हैं। आन्दोलन में विद्यार्थी वर्ग भी आया, राज्य कर्मचारी भी आये, बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी आये और पता नहीं कितने-कितने लोग आन्दोलन में आये और कितनी समस्या राज्य सरकार के सामने आई लेकिन हमने उन सबको सफलता के साथ निपटाया है। किसी भी जगह फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी और किसी एक भी जगह गोली नहीं चली।

कई माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये कि लाठी चार्ज हो गया, फलां फलां जगह लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज नहीं करना चाहिये और कम्पलीट सन्तुलन रखना चाहिये, यह हम मानते हैं लेकिन जब बहुत आवश्यक हो जांय तो कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। आम तौर से कहीं फायरिंग नहीं हुआ है। जब उग्र भीड़ कहीं एक जगह एकत्र हो जाती है तो उस समय वस्तु स्थिति का अन्दाज नहीं रहता है। जब 10-20-30 सिपाही कहीं फंस जायें उग्र भीड़ में और उग्र भीड़ उनके हथियारों को छीनने लग जाय, उनकी राइफिल छीन ले तो उनके पास लाठी चार्ज के अलावा कोई चारा नहीं रहता है और विवश होकर लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ता है। वैसे सभी जगह हिदायतें दी हुई हैं कि इस प्रकार के फोर्स का प्रयोग न करें। वैसे मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस भी हमारे जीवन के साथी हैं। सामाजिक जीवन में वे भी है, हमारे ही समाज के अंग है। तो कभी-कभी कार्यवाही करते हुए गलती हो सकती है लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि राज्य सरकार की इस प्रकार की मंशा कतई नहीं रहती है। आप सभी जानते हैं कि जब ऊपर से मार पड़ती है तो सिपाही कभी-कभी सन्तुलन खो देता है। खोये हुए सन्तुलन के साथ कभी-कभी वह एक्सीड भी कर जाता है।

इसके अलावा बार बार कहा जाता है कि हरिजन और मुसलमानों के बारे में दिमाग साफ नहीं है। हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है एक दो साल में देश के कई हिस्सों में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ियां अवश्य हुई हैं लेकिन हमारे राजस्थान में कम्यूनल हार्मोनी को बराबर कायम रखा है। हमारे दल ने इस प्रश्न को नीति सम्बन्धी प्रश्न मानकर कार्य किया है। कहीं कोई इस प्रकार का झगड़ा न हो जिसमें बल प्रयोग करना पड़े और हमारी माइनोरिटीज को यह कहने का मौका मिले कि जितना संरक्षण मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। उदयपुर में घटना हुई अभी जिसका जिक्र किया गया। हमने सारी रात चिन्तन किया कि हमारी पुलिस फोर्स को काफी सजग रहना चाहिये। किसी भी घटना के घटने के बाद उस पर काबू तो कोई भी राज्य सरकार हो करती लेकिन हमारा यह मानना है कि उस घटना की तह में जाकर

(श्री सम्पतराम)

वस्तु स्थिति का पता लगाया जाय और घटना की आग को भड़कने ही नहीं दिया जाय। हम सभी वर्ग के लोगों को ऐसे कार्यों मे साथ लेंगे और उनसे विचार विमर्श करके ही आगे कोई कदम उठायेंगे। जो भी दोषी होगा उसको सजा अवश्य मिलेगी। हम कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार के हालात पैदा नहीं करने दे, सकते हैं जिनसे हमारे भाई, जिनकी तादाद कम है और जिनको संरक्षण देना हमारा कर्त्तव्य है, के दिमाग में अन्य कोई बात पैदा हो। इन सारे मसलों को हमने हल किया है।

मैं समझता हूं मैंने इन मुद्दों पर काफी समय ले लिया है। इनके अलावा आपने यह भी कहा है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और ये दिक्कतें कैसे हल हों। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1965 में जुर्मों के आधार पर आल इंडिया पेटर्न पर इस बात पर विचार किया गया कि पुलिस की व्यवस्था क्या हो और कितने जुर्मों पर एक पुलिस स्टेशन बने। वे ही फाइल आज तक काम कर रही हैं। एक पुलिस स्टेशन पर अमूमन 10-12 आदमी होते हैं, उनमें से दो - तीन छुट्टी पर चले जाते हैं, 2–3 तफतीश करने के लिये चले जाते हैं। एक दो जुर्म की घटनाओं की तफतीश पर चले जायं तो बाद में पुलिस स्टेशन पर कोई विशेष अच्छी व्यवस्था नहीं रह पाती है। गांवों की आबादी कितनी हो बढ़ जाय फिर भी खसरों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है तो आबादी बढ़ने के साथ बेरोजगारी होगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। समस्यायें उत्पन्न होने के साथ अपराधों में भी वृद्धि होती है। इसलिये शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्यायें हर समय तैयार रहती हैं। उनको डील करने के लिये ज्यादा पुलिस प्रशासन की जरूरत है। जब जयपुर जिले की सात लाख की आबादी थी तब भी हमारे पास जो पुलिस फोर्स थी आज भी वही है। आज कितनी बेरोजगारी की समस्यायें हैं, कितने स्कूल और कालेज इन वर्षों में नये खुल गये हैं। इसके अलावा आज हालत यह पैदा हो गई है कि हाई कोर्ट के जजेज कहते हैं कि हमें गार्ड दीजिये। विश्वविद्यालयों से मांग है कि गार्ड दीजिये। कहीं हरिजनों की समस्या आ जाती है तो कहते हैं गार्ड दीजिये ..

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब है आपका लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक नहीं है।

श्री सम्पतराम : मैं कह रहा हूं इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिये पुलिस का बहुत बड़ा फोर्स कायम करना शायद इस बात को साबित नहीं कर सके कि हम अपने यहां होने वाले जुर्मों को कम कर देंगे। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जो खेत को पांच रुपये में काट सकता है, वह तीन रुपये देने पर कैसे कटाई कर सकता है। आज कितने थाने हो गये? अब सवाल राजस्थान का ही नहीं है सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। पहले चोरी करने वाले बावरी होते थे या मीणे होते थे। तफतीश कुनिंदा पता लगा लेता था कि फलां फलां बावरी ने चोरी की होगी, बावरी का उस तफतीश कुनिंदा को पता भी रहता था। वह उनके विषय में पूरी जानकारी रखता था। लेकिन इस विषय में तो बावरियों के अलावा और मीणों के अलावा भी बहुत से लोग एक्सपर्ट हो गये हैं।

(श्री सम्पतराम)

आज के युग में जब हम फारेन्सिक लेबोरेटरी से भी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वे लोग भी एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। आज के अपराध करने वाले टिप-टाप लोग उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। आज यदि एक गरीब तबके का अपराधी पुलिस को मिल जाय और ज्यों ही वह बाजार में पकड़ा जाय और पुलिस उसको इन्टेरोगेट करने लग जाय तो पुलिस की मुश्किल हो जायगी। ढेर सारे लोग यह कहने लग जायेंगे कि गरीब को सताया जा रहा है, पुलिस ज्यादती कर रही है। इन सब बातों से भी पुलिस को सावधान रहना पड़ता है। आज यू० पी० और मध्य प्रदेश के इलाकों में लड़के चोरी की वारदातों में ज्यादा निपुण होते जा रहे हैं...

श्री मदनसिंह दांता : यू० पी० में किसका राज्य है। वहां भी आपका ही राज्य है।

श्री सम्पतराम : तो इस बारे में यह सोचा गया है कि हम पुलिस फोर्स को कुछ बढ़ायें। अभी हमारे पास पुलिस हैडक्वार्टर से एक योजना बनकर आई है। उसके अन्तर्गत अगले दो साल में लगभग दो करोड़ फ़ेज प्रोग्राम के तहत खर्च करेंगे जिसमें पुलिस स्टेशनों की स्ट्रेन्थ भी बढेगी।

इसके अलावा पुलिस की तनख्वाहों का भी जिक्र किया गया। हमने पिछले साल थोड़ी बहुत मदद की है। हमने यह सोचा है कि ये लो पेड एम्पलाइज हैं। पुलिस के जवान होली दिवाली सब त्योंहार मनाते हैं लेकिन वह दूसरी जगह खड़े रहते हैं, उनकी कोई यूनियन नहीं, कोई आर्गेनाइजेशन नहीं। यहां वहा खडे रहते हैं, उसके बदले में उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, अभी तक यह घोषित नहीं किया गया है, फैसला भी नहीं किया गया है लेकिन ख्याल यही है कि इस उपलक्ष्य में या तो दस दिन की तनख्वाह दी जाय या दस दिन की छुट्टी दी जाय।

श्री मदनसिंह दांता : आप आज तो राजी कर दो।

श्री सम्पतराम : यूनिफार्म अलाउन्स के रूप में अभी तक उप निरीक्षक, निरीक्षक और दूसरे लोगों को जो भत्ता मिलता था उसमें भी बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया है। उप निरीक्षक को पहले 45)रु० मिलता था उसको बढ़ा कर 90(रु0 किया गया था लेकिन इसको भी कम समझ कर अब 240 रु.) प्रति वर्ष यानी 20)रु. प्रति माह किया गया है। पिछली सरकार केवल 45)रु. देती थी और हमने इसको अब 240)रु. सालाना किया है। इसी तरीके से इंस्पेक्टर्स को भी 45)रु. दिया जाता था उसको भी बढाकर 40)रु. सालाना किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक को 60)रु. मिलता था उसको पहले बढाकर 150)रु किया था और अब 30)रु. महीना यानी 360)रु. सालाना किया है। इसी प्रकार से अपर पुलिस अधीक्षक को पहले 80)रु. मिलते थे, उसको हमने 150)रु. किया था और अब 360)रु. ईयरली किया है। इसी प्रकार से इनको कुछ और अमाउन्ट भी मिलेगा। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को सात वर्ष बाद 150)रु. और उप पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक को 400) रु. सात वर्ष बाद रिन्युअल ग्राण्ट के दिये जावेंगे। इसी तरह से स्थायी यात्री भता जो कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को मिलता था उसमें भी 5) रु. की वृद्धि होगी। कांस्टेबल को 15) रु. की जगह 20) रु. हैड कांस्टेबल को 25)रु.

(श्री सम्पतराम)

की जगह 30) रु. मिलेंगे। थाना व चौकी का स्टाफ, जो आठ किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करेंगे, रेल या बस का किराया देकर ही वे जा सकेंगे ताकि यह समस्या भी नहीं रहे कि पुलिस के आदमी विना टिकिट जाते हैं।

इसी तरह से हमने देहातों के लिए भी पुलिस का कार्यक्रम हाथ में लिया है इसको धीरे धीरे बढ़ाया जायगा। चालू वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये की सीमा तक के व्यय से इसमें स्टाफ की वृद्धि की जावेगी।

माननीय सदस्यों ने जयपुर में ट्रैफिक और यहां की पुलिस की व्यवस्था के बारे में कुछ विशेष बातें कही हैं। यहां पर भी हम करीब 84-85 लाख का एक फेज प्रोग्राम बना कर चलना चाहते हैं इससे यहां की पुलिस को सशक्त और शक्तिशाली बना सकेंगे। आज जो जयपुर में विशेष प्रकार की लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्यायें सामने आती है, कभी असेम्बली के सामने आते हैं, सचिवालय के सामने जाते हैं, सारे दिन भागदौड़ करते रहते हैं। इसके लिए यह सोचा गया है कि अपनी पुलिस फोर्स बढ़ा कर इस तरह के काम काज के लिए अलग पुलिस रखनी चाहिए। इस दृष्टि से हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग मोहल्लों में भी काफी पैमाने पर बस्तियां बढ गई हैं और उनमें अलग-अलग पुलिस स्टेशन कायम किये जायेंगे।

अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। मसले बहुत हैं लेकिन समय भी बहुत हो गया है माननीय सदस्यों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस सारे मामले को सुना है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिये हैं वे सुझाव हमने नोट किये हैं। हमारी वित्तीय स्थिति जिस प्रकार की होगी उसके अन्दर आपके सुझावों को नजर में रखेंगे और निश्चित तौर पर आपके सुझावों पर अमल किया जावेगा। आगे आने वाले समय में पुलिस को सशक्त करने में, इसकी बहबदी के लिये जो भी संभव हो सकेगा करने का प्रयत्न किया जाएगा।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इतने वर्षों में पुलिस को बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, कभी नहीं सोचा गया। हमने पहली दफा इस बात को सोचा है कि पुलिस की नफरी को बढ़ाना है, उसको सशक्त करना है ताकि ठीक तरह से सरकार का काम चल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का बहुत समय ले लिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट कर दी कि थानेदार वाकई भ्रष्ट हैं इसीलिए उनकी जो ड्यूटी है उसको अब डी वाई. एस. पी. करेंगे। आज की आपकी इतनी लम्बी चर्चा से यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई। तीस साल के अर्से में हम भी विरोधी दल में रहे हैं, आप भी रहे हैं, लेकिन यह बात कभी सामने नही आई। मेम्बरों ने बार बार अनेकों तरह के तथ्य दिए, कई घटनाएं बताईं लेकिन कभी इसको नहीं माना गया। आज आपने यह सिद्ध कर डाला कि आपके राज में थानेदार भ्रष्ट हो चुके हैं। इसीलिए जो भी मामले होंगे वह थानेदार को नहीं देंगे बल्कि डी. वाई. एस. पी. को देंगे।

इसके साथ-साथ, श्रीमान, मैंने तीन

(श्री मदनसिंह दांता)
महीने से आपको लिख कर दे रखा है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। हमने आपको लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए योजना दी है उसके सम्बन्ध

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में आपने कभी भी विचार नहीं किया। आप न करें, वस्तुः स्थिति चाहे कुछ भी हो, एक आदमी करे, सारे आदमी करें लेकिन स्थिति तो जो होगी वही रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सारे भाषण के अन्दर लीपापोती जो कांग्रेस वाले करते थे वही इन्होंने की है। इसके सिवाय कोई ठोस कार्यक्रम नहीं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : क्या इनका फिर से पूरा भाषण होगा, उपाध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

इनका भाषण पहले हो चुका। मंत्री महोदय का उत्तर हो गया, उसके बाद अब क्या रह जाता है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री मदनसिंह दांता : हरिजनों की बात कही, हरिजनों के बच्चों को भूखा सोना पड़ता है, हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी विरोधी दल के नेता ने बताया तो आप कहते हैं कि सदन की मेज पर रखो। यह कहना बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल लीपापोती है, बिल्कुल गलत बात है। आज तक आपने कोई नया कदम नहीं उठाया है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय मंत्री महोदय के भाषण के बाद इस तरह से भाषण होने की कोई परम्परा नहीं है। फिर ये किस प्रकार से भाषण दे रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यहां पर बीस आदमियों ने भाषण दिया, वे बिना उत्तर सुने चले जावें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते..

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ये बड़े गुस्से में आ रहे हैं। जब मंत्री महोदय बोल रहे थे तो ये बीच में इण्ट्रप्ट कर रहे थे। हम अब कोई बात कह रहे हैं तो ये नाराज हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जब विरोधी दल के नेता बोल रहे थे ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काफी कह चुके हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं सिर्फ आपके माध्यम से, माननीय नेता महोदय से। माननीय सदस्य यहां पर आते हैं और इस सदन के अन्दर अपनी बात कह कर चलते बनते हैं। वापस कोई बात सुनते नहीं हैं, किसी की बात सुनने के लिए यहां बैठते नहीं है। रोज का 51/-रु० भत्ता लेते हैं और सदन में बैठते नहीं हैं, यह बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है। यहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत पर बहस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी लॉ एण्ड ऑर्डर

(श्री रतनलाल वर्मा)
की बात तो यही से शुरू होती है। इसके लिए सुधार का क्या इन्तजाम किया है आपने ? 51/-रु० रोज भत्ता ले रहे हैं ....

श्री मदनसिंह दांता : अगर आपको लॉ एण्ड आर्डर सुधारना है तो सबसे ज्यादा लॉ एण्ड आर्डर की हालत तो यहां पर है .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 15 नवम्बर, 78 के म० पू० 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदनन्तर सदन की बैठक (मंगलवार दिनांक 14 नवम्बर, 1978) 0.38 बजे बुधवार दिनांक 15 नवम्बर, 1978 के म० पू० 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई]

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची)

क्र. सं.	प्रस्तावित ग्राम का नाम	जनसंख्या	क्र. सं.	प्रस्तावित ग्राम का नाम	जनसंख्या
1.	एंका	423	20	बसाउडा	149
2.	घग्जा	65	21.	मोटाई	1283
3.	सदोवेता	189	22.	हिण्डालमोल	711
4.	डेडीसरा	47	23.	जैमला	533
5.	रायड़ा	133	24.	वावडी	1121
6.	टेलावा	1147	25.	सावूरो	155
7.	वंग्गा	33	26.	गोपा	47
8.	खेड़ावगोड़िया	276	27.	देमावडी	238
9.	भीमजी का गांव	242	28.	सिवामदी	132
10.	रावरा	259	29.	प्राभमसिंह की तोड़	1275
11.	मांडसी	129	30.	वूरे की वुर्ज	1304
12.	कावासद	1990	31.	अवेरी	225
13.	असायना	483	32.	शेखासर	1205
14.	मनचितिया	172	33.	सावरा गांव	332
15.	बावडी बरसिंगा	238	34.	घौलिया	350
16.	सयागांव	42	35.	खेतूसर	303
17.	गाडवा	174	36.	दुर्जली	275
18.	जान्मा	2208	37.	देदासरी	238
19.	खेरवा	235			

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जयपुर शहर में पानी का वितरण

366. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर शहर में 24 घन्टे पानी देने की घोषणा माह मार्च, 1978 में की थी ?

(2) क्या इस घोषणा के पश्चात् के जयपुर शहर में 24 घन्टे पानी वितरण किया गया ? जिन अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि 24 या 25 अप्रेल को राजस्थान पत्रिका में यह छपा था कि राज्य सरकार की घोषणा के खिलाफ 24 घन्टे पानी न देने के कारण तीन अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है?

(4) क्या इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के बाद आज तक 24 घन्टे पानी दिया जा रहा है ? अगर नहीं, तो मौजूदा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? अगर मौजूदा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो क्या यह राज्य मंत्री ने राजनीति से प्रेरित होकर करवाया है क्योंकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में दो मजदूर संगठन कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) परीक्षण के तौर पर दिन भर पानी देने की घोषणा की थी ।

(2) परीक्षण के तौर पर दिन भर पानी देने की उक्त घोषणा के पश्चात् शहर में दिन भर जल वितरण का प्रयास किया गया परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हो सका ।

(3) जी हां। लेकिन यह खबर सरकारी सूत्रों के हवाले से नहीं दी गयी है ।

(4) अधिकारियों के स्थानान्तरण का दिन भर पानी वितरण से सम्बन्ध नहीं है ।

पाली में भूमि के पट्टे

367. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका क्षेत्र से मन्डी के नाम पर जिन जिन व्यक्तियों को सस्ती दर पर कानून व नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी कर दिये गये उस सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न पूछे जाने पर उन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि करीब पचास लाख की कीमत की है जिसके पट्टे मामूली रकम पर बिना नीलामी दिये गये थे ?

(3) ऐसे पट्टों को अभी केन्सल न करने के क्या कारण हैं ? और अब कब

(श्री शंकरलाल)
तक केन्सल कर दिय जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्टे ऑर्डर विधान सभा में प्रश्न पूछे जाने पूर्व ही दिनांक 29-12-73 को जारी कर दिये गये थे।

(2) मामले में सुनवाई की जा रही है। निर्णय से पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) प्रश्न भाग 2 में इसका उत्तर दे दिया गया है। आगामी सुनवाई की तिथि 28-12-1978 है।

राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा सिक्योरिटी की राशि में वृद्धि

368. श्री आर. डी. यादव (चौमूं): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, जयपुर ने सिक्योरिटी राशि में वृद्धि की है ? अगर हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल के अधिकारियों ने पूर्व में दिए गए विद्युत कनेक्शन के लिए भी विद्युत कृषक उपभोगक्ताओं से यह राशि वसूल करने के नोटिस जारी किए हैं तथा विद्युत् सम्बन्ध विच्छेद करते जा रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) चौमू मण्डल में अब तक ऐसे कितने नोटिस जारी किए गये हैं तथा कितने कृषकों के कनेक्शन काट दिए गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1964 के बाद पहली बार दिसम्बर, 1976 में सिक्योरिटी की राशि की दरों में वृद्धि की गई थी। परिवर्तित सिक्योरिटी राशि व पूर्ववत राशि की तुलनात्मक सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) परिवर्तित दर पर सिक्योरिटी की राशि न केवल नये उपभोक्ताओं को ही देनी होती है, परन्तु विद्युत् प्रदाय की सामान्य शर्तों के अनुसार पुराने उपभोक्ताओं को भी परिवर्तित व पुरानी दरों के अन्तर की राशि देनी होती है। इस राशि के जमा न कराने पर उपभोक्ता का कनेक्शन नियमानुसार काटा जा सकता है। कृषि उपभोक्ताओं से ऐसी राशि जमा कराने में सुविधा देने हेतु दो या तीन माहवारी किश्त करने के प्रश्न पर मण्डल विचार कर रहा है।

(3) नियमों में उपरोक्त प्रावधान की अनुपालना में चौमू खण्ड के अधीन 1981 कृषि उपभोक्ताओं को देय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिये नोटिस जारी किये गये थे। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया में करीब 1070 कृषि कनेक्शन काटे गये थे। बाद में कृषकों की दिक्कतों को दूर करने की दृष्टि से, देय प्रतिभूति की वसूली को अस्थायी तौर पर स्थगित करते हुये यह कनेक्शन्स वापिस चालू कर दिये गये हैं।

सूची "अ"

सन् 1964 में लागू की गई प्रतिभूति राशि एवं सन् 1976 में परिवर्तित प्रतिभूति राशि का तुलनात्मक विवरण

परिवर्तन के पहले (जून 1964 से प्रभावित)		परिवर्तन के बाद (दिसंबर, 1976 से प्रभावित)	
1. (अ) घरेलू एवं वाणिज्यिक		(अ) घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी	
(i) 10 कि. वा. सम्बद्ध भार तक	रु. 10/- प्रति 0·5 कि. वा. सम्बद्ध भार या इसका हिस्सा ।	(i) 15 कि. वा. सम्बद्ध भार तक ।	मासिक बिल जारी करने पर 20/- प्रति 0·5 कि. वाट। द्विमासिक बिल जारी करने पर 30/- प्रति 0.5 कि. वाट (सम्बद्ध भार या इसका हिस्सा)
(ii) 10 कि. वाट से अधिक के सम्बद्ध भार पर।	रु. 10/- प्रति 0·5 कि. वा. या इसका हिस्सा या 3 महीने का अनुमानित उपभोग चार्जेज जो भी अधिक हो ।	(i) 15 कि. वाट के ऊपर सम्बद्ध भार पर।	25/- प्रति 0·5 कि. वा. 50/- प्रति 0·5 कि. वा. (सम्बद्ध भार या इसका हिस्सा या 3 महीने का अनुमानित उपभोग चार्जेज जो भी अधिक हो)
(ब) मोटिव पावर श्रेणी	रु. 15/- प्रति हार्स पावर सम्बद्ध भार या इसका हिस्सा या 3 महीने का अनुमानित उपभोग चार्जेज जो भी अधिक हो ।	(ब) अन्य श्रेणी के लिए ।	40/- प्रति कि. वा. सम्बद्ध भार या इसका हिस्सा या तीन महीने का अनुमानित उपभोग चार्जेज जो भी अधिक हो ।

धौलपुर क्षेत्र की पुरानी नहरों का रिमॉडल

369. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि धौलपुर, बाड़ी की पुरानी नहर, जो रामसागर बांध व उर्मिला सागर धौलपुर में बनी हुई है, की हालत खतरनाक हो चुकी है, जगह-जगह टूटी पड़ी है, पानी होते हुये भी नहरों की हालत खराब होने से ग्राबपाशी सही ढंग से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी नहरों को रिमॉडल करने का विचार कर रही है ? अगर नहीं तो क्यों ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

धौलपुर उप-जिला की बाड़ी तहसील में स्थित उर्मिला सागर से निकली नहरों की हालत सन्तोषजनक है व इससे ग्राबपासी भी जल के भराव के अनुसार ठीक है । रामसागर की नहरें अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र से निकलने के कारण, उनकी हालत तो ठीक है, लेकिन सीपेज के कारण ग्राबपासी सन्तोषजनक नहीं है । इन नहरों की लाइनिंग करवाने के लिए तखमीने तैयार किए जा रहे हैं तथा धन की उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाया जा सकेगा ।

भीलवाड़ा में जिला शिक्षा निरीक्षिका (महिला)

370. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा-चित्तौड़ दोनों ही जिलों की एक ही महिला जिला निरीक्षक कार्यालय रखने का क्या ग्रौचित्य है ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले की महिला शिक्षिकाओं को इस कारण होने वाली परेशानी से बचाने का राज्य सरकार कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में दोनों जिलों में से किसी भी जिले में महिला जिला निरीक्षक का कार्यालय नहीं है ।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष से प्रत्येक जिले में महिला उप-जिला शिक्षा-अधिकारी के पद सृजित कर दिये हैं और अब शीघ्रतिशीघ्र इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जावेंगी ।

बीकानेर में कैंसर रिसर्च संस्थान

371. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार कैंसर रिसर्च संस्थान की स्थापना का विचार कर रही है जो एलोपथिक विज्ञान पर आधारित होगा ? यदि हां, तो क्या बीकानेर में राजकीय ग्रस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए वहीं इसकी स्थापना की जावेगी ?

उत्तर

अभी सरकार ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है ।

ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा (जयपुर) का विद्युतीकरण

372. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

(श्री राम करणसिंह)
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा, तहसील जयपुर का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया ह ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां के नागरिकों ने सामूहिक रूप से खर्चा वहन करते हुए विद्युत् कनेक्शन लने के लिये प्रार्थना-पत्र विद्युत् विभाग को दे रखे हैं किन्तु विद्युत् कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं जब कि उक्त ग्राम की आबादी कच्ची बस्ती में भी नहीं है तथा जयपुर शहर की स्थापना से भी पूर्व की आबादी है ?

(3) ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा के ग्रामवासियों को अब कब तक विद्युत् कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कागदीवाड़ा तथा छीपीवाड़ा जयपुर नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर स्थित परस्पर मिली हुई दो बस्तियां हैं। कागदीवाड़ा बस्ती में बिजली के कनेक्शन मौजद हैं। बस्ती छीपीवाड़ा में अभी कोई कनेक्शन नहीं है। न ही इस बस्ती के निवासियों से कोई प्रार्थना-पत्र विधिवत रूप से प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं। इन बस्तियों के नागरिकों ने खर्च वहन करके बिजली लेने के लिये सामूहिक रूप से कोई प्रार्थना-पत्र विद्युत् मण्डल को नहीं दिया है। परन्तु कागदीवाड़ा बस्ती के 23 नागरिकों ने दो ग्रुप स्कीम के तहत बिजली कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र विद्युत मण्डल के कार्यालय में जुलाई, 1978 में जमा कराये थे। इन सभी आवेदनकर्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(3) इन बस्तियों के निवासियों से प्राप्त कोई भी प्रार्थना-पत्र इस समय पेंडिंग नहीं है। विधिवत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर छीपीवाड़ा बस्ती में भी कनेक्शन देने की कार्यवाही हो सकेगी।

भूमिहीन किसानों, मजदूरों एवं कम आय वाले नागरिकों के बच्चों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू),
श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार भूमिहीन किसानों, मजदूरों एवं कम आय वाले नागरिकों के बच्चों को विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा नियम बने हैं जिनमें निम्नलिखित आरक्षण हैं:–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति 16% व 12%
कुल 28%

2. विकलांग व्यक्तियों के लिये 2%

(मुख्य मंत्री)

3. सरकारी कर्मचारियों के लिए 7% सयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में।

4. भूतपूर्व सैनिक 12½%

(कतिपय सेवाओं के अन्तर्गत)

भर्ती में इस प्रकार की प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा काश्तकारों से मालकाना की वसूली

374. **श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)**: क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उपनिवशन विभाग 1955 के पूर्व के काश्तकारों से मालकाना 14/- प्रति बीघा के हिसाब से सन् 1960 या उसके बाद से वसूल कर रहा है? अगर हां, तो किस नियम के तहत और क्यों?

(2) क्या मौजा जाखड़ावाली, पंडितावाली, दौलतेवाली ढाणी, पीलीबंगा (गांव) कालीबंगा व बड़ोपल, बारेंका मानक थेड़ी, रंगमहल, मोजेवाला, पीपरेन, किशनपुरा आदि गांवों से मालकाना की वसली अब मौके पर हो रही है? अगर हां, तो क्यों?

(3) क्या जो रकवा घग्घर फ्लड कन्ट्रोल स्कीम के डिप्रेशनों व सेम से प्रभावित हैं उस रकबे पर भी मालकाना वसूल किया जा रहा है?

(4) क्या सरदारगढ़ के गरीब आराजी काश्तकारों, जिनमें मुख्य बाजीगर, बावरी, रायसिख व कम्बो हैं- का नवीनीकरण पहल खारिज होन पर उनके खिलाफ तावान की कार्यवाही दफा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत की गई? बाद में अपीलाधिकारी ने नवीनीकरण स्वीकार करके तावान माफ कर दिया? ताहम भी पहल कायम किया गया तावान विभाग जबरन जिलाधीश गंगानगर के जरिये वसल करवा रहा हैं? ऐसी गलत वसली को क्या राज्य सरकार फौरन रोकने के बाबत कार्यवाही कर रही है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या राज्य सरकार ऐसी गलत मांग कायम करने वाले अधिकारी के खिलाफ या जिस अधिकारी के ज्ञान में यह तथ्य ला दिया गया और फिर भी उसने भूल सुधार नहीं की उसके खिलाफ कार्यवाही करने का सोच रही है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? यह कितनी धनराशि है?

उत्तर

(1) स्थाई आंवटन नियम, 1967, 1971 एवं 1975 के लागू होने से पूर्व के वर्षों का आरजी काश्तकारों पर मालकाना 1960 से राजस्व विभाग द्वारा अस्थाई कृषि पट्टे शर्तें, 1955 के प्रावधानों के अधीन कायम किया जाता रहा है।

(2) ग्राम जाखड़ावाली, पंडितावाली, दौलतेवाली ढाणी, पीलीबंगा, कालीबंगा, बारेकां, मानक थेड़ी, रंगमहल, मोजवाला, पीपरेन, किशनपुरा आदि गांवों से 1955 के पूर्व के किसी आरजी काश्तकार से मालकाना की वसूली वतमान में मौके पर नहीं हो रही है बल्कि इन देहातों के 1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि पट्टा-

(उपनिवेशन मंत्री)

धारकों से जिनको अभी पुख्ता आवंटन नहीं होने से मालकाना की मांग कायम की जाकर वसूली की जा रही है। इन गावों में भी 1955 के पश्चात् के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों का जो रकबा व चकों में आ गया और जिसका स्थाई आवंटन कर दिया गया है, उन लोगों से कोई मालकाना कायम करके नहीं किया जा रहा है। इन गांवों की जो भूमि अभी तक योजना से बाहर है उस पर भी मालकाना कायम नहीं किया गया है और न ही वसूल किया जाता है। इन देहातों की भूमि जो चकों में आ गई है और चकों में आने के बाद 1955 के पश्चात् के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों की है तथा जिसका स्थाई आवंटन नहीं किया गया है, केवल उस भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते, 1955 की शर्त संख्या 6 (2) (iii) के अधीन मालकाना कायम करके वसूल किया जा रहा है।

(3) घग्घर फ्लड कन्ट्रोल के डिप्रेशन व सेमे से प्रभावित भूमि पर मालकाना कायम ही नहीं किया गया हैं क्योंकि भूमि जलमग्न है या कृषि योग्य नहीं है। इसमें यदि किसी क्षेत्र में पानी सूखने पर आरजी काश्तकार द्वारा रकबे को काश्त किया जाता है तो मालकाना कायम होता है किन्तु यह मालकाना 1955 के पूर्व के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों पर कायम न होकर अन्य आरजी काश्तकारों पर ही कायम कर वसूल किया जाता है।

(4) सरदारगढ़ गांव अस्थाई कृषि पट्टाधारक जिनकी भूमियों का नवीनीकरण खारिज होने पर भी जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से काबिज होकर काश्त की उन पर दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन तावान लगाया गया था और राजस्व विभाग की तावान की सूचना वसूली के लिए दी गई थी। बाद में इन लोगों में से कतिपय लोगों ने अपीलें कीं, जिन पर अपील अधिकारी ने नवीनीकरण स्वीकार करके तावान माफ करने का आदेश दिया जिस पर पहले कायम किया गया तावान खारिजी का अमल दरामद करने एवं वसूल न करने हेतु 37 मामलों की सूचना राजस्व विभाग को 19-11-65 तक प्रेषित कर दी गई थी। इस पर भी यदि किसी नवीनीकरण स्वीकार शुदा व्यक्ति से तावान वसूली की कार्यवाही होने के कोई विशेष मामले बतलाये जावें तो विभाग द्वारा उनमें जांच करके उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है। जिन मामलों में अपील अधिकारी ने नवीनीकरण स्वीकार करने व तावान खारिज करने का आदेश नहीं दिया है, उनमें वसूली की नियमानुसार कार्यवाही जिलाधीश या अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमानुसार की जा रही है। उसे रोकना उपयुक्त नहीं है।

(5) जैसा कि प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में निवेदन किया गया है ऐसा कोई मामला बतलाया जावे जिसमें नवीनीकरण स्वीकार करने व तावान खारिज के आदेश अपील में हुये हों फिर भी तावान की वसूली की जा रही हो तो विभाग द्वारा ऐसे मामले का परीक्षण करवाकर उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे मामले मय वसूली की जा रही धनराशि के बतलाने पर ही समुचित कार्यवाही विभाग द्वारा सम्भव है।

चिकित्सा विभाग द्वारा रेट कांट्रेक्ट लिस्ट निकालने में विलम्ब

375. श्री **अमृतलाल परमार** (डूंगरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट लिस्ट समय समय पर न निकाल कर बहुत देरी से निकालने के कारण राज्य सरकार को उस समय के दौरान दवाइयां व औजार लोकल बाजार से खरीदने पर हर वर्ष लाखों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही से देरी हुई उनके खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

विभाग द्वारा जो भी अप्रूव्ड लिस्टें निकाली जाती हैं उसके लिए राज्य सरकार द्वारा परचेज कमेटी का गठन किया जाता है। इसके पश्चात् दवाइयों/उपकरणों की छान-बीन एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जाती है जिसमें लगभग 6 से 8 माह का समय लगता है। विभाग द्वारा दवाइयों एवं उपकरणों जिनके लिए टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं वह लगभग 3,500 आइटम हैं व करीब 500 फर्में आती हैं। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

(क) टेन्डर खुलने के पश्चात् सभी फर्मों से आए हुए टेन्डरों के आधार पर काइटेरिया स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसके पश्चात् काइटेरिया स्टेटमेन्ट परचेज कमेटी के सामने अवलोकनार्थ व फर्मों के सलेक्शन व रिजेक्शन करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

) उक्त कार्य सम्पन्न होने पर तुलनात्मक तालिका बनाई जाती है जो करीब 3,500 आइटमों की बनती है व एक-एक आइटम में औसतन 25 या 30 फर्में रेट देती हैं।

(ग) तुलनात्मक तालिका तैयार करने के बाद एक्सपर्ट्स सब-कमेटी द्वारा जो कि स्टोर परचेज कमेटी द्वारा नियुक्त की जाती है इन आइटमों का सलेक्शन करती हैं। सलेक्शन पूरा होने में काफी समय लगता है क्योंकि कमेटी के सदस्य अपने व्यवसायिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण इतना लम्बा समय नहीं दे पाते कि एक साथ सब कार्य पूरा किया जा सके। इतने आइटमों को अनुमोदित करने में भी लम्बे समय की जरूरत होती है।

इस तरह दवाइयों व उपकरणों का रेट कान्ट्रेक्ट सम्पन्न करने हेतु 6 से 8 माह का समय लग जाता है जिसके दौरान रोगियों के सामयिक व समुचित इलाज हेतु बाजार से नियमानुसार दवाएं क्रय की जाती हैं। उक्त अनुच्छेदों में वर्णित कार्य एक स्टोर परचेज कमेटी द्वारा सम्पादित किया जाता है जिसके लिये किसी एक अधिकारी को दोषी ठहरांया नहीं जा सकता और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों को टैक्सी कार, थ्री व्हीलर, मेटाडोर आदि के परमिट

376. श्री **श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कितने बेरोजगार युवकों को जो कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं टैक्सी

(श्री श्रवणलाल)

कार, थ्री व्हीलर, स्कूटर, मेटाडोर आदि के परमिट दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे आशार्थियों की पूर्ण उपेक्षा की गयी और केवल उन्हीं सेठों को परमिट दिये गये जिन्होंने ज्यादातर गाड़ियां खरीद कर, आर. टी. ओ. व अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दी थीं ?

(3) क्या यह सही है कि अध्यक्ष ने व अन्य अधिकारियों ने ऐसे आशार्थियों को यह कह कर मना कर दिया कि हम केवल रेडीमेड गाड़ी वालों को ही परमिट देंगे ?

उत्तर

(1) वाहनों के परमिट लेने के प्रार्थना-पत्र में ऐसा कोई कॉलम (Column) नहीं होता जिसमें प्रार्थी यह उल्लेख करे कि प्रार्थी बेरोजगार है तथा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है । अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(2) जी नहीं । आर. टी. ए. द्वारा परमिट मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी को तुलनात्मक पात्रता के आधार पर दिये जाते हैं ।

(3) जीं नहीं । जिस व्यक्ति को परमिट स्वीकार किया जाता है उसे वाहन क्रय करने हेतु 60 दिवस का समय दिया जाता है । उसके प्रार्थना-पत्र पर समय और भी बढ़ाया जा सकता है ।

तहसील तिजारा में बांध का निर्माण

377. श्री **अय्यूब खां** (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-तहसील कोटकासिम में प्रति वर्ष बाढ़ आती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील तिजारा की ओर से आने वाले नाले इस बाढ़ में बढ़ोतरी करते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन नालों पर बांध निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

विभिन्न नालों का सर्वे करवाया जावेगा । तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से योजनाएं ठीक पाई जाने पर ही उन पर विचार किया जा सकेगा ।

शाला भवनों की मरम्मत हेतु आवंटित राशि

378. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने हायर सैकन्डरी, सैकन्डरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) इन विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए प्रत्येक जिलेवार कितनी राशि आवंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार उपयुक्त राशि को पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। इस कमी को सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए पूरा करने के हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

236

उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या
(1)	अजमेर	67	53
(2)	अलवर	81	24
(3)	भरतपुर	78	20
(4)	जयपुर	131	56
(5)	झुंझुनूं	82	20
(6)	सीकर	84	17
(7)	सवाई माधोपुर	73	16
(8)	बीकानेर	36	17
(9)	चूरू	59	14
(10)	गंगानगर	90	34
(11)	बाड़मेर	34	6
(12)	जैसलमेर	13	3
(13)	जोधपुर	71	28
(14)	जालोर	25	5
(15)	सिरोही	24	8
(16)	नागौर	68	16
(17)	पाली	62	15
(18)	कोटा	68	22
(19)	बूंदी	32	4
(20)	झालावाड़	27	7
(21)	बांसवाड़ा	33	10
(22)	डूंगरपुर	32	8
(23)	भीलवाड़ा	68	20
(24)	टोंक	34	10
(25)	चित्तौड़	46	16
(26)	उदयपुर	114	38
	कुल योग ..	1554	493

(237)

473]

जिला अनुसार उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	उच्च प्राथमिक विद्यालय			प्राथमिक विद्यालय		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	अजमेर	175	41	216	736	68	804
2.	अलवर	247	40	287	990	55	1045
3.	भरतपुर	248	36	284	1188	44	1232
4.	जयपुर	392	62	454	1453	123	1576
5.	झुंझुनू	175	22	197	605	28	633
6.	सीकर	186	23	209	707	38	745
7.	सवाई माधोपुर	195	24	219	880	22	902
8.	टोंक	112	8	120	446	25	471
9.	बीकानेर	100	28	128	470	40	510
10.	चूरू	157	24	181	625	19	644
11.	गंगानगर	269	27	296	974	70	1044
12.	बाड़मेर	123	4	127	651	13	664
13.	जैसलमेर	44	2	46	261	6	267
14.	जोधपुर	207	28	235	759	44	803
15.	जालोर	102	12	116	514	19	533
16.	सिरोही	60	8	68	314	13	327
17.	नागौर	201	23	224	855	31	886
18.	पाली	139	27	166	621	29	650
19.	कोटा	202	26	228	906	40	946
20.	बून्दी	76	10	86	406	18	424
21.	झालावाड़	106	11	117	488	9	497
22.	बांसवाड़ा	123	15	138	621	18	639
23.	भीलवाड़ा	197	30	227	761	71	832
24.	डूंगरपुर	102	12	114	478	11	489
25.	चित्तौड़गढ़	169	23	192	767	32	799
26.	उदयपुर	219	39	258	1390	69	1459
	योग ..	4428	605	5033	18866	955	19821

Sd/- निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि आवंटन जिलावाइज

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटन योग्य धनराशि	
		उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों हेतु	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु
1.	उदयपुर	2,500/-	4,000/-
2.	सवाई माधोपुर	15,700/-	6,000/-
3.	अजमेर	4,500/-	12,000/-
4.	जयपुर प्रथम	8,500/-	—
5.	जयपुर	—	7,000/-
6.	झुंझुनू	7,500/-	10,500/-
7.	बाड़मेर	2,900/-	5,000/-
8.	कोटा	5,000/-	3,000/-
9.	पाली	4,000/-	5,000/-
10.	भरतपुर	6,700/-	8,000/-
11.	नागौर	4,300/-	2,500/-
12.	बांसवाड़ा	3,000/-	5,000/-
13.	डूंगरपुर	1,000/-	1,000/-
14.	सीकर	1,400/-	11,000/-
15.	भीलवाड़ा	—	1,000/-
16.	जालोर	—	3,000/-
17.	चित्तौड़गढ़	—	8,000/-
18.	चूरू	—	3,000/-

मकराना पंचायत के गांवों का विद्युतीकरण

379. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मकराना पंचायत क्षेत्र में किन-किन गांवों को गत वर्ष विद्युत् दी गई एवं किन किन गांवों को अगले वर्ष विद्युत् दी जायेगी ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के उन गांवों के समस्त लोगों को कृषि हेतु बिजली देगी, जहां 132 के. वी. पावर स्टेशन हैं जिससे ऐसे आवेदकों को आगामी फसल करने का मौका मिल सकेगा ?

उत्तर

मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में गत वर्ष 1977-78 में किसी नये ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया केवल ग्राम इटावा बामनिया तथा ग्राम इटावा खीचिया का विद्युतीकृत ग्रामों में नियमन किया गया था। इस वर्ष (1978-79) के लिये अभी किसी गांव के विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रसारित नहीं हुई है।

मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के के उन समस्त विद्युतीकृत ग्रामों में, जहां मकराना स्थित 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से बिजली पहुंचती है, मण्डल के नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

कामां तहसील में मेवों के खुदकाश्त क्लेम की बकाया

381. **श्री मुहम्मद जहूर** (कामां): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कामां तहसील में तीन साल गुजरने के बावजूद भी मेवों के खुदकाश्त के क्लेम बकाया हैं ? अगर बकाया हैं, तो कितने हैं और राज्य सरकार इनकी पूर्ति कराने के लिए क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मेवों से खुदकाश्त के बदले में मिली जमीन पर चार सौ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से कीमत ली जा रही है ? अगर ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है ? राज्य सरकार इनको समाप्त करने के लिए क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत सरकार से है।

(2) जी हां। जिन मेव परिवारों को खुदकाश्त के बदले में कम्पेनसेशन पूल से जमीन आवंटन की है उसकी कोई कीमत उनसे नहीं ली जा रही है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई निष्क्रान्त भूमि की कीमत वसूल करने का प्रश्न है राज्य सरकार इस पूरे प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है तथा फिलहाल इस वसूली के लिये स्थगन आदेश दे दिये गये हैं।

तहसील सलूम्बर (उदयपुर) के गांवों का विद्युतीकरण

382. **श्री मावजी** (सलूम्बर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर

(श्री भावजी)
के कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण की योजना व सर्वे के अन्तर्गत लिए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसील में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पांच से भी ज्यादा कुओं पर बिजली, सिंचाई उपयोग हेतु चाहने के लिए कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं लेकिन उनको विजली उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) बिजली के बिल भुगतान के लिए सलूम्बर में (सम्बन्धित सिंचाई खर्च) अब तक आफिस क्यों नहीं खुलवाया गया ?

उत्तर

(1) तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर के अभी किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत नहीं हुई है। धोलागढ़ का खेडा, कैनर, ओडा मामोर, झरमल, नेडीभटवाड़ा, साटोदड़ा, खेराए, इमनिया, पाडला, रणदेला, बसीतड सोगावत ग्रामों का सर्वे इसी वर्ष किया गया है।

(2) जी नहीं, उपरोक्त तहसील में ऐसा कोई विद्युतीकृत ग्राम नहीं है जिसमें पांच या इससे अधिक प्रार्थना-पत्र कृषि कुओं को विजली देने के लिये विचाराधीन हो।

(3) सलूम्बर मे विजली के विलों का भुगतान जमा करने के लिये सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) तथा कनिष्ठ अभियन्ता, जिला उपखण्ड (द्वितीय) के सलूम्बर स्थित कार्यालयों में प्रबन्ध है।

तहसील रामगंजमंडी की जलप्रदाय योजनाएं

383. **श्री हरीशकुमार शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी तहसील के सुकेत से लक्ष्मीपुरा, दर्जनपुरा, साथल खेडी, माइला, कुदायला के लिए जिला आयोजना समिति द्वारा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है ? क्या यह भी सही है कि यह मजदूर क्षेत्र है एवं पानी की भारी कमी है फिर भी राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकृति नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगर के रेल्वे की दूसरी तरफ जिधर परगना अधिकारी, तहसील, अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट के मुख्यालय स्थित है से अभी तक भी जल योजना द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जब कि नगर में पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सातलखेडी को पम्प एण्ड टैंक योजना के लिये एवं ग्राम कुदायला की हैण्ड पम्प योजना हेतु जिला आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है शेष ग्राम प्रस्तावित नहीं हैं। ग्राम कुदायला एवं लक्ष्मीपुरा में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की जा चुकी है। चूंकि योजना धनराशि की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की जाती है अतः सातलखेड़ी ग्राम का वर्ष 78-79 में स्वीकृति हेतु चयन नहीं किया जा सका है।

(2) स्वीकृत योजना के अनुसार जल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

EMA

मसूदा बस स्टेण्ड का सुधार

384. **श्री नूरा (मसूदा)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मसूदा जिला अजमेर में राज्य परिवहन निगम का निर्मित बस स्टेण्ड एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त बस स्टेण्ड गलत स्थान पर क्यों बनाया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बस स्टेण्ड को सुधारने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मसूदा में निगम का स्वय का बस स्टेण्ड नहीं है। निगम द्वारा वाहन संचालित करने के दृष्टिकोण से यह स्थान किराये पर लेकर प्रायोगिक तौर पर बस स्टेण्ड स्थापित किया गया है।

(2) जी हां। बस स्टेण्ड के लिय भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत मसूदा को निवेदन किया जा रहा है। स्थान प्राप्त हो जाने पर बस स्टेण्ड स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

कुम्हेर क्षेत्र में बाढ़ से बचाव

385. **श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र में सन् 1972 से ही करीब करीब प्रति वर्ष भारी बाढ़ आती है जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता को काफी मुसीवत का सामना करना पड़ता है एवं बड़ी क्षति उठानी पड़ती है ? क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कौनसी योजना है ? इस पर क्या व्यय होगा और वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

जी हां।

उत्तर

यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र में सन् 1972 के बाद बाण गंगा नदी का बहाव प्रति वर्ष परिवर्तन हो जाने के कारण सन् 1972, 74 ,75, 77 एवं 1978 में बाढ़ आती रही है एवं इस क्षेत्र को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा है एवं काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

इस नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण जो नुकसान होता है उसकी रोक-थाम के लिये बाण गंगा नदी के तट बांध एवं स्तर बनाने की योजना है जिसके लिये राज्य सरकार ने लगभग 100 लाख रु० की राशि आवंटन कर पृथक से बाढ़ नियन्त्रण खण्ड द्वितीय का नवसृजन किया है जिसके द्वारा कार्य काफी प्रगति से कराये जा रहे है। आशा है यह कार्य वर्ष 1979-80 तक पूर्ण हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिला भरतपुर को सदैव के लिये बाढ़ प्रकोप से मुक्त करने को एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे कुम्हेर क्षेत्र को भी सदैव के लिये बाढ़ से मुक्ति मिल सकेगी। इस योजना को शीघ्र सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये सर्वेक्षण कार्य व तख्मीने तैयार कराये जा रहे हैं जिसकी अनुमानित राशि तख्मीने तैयार होने के पश्चात् ही बतलाना संभव हो सकेगा।

विद्यालय भवन में प्रधानाध्यापक का निवास

386. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, खेडली, जिला अलवर दो वर्ष तक विद्यालय भवन में रहे थे तथा उन्होंने फर्नीचर, बिजली, पानी आदि की सुविधा का भी लाभ उठाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने उनका शाला भवन में रहना नहीं बतलाया है ? यदि हां, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली, जिला अलवर केवल फरवरी, 76 से अप्रल, 76 तक विद्यालय भवन में रहे। जहां तक फर्नीचर, विजली व पानी आदि के उपयोग का प्रश्न है इसकी विस्तृत जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली के संबंध में पूर्व में कोई तारांकित प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

राज्य में पीने का पानी

387. श्री **एच. एन. शर्मा** (वेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया है जिससे यह जानकारी हो सके कि राजस्थान में इतने गांवों में पीने के पानी की समस्या विकट है ?

(2) पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

(3) क्या राज्य सरकार उन गांवों को भी पानी की सुविधा मुहैया करना चाहती है जिनके द्वारा वर्षों पूर्व अपनी अनुदान की राशि जमा करा दी गई थी ? अगर हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार को निकट भविष्य में "वर्ल्ड बैंक" से जो 200 करोड़ की राशि पानी की समस्या हेतु प्राप्त होने जा रही है उसके बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार ग्रामों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक ग्राम का नाम देना इस अल्प अवधि में सम्भव नहीं है। प्रत्येक जिले के मास्टर प्लान में इसका विवरण दिया गया है ।

(2) पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता देती है ।

(3) नई ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों पर प्राथमिकता, धनराशि की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयक्ता के आधार पर ही स्वीकृत की जाती है ।

(4) राज्य सरकार विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त करने हेतु विस्तृत परियोजना

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
तैयार करवा रही है। वे योजनायें पेयजल समस्या की तीव्रता एवं तकनीकी उपयुक्तता को आधार मानकर बनाई जा रही हैं।

कन्या शालाएं क्रमोन्नत करने का आधार

388. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में इस वर्ष कन्या उच्च माध्यमिक व माध्यमिक पाठशालाएं क्रमोन्नत करने का क्या आधार निश्चित किया गया था व उनके आधार पर कितनी पाठशालाएं इस वर्ष क्रमोन्नत की गई? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि क्रमोन्नत के आधार पर एक भी पाठशाला क्रमोन्नत नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बिलाड़ा कस्बा जिसकी आबादी लगभग 25 हजार के आस पास है, लेकिन राजनैतिक द्वेषता के कारण बिलाड़ा में उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत नहीं किया गया? अगर हां, तो क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण रहा है?

उत्तर

(1) इस वर्ष छात्राओं के स्कूलों को क्रमोन्नत करने का अलग से कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) राजनैतिक द्वेष का प्रश्न नहीं है। इस क्षेत्र में इस वर्ष 3 माध्यमिक शालाएं क्रमोन्नत की जा चुकी हैं।

(क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची)

शिक्षा सत्र 1978-79 में निम्न राजकीय बा. उ. प्रा. विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया:—

(1) राज. सिन्धी बा. उ. प्राथमिक विद्यालय, रोडवेज के सामने, जयपुर
(2) राजकीय बा. उ. प्रा. विद्यालय, रामगंज, अजमेर
(3) राजकीय बा. उ. प्रा. विद्यालय, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर (अजमेर)
(4) राजकीय नवीन बा. उ. प्रा. विद्यालय, भरतपुर
(5) राज. बा. उ. प्रा. वि. सुरसरा (भरतपुर)
(6) रा. बा. उ. प्रा. वि. टिपटा (कोटा)
(7) राजकीय उ. प्रा. विद्यालय, गुमानपुरा (कोटा)
(8) राजकीय बा. उ. प्रा. विद्यालय, सुनेल (झालावाड़)
(9) राजकीय बा. उ. प्रा. वि., कापरेन (बून्दी)
(10) राजकीय बा. उ. प्रा. वि., टोडाभीम (सवाई माधोपुर)
(11) " भीनमाल (जालोर)
(12) " पोकरण (जैसलमेर)
(13) " भूपालपुरा (उदयपुर)
(14) " खैरवाड़ा (उदयपुर)
(15) " रावतभाटा (चित्तौडगढ़)
(16) " नापासर (बीकानेर)
(17) " लोसल (सीकर)
(18) " गुढा मोढजी (झुन्झुनूं)
(19) " हनुमानगढ़ जं० (गंगानगर)
(20) " गंगानगर शहर (")
(21) " केसरीसिंहपुरा (श्रीगंगानगर)
(22) " श्रीनगर (कन्या), अजमेर

राज्य पथ परिवहन निगम में बसों की कमी

389. **श्री माणकलाल ठाकोर** (नैनवा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसों की कमी है ? प्रत्येक डिपो की बसों की कमी की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) बसों की कमी राज्य सरकार अथवा निगम कब तक दूर कर देगी ?

उत्तर

(1) इस वर्ष गर्मियों में निगम को 1600 शिड्यूल चलाने होते थे जिनके लिये 232 वाहनों की कमी थी । वाहनों की आगार वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । शिडयूल की कमी को पूरा करने के लिये माह अक्टबर तक 109 नई गाड़िया आगारों को वितरित कर दी गई हैं और 105 बसों पर बॉडी निर्माण किये जा रहे हैं ।

(2) इस वर्ष सर्दियों में संचालित किये जाने वाले 1535 शिड्यूस के लिये पर्याप्त बसें उपलब्ध करा दी जावेंगी ।

(245)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR

Statement showing depotwise vehicles position as on 1-5-78

S.No.	Name of depot	Schedules	No. of buses required as schedules	Shortage/ Excess
1.	Alwar	49	63	5
2.	Bharatpur	72	92	—16
3.	Hindaun	33	42	— 1
4.	CTS	80	103	—29
5.	Suburban	50	63	—63
6.	Jaipur	48	62	..
7.	Kotputli	34	44	— 4
8.	Sikar	52	67	— 8
9.	Jhunjhunu	46	59	— 1
10.	Khetri	26	33	— 1
11.	Express depot	51	65	— 7
12.	Kota	62	79	— 7
13.	Jhalawar	63	81	—10
14.	Bundi	42	54	— 6
15.	Tonk	31	40	— 6
16.	Ajmer	77	99	—17
17.	Beawar	33	42	— 6
18.	Bhilwara	54	69	— 9
19.	Jodhpur	73	94	—15
20.	Sirohi	37	47	— 4
21.	Jalore	43	55	— 9
22.	Phalodi	30	38	—11
23.	Abu road	44(10 sea-sonal)	56	—14
24.	Barmer	33	42	— 9
25.	Udaipur	73	94	— 8
26.	Chittorgarh	39	50	— 6
27.	Dungarpur	42	54	—14
28.	Banswara	42	54	—8
29.	Bikaner	66	85	—11
30.	Hanumangarh	57	73	2*
31.	Ganganagar	76	97	—25
32.	Sardarsahar	42	54	— 7
		1600	2050	—325
			Less pvt. veh.	93
				—232

Page No 247

(२४६)

राज्य के देहातों में चिकित्सा सुविधा

390. श्री शिवचरण सिंह (वयाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने एलोपैथिक चिकित्सालय हैं ?

(2) कितने चिकित्सालय देहातों में व कितने शहरों में है ?

(3) क्या यह सही है कि दूर-सुदूर के ग्रामों को अस्पतालों की सुविधा नहीं मिलती ?

(4) क्या राज्य के बड़े अस्पतालों में देहातियों हेतु चिकित्सालय की विशेष व्यवस्था की जायगी ?

उत्तर

(1व2) राज्य में 1335 चिकित्सा संस्थाएं है, जो निम्न प्रकार हैं :—

	शहरी	ग्रामीण	योग
चिकित्सालय	134	24	158
डिस्पेंसरी, एडपोस्ट	238	707	945
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	..	232	232
योग ...	372	963	1335

(3) जी नहीं। सुदूर ग्रामों के निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपकेन्द्रों, एड-पोस्टों, डिस्पेन्सरीज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(4) राज्य के सभी अस्पतालों में बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध चिकित्सा, समान रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

परिशिष्ट 3

(अतांरांकित प्रश्न सख्या 317 का मानचित्र)

मानचित्र 'क' बाढ़ से हुई क्षति. जिला भरतपुर

क्र. सं.	सन्	नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	कुल क्षेत्रफल हैक्टरों में	प्रभावित क्षेत्रफल हैक्टरों में	प्रभावित फसल की कीमत रुपयों में	प्रभावित जन सेख्या	प्रभावित पशु संख्या	क्षतिपूर्ण मकान	क्षतिग्रस्त मकान	अनुमानित राशि मकानों की रुपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1977	कामां	164	73432	17829	134388000	84912	64980	2198	1169	3698400
		डीग	61	50105	243	86400	47627	14	331	737	289400
		नगर	94	16730	3283	1974400	19310	—	479	615	301500
		योग..	319	140267.	21355	136448800	1511849	64094	3008	2521	4289300

मान चित्र 'ख' बाढ़ से हुई क्षति, जिला भरतपुर

क्र. सं.	सन्	नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	कुल क्षेत्रफल हैक्टरों में	प्रभावित क्षेत्रफल हैक्टरों में	प्रभावित फसल की कीमत रुपयों में	प्रभावित जन सेख्या	प्रभावित पशु संख्या	क्षतिपूर्ण मकान	क्षतिग्रस्त मकान	अनुमानित राशि मकानों की रुपयों में
1	1978	कामां	58	73432	2796	3656500	30832	27705	263	461	902300
		डीग	29	50105	4772	979500	23644	7669	14	6	9400
		नगर	30	16739	1938	156000	15798	—	250	—	14230
		योग..	117	140276	15506	5092000	70094	35374	527	467	1054000

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची)

सूची 'क'

पूर्वी राजस्थान में वृहद् एवं मध्यम प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं

क. सं.	योजना का नाम	जिला
1	2	3
1.	छापी	झालावाड़
2.	मनोहरथाना	झालावाड़
3.	गागरीन	झालावाड़
4.	हरीगढ़	झालावाड़
5.	हिन्दलोट	कोटा
6.	बिलास	कोटा
7.	स्टोरेज डेम ऑन पारबती	कोटा
8.	कन्जोती बांध	भरतपुर
9.	बयाना बांध	भरतपुर
10.	लोअर पारबती	भरतपुर
11.	धौलपुर पम्पिग स्टेशन (चम्बल नदी पर) ..	भरतपुर
12.	गराड़ा सिंचाई योजना	बन्दी
13.	इन्द्रगढ़ पम्पिग स्टेशन चम्बल पर	बून्दी
14.	गराड़ा पम्पिग स्टेशन चम्बल पर	बून्दी
15.	केरोरा चम्बल पर	बून्दी
16.	बिचपुरी चम्बल पर	बून्दी
17.	इसरदा बांध चम्बल पर	टोंक
18.	दुरगासी घाटा चम्बल पर	सवाई माधोपुर
19.	कालोखेरा बांध	सवाई माधोपुर
20.	राजघाट पम्पिग स्टेशन चम्बल पर	सवाई माधोपुर
21.	घोवरली स्टेशन चम्बल पर	सवाई माधोपुर
22.	टोडाना बांध	जयपुर

पूर्वी राजस्थान में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाएं

1.	दुगारी, नैनवा	बून्दी
2.	खानदीप, गंगापुर	सवाई माधोपुर
3.	दीपपुरा, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
4.	बिशारी, हिण्डौली	बून्दी
5.	कालपा, छीपाबड़ोद	कोटा

Page No 250

२४९

1	2	3
6.	मंडावरा, करौली	सवाई माधोपुर
7.	मन्डार, करौली	सवाई माधोपुर
8.	पचकुई, छीपाबडोद	कोटा
9.	खेरा, सपोटरा	सवाई माधोपुर
10.	पुकपुर की रेठा की खाल, धौलपुर	भरतपुर
11.	कसीर, देवली	टौंक
12.	वांकला खाल तालाव, हिण्डोली	बून्दी
13.	इन्दरानों, इन्द्रगढ़	कोटा
14.	हुंडानी	कोटा
15.	सिरसीपुरा	कोटा
16.	मून्डेदूयां	कोटा
17.	मोरखेड खुर्द	कोटा
18.	हठवाडी	कोटा
19.	देलानपुरा	कोटा
20.	कालेया	कोटा
21.	बवारी	कोटा
22.	कवंरपुरा	कोटा
23.	अन्धेर	कोटा
24.	धरपुरा	कोटा
25.	रैना	कोटा
26.	बिजुपुर	कोटा
27.	बारोदिया	कोटा
28.	वारोद	कोटा
29.	कालमद	कोटा
30.	नागद	कोटा
31.	चोमा	कोटा
32.	मारुम	कोटा
33.	कालीसिंया	कोटा
34.	केलूखेडी	कोटा
35.	मानुपुरा	कोटा
36.	बरायंस	कोटा
37.	चौसाला	कोटा
38.	गोलोटा	कोटा
39.	पन्सारा	कोटा
40.	सिन्नाडी	कोटा
41.	तूमरा	कोटा
42.	मानपुरा, छीपाबडोद	कोटा
43.	अटोटी बांध शाहबा	कोटा
44.	गहुखेरी	कोटा
45.	दारोला	कोटा
46.	निपानिया	कोटा

1	2	3
47.	कालूखेडा, छीपावडोद	कोटा
48.	शिदानपुरा,इन्दरगढ़	कोटा
49.	वसोली एनीकट, हिन्डोली	बून्दी
50.	रुह का खारी, हिन्डोली	बून्दी
51.	कालदा हिन्डोली	बून्दी
52.	वाकिया, नैनवा	बून्दी
53.	मोदीपुरा तालाब, तालेरा	बून्दी
54.	कोडारी, हिन्डोली	बून्दी
55.	वांकिया खुर्द, तालेरी	बून्दी
56.	हाथीपुरा, बून्दी	बून्दी
57.	गणेशगंज,इन्दरगढ़	बून्दी
58.	चन्द्रभामा, हिन्डोली	बून्दी
59.	बेनाईगाओं,पंचपहाड	झालावाड़
60.	रायगढ़, पाटन	झालावाड़
61.	मानपुरा, मनोहर थाना	झालावाड़
62.	बेरायना, अकलेरा	झालावाड़
63.	थानवास, अकलेरा	झालावाड़
64.	मुहारा, पंचपहाड़	झालावाड़
65.	अमीनखेरी, पडारा	झालावाड़
66.	गुरजानी, खानपुर	झालावाड़
67.	खानपुर, खानपुर	झालावाड़
68.	कानाखेरी,खानपुर	झालावाड़
69.	कवरपुरा, खानपुर	झालावाड़
70.	पारलिया, खानपुर	झालावाड़
71.	बिस्तुरिया, पंचपहाड़	झालावाड़
72.	खारोला, अकलेरा	झालावाड़
73.	आनन्दपुरा, पचपहाड	झालावाड़
74.	सोहनखेरी, पिड़ावा	झालावाड़
75.	पीपलाज, खानपुर	झालावाड़
76.	अकोडियां, देवली	टौंक
77.	सिरोही, निवाई	टौंक
78.	बोउन्डा, देवली	टौंक
79.	पन्डो, बैराठ	जयपुर
80.	मिन्कीपुरा, करौली	सवाई माधोपुर
81.	कठोदी, वामनवास	सवाई माधोपुर
82.	टांटोली, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
83.	लखनपुरा, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
84.	अनारगढ़ सपोटरा	सवाई माधोपुर
85.	कहा सपोटरा	सवाई माधोपुर
86.	बसारी, सपोटरा	सवाई माधोपुर
87.	खानपुर किशनमहल वास अलवर	अलवर

1	2	3
88. घोंस, किशनगढ़वास	.. ..	अलवर
89. कालाखोरा बांध, तिजारा	.. ..	अलवर
90. गातोली; तिजारा	.. .. ..	अलवर
91. निम्वाहेडी, तिजारा	.. .. ..	अलवर
92. जोनीखेडा, लक्ष्मणगढ़	.. .. ..	अलवर
93. गंघोली,तिजारा	.. .. ..	अलवर
94. हसनपुर, लक्ष्मणगढ़	.. .. ..	अलवर
95. गुलाबडा, तिजारा	.. .. ..	अलवर
96. ःरणोली, मंडावर	.. .. ..	अलवर
97. रानोठ, पैडल; मंडावर	.. .. ..	अलवर
98. लोहारवाडी, अलवर	.. .. ..	अलवर
99. घाठडा, तिजारा	.. .. ..	अलवर
100. ईरोली, राजगढ़	.. .. ..	अलवर
101. किशोरी, थानागाजी	.. .. ..	अलवर
102. वार्विरिया, बानसूर	.. .. ..	अलवर

252

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

लाडपुरा एवं चेचट पंचायत समिति से सम्बन्धित तालाबों की लिस्ट

---

1. आलनियां डेम
2. रानपुर
3. लखावा
4. अनन्तपुरा
5. बोरावास
6. गिरधरपुरा

(253)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूची)

सूची पं० सं० सेवर

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की, तहसील भरतपुर, वर्ष 1978

क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम
1.	तुहया	37.	भहटोली (मल्हपुरा)
2.	टाटपुर	38.	नं०लडोर
3.	मुरवारा	39.	नं० दुल्हराम
4.	चकमुरवारा	40.	सुनारी व (भगत)
5.	अडडी	41.	खेमरा
6.	वहनेरा	42.	नं० पेखा
7.	चक वहनेरा	43.	तेहरा सोथा
8.	नगला अभयराम	44.	मई गूजर
9.	घसोला	45.	चक वुर्का
10.	त्रुन्णावा	46.	बमनपुरा
11.	भाडोर	47.	बगधारी
12.	चक भाडोर	48.	लूलाबई
13.	धना भाडोर	49.	पार
14.	चक नगला करनसिह	50.	हबीवपुर
15.	नं० करनसिह	51.	महुआ
16.	चक धना भाडोर	52.	टोडा
17.	अधापुर	53.	भूढोता
18.	चक श्योरावली	54.	सिपिनी
19.	चोकीपुरा	55.	लसावड
20.	चक श्योसिंह	56.	चितोकली
21.	वंजी	57.	वसुआ
22.	ऊंचा गांव	58.	नं० धर्नसिह
23.	चिवाना	59.	धानोता
24.	धनागढ़	60.	वांसी कला
25.	सनाहली	61.	वासी खुर्द
26.	दारापुर	62.	सांध्वासी खुर्द
27.	नं० सीखम	63.	झारोली
28.	चक दरापुर नं० 2	64.	हिन्डाल
29.	चक दरापुर नं० 2	65.	विसदा
30.	नं० टीकेता	66.	चक हिन्डोल नं० 1
31.	चक नं० टीकेता	67.	नं० हरगोविन्द
32.	नं० फुटियार	68.	सेवर खुर्द
33.	चक नं० फटियार	69.	सुंवर कलां
34.	चक काजी	70.	अड्डा
35.	चक नसवारियान	71.	माढोनी
36.	नं० बोवा		

(254)

बाढ़ग्रस्त ग्रामों की सूची, पंचायत समिति कुम्हेर, सन् 1978

क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम
1.	कुम्हा	37.	चक मनी
2.	सेथरी	38.	चिमनी
3.	ठोकस	39.	खनवारा
4.	महारथ	40.	मौरया
5.	गडोड़ा	41.	चक पपरेरा
6.	खान	42.	पपरेरा
7.	अधैया कलां	43.	भटावली
8.	अधैया खुर्द	44.	रंध भटावली
9.	खेलारा कलां	45.	गेदावली
10.	लांवन	46.	वासरलोली
11.	बेलारा खुर्द	47.	पडोला
12.	नं० गंगा	48.	हिगोली
13.	इंछू	49.	अस्तावन
14.	नं० वछेरी	50.	अस्लावन जदीद
15.	नं० भाभी	51.	कस्बा कुम्हेर
16.	नं० जीछसिंह	52.	सिकरोली
17.	नं० जीवना	53.	सिकरोरा
18.	उवार	54.	धनवाड़ा
19.	डहरा	55.	सरझई
20.	सोवर	56.	इनदपुरा
21.	कवारपिया	57.	पीडी
22.	जहरा	58.	नं० कगोली
23.	नं० मेघना	59.	खेडा कगोली
24.	पाहुआ	60.	सेगू
25.	देह	61.	तमरेर
26.	वोरई	62.	कनवां
27.	सवीतरा	63.	खागरसोली
28.	संघ सकीतरा	64.	जया
29.	चक क्योरई	65.	मुकन्दपुरा
30.	हैलक	66.	सेहली
31.	रुथ हैलक	67.	सितारा
32.	नं० खुटेला	68.	पला
33.	आजऊ	69.	रणजीतपुरा
34.	नं० आजऊ	70.	सुपावस
35.	सीही	71.	विलावटी
36.	पानी		

(288)

गोवर्धन ड्रेन के क्षेत्र में डिपरेशन एरिया में अनुमानतः भरा हुआ क्षेत्र की ग्रामवाइज सूची

		1978
1.	राहुत	160 एकड़
2.	सांतरक	120 ,,
3.	गुभसारा	32 ,,
4.	ताखा	100 ,,
5.	जिलोठी	43 ,,
	योग ..	460 एकड़

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 322 की सूची)

राजस्थान शासन

महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर

प्रेषक:—
प्रिंसिपिल,
महाराजा संस्कृत कालेज,
जयपुर, राजस्थान।

प्रेषक:—
श्री रामनारायण चतुर्वेदी,।
प्राध्यापक, वेद

दिनांक 22-7-67 ई०

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामनारायण चतुर्वेदी, प्रोफेसर, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर ने दिनांक 18-7-60 से महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर में आचार्य शास्त्री एवं उपाध्याय कक्षाओं को वेद पोरोहित्य व्याकरण एवं हिन्दी विषयों का अध्यापन सुचारु रूप से कराते आ रहे हैं।

ह. गोविन्द नारायण शर्मा,
22-7-67
प्रिंसिपल,
महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर।

सूची संख्या—2

श्री रामनारायण चतुर्वेदी, प्राध्यापक, राजकीय महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर द्वारा सन् 1967-68 तक पढ़ाये गए छात्रों का क्रमवार विवरण :—

क्र.स.	सन्	नाम छात्र	कक्षा	
1	2	3	4	
1.	1960–61	श्री राजनारायण शर्मा	यजुर्वेदाचार्य	प्रथम वर्ष
		श्री मदनलाल शर्मा	सर्व मध्यमा	द्वितीय वर्ष
		श्री दुर्गानारायण शर्मा	सर्व मध्यमा	द्वितीय वर्ष
2.	1961–62	श्री रामकृष्ण शर्मा	यजुर्वेदाचार्य	प्रथम वर्ष
		श्री रामकिशोर शर्मा	"	
3.	1962–63	श्री रामकृष्ण शर्मा	वेदाचार्य	द्वितीय वर्ष
		श्री जयश्रीकृष्ण शर्मा	वेदोपाध्याय	
		श्री रामनारायण शर्मा	"	
		श्री मदनलाल शर्मा	"	
		श्री गोपाललाल शर्मा	यजुर्वेदोपाध्याय	प्रथम वर्ष

(257)

1	2	3	4	
4.	1963-64	श्री रामकृष्ण शर्मा	यजुर्वेदाचार्य	द्वितीय वर्ष
		श्री वनवारी लाल शर्मा	व्याकरणोपाध्याय	प्रथम वर्ष
		श्री शम्भुदयाल शर्मा	व्याकरणोपाध्याय	प्रथम वर्ष
		श्री गोपाललाल शर्मा	यजुर्वेदोपाध्याय	द्वितीय वर्ष
		श्री गिरराज प्रसाद	व्याकरण उपाध्याय	
		श्री उमाशंकर	"	
5.	1964-65	श्री राम कृष्ण शर्मा	यजुर्वेदाचार्य	द्वितीय वर्ष
		श्री शम्भुदयाल	व्याकरणोपाध्याय	द्वितीय वर्ष
		श्री वनवारी लाल	"	
		श्री भंवर लाल	व्याकरणोपाध्याय	प्रथम वर्ष
6.	1965-66	श्री रामकृष्ण शर्मा	पौरोहित्याचार्य	प्रथम वर्ष
		श्री हरिनारायण शर्मा	यजुर्वेदोपाध्याय	प्रथम वर्ष
7.	1966-67	श्री नानगराम शर्मा	यजुर्वेदाचार्य	द्वितीय वर्ष
		श्री रामकृष्ण शर्मा	पौरोहित्याचार्य	प्रथम वर्ष
		श्री मदनगोपाल शर्मा	यजुर्वेदोपाध्याय	प्रथम वर्ष
		श्री रमेशचन्द्र शर्मा	"	"
		श्री रामजीलाल	"	"
8.	1967-68	श्री लछमनदास	वेदान्ताचार्य	प्रथम वर्ष
		श्री शंकर प्रसाद शुक्ल	वेदोपाध्याय	द्वितीय वर्ष
		श्री रमेश चन्द्र	"	"
		श्री रामजीलाल शर्मा	"	"

श्री चतुर्वेदी नवम्बर, 67 तक महाविद्यालय में रहे। उपर्युक्त छात्रों की परीक्षायें महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर/रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, जयपुर। बीकानेर द्वारा आयोजित की जाती रही हैं।

ह. निदेशक,
संस्कृत शिक्षा
राजस्थान, जयपुर।

258

कार्यालय महाराज संस्कृत कालेज, जयपुर

श्री रामनारायण चतुर्वेदी, प्राध्यापक द्वारा 1960-61 से 1967-68 तक पढ़ाये गये कालांशों का विषयवार एवं कक्षावार विवरण

शिक्षा सत्र	प्रथमान्तर	द्वितीयान्तर	तृतीयान्तर	चतुर्थान्तर	पंचमान्तर	षष्ठान्तर	सप्तामान्तर	नाम प्राचार्य जिन्होंने समय विभाग चक्र बनाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960 -61	सवमध्यमा 9,10 पत्र वैकल्पिक वेद दिन त्रयम	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष दो पत्र	रिक्त	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष पत्र 1	रिक्त	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष पत्र 3	रिक्त	ह० चन्द्र शेखर द्विवेदी दिनांक 30-7-60

विशेष विवरण—1. महाविद्यालय का अध्यापन समय गर्मियों में प्रातः 7 से 11-40 तथा सर्दियों में प्रातः 7-40 से 12-10 मध्यान्ह था।

2. सर्वमध्यमा में श्री मदन लाल शर्मा व श्री दुर्गानारायण शर्मा दो छात्र थे एवं यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष सत्यनारायण शर्मा अध्ययन करते थे। (कुल 3 छात्र थे)

1961 -62	रिक्त	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष एक पत्र	रिक्त	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष दो पत्र	यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष 3 पत्र	यजुर्वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष 1 पत्र	यजुर्वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष 2 पत्र	ह. चन्द्रशेखर द्विवेदी दिनांक 5-8-61

विशेष विवरणः—1. महाविद्यालय का अध्यापन समय गर्मियों में 7 से 11-30 तथा सर्दियों में 8-10 से 12-10 मध्यान्ह था।

2. यजुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष रामकृष्ण शर्मा तथा यजुर्वेद उपाध्याय प्रथम वर्ष में रामकिशोर शर्मा कुल दो छात्र पढ़ते थे।

(259)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1962 -63	रिक्त	वेदाचार्य द्वितीय वर्ष 4 पत्र	वेदाचार्य दि. वर्ष 5 पत्र	यजर्वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष प्र. पत्र	वेदाचार्य द्वितीय 8 पत्र	यजर्वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष 2 पत्र	सर्वोपाध्याय 2 वष 7, 8 पत्र हिन्दी	ह. चन्द्रशेखर द्विवदी दि. 8-6-62 तथा 7-9-62

विशेष विवरण:—1. महाविद्यालय समय गर्मियों में 7 से 11 व सर्दियों में 7-40 से 12-40 मध्यान्ह था ।

2. वेदाचार्य द्वितीय वर्ष श्री रामकृष्ण शर्मा, सर्वोपाध्याय में जयश्रीकृष्ण शर्मा, छतरनारायण शर्मा, मदनलाल शर्मा, यजुर्वेदोपाध्याय गोपाल लाल शर्मा कुल 5 छात्र थे ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1963 -64	यजुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष 4 पत्र	यजुर्वेदाचार्य दि. वर्ष 8 पत्र	यजुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष 5 पत्र	व्याकरणोपाध्याय प्रथम वर्ष 2 पत्र	यजुर्वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष 2 पत्र	व्याकरणोपाध्याय प्रथम वर्ष 1 पत्र	यजुर्वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष तृतीय पत्र	ह० चन्द्रशेखर द्विवेदी दिनांक 9-8-63 तथा 10-10-63 द्वारा सातवां अन्तर भरा गया तथा 11-1-64 को पुनः समय विभाग बदला गया ।

विशेष विवरण:—1. महाविद्यालय समय गर्मियों में प्रातः 7 से 11 सर्दियों में 7-45 से 12-15 मध्यान्ह था ।

2. यजर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष रामकृष्ण शर्मा, व्याकरणोपाध्याय बनवारीलाल, उमाशंकर, शंभुदयाल व गिरिराज शर्मा यजर्वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष में गोपाल लाल शर्मा पढ़ते थे । कुल छात्र सख्या 6 थी ।

1964 -65	व्याकरणोपाध्याय प्रथम वर्ष 1 पत्र	यजुर्वेदाचार्य 2 पत्र	व्याकरणोपाध्याय 1,2 वर्ष 2 पत्र	व्याकरणोपाध्याय 2 वर्ष 3 पत्र	यजुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष	यजुर्वेदाचाय द्वितीय वर्ष	रिक्त	डा० गोविन्दनारायण आचार्य दिनांक 23-7-54

विशेष विवरण:— 1. महाविद्यालय समय गर्मियों में प्रातः

2. यजुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष रामकृष्ण शर्मा, व्याकरणोपाध्याय 2 वर्ष, शंभुदयाल, बनवारीलाल, व्याकरणोपाध्याय प्र. वर्ष भंवरलाल कुल 4 छात्र पढ़ते थे।

1965 -66	यजुर्वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष 1 पत्र	यजुर्वेदोपाध्याय प्र. वर्ष 2, 3 पत्र	पोरोहित्याचार्य प्र० वर्ष 1 पत्र	पोरोहित्याचार्य प्र० वर्ष 2 पत्र	पोरोहित्याचार्य प्र. वर्ष 3 पत्र	रिक्त	रिक्त	ह० गोविन्दनारायण आचार्य दिनांक 24-9-65

विशेष विवरण:— 1. महाविद्यालय समय गर्मियों में प्रातः से तक तथा सर्दियों में प्रातः से तक मध्यान्ह था।

2. पोरोहित्याचार्य प्रथम वर्ष रामकृष्ण शर्मा, यजुर्वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष हरिनारायण शर्मा कुल दो छात्र अध्ययन करते थे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1966-67	रिक्त	वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष 1, 2 पत्र	वेदोपाध्याय प्रथम वर्ष 3 पत्र	वेदाचार्य 2 वर्ष 5 पत्र	वेदाचार्य द्वितिय वर्ष 8 वां पत्र	पोरोहित्याचार्य प्रथम वर्ष 1, 4 पत्र	पोरोहित्याचार्य प्रथम वर्ष 3 रा पत्र	ह० श्री गोविन्दनारायण आचार्य दि० 5-8-66 व 10-9-66

विशेष विवरण:— 1. महाविद्यालय समय गर्मियों में प्रातः सदियों में
2. यजुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष में नानग राम शर्मा, पोरोहित्याचार्य प्रथम वर्ष रामकृष्ण शर्मा, यजुर्वेदोपाध्याय मदनगोपाल शर्मा, रमेशचन्द शर्मा, रामजीलाल शर्मा कुल 5 छात्र अध्ययन करते थे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1967-68	रिक्त	रिक्त	वेदान्ताचार्य प्रथम वर्ष 1 पत्र	वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष 1, 2 पत्र	वेदोपाध्याय द्वितीय वर्ष 3 पत्र	रिक्त	रिक्त	ह० गोविन्दनारायण आचार्य दिनांक 27-7-67

विशेष विवरण:— 1. महाविद्यालय समय
2. वेदान्ताचार्य प्रथम वर्ष, लक्ष्मण दास, शंकरप्रसाद शुक्ल, वेदोपाध्याय; रमेश चन्द, रामजीलाल शर्मा कुल 4 छात्र अध्ययन करते थे।
3. 18 वर्ष पुराने रिकार्ड से इसे अधिक और सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है।

कालेज समय : गर्मी प्रातः 7 से 11-40
सर्दी प्रातः 7-40 से 12-10

ह०/०
उप-निरीक्षक,
संस्कृत शिक्षालय,
राजस्थान, जयपुर।

ह०/०
प्रिंसिपल,
महाराज संस्कृत कालेज,
जयपुर।

श्री रामनारायण चतुर्वेदी, प्राध्यापक, राजकीय महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर द्वारा सत्र 1960-61 से सत्र 1967-68 तक पढ़ाए गए छात्रों में से परीक्षा में बैठे गए छात्रों का विवरण :—

क्र०सं०	सत्र	छात्र ग्रॉन रोल	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या
1.	60-61	3	..
2.	61-62	2	..
3.	62-63	5	1 प्रमोटेड
4.	63-64	6	4
5.	64-65	4	1
6.	65-66	2	..
7.	66-67	5	2
8.	67-68	4	2

ह०/-
निदेशक, संस्कृत शिक्षा
राजस्थान, जयपुर।

महाराजा संस्कृत कॉलेज में शिक्षा सत्र 1959-60 से 1967-68 तक कार्यरत स्टाफ (अध्यक्ष, प्रोफसर, व्याख्याता) का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	सत्र								
		सत्र	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	69-66	66-67	67-68
1	2	3	4								
1.	श्री चन्द्रशेखर द्विवेदी	अध्यक्ष	,,	,,	,,	,,	,,	राज्य सेवा छोड़ कर अन्यत्र चले गये।			
2.	श्री वृद्धिचन्द आचार्य	प्रोफेसर	,,	,,	,,	सेवामुक्त	–	–	–	–	–
3.	श्री पुरुषोत्तम भट्ट		,,	,,	,,	सेवामुक्त	–	–	–	–	–
4.	श्री विंध्याचल प्रसाद	प्रोफेसर-ज्योतिष	,,	,,	,,	कार्यरत थे	कार्यरत थे	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत
5.	श्री जगदीश शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6.	श्री गोविन्द नारायण शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	(अध्यक्ष)	,,	,,	,,
7.	श्री दुर्गादत्त आचार्य	व्याख्याता	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
8.	श्री मदन लाल आचार्य	,,	,,	,,	,,	अन्यत्र गये		,,	,,	,,	,,
9.	श्री युगलकिशोर आचार्य	,,	,,	,,	,,	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत
10.	श्री बद्री नारायण शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	स्थानान्तरित	स्थानान्तरित	स्थानान्तरित	स्थानान्तरित

11.	श्री नन्दकुमार शर्मा	व्याख्याता	,,	,,	सेवामुक्त	—	—	—	—	—	—
12.	श्री गंगाधर द्विवदी	,,	,,	,,	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत
13.	श्री कान्त ठाकुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
14.	श्री राम नारायण चतुर्वेदी	प्रोफेसर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
15.	श्री शुकदेव पाठक	व्याख्याता	—	—	,,	—	—	—	—	—	—
16.	श्री चण्डी प्रसाद	,,	—	—	—	—	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	कार्यरत
17.	श्री जगदीश चन्द्र कथावत	,,	—	—	—	—	—	,,	,,	,,	,,
18.	श्री छोटे लाल मिश्र	,,	—	—	—	—	,,	,,	,,	,,	,,

ह०/-
प्रिंसिपल,
महाराजा संस्कृत कालेज,
जयपुर ।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची)

श्री मोतीलाल जोशी के गत 6 माह अप्रेल, 78 से सितम्बर, 78 तक के मनोहरपुर तथा सरकारी कार्य से तथा विश्वविद्यालय कार्य से अन्यत्र प्रवास में रहने के दिवसों का विवरण:—

नाम	राजपत्रित अवकाश	मनोहरपुर में उपस्थिति दिनांक	निदेशालय	विश्वविद्यालय	निरीक्षण	आकस्मिक अवकाश	विशेष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रेल, 78	2, 9, 16, 17, 21, 23 व 30	3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20	1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 24, 26, 27, 28, 29	22, 25	—	—	—	30 दिन
मई, 78	7, 14, 21, 28	15, 16	1, 2, 3, 4, 12 अपरान्ह 13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31	17	5 से 12 तक पूर्वान्ह तक परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण। 20 से 23 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण	—	—	31 दिन
14 जून, 78 तक	4, 8, 11	10, 14	1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 (15 जून से 14 अगस्त तक) (2 मास का ग्रीष्मावकाश)	12	—	—	—	14 दिन

15 अगस्त, '78 से	20, 26, 27	15, 16	17, 18, 21, 24, 29, 30	19, 22, 23 25, 28, 31	—	—	केवल 17, 18 की टी. ए. स्वीकृति निदेशालय से ली गई है।	17 दिन
सितम्बर, 78	3, 5, 10, 17, 24	6, 7, 8, 13, 14, 23, 28, 30	1, 4, 11, 12, 18, 19, 20	15, 16	2 लक्ष्मणगढ़ 9 दिगम्बर जैन सं. कालेज 21 बीकानेर 22 नेछवा	25, 26 27, 29	—	30 दिन

ह० निदेशक,
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

ícc

1. श्री मोतीलाल जोशी, प्राचार्य, चिराणा का विभिन्न स्थानों का कार्यस्थल एवं अवधि। प्रथम नियुक्ति तिथि से 5-11-78 तक।

पद	स्थान	कार्यारंभ तिथि	कार्यमुक्ति तिथि	अवधि (एक स्थान पर)		
				वर्ष	मास	दिन
1	2	3	4	5		
स०अ०	शाहपुरा	25-7-55	27-9-56	1	2	2
,,	जोधपुर	1-10-56	16-4-57	—	5	16
,,	मनोहरपुर	27-4-57	17-1-59	1	6	27
,,	जयपुर	18-1-59	16-8-60	1	6	28
प्र०अ०	मनोहरपुर	22-8-60	16-9-63	3	—	24
प्राचार्य	मनोहरपुर	17-9-63	6-2-71	7	4	19
निरीक्षक	सं०शि०नि०	7-2-71	6-2-72	—	11	29
प्राचार्य	मनोहरपुर	14-2-72	2-12-72	—	9	18
,,	सीकर	12-12-72	17-7-76	3	7	5
,,	मनोहरपुर	19-7-76	25-10-78	2	3	6
,,	चिराणा	27-10-78	निरंतर	निरंतर		

2. श्री प्यारे मोहन शर्मा, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, कालाड़ेरा का विभिन्न स्थानों का कार्यस्थल एवं अवधि। प्रथम नियुक्ति तिथि से 5-11-78 तक।

स०अ०	बोंली	16-7-53	4-2-54	—	6	18
,,	नीमकाथाना	5-2-54	27-3-59	5	1	22
प्र०अ०	खेतड़ी	3-4-59	20-9-61	2	5	27
प्र०अ०	,,	2-10-61	18-7-62	—	9	16
●अ०	,,	19-7-62	8-11-63	1	3	19
व्याख्याता	सीकर	9-11-63	26-6-66	2	7	17
पी०जी०टी०	देहरादून	27-6-66	30-6-67	1	—	3 प्रति-नियुक्ति
व्याख्याता	महापुरा	1-7-67	22-1-68	—	6	21
प्राचार्य	दौसा	23-1-68	25-9-75	7	8	2
,,	कालाडरा	27-9-75	निरंतर	निरंतर		

3. श्री रघुवीर प्रसाद चतुर्वेदी, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत शिक्षण विद्यालय, महापुरा। विभिन्न स्थानों का कार्यस्थल एवं अवधि। प्रथम नियुक्ति तिथि से 5-11-78 तक।

लेखक। सहायक उप निरीक्षक उप म० सहायक निदेशक, निदेशालय, जयपुर।		15-11-48	6-6-75	26	6	19
अध्यापक	जयपुर	18-7-61	6-9-61	—	1	19
प्राचार्य बी०एस० टी०सी०	महापुरा	7-6-75	निरंतर	3	4	28 (निरंतर)

1	2	3	4	5		
4. श्री देवकीनन्दनगोस्वामी, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, अजमेर ।						
स०अ०प्रा०वि०	हथरोई	24-4-48	30 6-48	—	2	6
प्र०अ०	,,	1-7-48	30-6-59	—	11	29
स०अ०	जयपुर	1-7-49	11-7-49	—	—	10
स०अ०	सांगानेर	12-7-49	16-10-51	2	3	4
(एस०टी०सी० प्रशिक्षण)		17-10-51	10-4-52	—	5	23
प्र०अ०	गांधीनगर	11-4-52	1-11-53	1	6	20
,,	जयपुर	2-11-53	18-11-55	2	—	16
स०अ०	जयपुर	19-11-55	14-9-56	—	10	25
व०अ०	जोधपुर	19-9-56	6-7-60	3	9	27
व्याख्याता	उदयपुर	7-7-60	7-10-61	1	3	—
,,	जोधपुर	14-10-61	8-7-63	1	8	24
बी०एड० प्रशिक्षण		10-7-63	29-4-64	—	—	—
व्याख्याता	जोधपुर	1-5-64	27-8-68	4	3	26
प्राचार्य	अजमेर	4-9-68	से निरन्तर	10 वर्ष		
5. श्री मदनलाल डोलिया, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, सीकर।						
स०अ०	टोडारायसिंह	1-11-54	5-7-55	—	8	4
प्रवक्ता	अलवर	11-7-55	7-6-59	3	10	23
कार्य०प्राचार्य	अलवर	5-6-59	9-10-63	4	4	4
,,	कालाडेरा	10-10-63	21-8-70	6	10	11
,,	सीकर	22-8-70	6-12-72	2	3	14
,,	मनोहरपुर	12-12-72	25-8-76	3	8	13
,,	सीकर	26-8-76	से निरन्तर	2	2	11
6. श्री सत्यदेव मिश्र, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, महापुरा।						
स०अ०	सरमथुरा	16-1-56	1-10-58	2	8	15
,,	कोटकासिम	6-10-58	20-1-62	3	3	14
प्र०अ०	,,	21-1-62	14-7-66	4	5	23
(प्रशिक्षण शिक्षाशास्त्री 15-7-66 से 30-4-67)						
प्र०अ०	कोटकासिम	1-5-67	10-1-68	1	8	9
,,	शाहपुरा	15-1-68	17-8-70	2	7	2
प्राचार्य	अलवर	18-8-70	3-9-71	1	—	15
,,	कोटकासिम	6-9-71	9-1-75	3	4	3
,,	महापुरा	11-1-75	से निरन्तर	3	9	24
7. श्री नृसिंह प्रसाद मिश्र, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, मनोहरपुर।						
स०अ०	सीकर	30-3-59	9-11-63	4	8	9
प्रवक्ता	जोधपुर	11-11-63	4-11-66	2	11	23

(२६७)

1	2	3	4		5	
प्रवक्ता महापुरा		5-11-66	10-12-66	—	1	5
कार्य० प्राचार्य, जोधपुर		16-12-66	23-3-67	—	3	7
प्रवक्ता	जोधपुर	23-3-67	4-2-68	—	10	11
प्राचार्य	कोटकासिम	5-2-68	7-8-70	2	6	2
,,	कालाडेरा	15-8-70	23-11-72	2	3	8
,,	नाथद्वारा	2-12-72	9-12-75	3	—	7
,,	चिराणा	18-12-75	22-10-78	2	10	4
,,	मनोहरपुर	23-10-78 से निरन्तर				

8. श्री श्रीनारायण त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, दौसा।

प्र०अ०	करौली	11-8-52	17-1-56	3	5	6
स०अ०	बीकानेर	24-1-56	25-1-60	4	—	1
स०अ०	कालाडेरा	1-2-60	13-4-62	2	2	12
व्याख्याता	अलवर	14-4-62	18-9-63	1	5	4
प्राचार्य	अलवर	19-9-63	22-3-67	3	6	4
,,	जोधपुर	23-3-67	24-11-67	—	8	1
,,	नाथद्वारा	25-11-67	9-10-71	3	10	14
,,	मनोहरपुर	13-10-71	14-2-72	—	4	1
,,	नाथद्वारा	22-2-72	18-11-72	—	8	26
,,	कालाडेरा	23-11-72	29-9-75	2	10	6
,,	दौसा	2-10-75 से निरन्तर				

9. श्री बाबूलाल शर्मा, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, जोधपुर।

स०अ०	गणेश्वर	5-7-58	1-3-59	—	7	26
,,	जैसलमेर	6-3-59	2-9-59	—	5	26
प्र०अ०	श्रीमाधोपुर	5-9-59	15-9-60	1	—	10
स०अ०	नीमकाथाना	16-9-60	26-11-60	—	2	10
प्र०अ०	श्रीमाधोपुर	30-11-60	30-10-61	—	11	—
,,	नसीराबाद	31-10-61	30-7-62	—	8	29
,,	नाथद्वारा	6-8-62	10-6-64	2	—	4
प्रशिक्षण	शि०शा०	11-8-64	25-4-65	—	8	14
स०अ०	नाथद्वारा	26-4-65	25-8-65	—	3	29
प्र०अ०	मेड	27-8-65	12-9-76	2	—	15
प्रशिक्षण वि०	जयपुर	15-9-67	30-4-68	—	7	15
प्र०अ०	भरतपुर	1-5-68	2-9-70	—	4	1
प्र०अ०	शाहपुरा	3-9-70	31-7-72	1	10	28
,,	मेड	1-8-72	8-1-75	2	5	7
व्याख्याता	महापुरा	11-1-75	6-12-75	—	10	25
प्राचार्य	नाथद्वारा	10-12-75	18-10-77	1	10	8
,,	जोधपुर	19-10-77 से निरन्तर				

1	2	3	4		5	
10. श्री नमोनारायण प्रतिहस्त, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, कोटकासिम।						
स०अ०	नाथद्वारा	23-12-62	11-9-65	2	10	18
,,	कोटकासिम	14-9-65	14-7-66	—	10	—
शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षण		15-7-66	30-4-67	—	9	15
स०अ०	कोटकासिम	1-5-67	31-7-68	1	2	3
प्र०अ०	तीतरिया	1-8-68	25-7-72	3	11	24
प्र०अ०	भरतपुर	28-7-72	22-2-74	1	6	24
व्याख्याता	जयपुर	23-2-74	30-10-76	2	8	7
प्राचार्य	कोटकासिम	2-11-76	निरन्तर	2	—	3

ह० निदेशक, संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

(272)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

बिन्दु संख्या 2:राज्य : के प्रत्येक जिले में इस सत्र में शिक्षण शाखायें नई खोली गई या क्रमोन्नत की गई उनकी सूची

क्र०सं०	जिले का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उ०प्रा० विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
1.	अजमेर	31	12	7
2.	अलवर	132	14	9
3.	भरतपुर	135	20	10
4.	जयपुर	139	20	18
5.	झुंझुनूं	26	10	12
6.	सीकर	37	17	14
7.	सवाई माधोपुर	63	11	10
8.	टोंक	14	5	3
9.	बीकानेर	11	9	5
10.	चुरू	27	7	3
11.	श्री गंगानगर	67	21	27
12.	बाड़मेर	22	17	11
13.	जैसलमेर	15	9	5
14.	जोधपुर	10	17	29
15.	जालोर	8	12	8
16.	सिरोही	4	6	5
17.	नागौर	37	12	14
18.	पाली	14	9	17
19.	कोटा	37	10	9
20.	बूंदी	9	5	3
21.	झालावाड़	30	6	1
22.	बांसवाड़ा	92	9	3
23.	भीलवाड़ा	33	6.	5
24.	डूंगरपुर	33	22	5
25.	चित्तौड़गढ़	44	5	2
26.	उदयपुर	122	26	16
	कुल योग ..	1192	317	251

जोधपुर नगर पालिका क्षेत्र में खोले गये । क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

माध्यमिक विद्यालय:— (1) हनुमान मण्डी, जोधपुर (2) रातानाडा, जोधपुर

उच्च प्राथमिक:— (1) दही खेडा, जोधपुर

प्राथमिक विद्यालय:— (1) बालसमन्द, (2) कागड़ी ।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची)

दातारामगढ़ तहसील के ग्रामों की सूची जिसमें पेय जल उपलब्ध करवा दिया गया है।

क्र०सं०	ग्राम का नाम
1.	दौता
2.	दांतारामगढ़
3.	खूड
4.	ग्राम
5.	रानोली
6.	कोछोर
7.	सवाईपुरा
8.	बनोड़ा
9.	लोसल
10.	ढोलासरी
11.	पुनियोनी
12.	कूलो
13.	खाचरियावास
14.	चैनपुरा
15.	रघुनाथपुरा
16.	पलसाना

प्रश्न 5 के तहत दातांरामगढ़ तहसील में वर्ष 78-79 द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की सूची

योजना का नाम	ग्रामों के नाम	योजना की लागत राशि	विशेष विवरण
क्षे०ज०प्र०यो०, डासरोली ,कांकरा	1. डांसरोली 2. कांकरा	2.00 लाख	डी०पी०सी० 78-79
क्षे०ज०प्र०यो०, सामी	1. सामी 2. राजपुरा 3. सेसम 4. सागलिया	3.00 लाख	,,

परिशिष्ट 11

([illegible])

क. सं.	योजना का नाम	[illegible] की संख्या	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] के कार्य की प्रगति	विशेष विवरण एवं योजना [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खीमला-सुस्त जायडू	13	75-76	29.60	1.07 लाख	10.34	इस योजना पर 1.92 लाख की राशि का भुगतान भू-जल विभाग को नल-कूपों के निर्माण हेतु किया गया है। भू-जल विभाग द्वारा नल-कूपों का निर्माण-कार्य पूर्ण कर विभाग को दे दिये हैं। 8.42 लाख की राशि का उपयोग पाइप लाइन एवं मशीनरी इत्यादि पर किया गया है। टैंक इत्यादि बनाने के कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।	योजना [illegible] है। धन की उपलब्धि [illegible] अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सामान्यतया क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूरे करने में उसे 4 वर्ष लग जाते हैं।
2.	उब्बू पखावड़ा	7	71-72	22.90	—	24.69	यह योजना पूर्ण कर दी गई है।	इस योजना के दो ग्रामों-कोल एवं अकादड़ा में लगातार जल उपलब्ध क[illegible] व्यवधान रहा। [illegible]

							विभाग द्वारा प्रयत्न कर ग्राम कोलू को लगातार जल उपलब्ध करवाया है। ग्रका-दड़ा को जल उपलब्ध कराने के लिये लाइन की टेस्टिंग इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। इस योजना को ऑग-मेंटेशन ' मद के तहत भी वर्ष 77-78 एवं 78-79 में भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आशा है शीघ्र ही योजना का सुचारु रूप से नियमित जल उपलब्ध होने लगेगा।
3. माडरकलां-देरासर	10	72-73 संशोधित 75-76	13.50 12.78	--	20.90	योजना के 10 ग्रामों में से 5 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। योजना पर सारे कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। एक नल-कूप का निर्माण शेष है। भू-जल विभाग से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है।	इस योजना के शेष 5 ग्रामों में भू-जल विभाग द्वारा शेष एक नल-कूप के निर्माण के बाद ही जल उपलब्ध करा दिया जायगा। इन ग्रामों में वर्ष 78-79 में जल उप-लब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। योजना के इन शेष 5 ग्रामों में जल उपलब्ध न कराने का कारण नलकूप का निर्माण न होना ही है।